खण्ड-374, अंक-10
बुधवार, 30 माघ, शक संवत् 1907
(19 फरवरी, 1986 ई0)

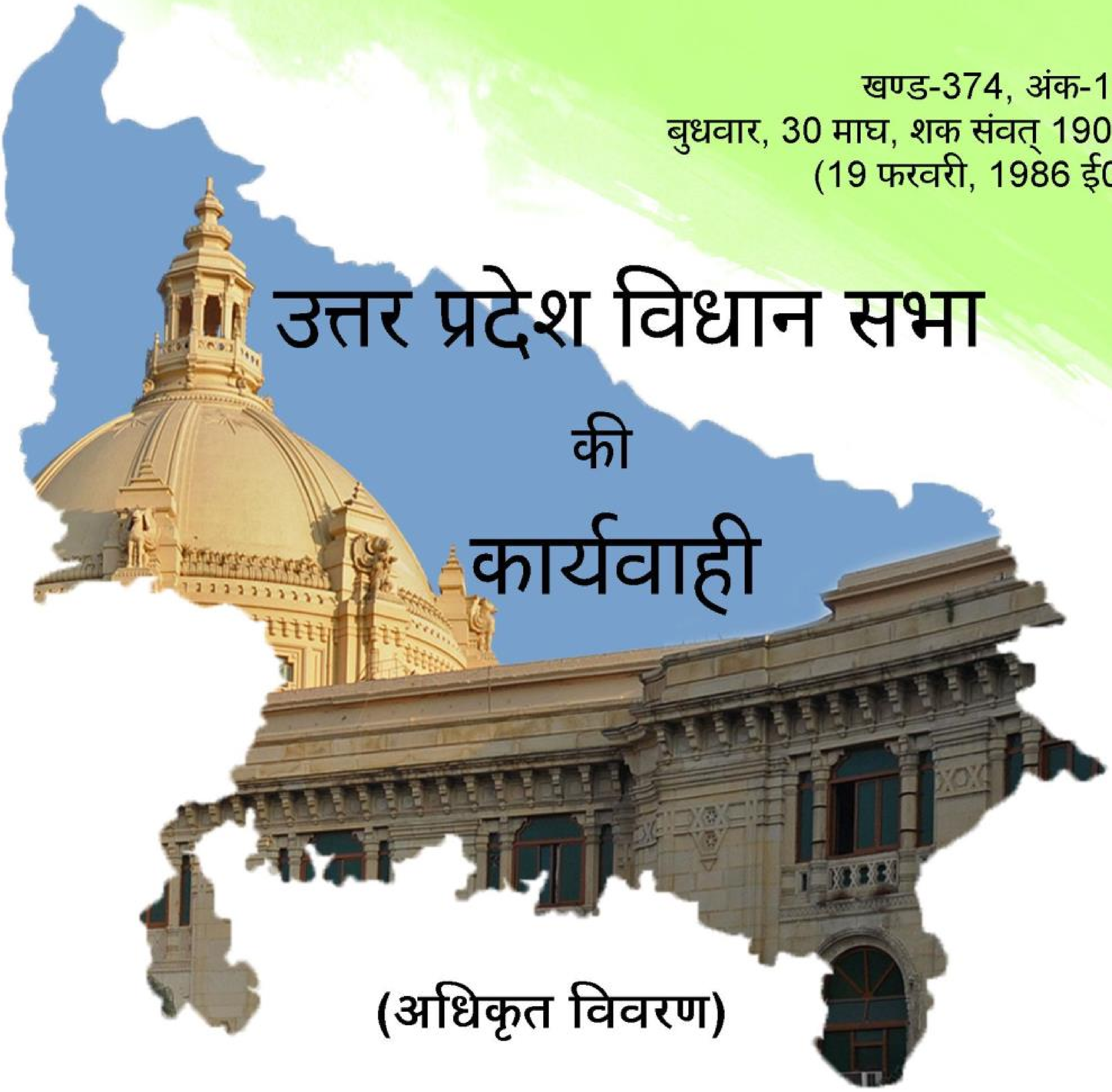

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 374 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सस्दय	1
प्रश्नोत्तर	2–59
भूतपूर्व सदस्य, श्री नत्थू सिह के निधन पर शोकोद्गार	59–62
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	62–63
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	63–64
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री चन्द्र कुमार पांडेय के प्रति प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र हरगांव, सीतापुर द्वारा अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
मथुरा जनपद में मिट्टी के तेल के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	64
आगरा जनपद में यमुना रोड, जवाहर पुल तक के प्रमुख मार्ग के क्षतिग्रस्त होने तथा उसका शीघ्र निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	65
ग्राम कुंवरपुर कुकरी, ब्लाक शिवराजपुर, जनपद कानपुर देहात में जलभराव से हुई क्षति की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
सुमेरपुर माइनर शारदा सहायक खण्ड–32, आजमगढ़ के निर्माण में खराबी से जल-भराव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
पुलिस चौकी इन्चार्ज, थाना उभांव, क्षेत्र सीयर, बलिया द्वारा क्षेत्रीय जनता का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
इलाहाबाद के द्वाबा क्षेत्र में राम गंगा नहर की टेल के निर्माण में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
अधिकारियों द्वारा विधायकों को अपने निवास पर बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	66
डा0 रजनीकान्त दत्त, सदस्य, विधान सभा को वाराणसी में पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	67–73
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) ..	74–75
फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या किये जाने के संबंध में वक्तव्य	75–82
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	83–88
गृह राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिह चौहान के ऊपर लगाये गये आरोप पर व्यवस्था का प्रश्न	88–92
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	92–99
वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा..... (जारी) ..	99–124
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	124
जनपद बस्ती की वाल्टरगंज तथा खलीलाबाद चीनी मिलों के बन्द होने से मजदूरों में भुखमरी व बेकारी उत्पन्न होने के सम्बन्ध में चर्चा	124–134
नत्थियां	135–137

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री निवाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	माताप्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	इटा
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	मित्र सेन, श्री	फैजाबाद
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	मोती राम, श्री	नैनीताल
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर	योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
उर्मिला अग्निहोत्री एडवोकेट, कुमारी	एटा	रजनी कान्त दत्त, डा0	वाराणसी
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी	रफीक अहमद, श्री (उर्फ फन)	बरेली
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ	विनोद कुमार, श्री	पीलीभीत
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
धनराज यादव, श्री	बस्ती	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
पुष्पा सिंघल, श्रीमती	मुरादाबाद	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
पूरन सिंह माहरा, श्री	अल्मोड़ा	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
बंगाली सिंह, डा0	अलीगढ़	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद	हरिश्चन्द्र, हरीशी जी, श्री	बस्ती
मंगलदेव, श्री	गोण्डा	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती		

नोट. श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मन्त्री तथा कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मन्त्री भी अनुपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 19 फरवरी, 1986 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत दरों में की गयी वृद्धि

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत परिषद से कोई इस आशय का सुझाव स्वीकृति हेतु हाल में ही शासन को प्राप्त हुआ है कि विद्युत दरों में संशोधन करके वर्तमान विद्युत दरों को बढ़ावा दिया जाय ? यदि हां, तो सुझाव क्या है तथा इस पर शासन की नीति क्या है ?

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई, एक्ट, 1948 की धारा 49 के अधीन राज्य विद्युत परिषद को विद्युत दरों का निर्धारण/पुनरीक्षण करने का अधिकार है।

विद्युत दरों के पुनरीक्षण के लिए परिषद ने एक "टैरिफ रैशनलाइजेशन कमेटी" का गठन किया था। इस कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त परिषद ने फिलहाल कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं के विद्युत दरों का पुनरीक्षण दिनांक 1-2-86 से कर दिया। इस कमेटी की अन्य संस्तुतियां अभी परिषद के विचाराधीन हैं।

दिनांक 1-2-86 से पूर्व तथा इस तिथि से पुनरीक्षित दरों का तुलनात्मक विवरण संलग्न है। †

दरों के मामले में हस्तक्षेप करने का फिलहाल शासन का कोई इरादा नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उत्तर में दर्शाया है कि इस कमेटी की अन्य संस्तुतियां परिषद के विचाराधीन हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वे अन्य संस्तुतियां क्या हैं ?

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय सदस्य ने प्रश्न यह किया था कि क्या विद्युत परिषद से कोई इस आशय का सुझाव स्वीकृत हेतु हाल में ही शासन को प्राप्त हुआ है ? मैंने उस विषय में जानकारी दी है कि कोई संस्तुति नहीं आयी है। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि परिषद में क्या विचार हो रहा है, तो पुनः प्रश्न पूछ लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने प्रश्न किया था, चूंकि उन्होंने उत्तर दे दिया है, इसलिये वह सदन की सम्पत्ति बन गया। यह खुद कहते हैं कि विद्युत दरों के पुनरीक्षण के लिये परिषद ने एक "टैरिफ रैशनलाइजेशन कमेटी" का गठन किया था। इस कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त परिषद ने फिलहाल कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं के विद्युत दरों का पुनरीक्षण दिनांक 1-2-86 से कर दिया। इसके आगे इन्होंने कहा है कि इस कमेटी की अन्य संस्तुतियां अभी परिषद के विचाराधीन हैं। इसलिये शंका हो गयी कि परिषद की अन्य संस्तुतियां क्या हैं ?

श्री प्रमोद कुमार—

मैं स्पष्ट कर दूं, माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर पढ़ा, मैं प्रश्न पढ़ना चाहता हूं उन्होंने पूछा है कि क्या विद्युत परिषद से कोई इस आशय का सुझाव स्वीकृत हेतु हाल में ही शासन को प्राप्त हुआ है कि विद्युत दरों में संशोधन करके वर्तमान विद्युत दरों को बढ़ावा दिया जाय ? मैंने उत्तर दिया है कि परिषद से शासन को नहीं प्राप्त हुआ है।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। नियमावली का नियम 38 आप देख लें, जब आपने एलाऊ कर दिया एक प्रश्न को और मैं माननीय मन्त्री के उत्तर से सम्बन्धित सवाल पूछ रहा हूं, तो इनका यह कहना कहां तक उचित है कि पुनः प्रश्न पूछ लें ? मेरे मूल प्रश्न का तो उत्तर मिल गया, अगर समाधान हो गया होता तो मैं पूरक प्रश्न पूछता ही नहीं। मैं नियमों के अन्तर्गत सवाल पूछ रहा हूं कि अन्य संस्तुतियां क्या हैं ? अगर यह कहते हैं कि सूचना की आवश्यकता है, तो भी गलत होगा, अगर मा0 मन्त्री जी इसी तरह से सवालों के उत्तर देते रहेंगे तो प्रश्न पूछने का अधिकार नष्ट हो जायगा। इन्होंने जो उत्तर दिया है कि दरों के मामले में हस्तक्षेप का शासन का कोई इरादा नहीं है, यह भी गलत है। यह जो इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट है, इसको आप आप पढ़ लें और अन्य संस्तुतियों के बारे में उत्तर दिला दें, अगर माननीय मन्त्री जी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं, तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें। क्योंकि उत्तर प्रदेश भर के उपभोक्ताओं से संबंधित यह प्रश्न है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसका उत्तर आप मंत्री जी से दिलवा दें।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कर दिया कि माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी कि परिषद् से क्या कोई संस्तुति प्राप्त हुई है, तो उसके सम्बन्ध में मेरा जवाब है कि परिषद् से शासन को कोई संस्तुति नहीं प्राप्त हुई है। यदि सदस्य की जिज्ञासा है कि अब क्या विचार हो रहा है ? तो उसे बतला दें, मैं इसकी सूचना माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मौजूदा स्थिति में प्रदेश में विद्युत की जो दरें हैं वह पर्याप्त हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन देंगे कि 1986-87 में विद्युत की दरों में और बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह उससे ताल्लुक तो रखता नहीं है।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मेरा सीधा प्रश्न है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो टैरिफ रैशनलाईजेशन कमेटी बनायी गयी है, राज्य विद्युत परिषद में भी इस पर गम्भीरता से विचार हो रहा है।

श्री प्रमोद कुमार—

यह ठीक है कि दैनिक रैशनलाईजेशन कमेटी में इन्हीं सब बातों पर विचार हो रहा है परन्तु जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट न आ जाय, उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के उपरान्त ही परिषद् इस पर कोई निर्णय लेगी और तभी हम कुछ बतला सकने की स्थिति में होंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद् विचार कर रही है और टैरिफ भी बढ़ा दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह टैरिफ बढ़ाया गया है तो क्या इसके सम्बन्ध में पहले कैबिनेट से इसका एप्रूवल विद्युत परिषद् ने लिया था ? यदि नहीं लिया था, तो क्यों नहीं लिया था ?

श्री प्रमोद कुमार—

परिषद् ने इस पर विचार किया और विचारोपरान्त जो उचित समझा गया तो उसी आधार पर बढ़ा दिया गया है। जो अन्य बातें विचार करने से रह गयी हैं उन पर अभी विचार हो रहा है। माननीय रेवती रमण सिंह जी तो स्वयं विद्युत मंत्री रह चुके हैं, सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की धारा 49 के अन्तर्गत विद्युत दरों में पुनरीक्षण करने का अधिकार परिषद् को है। शासन का इसमें हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन परिषद् में इसके बढ़ाने के पहले सभी तथ्यों पर विचार किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी अभी मेरे मूल प्रश्न का हवाला दे रहे थे इसलिये मान्यवर, पहले मैं

अपना प्रश्न दोहरा देना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न था "क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत परिषद से कोई इस आशय का सुझाव स्वीकृत होते हाल में ही शासन को प्राप्त हुआ है कि विद्युत दरों में संशोधन करके वर्तमान विद्युत दरों को बढ़ा दिया जाय ?" तो इसका उत्तर केवल "हां" या "ना" में आना चाहिए था । मैं अपने मूल प्रश्न को दोहरा कर मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो टैरिफ विद्युत परिषद ने बढ़ाया है तो इसके बारे में कोई सुझाव या अनुमति प्राप्त करने के लिये शासन को टैरिफ बढ़ाने के पहले लिखा था ? यदि ऐसा कोई सुझाव शासन को प्राप्त हुआ था तो इस पर शासन ने क्या उत्तर दिया था ? मान्यवर, आटोनमस बाडी बिना शासन की अनुमति प्राप्त किये इसे बढ़ा नहीं सकती है । शासन की कार्यवाही के बारे में मैंने पूछा है कि शासन से अनुमति प्राप्त करने के लिये उन्होंने जो पत्र भेजा था तो शासन ने उसके बारे में क्या निर्देश दिये थे ?

श्री प्रमोद कुमार—

वहां से कोई ऐसा पत्र शासन को नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

विद्युत की दरों में पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव शासन के पास आया और यह प्रस्ताव उपभोक्ताओं के दैनिक उपयोग में आने वाली लाइट और फैन के संबंध में था । तो दैनिक उपयोग की लाइट और फैन को बिजली की कोई दर नहीं बढ़ायी जायगी. ऐसा मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर मैंने जवाब दिया कि शासन के पास कोई पत्र नहीं आया है, तो उसके अन्दर क्या है, कैसे बता सकता हूं ? कोई मैं अन्तर्यामी तो हूं नहीं । मैं कैसे बता सकता हूं कि उसमें क्या है ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उनकी मंत्रि परिषद ने अपने इस अधिकार को वेव कर दिया है कि टैरिफ बढ़ाने के पूर्व उसकी अनुमति ली जानी चाहिए, अगर विद्युत परिषद ने बिना अनुमति लिये हुये यह किया है तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या आप कार्यवाही करेंगे और बिना अनुमति के जो रेट बढ़ाया गया है उसे कम करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मूल प्रश्न के उत्तर में मेरा उत्तर समाहित है । बोर्ड सक्षम है रेट बढ़ाने के लिये । कोई आवश्यकता शासन से स्वीकृति की नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया है कि टैरिफ कमेटी की जो रिपोर्ट आयी उसकी संस्तुतियों पर विद्युत परिषद गम्भीरता से विचार करती है और उस पर बिना विचार किये हुये, टैरिफ का रेट बढ़ा दिया गया है, जो विचाराधीन था उस पर बढ़ा दिया है तो क्या आप उसे कम करेंगे और सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, बहुत गम्भीरता से विचार हुआ है । इसीलिये सभी पर नहीं बढ़ाया गया है, जिन पर अभी आवश्यक समझा गया, उन्हीं पर बढ़ाया गया ।

श्री मुईद अहमद—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर विद्युत बोर्ड बिजली की दरों को बढ़ाने की संस्तुति करती है, तो क्या आप उसे स्वीकार कर देंगे और इस सदन को आश्वासन देंगे कि कोई भी बिजली में बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह परिषद के विचाराधीन है और जब शासन स्तर पर आयेगा तो सभी बिन्दुओं पर विचार हम करेंगे ।

प्रदेश के विभागों में शून्य आधारित बजट प्रणाली लागू किये जाने पर विचार

**2—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 1986-87 से अपने सारे विभागों में शून्य आधारित बजट प्रणाली (जीरोबेस्ड बजटिंग) लागू करने का फैसला किया है जिसके फलस्वरूप अनावश्यक फिजूल खर्ची भी समाप्त होती है और सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी संभव होता है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार भी उक्त प्रणाली को लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

राज्य सरकार को इस तथ्य की अधिकृत जानकारी नहीं है कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 1986—87 से अपने सारे विभागों में शून्य आधारित बजट प्रणाली लागू करने का फैसला किया है अथवा नहीं । इस विषय में भारत सरकार को संदर्भ किया गया है और उनका उत्तर प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि राज्य सरकार को अधिकृत जानकारी नहीं है । वित्त मंत्री जो भारत सरकार के हैं, उनका एक बयान अखबारों में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीरो बेस बजट प्रणाली को लागू किया जायेगा, जिससे सभी विभागों में मितव्ययिता बढ़े । जो खर्चा है, जिनका लाभ कम होता है और खर्च अधिक होता है उनको रिव्यू करके जीरो बेस प्रणाली के माध्यम से मितव्ययिता लाई जा सकती है तो राज्य सरकार को कौन सी अड़चन है जो कि जीरो बेस बजट प्रणाली को नहीं लाना चाहती है, जिससे कि राज्य सरकार के जो फिजूलखर्च हैं, वह समाप्त हो जायें ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा तो मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि भारत सरकार से कोई अधिकृत जानकारी इस संबंध में नहीं मिली है, भारत सरकार से कोई पत्र या प्रारूप नहीं आया है । मान्यवर, 21 नवम्बर, 1985 को सर्वप्रथम इकोनामिक टाइम्स में इस सम्बन्ध में समाचार छपा था और पूरा डिटेल्ड आर्टीकिल निकला था, उससे जानकारी हुई थी ।

इसके बाद केन्द्रीय सरकार के वित्तमंत्री के एक दो बयान और आये तो श्रीमन्, जो यह जीरो बेस्ड बजटिंग प्रणाली है यह निश्चित रूप से उपयुक्त प्रणाली हो सकती है कि इसमें प्रतिवर्ष जो स्कीम, जो परियोजनाएं या योजनायें चल रही हैं, उनका भी आधार शून्य मानकर उस पर विचार किया जाना इसमें प्रस्तावित है । जैसा कि नयी स्कीम के बारे में सोचा जाता है । जहां तक आपने कहा कि यह उपयुक्त है तो श्रीमन् यह अभी डिबेटेबिल है । सर्वप्रथम यह प्रणाली अमेरिका की टैक्सास इन्स्मेन्ट कम्पनी में लागू की गयी उसके बाद जब जिमी कार्टर साहब जार्जिया स्टेट के गवर्नर हुए तो उन्होंने यह जीरो बेस्ड प्रणाली वहां लागू किया और जब वह अमेरिका के राष्ट्रपति हुए तो उन्होंने कृषि विभाग में इसको लागू किया, लेकिन जब कृषि विभाग में जीरो बेस्ड प्रणाली को लागू किया गया तो उसमें अधिकारियों की एक कमेटी उस पर बैठी तो उसमें बहुत सारे डिबेट होने लगा । हावर्ड यूनीवर्सिटी के लोगों ने इसको बोगस करार दिया । लेकिन उसके बाद बहुत संशोधनों के बाद भारत सरकार ने एक प्रारूप बनाने के लिए 3 सेक्रेटीज की एक कमेटी बनायी थी और उसने एक रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को सबमिट की है । उनको प्रदेश सरकार ने एक पत्र लिखा है कि वह रिपोर्ट क्या है, उसका आधार क्या है, और लागू किस प्रकार से करेंगे ? हमने उनसे पूछा है उनका जब उत्तर प्राप्त हो जावेगा तब इस पर विचार करेंगे । जैसा कि आपने पूछा है कि यदि भारत सरकार ने भी लागू करे तो इसके लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है ? श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि यह सही है कि जीरो बेस्ड बजटिंग प्रणालियों में दिन प्रति दिन बहुत तकनीकी इम्प्रूवमेन्ट हो रहा है तो इसको आधार मानकर शासन ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में जीरो बेस्ड बजटिंग प्रणाली के लिए एक सेपरेट निर्देशालय

बनाया जाय तो आधुनिक जितनी प्रणालियां प्रचलित हो रही हैं, दुनिया के कार्नर्स में जो तकनीकें प्रचलित हो रही हैं उसका समावेश करके एक अच्छी जीरो वेस्ड प्रणाली जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, उनको ध्यान में रखकर एक ऐसी प्रणाली ईजाद की जायेगी जिससे कार्य में सुधार आयेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से कहा था कि यह प्रणाली लागू करेंगे, उन्होंने कहा कि नयी प्रणाली लागू करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार के सारे प्रयासों के बावजूद आयोजनागत व्यय की बढ़ोत्तरी में कमी कर दी है और हर बजट पर आयोजनेतर व्यय बढ़ता चला जाता है । उसका मुख्य कारण यह है कि विभागों में जो स्टैबिलिशमेन्ट चला जाता है कोई उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो इतनी कोशिश करने के बाद भी जब हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं कि आयोजनागत व्यय बढ़ सके और आयोजनेतर व्यय कम हो सके । मान्यवर, क्या कारण है कि जो अधिकारी हैं उन्हीं की कमेटी बनाते हैं ? क्या आप इस सदन के सदस्य की कमेटी बनायेंगे और अध्ययन करके इस योजना को लागू करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, जैसा कि बरार साहब ने पहले कहा कि कोई नई प्रणाली ईजाद करेंगे और जीरो बजटिंग एकदम से नहीं मानेंगे । मैंने यह नहीं कहा । मैंने कहा कि जीरो बजटिंग की जो प्रक्रिया है उसको तो मानेंगे ही, लेकिन चूंकि रोज परिवर्तन हो रहे हैं उन आधुनिक परिवर्तनों के हम रोज टच में रहें, यह शब्द मैंने कहे थे । जैसा कि पहले परफारमेंस बजट आता था । उसके बाद प्लानिंग परफारमेंस बजट आना शुरू हुआ और अब जीरो बजटिंग की बात कही जा रही है । यह सब जो बजट प्रणालियां हैं उनको देखते हुये उन्हीं के बारे में मैंने कहा था । वैसे मितव्ययिता के लिये हमारे यहां एक्सपेन्डीचर कंट्रोल सेक्रेटेरियेट है, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया में भी है । हमारे यहां स्पेशल सेक्रेटरी और ज्वाइन्ट सेक्रेटरी इसके लिये हैं । जीरो बजटिंग में अन्तर इतना है कि आमतौर पर जो हमारी पुरानी योजनायें चल रही हैं उनमें हम इतना डिटेल में जाकर रीव्यू नहीं करते हैं । मार्केट कॉस्ट बढ़ने से जो रिवाइज्ड रेट आता है उन्हीं को देखते हुये चालू योजनाओं में बढ़ोत्तरी कर लेते हैं । हम चालू योजनाओं में वही रीव्यू करते हैं जैसा जीरो बजटिंग में होता है । लेकिन जीरो बजटिंग में पुरानी योजनाओं को भी देखना पड़ता है ।

मान्यवर, इस सदन के आम सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जैसी हमारी प्रौढ़ शिक्षा की योजना है । उसमें जो अध्यापक नियुक्त किये गये, वह स्कूल खोलकर लालटेन लेकर बैठ गये लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं । जीरो बजटिंग के अनुसार हमें इस योजना को बन्द करना चाहिए । लेकिन जब हम इस योजना को बन्द कर देंगे तो जो चार-पांच हजार लोग विभिन्न जगहों पर काम कर रहे हैं कहेंगे कि यह सरकार निकम्मी है और माननीय राणा जी और अन्य लोग इसको कहेंगे कि इसको बन्द कर दिया जाय । तो इस तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं । इन्हीं व्यावहारिक और सैद्धान्तिक बातों को देखते हुये विचार किया जाता है और वही सोचकर हमने कहा था । चूंकि हमारी नीयत मितव्ययिता पर कंट्रोल करने की है, इसके लिये सरकार जागरूक है इसीलिये मैंने निवेदन किया कि इसके लिये एक नया डायरेक्टरेट बनाया जा रहा है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तरांकित प्रश्न]

आगरा, फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी उद्योगों के श्रमिकों द्वारा कार्य करने का समय

*1—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में क्या आजकल चूड़ी और कांच के प्रतिष्ठान आठ घंटे के स्थान पर 12 घंटे चल रहे हैं और

श्रमिकों से 12 घंटा काम लेकर 8 घंटे का भुगतान कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

फिरोजाबाद के किसी भी चूड़ी बनाने के कारखाने में श्रमिकों से 8 घण्टे के स्थान पर 12 घण्टे कार्य नहीं कराया जा रहा है। बिलोइंग के कारखानों, जो निरन्तर प्रक्रिया की परिभाषा में आते हैं, में भी ओवर टाईम अथवा एक शिफ्ट में 8 घण्टे से अधिक कार्य लिये जाने की सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास मजदूर यूनियनों का रिप्रजेन्टेशन, श्रमिक संगठनों का रिप्रजेन्टेशन, इस आशय का मिला है कि वहां पर 8 घन्टे के स्थान पर 12 घन्टे काम हो रहा है ? यदि हां, तो क्या इन रिप्रजेन्टेशनों को आपने अपने श्रम निरीक्षकों या फैक्टरी निरीक्षकों के पास जांच हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट आपके सामने क्या आयी है, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, श्रमिक संघ के नेताओं का कोई भी रिप्रजेन्टेशन या लिखित शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है। मौखिक रूप से जरूर कुछ शिकायतों के बारे में जानकारी आयी थी और इसके लिये सहायक निदेशक कारखाना, जो उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के प्रभारी अधिकारी फिरोजाबाद में हैं, को जब भेजा गया तो कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो जाय कि वहां पर 8 घन्टे से ज्यादा काम लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह कहना सम्भव नहीं है कि वहां पर मजदूरों से ज्यादा काम लिया जा रहा है और बिना साक्ष्य के कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 8 घन्टे से अधिक काम लिये जाने की मौखिक सूचना प्राप्त हुई थी। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह शिकायत किन लोगों ने दी थी ? आपने जो सहायक कांच विशेषज्ञ, फिरोजाबाद की बात बतायी, वह इसके लिये अधिकृत नहीं हैं। आगरा में जो आपके डी0 एल0 सी0 बैठते हैं, उप श्रम निरीक्षक बैठते हैं वे उसके लिए अधिकृत हैं और उनके पास रिपोर्ट आई है तो उसकी सत्यता की गहराई जानने के लिए क्या माननीय विधायकों को भेज कर उसका निरीक्षण करायेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, किसी विशेष कारखाने के बारे में कोई स्पेसिफिक शिकायत नहीं आई है कि अमुक-अमुक कारखाने में 8 घंटे से ज्यादा काम लिया जा रहा है। फिर भी माननीय सदस्य के पास यदि कोई स्पेसिफिक कारखाने के बारे में शिकायत है तो वह कृपा कर भेज दें उसको दिखवालेंगे। जहां तक शासन की जानकारी की बात है, उसकी जानकारी में अभी तक 8 घंटे से अधिक कार्य लिया जा रहा है, नहीं आया है। अगर कहीं लिया जा रहा हो तो उसका साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी कार्यवाही नहीं की सकती है।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, इस बात को देखते हुए कि आपके श्रम विभाग के निरीक्षक एवं सहायक निदेशक जो हैं वे कारखाने दारों से माहवारी लेते हैं जिससे मजदूरों के हितों की रक्षा के बजाय कारखाने दारों के हितों की रक्षा करते हैं। इसलिए सही रिपोर्ट वह नहीं भेजते हैं क्योंकि उन्हीं से आप रिपोर्ट मांगते हैं। तो क्या यहां मुख्यालय से किसी अधिकारी को भेज कर इस बात की जांच करायेंगे जो श्रम संगठनों से बात करे, या श्रमिकों से खासकर छोटे छोटे बच्चों से जानकारी करेंगे कि उनसे क्या 8 घंटे से अधिक काम लिया जा रहा है ?

श्री गौरी शंकर —

वैसे तो शासन की नीति है कि किसी मजदूर से 8 घंटे से ज्यादा काम न लिया जाय।

अगर माननीय सदस्यगण के पास कोई सूचना उपलब्ध है तो कृपा कर उसे भिजवा दें। पिछले समय भी कहा था कि लेबर इंस्पेक्टर इस बात के लिए अधिकृत हैं, उनके संज्ञान में भी यह नहीं लाया गया कि किसी लेबर से 8 घंटे से अधिक काम कराया जाता है। कोई इस बात का साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक साक्ष्य उपलब्ध न हो किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अगर वह साक्ष्य उपलब्ध करा दें तो जांच करा देंगे।

प्रदेश में माननीय सांसदों के सुझावों द्वारा नलकूप निर्माण की मांग

*3—श्री सरदार सिंह, श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब मा0 सांसदों के सुझावों के अनुसार ही, जिलों अथवा विधान सभाई क्षेत्रों में नलकूप एवं अन्य सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकेंगी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन मा0 विधायकों की राय एवं सुझावों के अनुसार ही उनके क्षेत्रों में उक्त सुविधायें उपलब्ध कराने का कष्ट करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

जी नहीं। वर्तमान प्रक्रिया में केवल इतना संशोधन किया गया है कि प्रत्येक सांसद के क्षेत्र में 5 नलकूप लगाने के लिए केवल उनकी संस्तुति ली जायेगी परन्तु दिनांक 13-6-69 का शासनादेश इन मामलों में भी लागू रहेगा। उपरोक्त 5 नलकूपों के अतिरिक्त नलकूपों के सम्बन्ध में वर्तमान प्रक्रिया लागू रहेगी।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, जब से सरकार ने यह आदेश किये हैं तब से माननीय विधायकों में भारी असंतोष है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सांसदों की भांति विधायक को भी कुछ शक्तियां देंगे कि उनकी संस्तुति के अनुसार हर क्षेत्र में 5-5 नलकूप लगा करें ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, जिला सलाहकार समिति में विधायक सदस्य हैं ही और इस समिति की राय से नलकूप लगाये जाते हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मा0 मंत्री जी क्या कृपया बतायेंगे कि जब सिंचाई सलाहकार समिति में विधायकों के साथ-साथ सांसद भी थे तो समिति की संस्तुतियों को बाई-पास करके माननीय सांसदों की संस्तुतियों पर 5 नलकूप लगाये जाने के आदेश निर्गत करने का क्या औचित्य था ? क्या मंत्री जी उसको निरस्त करके पुरानी व्यवस्था को ही चालू करने के आदेश निर्गत करेंगे, इसमें शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

यह सत्य है कि सलाहकार समिति में सांसद भी सदस्य हैं किन्तु सांसद बराबर यह शिकायत करते रहे कि विधायक अधिक होने के कारण उनके यहां नलकूप नहीं लगते। इसलिये सभी पहलुओं पर विचार किया गया और डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत जो नलकूप सिंचाई सलाहकार समिति से आते थे उसमें माननीय सांसदों को पूरे कार्य-काल, 5 साल, में सिर्फ 5 नलकूप दिये गये हैं और 1986 जून तक उन्हें पूरा करायेंगे

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, जो शासनादेश भेजा गया है, उसको मैंने देखा है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि माननीय सांसदों को उनके पूरे कार्य-काल में उनके क्षेत्र में 5 नलकूप दिये जायें, तो क्या इस विरोधाभास को मंत्री जी स्पष्ट करेंगे ?

दूसरा प्रश्न है कि सामान्यतः एक जिले में जितने नलकूप स्वीकृत किये जाते हैं वह उतने सम्पूर्ण नहीं होते हैं कि माननीय सांसदों के 5 नलकूप निकालने के बाद विधायक द्वारा कोई संस्तुति करने का आधार बने। इसलिये क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जब सांसदों को 5 नलकूप देंगे तो उसके साथ ही उस जनपद में जितने विधायक हैं,

उनके लिये भी कोई कोटा निर्धारित करेंगे ताकि सांसद और विधायक में आपस में क्लेश न बढ़े ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, जहां तक 9 दिसम्बर 1985 के आदेश के बारे में माननीय विधायकों को चिन्ता है, तो आदेश के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि माननीय सांसदों को उनके कार्यकाल में 5 नलकूप लगाने की बात कही गयी है, यह विरोधाभास बिल्कुल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, उनका दूसरा प्रश्न था कि जैसा कि आपने माननीय सांसदों के लिये कोटा मुकर्रर किया है, क्या विधायकों के लिये कोई कोटा मुकर्रर करेंगे कि नहीं ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, सिंचाई सलाहकार समिति को पूर्ण अधिकार है और जैसा कि मूल उत्तर में इंगित किया है कि यह प्रक्रिया केवल 5 नलकूपों के लिये लागू रहेगी और आगे जो प्रक्रिया है वह सामान्यतः लागू रहेगी।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर,, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने अपने उत्तर में दिनांक 13-6-69 के शासनादेश की चर्चा की है, तो यह शासनादेश क्या है ? और जैसा मंत्री जी ने कहा कि एम0 पी0 अपने कार्यकाल में 5 नलकूप लगा सकेंगे और उनका कार्यकाल है पांच साल का, किन्तु वे अपने जिलों या क्षेत्र में पांचों नलकूप एक साल में या एक ही महीने में आवंटित कर रहे हैं, जिससे जनपद के विधायकों के मन में काफी रोष व्याप्त है, दोनों तरफ के माननीय विधायकों के मन में रोष है, तो क्या आप इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, 13-6-69 का जो शासनादेश है, उसमें अधिकारियों की एक समिति है जो स्थल का चयन करती है और जब स्थल का चयन हो जाता है तो जिला सलाहकार समिति की जो संस्तुति होती है उस पर वह विचार करती है कि उस जगह पर ट्यूब वेल लगाया जाना उपयुक्त है या नहीं, तभी लगाया जा सकता है। इसी तरह से एम0 पी0 को जो पांच नलकूप दिए जायेंगे, वे जब उस समिति द्वारा उपयुक्त सिद्ध कर दिये जायेंगे तभी लगाये जायेंगे।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मैं यह जानना चाहूंगा कि संसद सदस्यों के लिये जो कोटा निर्धारित किया गया है, वह जिला क्षेत्र में दिए गये ट्यूब वेल्स में से है या उसमें सम्मिलित नहीं है ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

यह डिस्ट्रिक प्लान में जो प्रावजन है, उसमें सम्मिलित है।

श्री राम सरन—

आपने सांसदों का कोटा निर्धारित कर दिया, तो हम क्या हैं ? हम उनकी संस्तुति करेंगे जो वह देंगे। तो हमारी मांग है कि आप पांच एम0 पीज0 को दे रहे हैं तो हमें 15 दीजिए। हम प्रदेश के प्रतिनिधि हैं और वह केन्द्र के हैं, हमारे पास इसके सिवा है ही क्या ? हमारे पास और कुछ नहीं है। हमारा कोटा निर्धारित कीजिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार कर लें।

(अगला प्रश्न लिए जाने पर।)

श्री कौशिक रमाशंकर—

आपका जो निर्देश हुआ है, वह सांसदों के कोटे पर भी पुनर्विचार करेंगे, प्रक्रिया पर भी पुनर्विचार करेंगे और विधायकों का भी कोटा निर्धारित करने पर विचार करेंगे, यह मैं मानकर चल रहा हूं।

[दिनांक 19 फरवरी, 1986 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उपभोक्ता सहकारी समिति लि0, आलमबाग, लखनऊ के विरुद्ध पाम आयल काण्ड संबंधी थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

*1—श्री सरदार सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1980 में लखनऊ में पाम आयल कांड में जनता उपभोक्ता सहकारी समिति लि0 आलमबाग लखनऊ के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त दुकान के विरुद्ध न्यायालय में वर्ष 1981 में यह फैसला दिया था कि पांच कुन्तल तक पाम आयल के रिकार्ड रखने की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी उक्त दुकान फैसले के बाद लगभग एक वर्ष तक पुनः संचालित क्यों नहीं की गयी और समिति को पुनः न्यायालय की शरण लेनी पड़ी ? उक्त फैसले के बाद भी उसी से संबंधित श्री पी0 एन0 मिश्रा एवं श्रीमती तारुणी शर्मा की दुकानें क्यों निरस्त कर दी गयी ? क्या मंत्री जी उपरोक्त कांड की जांच सतर्कता विभाग (फूड) से कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)—

(क) जी हां ।

(ख) जी हां । मण्डलायुक्त के आदेशों के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई । परन्तु 13-4-1982 को समिति की दुकान पुनः बहाल कर दी गई । ऐसा करने में देर इसलिए हुई क्योंकि संबंधित दुकानदार अभिलेख दिखाने में आना-कानी कर रहे थे ।

(ग) श्रीमती तारुणी शर्मा की दुकान निरस्त नहीं की गई थी । श्री पी0-एन0 मिश्रा की दुकान निरस्त अवश्य की गई परन्तु उसके कारण उपरोक्त मामले से बिल्कुल भिन्न थे ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कमिश्नर के अनुसार सारे रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं थी और जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 5 कुंटल तक पाम आयल के रिकार्ड रखने की आवश्यकता ही नहीं थी तो दुकानदार के रिकार्ड देखने की क्या आवश्यकता थी ? जैसा कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि रिकार्ड दिखाने में आनाकानी की तो जब रिकार्ड रखने की आवश्यकता ही नहीं थी तो आनाकानी करने का सवाल क्या उठता है ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, जैसा अभी मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट रुप से कहा है कि मंडलायुक्त ने जो पहले आदेश दिया था वह दुकान की बहाली का नहीं दिया था । वह आदेश रिमांड करने का दिया था । रिमांड होने के बाद प्रक्रिया यह है कि दोबारा पार्टी को नोटिस जायगा और सुनवायी होगी और तब निर्णय लिया जायगा । तो नोटिस दिये जाते रहे और वह पेश नहीं हुये । पेश होने के बजाय वह अपील में चले गये । अपील होने के बाद आदेश हुये तो उसका पालन कर लिया गया ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि श्रीमती तारुणी शर्मा की दूकान निरस्त नहीं की गयी और श्री पी0 एन0 मिश्रा की दुकान निरस्त की गयी थी, तो जब श्रीमती तारुणी शर्मा की दूकान निरस्त नहीं की गयी तो उसको 3 वर्षों तक बंद रखने का क्या कारण है ? श्री पी0 एन0 मिश्रा की दूकान के बारे में मंत्री जी ने बताया है कि उसके निरस्त करने के कारण भिन्न थे, तो वह भिन्न कारण क्या हैं ? यह बता दें ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, जहां तक प्रश्न नं01 का सम्बन्ध है दूकान निरस्त नहीं की गयी यह हमने जानकारी दी है । माननीय सदस्य का कहना

हैं कि दूकान बंद हैं तो दूकान निरस्त होने की वजह से बंद नहीं हैं। जैसा आपने कहा कि दूकान बंद हैं, इसकी जानकारी करा लेंगे आपको बता देंगे।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, खाद्य विभाग की जो सतर्कता सेल हैं उससे इसकी जांच कराने में क्या दिक्कत हैं? क्या इस मामले की जांच सतर्कता सेल से कराने का कष्ट करेंगे?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, क्या इसकी जांच की जाय कि दूकान को क्यों बहाल कर दिया? जैसा कि मैंने स्थिति स्पष्ट की हैं कि पहले मंडलायुक्त ने आदेश दिया था केस पर रिमांड करने का, तो नोटिस गयी और नोटिस जाने पर वह नहीं आये और अपील में चले गये। उसके बाद आदेश हो गया तो आदेश का पालन कर लिया गया। जैसा कि आपने कहा कि 5 क्विंटल तक पाम आयल रखना कोई अपराध नहीं हैं तो जब अपराध नहीं हैं तो जांच किस बात की करायें।

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उत्तर प्रदेश आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षण केन्द्रों के फोरमैनों का प्राविधिक अधिकारी, प्रधानाचार्यों एवं उप-प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नति

*3 श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—(अनुपस्थित)

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षण केन्द्रों में शासनादेश के विरुद्ध फील्ड के फोरमैनों को निदेशालय में प्राविधिक अधिकारी के पदों पर प्रोन्नति करके तैनात किया गया हैं जबकि प्रधानाचार्यों एवं उप प्रधानाचार्यों की प्रोन्नति उक्त पदों पर की जानी चाहिये थी? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन गलत प्रोन्नतियों को निरस्त करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी हां। कुछ कार्यदेशकों (फोरमैन) को विभागीय प्रोन्नति के कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति देकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रधानाचार्य अथवा उप प्रधानाचार्य तथा कुछ को निदेशालय में प्राविधिक अधिकारी के पद पर तैनात किया गया हैं। प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य तथा प्राविधिक अधिकारी एक ही संवर्ग के अधिकारी हैं। अतः इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हैं। प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स लिप्टन्स इण्डिया लि0 गाजियाबाद के श्रमिकों की रिट याचिका

*4—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स लिप्टन्स लि0 (जिसने हिन्दुस्तान लीवर से उसकी गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री खरीदी हैं) द्वारा विक्टिमाइजेशन के मामलों में श्रम न्यायालय के फैसलों को लागू नहीं किया जा रहा हैं? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि गाजियाबाद श्रम न्यायालय के फैसले को जो मुकदमा 42/78 में किया गया था अभी तक उपरोक्त कम्पनी द्वारा लागू नहीं किया गया हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर—

मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि0, गाजियाबाद जिनका स्वामित्व मेसर्स लिप्टन्स इण्डिया लि0, गाजियाबाद को दिनांक 11-5-84 को हस्तांतरित हो गया, के विरुद्ध श्रम न्यायालय गाजियाबाद द्वारा 2 एवार्ड, जिनकी संख्या 24/78 एवं 42/78 हैं, दिये गये हैं, का प्रतिपालन अभी तक मेसर्स लिप्टन्स इण्डिया लि0, गाजियाबाद द्वारा नहीं किया गया हैं। अभिनिर्णय विवाद संख्या 24/78 तीन श्रमिकों की सेवायें समाप्त करने तथा उन्हें सवेतन, साप्ताहिक अवकाश का वेतन अथवा उसके बदले में छुट्टी न देने से संबंधित हैं, पर प्रबन्धकों ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट (याचिका) दायर करके दिनांक 28-10-83 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं, जो अभी लागू हैं।

एवार्ड संख्या 42/78 में सेवायोजकों ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष याचिका दायर कर रखी है, जो कि स्वीकार (एडीमिट) हो चुकी है। इस एवार्ड के प्रतिपालन न किये जाने पर सेवायोजकों के विरुद्ध यू0 पी0 इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूस ऐक्ट, 1947 की धारा 14 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि मेसर्स लिप्टन्स लिमिटेड को जो आदेश श्रम न्यायालय ने दिये हैं, उसे यह प्रतिष्ठान अपने ऊपर लागू नहीं करता है दूसरे एवार्ड संख्या 42/78 और 24/78 किन-किन तारीखों में दिया गया और उनके विरुद्ध सेवा योजकों ने किन-किन तारीखों में याचिकाएं दाखिल की हैं ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, श्रम न्यायालय के एवार्ड दिनांक 30-4-85 के अनुसार श्री आर0 पी0 विधानी एकाउण्ट क्लर्क का स्थानान्तरण, गाजियाबाद से दिल्ली किया जाना वैधानिक नहीं समझा गया। एवार्ड में श्रमिक को गाजियाबाद में ही अपने पूर्व पद पर तैनाती का अधिकार दिया गया। साथ ही दिनांक 26-9-75 से एवार्ड लागू होने की तिथि तक में वरिष्ठता व अन्य हित लाभ पाने का अधिकार भी दिया गया।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। हमने साफ सवाल किया है कि एवार्ड संख्या 24/78 तथा 42/78 किन-किन तारीखों में दिया गया और सेवा योजकों ने किन-किन तारीखों में उनके विरुद्ध याचिका दायर की है ? इसका उत्तर आप मान्यवर, दिलवा दीजिए तो बात स्पष्ट हो जायेगी।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, इस सूचना को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी के पास नहीं है, इसलिए इसको कृपया स्थगित कर दीजिए। जब इनके पास पूरी सूचना आ जाए, तब इसका उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, स्थगन का सवाल नहीं। यह मामला हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है। अगर मान्यवर, आप अनुमति दें तो मामला में एक मिनट में स्पष्ट किये देता हूं। एवार्ड घोषित करने के बाद जो पार्टी थी, उन पर यह फैसला इसलिए लागू नहीं होता जैसा कि उनका कहना है कि यह इम्पलाई मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि0 का था। जब उसका गाजियाबाद से दिल्ली को ट्रान्सफर किया गया जो वैधानिक नहीं था और उसको वह सारे अधिकार श्रम न्यायालय ने घोषित किये। लेकिन जब यह फैक्ट्री मेसर्स लिप्टन्स लि0 के स्वामित्व में आयी तो इनका कहना है यह मामला उस अवधि का है, जब यह प्रतिष्ठान हमारे पास नहीं था इसलिए हमारे ऊपर लागू नहीं होता और वह इसी इशू को लेकर हाईकोर्ट चले गये और मामला वहां विचाराधीन है। इसलिए इसके आगे कुछ भी कहना शासन के औचित्य से बाहर है क्योंकि अब मामला उच्च न्यायालय में है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तथ्यों को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। एक प्रतिष्ठान जब दूसरे को ट्रांसफर होता है तो उसके साथ-साथ लाइबिलिटीज और असेट्स भी ट्रांसफर होते हैं। दूसरी चीज जो हमने मा0 मंत्री जी से जानना चाहा है वह सिर्फ यह है कि एवार्ड जो उन्हें दिये गये, वह किन तारीखों में दिये गये और याचिकाएं किन तारीखों में दाखिल हुयीं ? यदि इसका उत्तर मा0 मंत्री जी दे दें तो सारी बातों का मान्यवर, भण्डाफोड़ हो जाए और सारी स्थिति स्पष्ट हो जाय। लेकिन इस सूचना की माननीय मंत्री जी को आवश्यकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जब यह उत्तर पूरा इनके पास आ जाए तभी इसको लिया जाए।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैंने जैसा कि कहा कि मामला हाईकोर्ट में सबजुडिस है। इसलिए माननीय सदस्य को शासन की नीयत पर शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी ओर से प्रबंधकों को यू0 पी0 इण्डीस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट 1947 की धारा 14-ए के तहत "कारण बताओ" नोटिस भी दिया गया है, लेकिन कुछ वैधानिक प्रश्न पर वह हाईकोर्ट चले गये हैं। इस लिए मैं कहना चाहूंगा कि शासन की सदस्यता पर शंका करने का कोई औचित्य नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका ववाब मंत्री जी अभी तक नहीं दे पाये। आपसे आग्रह है कि इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें, जिससे मामला पूरा स्पष्ट हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह, इसका एक अंग यह भी है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, सवाल यह नहीं है कि न्यायालय में दया विचाराधीन है। जो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उससे मामला साफ नहीं हो पा रहा है। यह मामला पूरा स्पष्ट हो जाय, इसलिए इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें। यह सवाल बहुत उपयुक्त है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपके सुझाव का आदर करता हूं लेकिन जब एक पार्टी यह कह रही है कि यह एवार्ड हमारे ऊपर लागू ही नहीं होता है और वह पार्टी हाई कोर्ट में चली गयी, तो ऐसी सूरत में कठिनाई यह है कि जब एक विषय न्यायालय के सामने आ जाता है, तो वह प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द किया जाय ?

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, इसमें मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि0, गाजियाबाद जिनका स्वामित्व मेसर्स लिप्टन्स इण्डिया लि0, गाजियाबाद को दिनांक 11-5-84 को हस्तांतरित हो गया। यह एक-मिट है, अगर स्वामित्व हस्तांतरित हो गया है, तो सारे राइट्स, लायबेलिटीज ट्रान्सफर हो जाती हैं। या तो मंत्री जी यह कहें कि यह लायबेलिटी हमारे ऊपर नहीं होती, तो मैं कुछ नहीं पूछूंगा। मान्यवर, यह उत्तर कि यह मामला चूंकि उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उत्तर नहीं देंगे, यह कोई जवाब नहीं हुआ। मान्यवर, इसमें स्टे भी नहीं है। इन्डीस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 में कोई ऐसा प्राविधान नही है। मेरा आरोप है कि यह सरकार बड़ी-बड़ी कम्पनियों से पैसा लेती है और श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात करती है। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि इस सवाल को स्थगित कर दें वरना हमारे सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, श्रम न्यायालय, गाजियाबाद द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, जी0 टी0 रोड, गाजियाबाद एवं उनके श्रमिकों के मध्य दिये गये एवार्ड का प्रकाशन राज्य शासन के आदेश से संबंधित श्रम न्यायालय गाजियाबाद के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 29-6-85 को सूचना प्रकाशित की गयी है। एवार्ड उक्त प्रकाशन के ठीक 30 दिन बाद लागू हो गया है। पक्षों को उक्त एवार्ड का परिपालन करने के लिए पत्र संख्या 8689-91 दिनांक 2-8-85 द्वारा भेजी गयी थी, जिसका कोई उत्तर सेवायोजकों से प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि निर्णय अभी तक प्रतिपालन नहीं किया गया। यू0 पी0 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 14-ए में यह व्यवस्था है कि यदि कोई सेवायोजक प्रभावी हुए एवार्ड को प्रभावी होने की तिथि के तुरन्त बाद लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध अभियोजन दायर किया जा सकता है। अतः एतद् द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि0, जी0 टी0 रोड, गाजियाबाद के प्रोप्राइटर/पार्टनर/अधिष्ठाता/मैनेजर से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह 14 दिन के अन्दर कारण बताएं कि क्यों

न उनके विरुद्ध उक्त उल्लंघन के कारण अभियोजन दायर करने के लिए जिलाधिकारी, गाजियाबाद की अनुमति प्राप्त कर सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर कर दिया जाय। कृपया नोट करें कि निर्धारित तिथि तक एवार्ड प्रतिपालन की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यही मान लिया जायेगा कि सेवायोजनकों ने उसका प्रतिपालन नहीं किया है और बिना कोई अन्य सूचना दिये अभियोजना दायर करने की कार्यवाही की जायेगी। यह दिनांक 28-8-85 का कारण दिखाओ नोटिस है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि उनको 14 दिन की नोटिस दी गयी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानने चाहता हूं कि क्या वह 14 दिन पूरे हो गये ? यदि पूरे हो गये, तो किस तारीख को पूरे हो गये और 14 दिन पूरे होने के बाद आपने क्या अभियोजन की कार्यवाही की ?

श्री गौरी शंकर—

उसमें लिखा है कि नोटिस बोर्ड पर दिनांक 29-6-85 को सूचना प्रकाशित की गयी है। एवार्ड उक्त प्रकाशन के ठीक 30 दिन बाद लागू हो गया है और ऐसी स्थिति में मैंने निवेदन किया कि उनको नोटिस जारी कर दी गई है, जैसे ही नोटिस देने के लिए समय दिया गया वह हाईकोर्ट में चले गये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 14 दिन किस तारीख को पूरे हुए। जब 14 दिन नोटिस के पूरे हो गये तो क्या अभियोजनात्मक कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष—

14 दिन के बाद क्या कार्यवाही की गई माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं ?

श्री गौरी शंकर—

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं 14 दिन की बात कह रहा हूं, 14 दिन के बाद क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो मैं भी आरोप लगाता हूं कि इनकी कार्यवाही मजदूरों के शोषण में है।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जो पत्र 28-8-85 को लिखा गया था, उसके जरिये मैंने निवेदन किया कि इस मामले में डी0 जी0 सी0 की राय मांगी जा रही है। इसमें विधिक प्रश्न निहित है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें। मान्यवर, जो नोटिस दिया गया है वह सरकारी वकील के बाद दिया गया होगा, राय पहले ली गई होगी तब नोटिस दिया गया होगा। दुबारा जो डी0 जी0 सी0 की राय ली गई है उसमें निजी स्वार्थ निहित है। मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है सरकार की मजदूरों से सम्बन्धित जो नीति है उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दें। मान्यवर, मंत्री जी तथ्यों को छिपाकर मजदूरों का शोषण करते हैं, इसलिए इसको आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि आप लोगों को शंका है, इसलिए मैं फाइल देखकर यदि मुनासिब समझूंगा तो प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दूंगा।

ललितपुर, रोहिणी बांध परियोजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण

*5—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तह0 महरौनी जनपद ललितपुर के मुख्यालय पर रोहिणी बांध परियोजना के सहायक अभियंताओं के निवास कब बनवाये गये और उन पर विभाग द्वारा कितना व्यय किया गया और उनको आज तक खाली रखने का क्या औचित्य है ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री भोला शंकर मौर्य—

तहसील महरौनी जनपद ललितपुर में रोहिणी बांध परियोजना के अन्तर्गत केवल दो सहायक अभियन्ताओं के अस्थायी निवास वर्ष 1980—81 में बनवाये गये थे और इनके निर्माण पर रु0 99,545.85 व्यय हुआ। यह आवास निर्माण कार्य के समय में अस्थायी रूप से बनाये गये थे। निर्माण कार्य हेतु भण्डार रखने के लिये पर्याप्त स्टोर न होने के कारण इनका उपयोग समय समय पर सामग्री रखने हेतु किया गया और इन्हें खाली नहीं रखा गया। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि रोहणी बांध परियोजना के अंतर्गत केवल दो सहायक अभियन्ताओं के अस्थाई आवास वर्ष 1980-81 में बनवाये गये थे और मेरा प्रश्न है कि रोहिणी बांध परियोजना में अस्थाई आवास सहायक अभियंताओं को बनवाने की योजना थी या नहीं ? दूसरी बात इन्होंने कहा पर्याप्त स्टोर नहीं था इसलिए सामान रखने के लिए इनका उपयोग स्टोर के रुप में किया गया तो जब कोई परियोजना बनती है, तो भंडार के लिए पर्याप्त स्टोर की व्यवस्था रहती है, यह मंत्री जी द्वारा गलत बयानी की गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहायक अभियंताओं के लिए जो अस्थाई आवास बनाये गये और उसमें स्टोर का सामान रखा गया, तो क्या अस्थाई आवास की व्यवस्था परियोजना में थी या नहीं, यह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

जो परियोजना प्रस्तावित थी उसमें इसका प्राविधान था कि दो अस्थाई आवास बनाये जांय।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि तहसील महरौनी जनपद ललितपुर में रोहिणी बांध परियोजना में जो दो अस्थायी आवास बनाये गये हैं, उनका उपयोग स्टोर के रुप में किया गया ? क्या मंत्री जी स्टोर को हटाकर सहायक अभियन्ताओं को रहने के लिए आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

परियोजना पूर्ण हो चुकी है, अब वहां पर जो मेन्टीनेन्स का स्टाफ रहेगा, उसका अवर अभियन्ता उसमें रहेगा। शीघ्र ही यह व्यवस्था करा देंगे।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मेरी निश्चित जानकारी है कि यह सहायक अभियन्ता के जो आवास बने यह बिल्कुल खाली पड़े रहे, अपनी गलती छुपाने के लिये वहां के अभियंताओं ने कहा कि यह उत्तर दे दीजिये। इस आवास का उपयोग भण्डार के रुप में नहीं किया गया है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि जब इस तरह का भण्डार रखने का कोई प्राविधान नहीं था तो क्यों रखा गया ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मैं कह चुका हूं कि स्टोर के रुप में उपयोग किया गया, यह कहना गलत है कि खाली पड़े रहे। वर्षाकाल में हमें सीमेन्ट अधिक मिल जाती है, वह खुले में नहीं रखी जा सकती है, वह उसमें रखी गई और टी0 एन0 पी0 रखा गया।

बरेली, गहलुईया माइनर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

*6—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में गहलुईया माइनर के निर्माणार्थ अधिग्रहित की गयी भूमि का मुआवजा आज तक संबंधित भू-स्वामियों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तुरन्त कब्जा लेने की तिथि से आज तक का ब्याज लगाकर मुआवजे का भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

गहलूईया माइनर के निर्माण हेतु हेड से 1.6 कि0 मी0 तक जो भूमि अध्याप्त की गयी थी के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। शेष 1.6 कि0 मी0 से 5.6 कि0 मी0 तक की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही विचाराधीन है तथा नियमानुकूल मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि 1—6 किलोमीटर तक जो भूमि अध्याप्त की गई यह वह भूमि है, जिन लोगों ने इस नहर को 8 साल तक नहीं बनने दिया, शेष 1—6 से 5—6 कि0 मी0 तक जो भूमि है, उन लोगों की भूमि है, जिन्होंने अपनी हरी फसल कटवा कर नहर बनाने में सहयोग दिया। जिन लोगों ने 8 साल तक नहर नहीं बनने दिया उनका तो भुगतान हो गया किन्तु जिन लोगों ने अपनी फसल कटवा कर नहर बनवाई, उनका भुगतान नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

यह प्रक्रिया का प्रश्न था, लैण्ड केस बना कर भेज दिया गया है, भुगतान हो जायेगा।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं स्पष्ट रुप से जानता हूं कि जिन काश्तकारों ने आपका सहयोग किया और नहर बनवाया और सिंचाई के लिये उनको पानी भी नहीं मिला और मुआवजा भी नहीं मिला। तो मैं मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इन काश्तकारों का मुआवजा आज की दर से तथा 8 साल तक जो फसल की क्षति हुई पानी नहीं मिला उसके लिये आप उनको मुआवजा देने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसे देख लें। मा0 मंत्री जी ने नियमानुसार तो कह दिया लेकिन 8 साल हो गये उन काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया और जिन लोगों ने उनको रोक रखा, उनके लिये कोई नियम लागू हो नहीं रहा है। मैं स्पष्ट रूप से आश्वासन चाहता हूं कि जिन काश्तकारों से भूमि ली गयी है, उनको भूमि का मुआवजा और फसल की क्षति का मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप इसको दिखवा लें।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, इसको दिखवा रहे हैं, लैण्ड केस भेज दिया है।

देवरिया, घाघरा नदी के निकट बिशुनपुरा देवरा से बरहजघाट तक बांध का निर्माण

*7—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरहज बाजार जनपद देवरिया में घाघरा नदी के दक्षिण बिसुनपुरा देवरा से बरहज घाट के पास तक नये बांध का निर्माण हुआ है, परन्तु उसे दक्षिण पश्चिम, नसरुल्लाहपुर, जनपद आजमगढ़ होते हुये सरंगापुर सेमरा के पास सूर्यपुर बांध में नहीं मिलाया गया है जिससे इस नये बांध की उपयोगिता व्यर्थ सिद्ध हो रही है ? यदि हां, तो क्या उस बांध से नुसरुल्लाहपुर सारंगपुर व सेमरा जनपद आजमगढ़ तक बांध का निर्माण कराकर सूर्यपुर बांध में मिलाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक संभव हो जायेगा ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री विष्णु देव—

मान्यवर, मेरा प्रश्न साढ़े तीन महीने पहले का है। आज मा0 मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है। साधारण सा प्रश्न था कि जो पुराना बांध बना है और जो नया बांध बना है, उसको क्या दूसरे बांध से मिला देंगे। मामूली सी बात है। मा0 मंत्री जी यह बता दें कि जो सूचना वह एकत्र कर रहे हैं, उसका प्रारुप क्या है ? किस प्रकार की सूचना एकत्र कर रहे हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, यह हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। अब यह ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा यह काम किया गया था। हमने उनको लिखा है, वह सूचना देंगे तो हम आपको भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि सूचना एकत्र कर रहे हैं, तो 15 दिन में तो यह प्रश्न फिर आएगा ही।

सुल्तानपुर-जौनपुर मार्ग के चांदा राजबहा का क्षतिग्रस्त पुल

*8—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर जौनपुर मार्ग पर लम्भुआ बाजार से पश्चिम की कि0 मी0 पर सकवा-राजबहा-राष्ट्रीय मार्ग पर बना नवीन पुल उद्घाटन के दूसरे दिन गिर गया ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी तो कारण क्या है ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

सकवा राजबहा पर पुल नहीं टूटा है बल्कि चांदा राजबहा के कि0 मी0-5.8 पर निर्मित पुल का एक स्लैब यातायात चलने के लगभग दो सप्ताह बाद क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पुल का कोई उद्घाटन नहीं हुआ।

पूर्ण प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर आगामी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अभी किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिव नारायण मिश्र—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्लैब डालते समय सही लोहा और सीमेन्ट का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए किस स्तर के अभियन्ता वहां नियुक्त किये गये थे ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, इसमें एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर और एक जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर करते हैं।

श्री शिव नारायण मिश्र—

मान्यवर, स्लैब डालते समय अभियन्ता महोदय उपस्थित थे तो किन परिस्थितियों में पुल क्षतिग्रस्त हो गया ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, इन्हीं परिस्थितियों की जांच हो रही है।

आजमगढ़, ग्राम शहेराज, मोहम्मदपुर व भदेसरा का टोन्स नदी से कटाव

*9—श्री इकबाल अहमद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ ब्लाक कोपागंज के ग्राम शहेराज, मोहम्मदपुर तथा भदेसरा टोंस नदी से कट रहा है और समय-समय पर वहां के ग्राम वासियों द्वारा टोंस नदी पर पत्थर डालकर ठोकर बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार ठोकर बनाने का तत्काल आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

जी हां, जनपद आजमगढ़ ब्लाक-कोपागंज के ग्राम शहेराज, मोहम्मदपुर तथा भदेसरा के निकट टोंस नदी से जमीन का कटाव हो रहा है जिसके लिए समय-समय पर वहां के ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। ग्राम शहेराज के बचाव के लिए "पारा सहरोज-ख्वाजा जहानपुर बांध का निर्माण के नाम से एक परियोजना प्राक्कलन वर्ष 1982 में तकनीकी सलाहकार समिति से स्वीकृत हो चुकी है। इस स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत ग्राम सहरोज की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित कार्य धन उपलब्ध होने पर किया जायेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत ग्राम भदेसरा एवं मोहम्मदपुर के पास कोई भी कटाव सुरक्षा कार्य प्रस्तावित नहीं है किन्तु ग्राम भदेसरा की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट बनाने की सर्वेक्षण कार्यवाही की जा रही है।

श्री इकबाल अहमद—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 1982 में जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उस पर कोई धन आवंटित किया गया है या नहीं अब तक ?

दूसरे, मैं यह बताना चाहता हूं कि 1985 में भदैसरा, में जो कटाव हो रहा था, उसपर जिला प्रशासन ने 50 हजार रु0 खर्च करके रोकने का प्रयास किया। वह बांध कटाव से कितना रह गया है, क्या इसकी कोई जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, जहां तक परियोजना का संबंध है, 23, 748·70 रु0 का व्यय किया जा चुका है। इस बन्धे के रखरखाव पर या इसके बचाव में जिला प्रशासन ने कितना खर्च किया है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री इकबाल अहमद—

मान्यवर, जो 1982 में प्रस्ताव भेजा गया उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि गांव में नदी का कटान हो रहा है, गांव बहने के मोड़ पर आ गया है, क्या उसके बचाव के लिये शीघ्र धन आवंटित करने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, शासन की स्पष्ट नीति है कि सीमित संसाधनों को देखते हुए पहले हम बड़ी आबादी के शहर, कस्बे बचाते हैं, उसके बाद छोटी आबादी और भूमि कटाव को रोकने की कार्यवाही करते हैं। हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, कि फौरन हम इसको कर सकें।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का मंत्रालय 2 हजार-4 हजार के नुकसान पर काम नहीं करता है, जब करोड़ों पर बात आयेगी, तब कार्यवाही शुरु होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर कब तक इस्टीमेट बनाकर कार्य कब तक शुरु करा देंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, जैसे ही धन उपलब्ध होगा, हम कार्य शुरु करा देंगे।

खाद्य एवं रसद विभाग के कर्मचारियों का सलेक्शन ग्रेड

*10—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वेतन आयोग एवं मंत्रि मंडल की संस्तुति के बावजूद भी खाद्य एवं रसद विभाग में कार्यरत निरीक्षकों, प्रधान लिपिकों तथा लिपिकों को सलेक्शन ग्रेड क्यों नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां तो इस असमानता का क्या कारण है ? क्या सरकार इस तरह की असमानता को दूर करने के लिए कोई शीघ्र ही कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

(1) वेतन आयोग की संस्तुति एवं मन्त्रि-मण्डल के निर्णय के अनुसार खाद्य तथा रसद विभाग में कार्यरत पात्र निरीक्षकों, प्रधान लिपिकों तथा लिपिकों को सलेक्शन ग्रेड दिया जा रहा है। वरिष्ठ निरीक्षकों को सलेक्शन ग्रेड की स्वीकृत की कार्यवाही प्रक्रिया में है, जो अभी पूर्ण नही हो सकी है।

(2) सलेक्शन ग्रेड स्वीकृत करने हेतु अक्टूबर/नवम्बर, 1985 तक प्रभावी शासकीय नियमों के अनुसार वरिष्ठता का भी आधार था। वरिष्ठ निरीक्षकों की अंतिम ज्येष्ठता सूची तैयार न होने के कारण सलेक्शन ग्रेड की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी।

(3) अक्टूबर/नवम्बर, 1985 में सलेक्शन ग्रेड हेतु वरिष्ठता का आधार समाप्त हो जाने के पश्चात् वरिष्ठ निरीक्षकों को भी सलेक्शन ग्रेड स्वीकृत करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है तथा विभिन्न जनपदों/सम्भागों में उपलब्ध उनके सेवा विवरण मुख्यालय पर एकत्र किये जा रहे हैं।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि उपरोक्त कर्मचारियों को सलेक्शन ग्रेड किस तिथि से दिया जा रहा है और क्या सलेक्शन ग्रेड सभी जिलों में मिल रहा है ? दूसरे, वरिष्ठ निरीक्षकों को सलेक्शन ग्रेड कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने मूल उत्तर में कहा कि अभी शासनादेश में संशोधन होने के बाद में यह कार्यवाही शुरु हुई है। काफी हद तक मिल चुका है। जिनको नहीं मिला है, उनको भी शीघ्र मिल जायेगा, उस पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

जो वरिष्ठ निरीक्षक हैं, उनको किस तिथि से दिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, 6 नवम्बर का शासनादेश है, जिसके अन्तर्गत यह लोग पात्र हुए हैं। सेलेक्शन ग्रेड की बाबत जो विभिन्न जिलों की बात है, वहां से प्रगति रिपोर्ट मंगायी गयी है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी तक 76 पूर्ति निरीक्षक, 2 प्रधान लिपिक, 2 लेखाकार, 12 आशुलिपिक, 16 लेखा लिपिक, 211 लिपिक, 168 चपरासी और चौकीदार और हाट शाखा के 80 वर्गीय कर्मचारियों आदि को सेलेक्शन ग्रेड दिया जा चुका है, शेष कर्मचारियों की पात्रता सूची के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

उन्नाव जिले के मौरावां, कालू खेड़ा तथा हिलौली स्थित शराब की दुकानों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*11—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शराब का ठेका खोलने के संबंध में स्कूल मंदिर मस्जिद से स्थान काफी दूर होने के प्रतिबंध हैं ? क्या इसी क्रम में प्रश्नकर्ता का उन्नाव जिले के मौरावां कालूखेड़ा व हिलौली के शराब ठेकों का क्रमशः इण्टर कालेजों व पवित्र मजिस्द के निकट होने संबंधी शिकायती-पत्र दि0 10 सितम्बर, 85 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो नियम विरुद्ध विद्यालयों व पवित्र मस्जिद के पास ठेका खुले रहने का क्या औचित्य है और प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हुकुम सिंह—

नियम 328 में यह प्राविधान है कि स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल तथा फैक्ट्री आदि के बहुत निकट नई दुकानों के लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे। पुरानी दुकानों के सम्बन्ध में स्थल आपत्तिजनक पाये जाने पर यथा सम्भव अधिक उपयुक्त स्थल खोजने का प्राविधान है। माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 10-9-85 प्राप्त हुआ था। जांच से विदित हुआ कि मौरावां, कालूखेड़ा तथा हिलौली की देशी मदिरा की दुकानें अपने वर्तमान स्थान पर विगत कई वर्षों से चल रही हैं। उनका स्थल आपत्तिजनक नहीं पाया गया।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिस नियम 328 का उल्लेख अपने उत्तर में किया है, उसके संबंध में मेरा यह सवाल है कि बहुत निकट से क्या तात्पर्य है अर्थात् कितनी दूरी से है ? दूसरी जिन स्थानों का मैंने अपने प्रश्न में उल्लेख किया है, क्या वह इस नियम के अन्तर्गत आते हैं कि नहीं ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, नियम 328 में निकट शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। इसको परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्य तौर से 200 से 250 फिट को निकट मानते आये हैं। जिन तीन स्थानों का माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में उल्लेख किया है वे ढाई सौ फिट की दूरी पर नहीं हैं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि जिन तीन स्थानों का मैंने उल्लेख किया है वह 200 फिट से भी कम दूरी पर हैं। क्या इस पर माननीय मंत्री जी पुनः जांच करवायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, इसको दुबारा दिखवा लेंगे। यदि कोई ऐसी बात होगी तो उसकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नियम 328 का उल्लेख किया है। मन्दिर और मस्जिद के बगल, जो पुरानी दुकानें खुली हुई हैं या शराब की दुकाने खुली हुई हैं, उन्हीं पर विचार किया जा रहा है और या फिर जो नये खुलते हैं, उनपर भी विचार किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य का ध्यान मैं अपने मूल उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पुरानी दुकानों के सम्बन्ध में स्थल आपत्तिजनक पाये जाने पर यथा सम्भव अधिक उपयुक्त स्थल खोजने का प्राविधान है। इसमें दोनों प्राविधान हैं। नयी दुकानों को भी वहां पर नहीं खुलने दिया जायेगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में इस समय जहां मन्दिर मस्जिद और स्कूल हैं वहां पर दुकानें और शराब की दुकानें हैं, ये आइन्दा इन स्थलों के पास न बनाई जांय, इस किस्म का कोई क्लीयर आदेश जिला मजिस्ट्रेटों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

यह प्राविधान तो नियमों में है ही।

मुहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक रानीपुर के अन्तर्गत चीनी का वितरण

*12—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित रानीपुर ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी कन्ट्रोल रेट पर नहीं मिल रही है और अब सरकार द्वारा दी गयी चीनी का वितरण जनता में नहीं हो पाता है ? आम जनता को बाजार से 8/- 9/- रुपया प्रति किलो चीनी खरीदनी पड़ती है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर चीनी का सही वितरण करायेगी ?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं।

विकास क्षेत्र रानीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कन्ट्रोल रेट की चीनी वितरित की जा रही है। गत 6 माह में 1021 कुन्तल चीनी का वितरण समितियों द्वारा किया गया है। चीनी को उपलब्ध कराने के लिये तथा इस क्षेत्र में सुचार रुप से वितरित किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

सिंचाई विभाग, अनुसूचित जाति के अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति एवं आरक्षण कोटा

*13—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में दिनांक 30-9-85 तक अनुसूचित जाति के कितने अधिशासी अभियन्ता (सिविल) ऐसे थे जिन्होंने अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति हेतु वांछित योग्यता प्राप्त कर ली है और दिनांक 30-9-85 को अधीक्षण अभियंता (सिविल) के संवर्ग में अनुसूचित जाति के लिए कितनी रिक्तियां आरक्षित होनी चाहिए ? क्या सरकार अनुसूचित जाति के इन पात्र व्यक्तियों को आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति कर आरक्षण कोटा पूरा करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 30-9-85 को अनुसूचित जाति के 12 अधिशासी अभियंता (सिविल) ऐसे थे, जिन्होंने शासनादेश संख्या-3152/23 1/82-1(213)/71, दिनांक 15-5-82 सपठित शासनादेश संख्या -5289ए/23- आई0 ए0-1 (213)/71, दिनांक 3-8-71 द्वारा अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पदों पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता पूरी कर ली थी। दिनांक 30-9-85 को अनुसूचित जाति के लिए अग्रेनीत अवशेष आरक्षित रिक्तियां 4 होती हैं।

वर्तमान में अधीक्षण अभियंता (सिविल) का कोई पद रिक्त नहीं है। आगामी रिक्तियों के विरुद्ध शासनादेश संख्या-65/2/69-रा0 एकी0, दिनांक 8 मार्च, 1973 द्वारा निर्धारित आरक्षण करते हुए पात्रता क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति के अधिशासी अभियंताओं को

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 11 को उच्च शान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर यथासमय अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पदों पर प्रोन्नत किया जा सकता है।

वाराणसी जिले की अदलपुरा पम्प नहर एवं ज्ञानपुर पम्प नहर का निर्माण एवं सिंचाई।

*14—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद की ज्ञानपुर व वाराणसी सदर तहसीलों में नहर निर्माण परियोजनान्तर्गत ली गयी ज्ञानपुर पम्प नहर, अदलपुरा लिफ्ट पम्प नहर व शारदा सहायक नहर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो इन नहरों में कब तक जल प्लावन होगा और सिंचाई हेतु कब तक पानी उपलब्ध हो सकेगा ? यदि नहीं, तो इतने लम्बे अर्से से निर्माणाधीन इन नहरों का निर्माण कार्य क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है और अभी इनके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

धनाभाव व भूमि मिलने में कठिनाई के कारण पूर्ण कार्य समय से पूरा कराना सम्भव नहीं हो पाया।

ज्ञानपुर पम्प नहर के कार्य 1992-93 तक पूर्ण करके पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। लगभग 11 किलोमीटर लम्बी नहरों से शारदा सहायक प्रणाली से पानी लेकर आंशिक रूप से भदोही राजबहा से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अदलपुरा पम्प नहर के कार्य को जून, 1986 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत वाराणसी जनपद की सदर तहसील में 34,589 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के विरुद्ध 14,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। शेष कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण किये जाने का अनुमान है।

दि हिन्दुस्तान टुबैको कम्पनी, विजय लक्ष्मी-नगर, सीतापुर का प्रार्थना-पत्र।

*15—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि 2 मई व 29 मई, 1985 को दि हिन्दुस्तान टुबैको कम्पनी 281, विजय लक्ष्मी नगर, जिला सीतापुर के प्रोप्राइटर ने उन्हें इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था कि जिला आबकारी अधिकारी सीतापुर व सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतापुर की तथा आयुक्त एवं निदेशक उत्तर प्रदेश (कच्चा माल अनुभाग-8) कानपुर की संस्तुति के बावजूद आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने उसको शीरा का परमिट नहीं दिया जिसके कारण बहुमूल्य विदेशी मुद्रा देने वाला उसके माल का निर्यात ठप है ? यदि हां, तो क्या शासन ने उस पर कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कस्बा सिंभावली, गाजियाबाद में जहरीली शराब पीने से व्यक्तियों की कथित मृत्यु।

*16—श्री किरनपाल सिंह—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई 3, 1983 को कस्बा सिंभावली, जनपद गाजियाबाद व उसके आस-पास अनधिकृत जहरीली शराब पाने से 6 लोगों की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध जांच कराकर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

इसका प्रश्न नहीं उठता।

*17—श्रीमती शारदा देवी—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

*18—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

गोरखपुर, बँरिया ददरी सेमरा बांध तथा काँडी राम मलाँली बांध को बाढ़ से क्षति

*19—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ कार्य खण्ड गोरखपुर के अन्तर्गत ददरी सेमरा तथा काँड़ी राम खोहगोरा बांध 1984 की बाढ़ में टूट गये थे ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। यह बांध ददरी सेमरा एवं काँड़ीराम खोहगोरा न होकर क्रमशः बँरिया ददरी सेमरा एवं काँड़ीराम मलाँली बांध हैं जो वर्ष 1984 की बाढ़ में टूट गये थे। यह बांध दैवी आपदा के कारण टूटे थे, अतएव जांच कराने एवं किसी कर्मचारी व अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर, कस्बा गढ़ी पुख्ता एवं भिनभाना की सस्ते गल्ले की दुकान के विरुद्ध जांच

*20—श्री अमीर आलम खां—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा गढ़ी पुख्ता व भिनभाना, जिला मुजफ्फरनगर के सरकारी सस्ते गल्ले, चीनी व मिट्टी के तेल के डीलर कई-कई बोरी चीनी व मिट्टी के तेल के ड्रमों की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं तथा राशन कार्ड वाले उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं से वंचित रह जाना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए तुरन्त कार्यवाही करेगी एवं दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

मुजफ्फरनगर जनपद के भिनभाना कस्बे के सरकारी सस्ते गल्ले, चीनी व मिट्टी के तेल के डीलर्स द्वारा इन सामग्रियों को ब्लैक में बेचे जाने के परिणामस्वरूप राशन कार्ड वाले उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं से वंचित होने के सम्बन्ध में जांच कराई गई। आरोप प्रमाणित नहीं हुये।

उक्त जनपद के कस्बा गढ़ी पुख्ता के सस्ता गल्ला विक्रेताओं के विरुद्ध की गयी जांच के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर दोषी दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर, काँड़ीराम मलाँली बांध के निर्माण हेतु मिट्टी डालने हेतु स्वीकृत धनराशि

1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ कार्य खण्ड गोरखपुर के अन्तर्गत काँड़ीराम सोहगोरा बांध के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना प्राक्कलन में मिट्टी डालने इत्यादि के लिए कितनी धनराशि का प्राविधान था तथा 15 जून, 1985 तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत बांध काँड़ीराम सोहगोरा बांध न होकर काँड़ी राम मलाँली बांध है। काँड़ी राम मलाँली बांध के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना प्राक्कलन में मिट्टी डालने के लिए 13.70 लाख रु0 तथा अन्य मद में 10.26 लाख रु0 अर्थात् कुल 23.96 लाख रु0 का प्राविधान था। 15 जून, 1985 तक मिट्टी के कार्य में 26.04 लाख रु0 एवं अन्य मद में 7.04 लाख रु0 कुल 33.08 लाख रु0 का भुगतान हुआ है।

गोरखपुर चीनी मिल मजदूर यूनियन सरदार नगर, का रजिस्ट्रेशन हेतु प्रार्थना पत्र

2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल मजदूर यूनियन, सरदार नगर, गोरखपुर का चुनाव 21-6-84 को सम्पन्न हुआ लेकिन पदाधिकारियों का पंजीकरण अब तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस कार्य के दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चीनी मिल मजदूर यूनियन, सरदार नगर गोरखपुर नामक कोई भी यूनियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स, उ0 प्र0, कानपुर के कार्यालय में पंजीकृत नहीं है और न ही इस नाम से यूनियन का कोई भी चुनाव दिनांक 21-6-1984 को पंजीयन हेतु प्राप्त हुआ है।

यदि मा0 सदस्य का आशय गोरखपुर क्षेत्र चीनी मिल मजदूर यूनियन, सरदार नगर, गोरखपुर से है तो सूचनीय है कि उक्त यूनियन के चुनाव दिनांक 21-6-84 के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ था जो वैधानिक न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ और इसकी सूचना सम्बन्धित यूनियन को दे दी गयी थी। अतः किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

सिंचाई विभाग, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर अनुसूचित जाति के अधीक्षण अभियन्ताओं की पदोन्नति

3—श्री भीखा राम—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30-6-85 को सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के संवर्ग में कुल कितने पद थे इनमें से कितने पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे और इन आरक्षित पदों के विरुद्ध कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति के कार्यरत थे ? दिनांक 30-6-85 को अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति अधीक्षण अभियंता (सिविल) पद के पात्र थे ? क्या सरकार इन पात्र व्यक्तियों को तत्काल पदोन्नति कर आरक्षण का कोटा पूरा करेगी ? यदि हां, तो तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 30-6-85 को सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के संवर्ग में कुल 126 पद स्वीकृत थे। श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत का आरक्षण शासनादेश संख्या-65/2/69-रा0 एकी0, दिनांक 8 मार्च, 1973 द्वारा किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुसार सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पदों पर समय-समय पर हुई रिक्तियों के 18 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित किये गये तथा उक्त तिथि को अनुसूचित जाति के 4 अधिकारी इन पदों पर कार्यरत थे। इनके अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी की अग्रेनीत की जाने वाली रिक्तियां 4 होती हैं।

दिनांक 30-6-85 को अनुसूचित जाति के 9 अधिशासी अभियंता शासनादेश संख्या-3152/23-सि-1/82-1 (213)/71, दिनांक 15-5-82 सपठित शासनादेश संख्या 5289-ए/तेइस-आई0 ए0-1 (213)/71, दिनांक 3-8-71 द्वारा अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पदों पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हतायें पूरी करते थे किन्तु उक्त तिथि को अधीक्षण अभियंता सिविल (पद) को कोई रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण उनके पात्रता क्षेत्र में आने का प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में अधीक्षण अभियंता (सिविल) का पद रिक्त नहीं है। भविष्य में होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध पात्रता क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियों को उपयुक्त पाये जाने की दशा में यथा समय प्रोन्नत किया जायेगा।

सिंचाई विभाग, अवर अभियन्ता सिविल एवं मुख्य अभियन्ता के पदों पर अनुसूचित जाति के अभियन्ताओं की पदोन्नति

4—श्री भीखा राम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में 30-9-85 को अवर अभियंता (सिविल) से लेकर मुख्य अभियंता स्तर-1 (सिविल) तक पदवार कितने पद स्वीकृत थे और नियमानुसार उनमें से कितने कितने पद पदवार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे ? इन आरक्षित पदों के विरुद्ध 30-6-85 को पदवार कितनी रिक्तियां विभाग में उपलब्ध थी ? 30-6-85 को पदवार अनुसूचित जाति के लिए कितने पात्र व्यक्ति इन पदों पर प्रोन्नति हेतु उपलब्ध थे ? क्या सरकार इन रिक्त पदों की पूर्ति अनुसूचित जाति के उपलब्ध पात्र व्यक्तियों को प्रोन्नति करके करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति हेतु चयन

5—श्री भीखा राम—

द्वितीय सत्र 85 के द्वितीय बुधवार को अता0 प्र0 सं0 78 के उत्तर के संदर्भ में क्या

सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त सन् 84 के अधीक्षण अभियंता (सिविल) की पदोन्नति के चयन में अनुसूचित जाति के किन-किन व्यक्तियों के नामों पर विचार किया गया था और किन-किन की पदोन्नति की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति के लिए अगस्त, 1984 में हुए चयन में अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों, सर्वश्री शिवदान सिंह एवं गणेशी लाल के नामों पर विचार किया गया था। दोनों अधिकारी पदोन्नति के लिये चुने गये थे। श्री गनेशी लाल पद स्थापना आदेश के पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके थे। श्री शिव दान सिंह की पदोन्नति हुई।

श्री नाथू राम कुशवाहा, अवर अभियन्ता गुरसराय, सिंचाई विभाग, की सेवा समाप्ति और बकाया वेतन सम्बन्धी मुकदमा

6—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि श्री नाथू राम कुशवाहा अवर अभियंता गुरसराय उपखण्ड जनपद झांसी को वर्ष 84 के सामान्य स्थानान्तरण के दौरान स्थानान्तरण रुक जाने पर भी अधिशासी अभियंता द्वारा रिलीव ट्रीट कर वेतन न देने के मामले में श्रम न्यायालय ने 6966-00 रुपये बकाया वेतन तथा इसका दस गुना क्षतिपूर्ति भुगतान करने का निर्णय दिया था ? यदि हां, तो उक्त दोषी अधिशासी अभियंता के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? क्या उक्त क्षतिपूर्ति की धनराशि लगभग 70,000-00 रुपये की वसूली उक्त दोषी अधिशासी अभियंता से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री नाथूराम कुशवाहा, अवर अभियंता का स्थानान्तरण मनेरी भाली परियोजना, देहरादून को किया गया था जिस पर वे चार्ज न देकर दिनांक 15-12-82 से दि0 28-2-83 तक अनुपस्थित रहे। दिनांक 30-4-83 तक उनका स्थानान्तरण स्थगित किया गया। वे दिनांक 30-4-83 को चार्ज न देकर दिनांक 1-5-83 से दिनांक 20-9-83 तक पुनः अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। श्री कुशवाहा का स्थानान्तरण दिनांक 30-4-84 तक अंतिम रूप से स्थगित किया गया और उसके बाद भी नियमित रूप से चार्ज न देने पर उन्हें कार्यमुक्त मान लिया गया।

उपरोक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधियों का वेतन रोक लिया गया था जिसके लिए उन्होंने श्रम न्यायालय में वाद दायर किया। श्रम न्यायालय ने रु0 6966/-वेतन दस गुनी धनराशि रु0 69660/-क्षतिपूर्ति तथा रु0 200/- मुकदमा व्यय कुल रुपये 76826/- दिये जाने का निर्णय विभाग द्वारा विरोध के बावजूद दिया। श्रम न्यायालय में यह धनराशि जमा करके जिला एवं सत्र न्यायालय, झांसी के समक्ष अपील की गयी जो न्यायालय के विचाराधीन है।

उक्त स्थिति में अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

7—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री नाथू राम कुशवाहा अवर अभियन्ता को श्रम न्यायालय के निर्देशानुसार सिंचाई विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति जो लगभग 76000-00 रुपये देने थे, की अपील धनराशि न्यायालय में जमा करने के बाद विभाग द्वारा की गई ? यदि हां, तो उक्त धनराशि अवर अभियंता श्री कुशवाहा को कैसे प्राप्त हो गई ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। श्रम अधिनियम की धारा 17 (1) (ए) के अनुसार धनराशि जमा करके ही अपील की जा सकती है। अतः रुपया 76826/- जमा करके अपील की गयी। जिला सत्र न्यायालय के स्थगन के बावजूद श्रम न्यायालय द्वारा उक्त धनराशि श्री कुशवाहा को अवमुक्त कर दिये जाने के विरुद्ध कन्टेम्प्ट की कार्यवाही अमल में लायी गयी है व रुपया वापसी का प्रार्थना-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

बुलन्दशहर, आई0 टी0 आई0 हेतु प्रथम श्रेणी के प्रधानाचार्य के पद के सृजन की मांग

8—श्री किरनपाल सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बुलन्दशहर की आई0 टी0 आई0 को "ए" ग्रेड कर दिया गया है ? यदि हां, तो सभी औपचारिकतायें कब तक पूरी हो जायेंगी ? क्या प्रधानाचार्य आई0 टी0 आई0 बुलन्दशहर उपयुक्त योग्यतायें जो "ए" ग्रेड के प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक हैं, पूर्ण करते हैं ? यदि नहीं, तो पूर्ण योग्यता रखने वाले प्रधानाचार्य कब तक नियुक्त कर कर दिये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं है। जब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 600 से अधिक सीटें हो जाती हैं, तब प्रथम श्रेणी का प्रधानाचार्य रखा जाता है। बुलन्दशहर आई0 टी0 आई0 में अभी तक 600 से कम सीटें थी, लेकिन द्वितीय पाली में नई सीटें बढ़ने के कारण अब सीटों की संख्या 600 से अधिक हो गई है, और इस आई0 टी0 आई0 के लिए प्रथम श्रेणी के प्रधानाचार्य का पद सृजित कर दिया गया है। चयन आदि प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करके प्रधानाचार्य प्रथम श्रेणी की नियुक्ति शीघ्र कर दी जायेगी।

नलकूप खण्ड, फर्रुखाबाद के नलकूप मिस्त्री का वायरमैन परमिट

9—श्री अहिबरन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड, फर्रुखाबाद में वर्तमान रूप (दिनांक 15-8-1985) में कितने ऐसे नियमित नलकूप मिस्त्री कार्यरत हैं, जिनके पास वायरमैन परमिट नहीं हैं, ऐसे अनर्ह नलकूप मिस्त्री जिनके पास वायरमैन परमिट नहीं हैं, उनको नियमित मिस्त्री के पदों पर किन नियमों के अन्तर्गत कार्यरत रखा जा रहा है ? इस अनियमित कार्य करने के कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री वीर बहादुर—

सूचना एकत्र की जा रही है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0 टी0 आई0) मुरादाबाद के सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य, श्री एस0 बी0 जौहरी की पेंशन एवं ग्रेच्युटी

10—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि एस0 बी0 जौहरी प्रधानाचार्य जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0 टी0 आई0) चन्दौसी जिला मुरादाबाद से दिनांक 30-11-79 को सेवा निवृत्त हुये थे, को अभी तक पेंशन ग्रेच्युटी एवं अन्य लाभ मिलने नहीं प्रारम्भ हुए हैं ? इसका क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उन्हें शीघ्र ही पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य लाभ दिलाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री एस0 बी0 जौहरी, सेवा निवृत्त, प्रधानाचार्य की पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान कोषाधिकारी, बरेली द्वारा उन्हें क्रमशः दिनांक 3-12-85 एवं 8-2-86 को किया जा चुका है। श्री जौहरी के अन्य देयों का भुगतान भी पूर्व में ही किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्रम विभाग, अनुसूचित जाति के सेवायोजन अधिकारी का चयन

11—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 की सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा 1982 में सेवायोजन अधिकारी पद हेतु कितनी रिक्तयां विज्ञापित की गयी थी, उसमें कितने पद आरक्षित थे, कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया था ? क्या किसी आरक्षित अभ्यर्थी का भी चयन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि किसी आरक्षित अभ्यर्थी का चयन किया गया तो अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 1982 हेतु राज्य सेवायोजन सेवा श्रेणी-2 के "सेवायोजन अधिकारी" पदों पर चयन हेतु

शासन द्वारा कुल 4 रिक्तियों के लिये अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया था जिनमें से 3 पद सामान्य अभ्यर्थियों के लिये तथा एक पद पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित था। अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कोटा पूर्ण था। लोक सेवा आयोग द्वारा कुल 4 अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनमें से एक पद पर पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी तथा एक पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी का चयन किया गया।

पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति के आदेश शासन द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 1986 में जारी किये जा चुके हैं परन्तु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति संबंधी आवश्यक औपचारिकतायें जैसे कि चरित्र सत्यापन व चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट आदि की कार्यवाही अभी तक पूरी न होने के कारण उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी इकाई, घुघली, गोरखपुर के श्रमिक, श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गयी याचिका

12—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के पांचवें बुद्धवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संबंध में क्या श्रम मंत्री यह बतायेंगे कि अवैध रूप से 5 श्रमिकों में केवल एक श्रमिक (श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय) ने याचिका दायर करके स्टे प्राप्त कर लिया तो शेष अवैध रूप से नियुक्त श्रमिकों को न निकाले जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही है कि पांच श्रमिकों में से एक श्रमिक श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 13-1-85 को उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई, घुघली (गोरखपुर) तथा प्रतिष्ठान के श्रमिक यूनियनों के बीच एक समझौता सम्पन्न हुआ कि शेष 4 श्रमिकों के आचरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलों के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांग ली जाय और चाल चलन सही न पाये जाने पर ही उन्हें सेवा से निकालने की कार्यवाही की जाय। उपरोक्त की पुष्टि पुनः दिनांक 28-5-85 को उभय पक्षों के बीच हुए समझौते में भी की गई।

13—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह सच है कि स्थगन प्राप्तकर्ता श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय एक अप्रेन्टिस रखे गये थे और शासन ने न्यायालय में जाने के लिए जालसाजी करके उन्हें स्थाई श्रमिक प्रमाण पत्र दिया है? यदि हां, तो माननीय न्यायालय को धोखा देने और तथ्यों को छिपाने वाले शासकीय आज्ञा के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय अप्रेण्टिस पर रखे गये थे। वर्तमान सामान्य प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, घुघली के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय को जाल-साजी करके स्थायी श्रमिक का कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया, पुरैना ड्रेन पर बैरिया एवं हरपुरा के मध्य पुल का निर्माण

14—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुरैना ड्रेन खण्डक-15 कप्तानगंज देवरिया पर बैरिया एवं हरपुरा के बीच ड्रेन पर जो पुल प्रस्तावित था वह अधूरा ही है? यदि हां, तो क्यों और कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पुरैना ड्रेन पर बैरिया एवं हरपुरा के बीच जो अपूर्ण पुल था उसे पूर्ण कर दिया गया है।

बहराइच, सरजू नहर प्रखण्ड षष्टम के कान्ट्रेक्टर श्री अक्षय की जमानत की धनराशि

15—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में अधिशासी अभियंता सरजू नहर प्रखण्ड षष्टम के यहां अनुबन्ध संख्या 8/अ0 अ0/80-81 का अनुबन्ध हुआ था? क्या यह सही है कि वह कार्य 2 वर्ष पूर्व सम्पन्न

कर दिया गया है और अन्तिम बिल का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो अक्षय कान्सट्रक्टर देवरिया को उसकी जमानत की धनराशि वापस न देने के क्या कारण हैं ? क्या शासन उसके जमानत की धनराशि शीघ्र वापस करने की व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । यह अनुबन्ध 80-81 का न होकर वर्ष 81-82 का है ।

जी हां ।

60% जमानत वापिस कर दी गई है । महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्ति के कारण शेष 40%जमानत की धनराशि वापस नहीं दी गई है ।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भुगतान के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति का निराकरण होने के पश्चात् शेष 40%जमानत की वापसी के लिए निर्णय लिया जायेगा ।

सिंचाई खण्ड द्वितीय, देवरिया के फील्ड हास्टल के भवन की डिजाइन में कथित तोड़-फोड़

16—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय देवरिया जनपद ने सिंचाई विभाग के फील्ड हास्टल के स्थानीय भवन के डिजाइन में कोई तोड़-फोड़ का कार्य कराया है ? यदि हां, तो उस पर कितनी राशि व्यय की गयी है ? क्या उसके लिये सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति ली गयी थी ? यदि नहीं, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले के ग्राम गंगापुर एवं भदरासी में नलकूप निर्माण की मांग

17—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गंगापुर ब्लाक पिंडरा व गांव भदरासी ब्लाक आराजी लाइन जिला वाराणसी में सिंचाई हेतु आज तक राजकीय ट्यूबवेल नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों गावों का सर्वे कराकर तुरन्त ट्यूबवेल लगवाने का आदेश सिंचाई विभाग को देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गांव गंगापुर ब्लाक पिंडरा में कोई ट्यूबवेल नहीं है । ग्राम भदरासी ब्लाक आराजी लाइन के बारे में जानकारी की जा रही है ।

विभिन्न जनपदों में नलकूप जिला सिंचाई सलाहकार समिति और नलकूप स्थल चयन समिति की संस्तुति पर लगाये जाते रहे हैं । अतः शासन स्तर से किसी गांव विशेष में या किसी स्थल विशेष पर नलकूप लगाये जाने के बारे में निर्देश दिया जाना संभव नहीं है ।

वाराणसी के ग्राम गड़खड़ा में आई0 टी0 आई0 की स्थापना की मांग

18—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टर कालेज गड़खड़ा ब्लाक पिंड्रा जिला वाराणसी में आई0 टी0 आई0 खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो आई0 टी0 आई0 (टेक्निकल ट्रेनिंग) कब से खोल दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा, ग्राम बरहन के राजबाह का निर्माण एवं भूमि का अधिग्रहण

19—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के विकास क्षेत्र टुण्डला में बनकट टीकरी धीरपुरा माइनर को बालदानी उपग्राम धीरपुरा होकर वर्ष 1967 में खोदकर बनाना स्वीकार हुआ ? यदि हां, तो क्या इस माइनर के लिए दिनांक 11-1-67 को मुकदमा नं0 160 के निर्णय पर क्या काश्तकार बृज सिंह पुत्र फतेहसिंह, गुलाब सिंह, लालाराम आदि को मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहीत की गयी ? यदि हां, तो अब तक इतनी वर्षों में इस माइनर को खोदकर न बनाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आगरा जनपद विकास क्षेत्र टुण्डला में ग्राम बनकट टीकरी धीरपुरा से आता हुआ बरहन राजबाह के विस्तार का प्रस्ताव ग्राम धीरपुरा में वर्ष 1967 में स्वीकृत हुआ था।

इस विस्तार हेतु भूमि का अधिग्रहण एवार्ड नं-160 दिनांक 20-9-66 एवं दिनांक 11-1-67 के अनुसार हुआ। श्री गुलाब सिंह पुत्र बेकल आदि को मुआवजा देकर 3.715 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई श्री लालाराम एवं बृजसिंह पुत्र फतेसिंह को मुआवजा देय नहीं है। कृषकों के अवरोध के कारण बरहन राजवाहा का विस्तार अब तक नहीं हो सका।

गोरखपुर, मेसर्स तीरथराम गुप्ता, ठूंठीबारी को मिट्टी के तेल एवं डीजल के वितरण के विरुद्ध तस्करी की कथित शिकायत

20—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

दिनांक 8-8-85 के प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न सं0 41 के उत्तर के संदर्भ में क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि मे0 तीरथराम ठूंठी बारी (गोरखपुर) को वर्ष 1984 में विभिन्न श्रोतों से कितना लीटर डीजल व मिट्टी का तेल वितरण हेतु मिला था तथा उसका वितरण किन-किन लोगों में उस फर्म ने किया ?

श्री हुकुम सिंह—

मेसर्स तीरथ राम गुप्ता ठूंठी बारी (गोरखपुर) को वर्ष 1984 में विभिन्न श्रोतों से 8,42, 500 लीटर मिट्टी तेल व 31,091 लीटर डीजल मिला था। मेसर्स तीरथराम गुप्ता, ठूंठीबारी मिट्टी तेल के थोक लाइसेन्सी हैं। मिट्टी तेल का वितरण उक्त थोक लाइसेन्सी द्वारा संलग्न विवरण† के अनुसार किया गया। माननीय विधायक जी के दिनांक 8-8-85 के अतारांकित प्रश्न संख्या-41 के उत्तर से संलग्न विवरण में केवल फुटकर लाइसेन्सियों की सूचना दी गयी थी क्योंकि उपभोक्ताओं से वितरण का सीधा सम्बन्ध फुटकर लाइसेन्सियों से ही होता है। डीजल के वितरण पर कोई शासकीय नियंत्रण नहीं है अतः तत्सम्बन्धी सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

21—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह सही है कि उस फर्म के खिलाफ तस्करी आदि की कई गम्भीर शिकायतें वर्षों से मिलती रही हैं, फिर भी नेपाल सीमा के आधे से कम किलोमीटर की दूरी पर उसे वितरक नियुक्त करने का औचित्य क्या है ? क्या मा0 मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

जिला मजिस्ट्रेट की सूचनानुसार उक्त फर्म के विरुद्ध प्रश्नगत अवधि में तस्करी का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। उक्त फर्म को मिट्टी तेल का थोक लाइसेन्स इन्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी के नियुक्ति-पत्र के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है। वैसे शासन के ऐसे कोई आदेश नहीं हैं कि नेपाल सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मिट्टी तेल व हाई स्पीड डीजल के लाइसेन्स न दिये जायें।

प्रश्न के इस अंश का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है।

22—श्री मनोहर लाल—

[दिनांक—14-2-86 को अता0 प्र0 सं0—156 द्वारा उत्तरित।]

बरेली के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार

23—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में 30-10-83 को कितने शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हैं एवं उसमें से कितनों ने अपना पंजीकरण रोजगार कार्यालय में कराया है ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार मिला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह बताना सम्भव नहीं है कि जनपद बरेली में 30-10-83 को कितने शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हैं।

† छापा नहीं गया।

दिनांक 31-12-83 को जनपद बरेली के सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजी पर कुल 24,910 शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत थे ।

वर्ष 1984-85 में (अप्रैल 84 से मार्च 85 तक) रोजगार कार्यालय के माध्यम से कुल 716 बेरोजगारों को कार्य पर लगाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती, ककरही गोनहा बांध के रेगुलेटर की सुरक्षा हेतु योजना

24—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी विकास खंड में स्थित गोनहा रेगुलेटर एवं गोहना ताल नं0 2 पर निर्मित ठोकरों का मरम्मत कराने विषयक दिनांक 4-9-85 का पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

ककरही गोनहा बांध के रेगुलेटर के पास बांध रेगुलेटर की सुरक्षा हेतु एक योजना बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति में विचाराधीन है ।

गोनहा टोला नं0-2 के पास एवं बंधे की सुरक्षा हेतु एक योजना तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है । पुराने डेम्परों की मरम्मत धन की कमी के कारण अब तक नहीं कराई जा सकी ।

पी0 डब्लू0 डी0, सेतु निगम, निर्माण निगम के श्रमिकों की मजदूरी की दर

25—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 डब्लू0 डी0 राज्य सेतू निगम तथा राजकीय निर्माण निगम के मजदूरों पर श्रम विभाग के निर्देशों के बावजूद भी शासकीय अधिसूचना संख्या 1699/36-3-23 (एम0 डब्लू0)—83 दिनांक 6 अगस्त, 1984 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या श्रम विभाग द्वारा प्रबन्ध निदेशक राज्य निर्माण निगम तथा प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 वि0 के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 6 अगस्त, 1984 की अधिसूचना बांध, तटबंध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजित श्रमिकों के लिए लागू की गई है । पी0 डब्ल्यू0 डी, राज्य सेतु निगम तथा राजकीय निर्माण निगम में नियोजित श्रमिकों हेतु अधिसूचना दिनांक 29 जून, 1985 द्वारा मजदूरी दरें लागू की गयी हैं । इन अधिसूचनाओं के अनुसार मजदूरी भुगतान हेतु प्रशासकीय निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं । इनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है ।

यदि उल्लंघन पाया जायेगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के जांच अनुभाग के लिपिकों का स्थानान्तरण

26—श्री रामआसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग के जांच अनुभाग से वर्ष 1983 एवं 1984 में कितने सहायक स्थानान्तरण/पदोन्नति के कारण कार्यमुक्त किये गये तथा कार्यमुक्त सहायकों द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिं0 वि0 के स्टैण्डिंग आर्डर नं0 1033/ई-4/4बी—1701 मिस0 दिनांक 23-2-83 के अनुपालन में अपना चार्ज विधिवत् हस्तान्तरित किया गया ? यदि नहीं, तो दोषी सहायक/अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के जांच अनुभाग से वर्ष 1983 में दो वरिष्ठ लिपिक तथा एक कनिष्ठ लिपिक और वर्ष 1984 में एक वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण हुआ था । वर्ष 1983 में स्थानान्तरित वरिष्ठ लिपिकों द्वारा अपनी सीट का चार्ज दिया गया था किन्तु वह कथित कार्यालय ज्ञाप के अनुसार नहीं दिया गया था ।

वर्ष 1984 में स्थानान्तरित वरिष्ठ लिपिक ने भी कथित कार्यालय ज्ञाप के अनुसार चार्ज नहीं दिया था, इसके लिए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पाई गई।

भविष्य में कथित कार्यालय ज्ञाप का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता को निर्देश दिये जा रहे हैं।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के अधिष्ठान अनुभाग-4 के ज्ञापन का कार्यान्वयन

27—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग के अधिष्ठान —4 अनुभाग द्वारा अपने ज्ञापांक : 1033/ई-4/4 की-1701 मिस0 दिनांक 23-2-83 द्वारा महत्वपूर्ण अभिलेखों के सुरक्षार्थ जो व्यवस्था उक्त कार्यालय हेतु निर्धारित की गई है ? क्या उसका पालन स्वयं अधिष्ठान—4—अनुभाग में अब तक किया गया है ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शेर सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर द्वारा कार से की गयी यात्रा

28—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) श्री शेरसिंह जब सिंचाई निर्माण मण्डल गोरखपुर में अधीक्षण अभियन्ता पद पर कार्यरत थे, उस अवधि में उनके द्वारा शासनादेश संख्या 2400/दस-सि0 वि0-79, दिनांक 20-7-1979 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए ऐसे कितने स्थानों की यात्रायें स्टाफ कार द्वारा की गई जो कि रेल मार्ग से जुड़े हुए थे ? इन यात्राओं के फलस्वरूप राजकीय कोष पर, पेट्रोल एवं वाहन रख रखाव के मद में कितना व्यय भार पड़ा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री शेर सिंह तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मंडल, गोरखपुर में दिनांक 4-1-79 से 1-6-82 तक कार्यरत रहे। सिंचाई निर्माण मंडल, गोरखपुर का कार्यक्षेत्र जनपद देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद एवं बाराबंकी तक फैला हुआ है। यात्रा के दौरान बन्धों एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण करने के अभिप्राय से श्री शेर सिंह द्वारा रेल-मार्ग से जुड़े हुए स्थानों की यात्रायें भी स्टाफ कार से की गई, इसलिए कथित शासनादेश के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं हुआ। अतएव इन यात्राओं पर हुये व्यय भार का आगणन करने का प्रश्न नहीं उठता है।

29—श्री रामआसरे वर्मा—

[दिनांक—12-2-86 को अता0 प्र0 सं0 6 द्वारा उत्तरित।]

कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के "मिनिस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेन्ट एसोशिएशन" की वार्षिक सूचना

30—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "मिनिस्टीरियल इस्टेब्लिशमेन्ट एसोशिएशन, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिं0 वि0" द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से, "उत्तर प्रदेश (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली—1979" के अनुच्छेद-4 (झ) के अनुसार वांछित वार्षिक सूचनाएं उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराई गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

संघ द्वारा सूचित किया गया था कि कथित नियमावली उन पर लागू नहीं होती। संघ को अपेक्षित सूचना भेजने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

श्री बी0 आर0 शर्मा, जिलेदार सिंचाई निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा का दोहरा कार्य भत्ता सम्बन्धी पत्र

31—श्री रामआसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई निर्माण मण्डल

अल्मोड़ा द्वारा वर्ष 1978/79 में श्री बी0 आर0 शर्मा, जिलेदार का दोहरा कार्यभार भत्ता देने विषयक कोई प्रकरण प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिं0 वि0 के अधिष्ठान-4—अनुभाग को प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण प्रमुख अभि0 कार्यालय में प्राप्त हो जाने के उपरान्त अब मय अभिलेखों के गायब हो गया है ? यदि हां, तो उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । वर्ष 1978 में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मंडल, नैनीताल तथा वर्ष 1979 में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मंडल, अल्मोड़ा द्वारा श्री बी0 आर0 शर्मा, जिलेदार का दोहरा कार्यभार भत्ता देने का प्रकरण प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कार्यालय में प्राप्त हुआ था ।

जी हां ।

उत्तर दायित्व निर्धारित करने हेतु जांच की जा रही है जिसके उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

सिंचाई विभाग, शारदा नहर, लखनऊ के अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित मिसलैनियस एडवान्स

32—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ के अभिलेखों के अनुसार सिंचाई विभाग के कितने अधिकारियों के विरुद्ध कुल कितनी धनराशि "मिसलैनियस एडवांस" के रूप में पड़ी हुई है ? इस धनराशि की रिकवरी अब तक न किए जाने के फल-स्वरूप शासन को हुई हानि की जांच सिंचाई विभाग में कार्यरत किसी पी0 सी0 एस0 अधिकारी से कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ के अभिलेखों के अनुसार कुल 131 अधिकारी ऐसे हैं जिनके विरुद्ध कुल रु0 23,472—96 की धनराशि मिसलैनियस एडवान्स में पड़ी है । इसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है । अतः इसकी जांच पी0 सी0 एस0 अधिकारी से कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा द्वारा निर्माण कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

33—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न सं0—48, के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित अधिग्रहीत की गई भूमि अर्जन के जो प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति निदेशालय को प्रेषित किए, उसके साथ भू-स्वामियों से आपसी रजामन्दी द्वारा भूमि प्राप्त करने का प्रमाण पत्र शासनादेशानुसार संलग्न किया गया है तथा अधिग्रहीत की गई भूमि के अर्जन के कुल कितने प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति निदेशालय सिंचाई विभाग लखनऊ को प्रेषित किए गए हैं; और उसमें से कितने प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति निदेशालय द्वारा भू-स्वामियों से आपसी रजामन्दी का प्रमाण पत्र संलग्न न होने के कारण वापस किए गए ? क्या उपरोक्त वर्णित क्षेत्रफल की भूमि अवैध रूप से अधिग्रहण किए जाने की तिथि से शासन पर जो 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से जो ब्याज देय हो चुका है, उसका उत्तरदायित्व का निर्धारण भूमि अध्याप्ति निदेशालय के द्वारा करवाने की कृपा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । केवल पांच प्रस्तावों में भू-स्वामियों की आपसी रजामन्दी के प्रमाण पत्र संलग्न नहीं थे । अधिग्रहीत की गयी भूमि के जनपदवार

कुल निम्नलिखित प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति निदेशालय लखनऊ को प्रेषित किये गये हैं:—

क्रम0 सं0	जनपद	भूमि अध्याप्ति निदेशालय को भेजेगये प्रस्ताव सं0	अभ्युक्ति क्षेत्रफल (हेक्टे)
1	2	3	4	5
1—अल्मोड़ा	35	9.099	-
2—पिथौरा-गढ़	8	2.412	-
योग-	43	11.511	-

उनमें से भूमि अध्याप्ति निदेशालय द्वारा जनपद अल्मोड़ा के पांच प्रस्ताव 1.47 हेक्टे0 के भू-स्वामियों से आपसी रजामंदी का प्रमाण-पत्र संलग्न न होने के कारण वापस किये गये।

उपरोक्त वर्णित प्रकरणों में लगभग सभी निर्माण कार्य ग्राम सभा के पारित प्रस्तावों एवं भू-स्वामियों की रजामंदी के उपरान्त ही कराया जा रहा है। अतः देय ब्याज के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के भूमि अध्याप्ति निदेशालय के कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता

34—श्रीराम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सि0 वि0 के भूमि अध्याप्ति निदेशालय में कितने तृतीय श्रेणी के ऐसे कर्मचारी हैं जो मय दम्पति के राजकीय सेवा में हैं एवं शासनादेश का उल्लंघन करते हुए दम्पत्ति के दोनों सदस्यों द्वारा मकान किराया भत्ता आहरित किया जा रहा है? क्या जितनी धनराशि अवैध रूप से आहरित कर ली गई है उसकी रिकवरी शीघ्र कर ली जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के आशुलिपिकों की पदोन्नति और श्री राम कुमार शुक्ला बनाम राज्य सरकार सम्बन्धी मुकदमा

35—श्रीराम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के संवर्ग के कितने आशुलिपिकों के पद इस समय शासन द्वारा स्वीकृत हैं उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पदों के विरुद्ध खण्डीय/मण्डलीय आशुलिपिकों की पदस्थापना की गई है? इन पदों पर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय संवर्ग के आशुलिपिकों की पदस्थापना प्रोन्नति द्वारा अब तक न किये जाने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग के संवर्ग में अशुलिपिकों के 89 पद स्वीकृत हैं। इन पदों के विरुद्ध 16 आशुलिपिक मण्डलीय/खण्डीय वेतनमान में कार्यरत हैं।

वर्ष 1983 से 1985 तक रु0 470-735 के वेतनमान में कार्यरत 58 आशुलिपिकों की प्रोन्नति रु0 515-860 के वेतनमान में की गई थी, किन्तु इनमें से केवल 17 आशुलिपिकों ने कार्यभार ग्रहण किया। जैसे-जैसे आशुलिपिक प्रोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करते जाते हैं उसी के अनुसार निम्न वेतनमान में कार्यरत आशुलिपिकों को मण्डल/खण्ड में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

36—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के ज्ञाप संख्या 7695/ई-4/4 बी—46सी/2, दिनांक 21-9-85 द्वारा प्रसारित प्रस्तावित ज्येष्ठता सूची के क्रमांक—11 से 22 तक नामांकित व्यक्तियों की नियुक्तियां शासनादेश संख्या 27/2/1974—कार्मिक-2, दिनांक 6-10-81 का उल्लंघन

करते हुए एवं वाद संख्या 3097/79-सुरेन्द्र कुमार शुक्ला बनाम राज्य सरकार—में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की अवमानना करते हुए की गई हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7695/ई-4/4बी/46सी दिनांक 21-9-85 द्वारा प्रसारित प्रस्तावित ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 11 से 21 तक अंकित कर्मचारियों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 1978-79 तक के रिक्त पदों के विरुद्ध की गयी हैं । क्रमांक 22 पर अंकित कर्मचारी की नियुक्ति मुख्य अभियन्ता कार्यालय देहरादून में मुख्य अभियन्ता देहरादून द्वारा चयन समिति के माध्यम से की गयी हैं । कथित शासनादेश केवल 79-80 की रिक्तियों से संबंधित हैं । अतः शासनादेश का उल्लंघन एवं हाई-कोर्ट द्वारा दिये गये आदेशों की अवमानना का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में कार्यरत विभिन्न मण्डलों के कर्मचारी

37—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1985 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न सं0—37, के उत्तर के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित पदों का प्रयोग प्रमुख अभि0 कार्यालय, लखनऊ में कब से किया जा रहा हैं और उक्त पदों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा पूर्व में लखनऊ स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना-पत्र विभाग को प्रेषित किए गए हैं अथवा नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर में जिन 47 पदों का उल्लेख किया गया हैं उनका उपयोग प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में निम्नलिखित अवधि से किया गया हैं :—

1—1976 से	एक पद
2—1978 से	एक पद
3—1979 से	सात पद
4—1980 से	एक पद
5—1981 से	दो पद
6—1982 से	सात पद
7—1983 से	ग्यारह पद
8—1984 से	ग्यारह पद
9—1985 से	छः पद

इनमें से 15 कर्मचारियों ने लखनऊ स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये थे ।

38—श्री राम आसरे वर्मा—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग द्वारा ली गयी कनिष्ठ लिपिकों की परीक्षा एवं प्रतीक्षा सूची एवं परीक्षाफल

39—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिं0 वि0 द्वारा वर्ष 1981 में प्रतियोगितात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण कनिष्ठ लिपिकों की प्रतीक्षा सूची किस प्रकार एवं किस नियम के अन्तर्गत वर्ष 1981 के उपरान्त भी जारी रखी गयी जबकि परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया ? बिना परीक्षाफल घोषित किए हुए नियुक्तियां किस नियम के अन्तर्गत की गयी ? क्या यह सही हैं कि वर्ष 1981 एवं उसके आगे के वर्षों में जो कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्तियां हुई हैं, उससे अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-1979 के पैरा-8 का उल्लंघन हुआ यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी वैयक्तिक सहायक एवं मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अनुसचिवीय सेवा नियमावली 1971 में प्रतीक्षा सूची की वैधता की अवधि का उल्लेख न होने के कारण प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1981 में प्रतियोगितात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण कनिष्ठ लिपिकों की प्रतीक्षा सूची वर्ष 1983 तक जारी रखी गई ।

प्रश्न में उल्लिखित नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का परीक्षाफल यथा समय घोषित करने हेतु प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित किया जा रहा है।

सिंचाई विभाग, शारदा नहर खण्ड, लखनऊ के वाहनों का रखरखाव

40—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ के अधीन लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ द्वारा इस समय कुल कितने विभागीय वाहनों का रखरखाव किया जाता है ?उक्त खण्ड के पूर्व अधिशासी अभियन्ताओं श्री राम शरण, श्री वाई0 पी0 सिंह एवं वर्तमान अधिशासी अभियन्ता श्री रवि कुमार माथुर के कार्यकाल में 1-10-85 तक किन-किन नम्बर के वाहनों की वार्षिक मरम्मत में प्रति वाहन रु0 2000/- से अधिक व्यय किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ में वर्तमान समय में कुल 23 विभागीय वाहनों का रख रखाव किया जा रहा है।

श्री राम शरण भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में संलग्न सूची † में अंकित 11 वाहन इस खण्ड में थे, जिन पर प्रति वाहन रु0 2000/-से अधिक का व्यय वार्षिक मरम्मत पर हुआ है।

श्री वाई0 पी0 सिंह, पूर्व अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में संलग्न सूची † में अंकित 22 वाहन इस खण्ड में थे जिन पर प्रति वाहन 2900/—से अधिक का व्यय वार्षिक मरम्मत पर हुआ है।

श्री रवि कुमार माथुर, वर्तमान अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में 1-10-85 तक संलग्न सूची में अंकित 23 वाहनों का रखरखाव किया जा रहा है जिन पर प्रति वाहन रु0 2000/— से अधिक का व्यय वार्षिक मरम्मत पर हुआ है।

सचिवालय, सिंचाई विभाग के सहायकों का स्थानान्तरण

41—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न सं0 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई सचिव शाखा से वर्ष 1985 में कुल कितने सहायकों का स्थानान्तरण किया गया तथा स्थानान्तरित सहायकों में से कुल कितने सहायकों को कार्यमुक्त अभी तक नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुल चार सहायकों का स्थानान्तरण किया गया जिसमें से एक निरस्त कर दिया गया तथा दो को अपरिहार्य कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है।

सिंचाई विभाग, मुख्य अभियन्ता (पश्चिम-नहर) के अधीनस्थ मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2 के कार्यालय में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत कर्मचारी

42—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (पश्चिम नहर) के अधीनस्थ मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2 के कार्यालयों में ऐसे तृतीय श्रेणी के कितने पदों का प्रयोग इस समय किया जा रहा है जो कि शासन द्वारा मण्डलीय कार्यालयों के लिये स्वीकृत किए गए हैं ? यदि उक्त पदों की आवश्यकता संबंधित मण्डलीय कार्यालयों में इस समय नहीं है तो मितव्ययता कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त पदों को सरेन्डर करके राजकीय व्यय की बचत क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य अभियन्ता (नहर पश्चिम) के अधीनस्थ, मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) के कार्यालयों में, वर्तमान समय में, मण्डलीय स्तर के किसी भी पद का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

† छापी नहीं गयी

केवल मण्डलीय स्तर के 6 कर्मचारियों से, मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कार्यालयों में कार्यों की तुलना में अधिष्ठान कम होने के कारण, जनहित में अल्पकालीन व्यवस्था में कार्य कराया जा रहा है। अतः पदों के सरेन्डर करने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, मुख्य अभियन्ता कार्यालय के कर्मचारियों की दक्षता रोक

43—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग लखनऊ में वर्तमान समय में तृतीय श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी दक्षतारोक देय हो जाने के उपरान्त भी, पार नहीं की गयी ? और उसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पांच कर्मचारियों की दक्षता रोक पार करने के आदेश निर्गत नहीं किए गये हैं। इनमें से दो कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित होने के कारण तथा तीन कर्मचारियों की चरित्र पंजिकायें अधीनस्थ कार्यालयों से अप्राप्त रहने के कारण दक्षता रोक पार करने के आदेश अभी निर्गत नहीं किये जा सके।

सिंचाई विभाग, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-3, लखनऊ में प्रारूपकार के पद पर अनुरेखक की नियुक्ति

44—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग के अधीनस्थ सिंचाई भवन स्थित अनुसंधान एवं नियोजन संगठनों का वर्ष 1979 में पुनर्गठन होने के उपरान्त उक्त संगठनों में वर्ष 1979 से अनुरेखक के पद समाप्त कर दिए गए थे ? यदि हां, तो उक्त पदों की समाप्ति के पश्चात भी अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-तृतीय लखनऊ में अनुरेखक के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की गयी ? यदि हां, तो उसका आधार क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-3 लखनऊ में प्रारूपकार के स्वीकृत पद पर किसी प्रारूपकार की पदस्थापना न होने के कारण शासकीय कार्यहित में रिक्त प्रारूपकार के पद के विरुद्ध दिनांक 1.11.81 से 13-7-81 तक की अल्पावधि में एक अनुरेखक तैनात किया गया था।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग, लखनऊ में वरिष्ठ लिपिकों के पद हेतु ली गयी परीक्षा

45—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, 1982 में प्रमुख अभियंता कार्यालय, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 में रिक्त वरिष्ठ लिपिकों के पदों को भरने हेतु जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी, उसमें प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिं0 वि0 लखनऊ के सम्मिलित कर्मचारी श्री मजाज अहमद सिद्दीकी, श्री आनन्द सिंह विष्ट एवं श्री ओम प्रकाश सिंह यादव की टंकण गति क्रमशः 78, 63 एवं 55 शब्द प्रति मिनट होने पर भी सन्देह के आधार पर शून्य अंक प्रदान किए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

कथित तीन अभ्यर्थियों पर अनुचित साधन का प्रयोग करने का सन्देह किया गया था।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की खोई हुई सेवा पुस्तिका

46—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लखनऊ में तृतीय श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी सेवा पुस्तिकायें खो गयी हैं ? इसी प्रकार भूमि अध्याप्ति निदेशालय सिंचाई विभाग में पूर्व में कार्यरत कितने अधिकारियों की सेवा पुस्तिकायें खो गयी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ में कार्यरत किसी भी तृतीय श्रेणी कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका नहीं खोई है और न ही भूमि अध्याप्ति निदेशालय सिंचाई विभाग में पूर्व में कार्यरत किसी भी अधिकारी की सेवा पुस्तिका उक्त कार्यालय से खोई है।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में आशुलिपिकों की नियुक्ति

47—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग में 3 वेतनमान के आशुलिपिकों के पद इस प्रतिबन्ध के साथ शासनादेश संख्या-अ-1836/23-सिं0-8, दि0 26-6-82 तथा सं0 1783/23/सिं0-8, दि0 22-7-83 द्वारा सृजित किए गए हैं कि वेतनमान 625-1360 के केवल एक-एक पद प्रमुख अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) के साथ 570-1100 के वेतनमान के आशुलिपिकों को मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) के साथ तथा 515-860 के वेतनमान के आशुलिपिकों को प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ सम्बन्ध किया जाय, जिसे प्रमुख अभियन्ता ने अपने पत्रांक-1864/ई-4/4बी-174 सी, दि0 3-5-85 में भी स्वीकार किया है ? यदि हां, तो क्या अनियमित तरीके से प्रमुख अभियन्ता के शिविर कार्यालय में एक के बजाय 625-1360 के दो आशुलिपिक, मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) के साथ 570-1100 के वेतनमान के चार तथा मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) के साथ 515-860 के वेतनमान के तीन आशुलिपिकों को पदस्थापित रखा गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन को धोखा देने के आरोप में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग में स्वीकृत तीन भिन्न-भिन्न वेतनमान के आशुलिपिकों के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पदस्थापना प्रमुख अभियन्ता तथा अन्य अधिकारियों के साथ कार्य की आवश्यकतानुसार की जाती है तथा कोई भी पदस्थापना अनियमित नहीं है

शेष प्रश्न नहीं उठता।

शारदा नहर, लखनऊ की केनाल कालोनी के शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण

48—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ द्वारा केनाल कालोनी स्थित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवासों में जो शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण कार्य कराया गया है वह टेण्डर आमंत्रित करके कराया गया है अथवा कार्यादेश द्वारा ? इस निर्माण कार्य में सीमेन्ट एवं बालू के मिश्रण का क्या अनुपात रखा गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कथित आवासों में शौचालय/स्नानागार बनाने का कार्य कार्यादेश द्वारा कराया जा रहा है।

इस निर्माण कार्य में चिनाई एवं प्लास्टर के कार्यों में सीमेन्ट एवं बालू के मिश्रण का अनुपात एक भाग सीमेन्ट व 6 भाग बालू रखा गया है।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, अधिष्ठान अनुभाग, सिंचाई विभाग के अभिलेख के गबन की शिकायत

49—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिं0 वि0 के अधिष्ठान-4क-अनुभाग से महत्वपूर्ण अभिलेख गायब किए जाने के प्रकरणों पर शासन द्वारा हाल में इस आशय के पत्र प्रेषित किए गये हैं कि संबंधित व्यक्ति का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय ? यदि हां, तो इस समय तक अभिलेख गायब होने के संबंध में किसी सहायक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो उत्तरदायित्व

न निर्धारित करने के लिये दोषी वैयक्तिक सहायक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अधिष्ठान-4क अनुभाग से कोई महत्वपूर्ण अभिलेख गुम होने की जानकारी नहीं है। अतः उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग में सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति

50—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 696/कार्मिक-2/79 दिनांक 6-6-1979 द्वारा इस आशय के आदेश निर्गत किए गए हैं कि जिला स्तर पर विभिन्न कार्यालयों में होने वाली ऐसी रिक्तियां, जो सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भरी जानी हो, की सूचना क्षेत्रीय विधायकों को जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो उक्त आदेशों का अनुपालन प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग लखनऊ द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। उक्त आदेशों का अनुपालन प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग लखनऊ द्वारा इस कारण नहीं किया गया कि वे इसे जिला स्तरीय कार्यालयों में होने वाली रिक्तियों पर ही लागू समझ रहे थे।

प्रमुख अभियन्ता को निर्देश दिये जा रहे हैं कि इन आदेशों का भविष्य में अनुपालन अपने मुख्यालय पर भी कड़ाई से सुनिश्चित करें।

51-52—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 24-7-85 को अता0 प्र0 सं0 52 द्वारा उत्तरित।]

लखनऊ, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग के कर्मचारी श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव का स्थानान्तरण

53—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग में कार्यरत श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय संवर्ग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का वर्ष 1984 में जो सामान्य स्थानान्तरण किया गया था, उसका अनुपालन न होने की दशा में श्री श्रीवास्तव द्वारा अर्ध-शासकीय पत्रांक 1013/ई-4, दि0 11-7-84 तथा अर्ध शा0 पत्रांक 1121/ई-4, दिनांक 28-7-84 द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को यह आदेश दिये थे कि यदि स्थानान्तरित व्यक्तियों को दि0 31-7-84 तक कार्यमुक्त न किया गया तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो सामान्य स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

स्थानान्तरित कर्मचारियों को या तो कार्यमुक्त कर दिया गया था स्थानान्तरण आदेश संशोधित कर दिये गये जिसके अनुसार आदेशों का अनुपालन हो गया है।

समय से आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, सिंचाई विभाग, लखनऊ का कन्डम घोषित किया गया वाहन

54—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ द्वारा राजकीय वाहन संख्या यू0 टी0 डी0 9741 को वर्ष 1982 में कन्डम घोषित करके नयी गाड़ी प्राप्त की

गयी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कन्डम घोषित वाहन को कुछ माह पूर्व ही रु0 15,000/- से भी अधिक व्यय करके मरम्मत करायी गयी थी ? क्या वाहन कण्डम घोषित करने से पूर्व वांछित औपचारिकतायें पूर्ण की गयीं ? क्या संबंधित वाहन को कण्डम घोषित करने के उपरान्त शासन द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर वाहन का डिस्पोजल किया गया ? यदि नहीं, तो सतर्कता अधिष्ठान द्वारा उक्त वाहन को तुरन्त कब्जे में लेकर उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकरण पर जांच करवाने की कृपा करेंगे तथा यह भी जांच कराने की कृपा की जायेगी कि जिस अधिकारी द्वारा उपरोक्त घोटाला किया गया है, वर्तमान समय में उस अधिकारी के विरुद्ध कितनी जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है तथा पूर्व में कितनी जांचें की जा चुकी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ के अधीन कार्यरत राजकीय वाहन यू0 टी0 डी0 9741 परिवहन आयुक्त के पत्र सं0 203, डी0 सी0 14/एच0 डी दिनांक 30-6-82 द्वारा कन्डम घोषित की गई थी। इसके बदले में नई गाड़ी नहीं प्राप्त की गई बल्कि पुरानी गाड़ी यू0 टी0 सी0 4189 आवंटित की गई।

यह सच नहीं है कि कन्डम घोषित होने से कुछ माह पूर्व रु0 15,000/-मात्र से अधिक की मरम्मत इस वाहन पर करायी गई।

वाहन को कन्डम घोषित करने की स्वीकृति विभाग से सम्बन्धित औपचारिकतायें पूर्ण करा कर ही उप परिवहन आयुक्त द्वारा दी गई है।

विभाग द्वारा वाहन के डिस्पोजल हेतु कोई पत्र उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ को लिखा जा चुका है अतः जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि इस प्रकरण में किसी अधिकारी द्वारा कोई घोटाला किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग की आशुलिपिक, श्रीमती अनीता मजूमदार की शैक्षिक योग्यता एवं उनका प्रत्यावर्तन

55—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-43 के उत्तर के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती अनीता बजूमदार की आशुलिपिक पद पर जिस समय नियुक्ति की गयी उस समय उनकी शैक्षित योग्यता उक्त पद के अनुरूप नियमानुसार थी ? जिस समय श्रीमती अनीता को आशुलिपिक पद से कनिष्ठ लिपिक पद पर प्रत्यावर्तित किया गया उस समय विभाग की जानकारी में यह तथ्य आ गया था कि श्रीमती अनीता का मूल पद कनिष्ठ लिपिक नहीं है ? क्या वर्तमान समय में श्रीमती अनीता जिस पद पर कार्यरत हैं, उस पद के अनुरूप शैक्षिक योग्यता नियमानुसार उन्होंने प्राप्त की है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त अवैध नियुक्ति करके राजकीय कोष से अवैध वेतन आहरण कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्रीमती अनीता मजूमदार की नियुक्ति आशुलिपक के पद पर पूर्णतया अस्थायी स्थानापन्न और अनन्तिम रुप से दिनांक 7-2-73 को गयी थी। नियुक्ति के समय उनकी शैक्षिक योग्यता हायर सेकेन्ड्री स्कूल पश्चिमी बंगाल थी। आशुलिपिक के पद से नैत्यिक कोटि लिपिक के पद पर प्रत्यावर्तित करते समय विभाग को यह जानकारी थी कि उनका मूल पद कनिष्ठ लिपिक नही है। जिस पद पर श्रीमती अनीता इस समय कार्यरत हैं उस पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी वही है जो आशुलिपिक पद के लिए है।

श्रीमती अनीता मजूमदार ने पश्चिमी बंगाल से हायर सेकेन्डरी की परीक्षा उत्तीर्ण की है किन्तु इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता नहीं है। यह जानकारी श्रीमती अनीता मजूमदार को नियुक्ति प्रदान करते समय नियुक्ति प्राधिकारी को नहीं थी। श्रीमती मजूमदार को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से छूट प्रदान करने का प्रकरण विचाराधीन है।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

56—श्री रामआसरे वर्मा—

[लोक लेखा समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के चरित्र का पुलिस वेरीफिकेशन

57—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से वर्ष 1985 के मध्य की गयी समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों के उपरान्त उन समस्त संबंधित व्यक्तियों के पूर्व वृत्त की जांच किस प्रकार की गयी ? पूर्व वृत्त की जांच हेतु "पुलिस वेरीफिकेशन" के सम्बन्ध में शासन के जो आदेश हैं, जोकि सिंचाई विभाग के कतिपय कर्मचारियों पर लागू भी किया गया हैं, उनका पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अधीनस्थ लिपिकीय वर्ग/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के पूर्व वृत्त की जांच कराना सामान्यतया आवश्यक नहीं हैं ।

न्यौली शुगर फैक्टरी, एटा द्वारा बोनस का भुगतान

58—श्री राज किशोर सिंह—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश कानपुर के आदेश संख्या 1568—70 दिनांक 19-4-85 एवं 2253/55 दिनांक 13-6-85 के बावजूद वर्ष 1984 का बोनस भुगतान न्यौली शुगर फैक्टरी न्यौली जिला एटा के श्रमिकों को नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? और देय बोनस भुगतान के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेसर्स न्यौली शुगर फैक्ट्री, न्यौली जिला एटा के प्रन्धकों ने वर्ष 1983-84 के बोनस का भुगतान कर दिया है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

59—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

देवरिया, विकास खण्ड भटनी के अन्तर्गत रेगुलेटरों के निर्माण सम्बन्धी पत्र

60—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खण्ड भटनी के विभिन्न ग्रामों में रेगुलेटरों के निर्माण हेतु दिनांक 7-8-85 को प्रश्नकर्ता द्वारा उनको पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो रेगुलेटरों के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही हैं तथा कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । इनका सर्वेक्षण किया गया परन्तु रेगुलेटरों का निर्माण तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया । अतः निर्माण कार्य कराना प्रस्तावित नहीं हैं ।

देवरिया, ग्राम भरहे, अहिरौली पाण्डेय, जिगना मिश्र का छोटी गण्डक नदी से कटाव

61—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खण्ड के ग्राम भरहे चवरा, अहिरौली पाण्डेय तथा जिगना मिश्र व टाउन एरिया भटनी में छोटी गण्डक से हो रहे कटाव को रोकने हेतु ठोकरों के निर्माण के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा 8-4-85 को उन्हें पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी द्वारा मुख्य अभियन्ता गण्डक सुरक्षा को ठोकरों का निर्माण बरसात से पूर्व शीघ्र कराने के आदेश दिया था ? यदि हां, तो इन ठोकरों का निर्माण कराया गया ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों का ? यदि नहीं, तो ठोकरों के निर्माण न कराने का कारण क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

ग्राम-भरहे चकरा की सुरक्षा हेतु दो ठोकरें 12/85 तक बनवा दी गई हैं। तथा ग्राम अहिरौली पाण्डे, ग्राम जिगना मिश्र, साथा टाउन एरिया भटनी की सुरक्षा हेतु प्रस्ताव राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् के तकनीकी सलाहकार समिति के विचाराधीन हैं जिसकी स्वीकृति मिलने पर ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

मुजफ्फरनगर, कस्बा गढ़ी पुख्ता निवासी श्रीमती इन्द्रा देवी को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन

62—श्री अमीर आलम खां—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के टाउन एरिया गढ़ी पुख्ता में दिनांक 1-8-85 के लगभग बिना किसी प्रकार की सूचना के बिना किसी के प्रार्थना किए डिप्टी कलेक्टर कैराना, जिला मुजफ्फरनगर ने सस्ते गल्ले व चीनी की दुकान इन्द्रा नामक औरत को आवंटित कर दी है जो कि कानूनन गलत है ? यदि हां, तो मंत्री जी इस दुकान के लाइसेंस को निरस्त करने हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

कस्बा गढ़ी पुख्ता में श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री धर्म सिंह निवासी कस्बा, गढ़ी पुख्ता तहसील कैराना के नाम उनके प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक की आख्या दिनांक 13 जून, 1985 के क्रम में तत्कालीन परगनाधिकारी, कैराना ने शासन द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति को सरकारी सस्ते गल्ले व चीनी की दूकान आवंटित की है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

मेसर्स कुमार ऊलेन मिल, मगरवारा, उन्नाव के कर्मचारियों की संख्या

63—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमार ऊलेन मिल मगरवारा उन्नाव में स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है ? क्या यह सही है कि मिल में अधिकांश मजदूरों को अस्थायी बनाकर रखा गया है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ? तथा इस अनियमितता के लिए दोषी मिल मालिकों व श्रम निरीक्षकों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेसर्स कुमार ऊलेन मिल, मगरवारा उन्नाव को उसके सेवायोजकों ने दिनांक 22-10-1982 से बन्द कर दिया है। अतः किसी अस्थायी श्रमिक को स्थायी करने का प्रश्न तथा इस बिन्दु पर किसी श्रम निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं, उठता है।

मेसर्स जीप इंडस्ट्रियल सिंडीकेट लि0, इलाहाबाद के श्रमिकों का विवाद

64—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जीप इण्डस्ट्रियल सिन्डीकेट लिमिटेड इलाहाबाद के श्रमिकों के चले आ रहे लम्बे अर्से के विवाद के संबंध में दिनांक 21 अगस्त, 1985 को उन्होंने अपने समक्ष त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई थी ? यदि हां, तो किन कारणों से वार्ता स्थगित कर दी गई थी तथा वार्ता स्थगित होने के पश्चात्, अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

मेसर्स जीप इण्डस्ट्रियल सिन्डीकेट लि0, इलाहाबाद के श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में दिनांक 21-8-85 को तत्कालीन श्रम मंत्री जी द्वारा त्रिपक्षीय बैठक बुलायी गयी थी। एक आवश्यक कार्यवश उनके बाहर जाने के फलस्वरूप बैठक स्थगित हो गयी थी। प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के मध्य दिनांक 10-1-86 को समझौता हो गया है। इस परिप्रेक्ष्य में अभी किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद, अकबरपुर, कताई मिल के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

65—अकबर हुसैन बाबर—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में राज्य कताई मिल अकबरपुर जन-

पद फैजाबाद में बिना कारण बताओ नोटिस दिये कितने कर्मचारियों और श्रमिकों को सेवा मुक्त किया ? क्या श्रम विभाग को इसकी शिकायत मिली है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेसर्स उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कं0 (नं0 1) लि0 अकबरपुर, फैजाबाद के संवायोजकों द्वारा वर्ष 1985 में तीन कर्मचारियों/श्रमिकों को बिना कारण बताओ नोटिस दिये सेवामुक्त किया गया। केवल एक श्रमिक से इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय श्रम कार्यालय में शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर सम्बन्धित श्रमिक को यह परामर्श दे दिया गया है कि वह अपना विवाद संराधन तंत्र के माध्यम से प्रस्तुत करे।

इलाहाबाद, गनेशीपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण

66—चौधरी महाराज सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सैदाबाद सिरसा घाट सड़क से नलकूप संख्या 319—एच—गनेशीपुर द्वितीय विकास क्षेत्र, सैदाबाद, जिला इलाहाबाद तक के लिए कोई सम्पर्क मार्ग बनाया गया था ? यदि हां, तो कितनी लम्बाई एवं चौड़ाई तथा कितनी धनराशि व्यय करके उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब कराया गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

यह सर्विस रोड 400 मीटर लम्बी एवं 3.8 मीटर चौड़ी बनाई गई है इसके निर्माण पर रु0 1419.74 व्यय हुआ है। उक्त कार्य वर्ष 1980-81 में कराया गया है।

बिलग्राम, हरदोई के लिये मिट्टी के तेल का आवंटन एवं ब्लॉक में कथित बिक्री

67—श्री हरिशंकर तिवारी बिलग्रामी—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी को जानकारी है कि माह नवम्बर, 1984 को बिलग्राम जिला हरदोई के लिए आवंटित 21,000 लीटर मिट्टी का तेल ब्लॉक से बेच लिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

बिलग्राम, हरदोई में सहकारी समितियों द्वारा शक्कर का वितरण

68—श्री हरिशंकर तिवारी बिलग्रामी—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को जानकारी है कि कस्बा बिलग्राम जिला हरदोई में शकर का वितरण कर रही सहकारी समितियां निर्धारित मात्रा से कम शकर उपभोक्ताओं को देती हैं तथा राजस्व विभाग उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पाता है ?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं।

अनियमितता पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

श्री श्रवण कुमार गुप्त, सहायक अभियन्ता, बांध शाखा निर्माण खण्ड, देवरिया की प्रतिबन्धित स्थान पर नियुक्ति

69—श्री धनराज यादव, श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश संख्या 6334-एक-78-23/सी-1 दिनांक 19-8-78 के अनुसार प्रत्येक सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को अपने सेवा के प्रथम 10 वर्षों में प्रतिबन्धित स्थानों पर नियुक्ति के आदेश हैं ? यदि हां, तो शासनादेश के अनुपालन में श्री श्रवण कुमार गुप्त, सहायक अभियन्ता बांध शाखा निर्माण खण्ड देवरिया को अब तक प्रतिबन्धित स्थान पर नियुक्त क्यों नहीं किया गया ? शासन उन्हें कब तक प्रतिबन्धित स्थान पर नियुक्त करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासनादेश दिनांक 19-8-78 के अनुसार प्रत्येक सहायक अभियन्ता को सेवा के प्रथम 10 वर्षों में से 3 वर्ष प्रतिबंधित स्थान पर रहना आवश्यक है। इन्हीं आदेशों के अनुसार अधिशासी अभियंता के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रोन्नति से पूर्व उक्त प्रतिबंधित स्थानों में सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता के पद पर एक बार अवश्य रहे हों। अधीक्षण अभियंता के पदों के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। श्री गुप्त विभाग में 19-2-74 से कार्यरत हैं। उन्हें जनहित में अब तक प्रतिबन्धित स्थान पर तैनात नहीं किया जा सका। अतः अगले सामान्य स्थानान्तरण के समय उनके प्रतिबंधित स्थान पर भेजने के बारे में विचार किया जायेगा।

70—श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

सिंचाई मजदूर संघ के महामंत्री श्री शिवेन्द्र सिंह सिशौदिया का स्थानान्तरण

71—श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के महामंत्री श्री शिवेन्द्र सिंह सिशौदिया का स्थानान्तरण वर्ष 1984 में आगरा से मुजफ्फरनगर तथा मुजफ्फरनगर से सहारनपुर किया गया है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है? क्या ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के स्थानान्तरण के संबंध में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई नियम बनाये हैं? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रंगीपाल, निवासी, बांसी, जिला बस्ती की पेंशन

72—श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री रंगीपाल निवासी बांसी जिला बस्ती को वृद्ध तथा असहाय पेंशन वर्ष 1984 में चार किस्तों में मिल चुकी है? यदि हां, तो वर्ष 85 में पेंशन न मिलने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

वर्ष 1985 के समस्त चैमासों की पेंशन की धनराशि भी भेज दी गयी है।

सिंचाई विभाग के ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण और मांग पत्र

73—श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत यूनियन कौन-कौन सी हैं? उनकी सदस्य संख्या क्या है तथा वह कौन कौन से केन्द्रीय श्रम संगठनों से सम्बद्ध हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, कानपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1984 में 22 श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन में पंजीकृत थे (सूची संलग्न) इनकी सदस्य संख्या-37,724 है जबकि सिंचाई विभाग में कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की संख्या केवल 13970 है।

उक्त श्रमिक संघ किन-किन केन्द्रीय संगठनों से सम्बद्ध हैं की सूचना अप्रत्याशित कारणों से प्राप्त नहीं हो सकी। इसे प्राप्त किया जा रहा है

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 135 पर)

74—श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का 22 सूत्रीय मांग पत्र दिसम्बर, 83 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मांग पत्र में उल्लिखित

मांगे क्या हैं तथा उनकी पूर्ति हेतु 20 मार्च, 83 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । मांग पत्र में उल्लिखित मांगों का विवरण संलग्न है † कथित मांग पत्र में उल्लिखित प्रमुख मांगों के संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण †भी संलग्न है ।

ललितपुर जिले में नलकूप निर्माण की मांग

75—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में शासकीय नलकूप लगाने का विचार है जबकि बुन्देलखण्ड के हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी में सैकड़ों शासकीय नलकूप लगे हैं और ललितपुर में केवल 1 नलकूप है ? इस योजना को आगे चलाने का शासन विचार कर रहा है ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

जी हां ।

ललितपुर जनपद में शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अतिरिक्त राजकीय नलकूपों का निर्माण सम्भव नहीं है क्योंकि अभी तक के सर्वेक्षण के अनुसार किसी भी क्षेत्र में 15000 गैलन प्रति घंटा का निकास मिलने की सम्भावना नहीं है ।

गाजीपुर, शिशुवापार, महमूदपुर एवं सादात में अल्पिका का निर्माण एवं भूमि का मुआवजा

76—श्री रामनाथ मुंशी—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम शिशुवापार, महमूदपुर एवं सादात, ब्लाक सादात जिला गाजीपुर में शारदा नहर की जो शाखायें गयी हैं, उनकी भूमि का मुआवजा संबंधित किसानों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो किन गांवों में किनका बाकी है और वह क्यों ? क्या उपर्युक्त गांवों में नहर खोदी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो बाधायें क्या हैं ? सादात में उक्त नहर ले जाने का क्या उद्देश्य है ? सादात से आगे भी उक्त नहर के पानी को कहीं ले जाने की कोई योजना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम शिशुवापार, महमूदपुर एवं सादात हेतु प्रस्तावित सादात अल्पिका तथा शिशुवापार अल्पिका के निर्माण हेतु भूमि सामूहिक कटौती द्वारा चकबन्दी से प्राप्त की जानी है इस लिये काश्तकारों को मुआवजा देने का प्रस्ताव नहीं ग्राम शिशुवापार में नहर खोदी जा चुकी है शेष में नहर निर्माण बाकी है । नहर निर्माण हेतु भूमि प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

सादात में सादात अल्पिका से 55 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचन सुविधा उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य है । सादात से आगे नहर ले जाने की कोई योजना नहीं है ।

गाजीपुर, देवकली पम्प कैनाल के गाजीपुर राजबाहे पर नहर की पटरी पर लगाया गया खड़ंजा

77—श्री रामनाथ मुंशी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में स्थित देवकली पम्प कैनाल से निकलने वाले बौरवां से धुवार्जुन सिरगिथा होते हुए पूर्व को जाने वाला रजवाहा तथा सवास से निकलकर पहाड़पुर एवं कढधरा जाने वाला रजवाहा की बाईं पटरियों को जिस पर नहर विभाग की जीपें निरीक्षण हेतु जाती हैं इस वित्तीय वर्ष में खड़न्जा लगा कर पक्की करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, देवकली पम्प कैनाल के कि0 मी0 10-6 से निकलने वाले गाजीपुर राजवाहे की नहर पटरी पर खड़न्जा लगाने हेतु कि0 मी0 14-200 से 20-800 तक की योजना राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत विचाराधीन है । सवास माइनर जो देवकली पम्प नहर कि0 मी0 16-660 से निकली है पर अभी खड़न्जा लगाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

†छापी नहीं गई ।

कानपुर में सीमेन्ट के घोटाले से सम्बन्धित कथित पत्र

78—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को कानपुर में 1000 बोरी सीमेन्ट के घोटाले के बारे में प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1377 दिनांक 16-7-85 जो उनके कार्यालय में 16-7-85 को प्राप्त हुआ है मिला है ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

79—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

श्री श्रवण कुमार गुप्त, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देवरिया का स्थानान्तरण

80—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 में सहायक अभियन्ता सिविल के कितने पद स्वीकृत थे और किन परिस्थितियों में श्री श्रवण कुमार गुप्त सहायक अभियन्ता, तृतीय उप खण्ड चीफ शाखा निर्माण खण्ड देवरिया को द्वितीय उप खण्ड का दोहरा चार्ज दिलवाया गया जिसके फलस्वरूप तत्कालीन सहायक अभियन्ता द्वितीय श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को अधीक्षण अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण मण्डल गोरखपुर में सम्बद्ध करते हुए इनका मुख्यालय पडरौना रखा गया ? क्या यह सही है कि द्वितीय उपखण्ड का चार्ज प्राप्त करने के लिए श्री गुप्त सहायक अभियन्ता ने 1,00,000/- रु० की हेरा फेरी की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1984 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के 2081 पद स्वीकृत थे । श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता द्वितीय मुख्यालय पडरौना चीफ शाखा निर्माण खंड देवरिया, जिन्हें वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहते हुए लगभग 5 वर्ष पूर्ण हो गये थे, का स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता द्वारा दिनांक 1-6-84 को बहुउद्देशीय एवं जल विद्युत परियोजना, देहरादून के संगठन में किया गया था । विभाग में स्वीकृत पदों से कम सहायक अभियन्ता कार्यरत होने के कारण श्री श्रीवास्तव का चार्ज उसी खण्ड के दूसरे सहायक अभियन्ता श्री श्रवण कुमार गुप्ता, तृतीय, मुख्यालय पडरौना को दोहरे चार्ज के रूप में दिलाया गया । श्री अजय कुमार श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता की माता की बीमारी के कारण पडरौना मुख्यालय पर 4 महीने रुकने की प्रार्थना के परिपेक्ष्य में प्रमुख अभियन्ता द्वारा उनके कार्यमुक्त होने के उपरान्त उसी मण्डल के अन्तर्गत पडरौना मुख्यालय पर दिनांक 31-10-84 तक सम्बद्ध किया गया हेरा फेरी का कोई प्रकरण जानकारी में नहीं आया है ।

श्री अबुल हसन खां, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, फतेहपुर का स्थानान्तरण और उनके द्वारा ठेकेदार को अधिक धनराशि का भुगतान संबंधी मामला

81—श्री अचल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अब्दुल हसन खान सहायक अभियन्ता द्वितीय फतेहपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर फतेहपुर के स्थानान्तरण आदेश वर्ष जून, 1983 से अब तक लगातार प्रति वर्ष स्थगित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री अब्दुल हसन खां (जिनका सही नाम अबुल हसन खां है) सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग में अप्रैल 1977 से तथा अपने वर्तमान स्थान पर जुलाई 1981 से कार्यरत हैं । प्रमुख अभियन्ता द्वारा श्री खां का दिनांक 2-6-84 को स्थानान्तरण किया गया था उक्त स्थानान्तरण जनहित में मई 1986 तक स्थगित किया गया है ।

82—श्री अचल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अब्दुल हसन खान सहायक अभियन्ता

जो कि वर्ष 1980 में समानान्तर गंगा नहर निर्माण खण्ड नरौरा बुलन्दशहर में कार्यरत थे, के विरुद्ध कोई जांच उस समय समानान्तर निचली गंगा नहर के कि0 मी0 35 से 35.5 तक के निर्माण कार्य सम्बन्धी मामलें की चल रही थी ? यदि हां, तो क्या सहायक अभियन्ता जांच में रुपये 64,839-00 के अधिक भुगतान हेतु दोषी पाये गये थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। सामानान्तर निचली गंगा नहर निर्माण खण्ड, नरोरा, बुलन्दशहर के अनुबंध संख्या-5/ई0 ई0/1980, जो कि सामानान्तर निचली गंगा नहर के कि0 मी0-35 से 35.5 तक के निर्माण से संबंधित था के अंतरिम भुगतान में रु0-64,839.00 की राशि के अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आया था। ठेकेदार से कार्य पूर्ण कराकर उक्त धनराशि का समायोजन कर लिया गया था। अतः शासन को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई। उक्त प्रकरण में श्री अबुल हसन खां (अब्दुल हसन खां नहीं) सहायक अभियन्ता, जो कि उक्त अनुबन्ध का कार्य अन्य के साथ संपादित करा रहे थे, को पर्यवेक्षीय दायित्व न निबहाने के लिये दोषी पाया गया था, जिसके लिए शासन के आदेश दिनांक 3-5-82 द्वारा उनकी चरित्र पंजी में वर्ष 1980-81 में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के आदेश जारी किये गये थे।

ललितपुर में बांध निर्माण सम्बन्धी योजनायें

83—देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ललितपुर जनपद में और ऐसे कितने बांध प्रस्तावित हैं जिनको शासन बनाने पर विचार कर रहा है और वह कौन-कौन सी योजनायें प्रस्तावित हैं तथा उन्हें कार्य रूप देने का शासन कब तक विचार कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ललितपुर जनपद में निम्नलिखित परियोजनायें अनुसंधानरत हैं :—

1—भौंरंट कम उटारी बांध।
2—कचनौंदा बांध।
3—जमरार बांध।
4—लोअर रोहिणी बांध।
5—भावनी बांध।

इन के अतिरिक्त ललितपुर जनपद में निम्नलिखित नई परियोजनायें अभिचिन्हित की गई हैं जिन पर सर्वेक्षण किया जाना है :—

1—लोअर शहजाद बांध
2—बरवा बांध।
3—वर्मा बांध।
4—खैरबारा बांध।
5—धुरवारा बांध।

सप्तम पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं को कार्यरूप दिया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जौनपुर, ग्राम मातापुर में नलकूप की बोरिंग

84—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर तहसील सदर के रामनगर मातापुर में सरकारी ट्यूबवेल नं0 13 के बगल में एक लाख पच्चीस हजार ट्यूबवेल की बोरिंग पर खर्च हो चुका है लेकिन अभी भी कार्य पूरा नहीं हो सका है ? जिससे शासन का अपव्यय हो रहा है ? यदि हां, क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जौनपुर तहसील सदर का राजकीय नलकूप संख्या-13 ग्राम मातापुर फेल हो चुका है, जिसके बगल में उसके पुनः निर्माण के लिए बोरिंग किया गया है।

बोरिंग पर कुल रु0 78,048.40 खर्च हुआ है। विकसन एवं आगे के अन्य कार्य कराये जा रहे हैं, जिससे नलकूप पूर्ण होगा। अतः अपव्यय होने का प्रश्न नहीं उठता है।

देवरिया, गण्डक परियोजना के चैनी राजवाहा का निर्माण

85—श्री बालेश्वर यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक परियोजना के अन्तर्गत चीफ शाखा

निर्माण खण्ड देवरिया के चैती राजबाहा की खुदाई 1979 से हो रही है परन्तु अभी तक उपरोक्त राजबहा की खुदाई पूर्ण नहीं हो सकी है इससे स्थानीय किसानों का काफी नुकसान हो रहा है तथा ग्राम विशुनपुरा खुर्द एवं बबुइयाहरपुर में कुछ असरदार व्यक्तियों के कारण नहर नक्शे के विरुद्ध खोदी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नहर की खुदाई नक्शे के अनुसार जल्द से जल्द करायेगी ? यदि हां, तो कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चैती राजबाहा की खुदाई वर्ष 1979 से हो रही है, जो अभी पूर्ण नहीं हो सकी है। चैती राजबाहा 6 कि0 मी0 तक पूर्ण है और सिंचाई हो रही है, अतः नुकसान होने का प्रश्न नहीं उठता। ग्राम विशुनपुरा खुर्द एवं हरपुरबबइया में स्वीकृत समरेखान पर ही खुदाई हुई है और शेष भाग में भी इसी आधार पर खुदाई होगी। उक्त कार्य वर्ष 1986-87 में पूर्ण किया जाना अनुमानित है।

गाजीपुर, विकास खण्ड मुहम्मदाबाद एवं भांवरकोल के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण और ग्राम महेन्द्र में नलकूप का निर्माण

86—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मुहम्मदाबाद एवं भांवरकोल में विश्व बैंक द्वारा मार्च 85 तक कुल कितने नलकूप लगाये जा चुके हैं और इनमें से कुल ऐसे नलकूप कितने हैं ? जो खराब या नाली न बनने के कारण बन्द स्थिति में हैं ? क्या जो नलकूप 15 अक्तूबर 1985 तक चालू स्थिति में नहीं हैं उन्हें चालू किया जा सकेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गाजीपुर के विकास खंड महमूदाबाद एवं भांवर कोल में विश्व बैंक परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत 3/85 तक कुल 12 नलकूपों का छिद्रण हो चुका है। सभी नलकूप निर्माणाधीन हैं। अतः नलकूप खराब या नाली न बनने के कारण बन्द रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त सभी 12 अदद नलकूपों का की0-एण्ड एल0 फार्म विद्युत विभाग को विद्युतीकरण हेतु भेजे जा चुके हैं। इनमें से 2 नलकूप विद्युत विभाग द्वारा उर्जीकृत भी किये जा चुके हैं।

87—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भांवरकोल ग्राम सभा महेन्द्र में विश्व बैंक का ट्यूबवेल नं0 132 किस सन् में लगाया गया है और सितम्बर, 1985 तक उक्त ट्यूबवेल नाली न बनने के कारण चालू नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो कब तक सिंचाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भांवर कोल ग्राम सभा महेन्द्र में नलकूप सं0 132 युसूफपुर समूह का निर्माण 2500 नलकूप परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1974 में हुआ है। उक्त नलकूप दिनांक 3-3-74 से ही चालू है। सितम्बर, 1985 तक 1.15 कि0 मी0 पक्की गूल तथा 1.29 कि0 मी0 कच्ची गूल का निर्माण हो चुका है। नलकूप इस कूप पर निरन्तर सिंचाई हो रही है। कमाण्ड में करेल मिट्टी होने के कारण 85-86 बरसात में पक्की गूल की दीवाल जगह-जगह गिर गई है तथा नाली फट गई है, जिसकी यथा सम्भव मरम्मत करा कर सिंचाई प्रारम्भ कराई जा रही है।

गाजीपुर जिले के पूर्वी क्षेत्र में नहरों का निर्माण एवं सिंचाई

88—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के पूर्वी क्षेत्रों के नक्शों में नहरों का जो जाल बिछाया गया है उनमें कब तक पानी दे दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र में कौन-कौन सी नहरें खोदकर छोड़ी गई हैं ? इस कार्य को कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गाजीपुर के पूर्वी क्षेत्र को देवकली पम्प नहर प्रणाली की मरदह तथा बिरनो राजवाहों से सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी है। इस समय बिरनो राजबाहे द्वारा कुछ क्षेत्रों को सिंचाई हेतु पानी दिया जा रहा है और शेष समस्त निर्माणाधीन नहरों में 1989-90 के अन्त तक पानी दिये जाने का अनुमान है।

इस क्षेत्र के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार 38 माइनर अधूरी हैं जिन्हें वर्ष 1989-90 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

*(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0 136 पर।)

गाजीपुर जिले में नलकूपों की मरम्मत हेतु धनराशि का आवंटन

89—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर को नलकूप की मरम्मत हेतु सन् 1982-83 1983-84 एवं 1984-85 में प्रत्येक नलकूप की मरम्मत के लिए कितना पैसा दिया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कितना पैसा दिया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन पैसों का उपयोग विभागीय अधिकारियों द्वारा सही ढंग से समय-समय पर किया जाता रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गाजीपुर को नलकूप की मरम्मत हेतु सन् 1982-83 एवं वर्ष 1983-84 में 3000,00 रुपये प्रति नलकूप एवं वर्ष 1984-85 में 4900,00 रुपये प्रति नलकूप की दर से धनराशि प्राप्त हुई है। प्राप्त धन का विभागीय अधिकारियों द्वारा सही ढंग से समय-समय पर उपयोग किया जाता रहा है।

गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में नलकूपों एवं नहरों का निर्माण

90—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद और क्षेत्र के 95 प्र0 श0 नागरिक कृषि पर निर्भर होने के कारण सिंचाई साधनों की कमी से समस्याओं से जूझ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु कोई ठोस कार्यक्रम बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद क्षेत्र में इस समय 3 छोटी पंप नहरों 184 राजकीय नलकूपों तथा 35 पब्लिक नलकूपों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। 20 नलकूपों का निर्माण एवं देवकली पंप नहर क्षमता वृद्धि परियोजना इस तहसील के क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु बना ली गई है।

*(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0—पर।)

गाजीपुर, ग्राम नसीरपुर के नलकूप की पाइप लाइन की मिटटी काटने के सम्बन्ध में थाने में अंकित रिपोर्ट

91—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा नसीरपुर हाटा स्थित स्टेट नलकूप नं0 105 की अन्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन जगह-जगह से टूट जाने के कारण खराब हो गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी मरम्मत हेतु कोई फण्ड है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम नसीरपुर हाटा में सन् 1971 में उर्जीकृत नलकूप नं0 105 की पश्चिमी पाइप लाइन प्रथम समय के बाद पाइप के दोनों तरफ की ईट बनाने हेतु मिट्टी खोदने के पाइप लाइन के पास की मिट्टी खिसक गई है जिस से पाइप लाइन के जोड़ जगह-जगह खुल गये हैं।

इस पाइप लाइन के अन्तिम छोर की भूमि भी कृषकों ने भठ्ठे मालिक को बेच दी है। अतः पश्चिमी पाइप लाइन प्रथम समय के बाद सिंचाई हेतु बेकार हो गई है।

पूर्वी उत्तरी पाइप लाइन मिट्टी घास फूस इत्यादि से भरकर अवरुद्ध हो गई हैं, जिसे साफ करने के प्रयास असफल रहे हैं।

नलकूप से सिंचाई पश्चिमी पाइप लाइन के प्रथम पम्प तथा पक्की गूल से हो रही है। रही है।

नलकूप पर पाइप लाइन के पुनः लेइंग की आवश्यकता है, जिसके लिये अनुरक्षण से उपलब्ध फण्ड अपर्याप्त हैं।

नलकूप पर पाइप लाइन वितरण प्रणाली की रिलइंग हेतु अन्य मद से कराने की कार्यवाही की जा रही है।

92—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अन्डर ग्राउन्ड पाइप की ऊपरी मिट्टी काटकर ईंट पाथने पर क्या विभागीय कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भट्ठा मालिक के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है तथा विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।

गाजीपुर, ग्राम बीरपुर एवं गाँसपुर का गंगा नदी से कटाव

93—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम बीरपुर तथा गाँसपुर में गंगा नदी के कटाव से भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है? यदि हां, तो क्या इन कटानों की रोक-थाम के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा गाजीपुर से कोई योजना बनाकर शासन को भेजी गयी है? यदि हां, तो सरकार कब तक इन योजनाओं को क्रियान्वित करेगी और ये योजना क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गाजीपुर, नलकूपों की मरम्मत हेतु धनराशि का आवंटन

94—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में लगे स्टेट ट्यूबवेलों की मरम्मत हेतु, सन् 1983 में प्रति ट्यूबवेल कितना रुपया दिया गया तथा इसकी तुलना में 1985 में कितना रुपया दिया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

धनराशि का आवंटन वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है न कि कलेन्डर वर्ष के अनुसार। जनपद गाजीपुर में लगे स्टेट ट्यूबवेल की मरम्मत हेतु वर्ष 1983-84 में प्रति ट्यूबवेल रुपये 3000/= दिये गये तथा इसकी तुलना में वर्ष 1985-86 में रुपये 4000/=(प्रथम 6 मास के लिए रु0 1500/= प्रति नलकूप दिये गये तथा शेष 6 मास के लिये रु0 2500/= प्रति नलकूप) दिये जा रहे हैं।

गाजीपुर, बीरपुर पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि किए जाने की मांग

95—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भांवरकोल में बीरपुर नहर की क्षमता बढ़ाने पर सरकार कोई विचार कर रही है? यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भांवरकोल में स्थित 50 क्यूसेक क्षमता की वीरपुर पम्प नहर की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

बाराबंकी, कल्यानी नदी को गहरा एवं चौड़ा करने की मांग

96—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में सितम्बर, 85 में आयी अप्रत्याशित बाढ़ को देखते हुये कल्यानी नदी को गहरा और चौड़ा करने की कोई

योजना शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो खुदाई कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । नदियों को गहरा और चौड़ा करना लाभदायक नहीं होता क्योंकि उनमें न्यूनतम एवं अधिकतम जल प्रवाह की मात्राओं में अत्यधिक अन्तर होता है जिसके कारण किसी एक मात्रा के लिए ठीक भी किया जाय तो वह अन्य प्रवाहों के लिए उचित नहीं रहता है और कम प्रवाह होने पर सिल्ट भर जाती है । उनकी कार्यशीलता बड़ी नदी (जिसमें ये गिरती हैं) के जल स्तर पर भी निर्भर करती है । इसके अतिरिक्त नदियों का वार्षिक रखरखाव भी आर्थिक रुप से सम्भव नहीं है जिसके कारण वे अतिशीघ्र पुनः पूर्व की प्राकृतिक हालत में आ जाती हैं । इस सम्बन्ध में नदियों की डिसिल्टिंग करके बाढ़ प्रकोप को कम करने के प्रश्न पर गठित समिति की रिपोर्ट पर यह निर्णय लिया गया है कि डिसिल्टिंग से कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी प्रखण्ड, शारदा नहर, को सीमेन्ट को वर्षा से क्षति एवं क्षतिपूर्ति के लिये दायर मुकदमा

97— श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा नहर खण्ड बाराबंकी की 16069 बोरी सीमेंट दिनांक 27-12-82 को आलम नगर रेलवे माल गोदाम लखनऊ पर सहायक अभियन्ता प्रथम द्वारा उतरवा ली गयी थी ? यदि हां, तो यह सीमेन्ट रेलवे स्टेशन से शारदा कैनाल के गोदामों तक कब और किस प्रकार लाई गयी ? क्या यह भी सही है कि 1550 बोरी सीमेन्ट 28-12-82 को भीषण एवं अनवरत वर्षा के कारण रेलवे प्लेट फार्म पर पूर्णतया भीग कर खराब हो गयी ? यदि हां, तो इतनी बड़ी क्षति के लिये कौन दोषी पाया गया और इस क्षति की सूचना सहायक अभियन्ता द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को कब की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाराबंकी प्रखण्ड, शारदा नहर, बाराबंकी के लिये आर0 आर0 संख्या ई-512209 से ई-212215 द्वारा 16069 बोरी सीमेन्ट रेलवे के 19 वैगनों द्वारा मइहर से आलमनगर रेलवे स्टेशन लखनऊ को भेजा गया था ।

प्रश्नगत सीमेन्ट रेलवे स्टेशन आलमनगर से शारदा कैनाल के गोदाम तक ट्रकों द्वारा दिनांक 28-12-82 से दिनांक 17-1-83 तक लायी गयी ।

जी हां ।

रेलवे विभाग आलमनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर रेलवे विभाग द्वारा कोई शेड आदि की व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण खुले आसमान में सीमेन्ट अनलोड की गयी । इस क्षति के लिये रेलवे विभाग जिम्मेदार है अतः रेल विभाग द्वारा क्लेम न देने पर इस क्षति पूर्ति के लिए नियमानुसार मुकदमा दायर किया गया है ।

सहायक अभियन्ता ने अपने उच्चाधिकारियों को इस क्षति की सूचना दिनांक 19-2-83 के पत्र द्वारा दी थी ।

बाराबंकी, शारदा कैनाल के कार्यालय का लखनऊ स्थानान्तरण

98—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा कैनाल बाराबंकी के पंचम उप खण्ड का मुख्यालय मई 1985 से बाराबंकी से लखनऊ लाया गया है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए शासन या अधिकृत अधिकारी से पूर्व स्वीकृति ली गयी थी ? क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतलायेंगे कि इस स्थानान्तरण से शासन को वित्तीय भार में कितनी बढ़ोत्तरी हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । तत्कालीन मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक के मौखिक आदेशानुसार अधीक्षण अभियन्ता द्वारा शारदा कैनाल बाराबंकी के पंचम उपखण्ड का मुख्यालय बाराबंकी से लखनऊ स्थानान्तरित करने के आदेश निर्गत

किए गये थे। इस स्थानान्तरण में हुये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—कार्यालय का सामान बाराबंकी से लखनऊ ढोने में व्यय रुपये 332—00

2—स्टाफ के यात्रा-भत्ता पर व्यय रुपये 2251—00

3—कार्यालय का किराया रुपये 685.00 प्रतिमाह।

ललितपुर में डी0 पी0 ए0 योजना के अंतर्गत बन्धियों का कथित निर्माण

99—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ललितपुर जनपद के विरधा ब्लाक में डी0 पी0-ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत डाली गयी सब बन्धियां पुरानी निर्मित हैं उन पर सिर्फ थोड़ी मिट्टी डालकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है और साथ ही उक्त बन्धियों का सिंचाई धन भी कृषकों से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त योजना जनपद के अन्य विकास खण्डों में क्यों नहीं चलायी जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ललितपुर जनपद के विरधा ब्लाक में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा कोई बन्धी नहीं डाली अथवा बनाई गयी। अतः थोड़ी मिट्टी डालकर सरकारी धन के दुरुपयोग तथा ऐसी बन्धियों से सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई धन कृषकों से लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गाजीपुर, विकास खण्ड मुहम्मदाबाद एवं भांवर कोल में बन्द नलकूप

100—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के विकास खण्ड मुहम्मदाबाद में मार्च, सन् 1985 तक कुल कितने स्टेट ट्यूबवेल लगाये गये हैं और किन-किन गांवों में इनमें से कितने खराब एवं कितने चालू स्थिति में हैं ?जो नलकूप खराब हैं कब तक चालू हो सकेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के विकास खंड मुहम्मदाबाद में मार्च, 1985 तक 74 राजकीय ट्यूबवेल लगाये गये हैं। इन नलकूपों के ग्रामों की सूची संलग्न है। इनमें से 2 नलकूप असफल हैं, 3 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा एक नलकूप विद्युत दोष से बन्द हैं जिन्हें शीघ्र चालू करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष नलकूप चालू स्थिति में हैं।

असफल नलकूपों के पुनः निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0 137 पर।)

101—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भांवर कोल में मार्च 85 तक कुल कितने स्टेट ट्यूबवेल बनाये जा चुके हैं और उनमें से इस समय कितने ऐसे हैं जो खराबी के कारण बन्द पड़े हैं ? उन नलकूपों को कब तक चालू किया जा सकेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भांवर कोल में मार्च, 1985 तक कुल 51 राजकीय नलकूप बनाये गये हैं। इनमें से 2 नलकूप विद्युत दोष से तथा 3 नलकूप यांत्रिक दोष से बन्द पड़े हैं जिन्हें शीघ्र चालू करने की कार्यवाही की जा रही है।

मिर्जापुर, ग्राम जमालपुर मिल्की के झोका नाले के यूसुफपुर फीडर की मरम्मत की मांग

102—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर तहसील चुनार के ग्राम जमालपुर मिल्की (शिवपुर) में झोका नाले पर क्रास रेगूलेटर लगभग 10 वर्ष पहले डी0 पी0 ए0 सी0 फंड के अन्तर्गत बनाया गया था और इसी रेगूलेटर से यूसुफपुर फीडर बनायी गयी थी ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस फीडर की मरम्मत न होने के कारण बैंक व सर्विस रोड समाप्त

हो गयी है, जिससे पानी फैल कर फसल बरबाद हो रही है ? यदि हां, तो क्या शासन इस फीडर की मरम्मत करायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । इस फीडर पर कोई सर्विस रोड नहीं है । पांच छह वर्षों से इस फीडर की मरम्मत पर कोई धन व्यय नहीं किया गया है । पानी के फैलने से फसलें बरबाद नहीं हो रही है । यह फीडर डी0 पी0 ए0 पी0 के अंतर्गत बनी थी । इसकी मरम्मत हेतु धन का प्राविधान नार्मल इस्टीमेट में नहीं है । बैंकों की मरम्मत हेतु प्राक्कलन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला परियोजना अधिकारी मिर्जापुर को प्रस्तुत करना प्रस्तावित है ।

मिर्जापुर, ग्राम शिवपुर, सरैंया, गफरपुरा में नहर पर पुल निर्माण की मांग

103—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि तहसील चुनार जनपद मिर्जापुर में गड़ई नदी के नहरीकरण करते समय ग्राम शिवपुर सरैंया, गफरपुरा, जगदीशपुर आदि गांवों को मुगलसराय, चरिया रोड को जोड़ने वाली सड़क को काट दिये जाने से आवागमन समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रास्ता पर पुल कब तक बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्नगत स्थल गड़ई नदी के कि0 मी0 33.300 पर स्थित है इस स्थान पर नदी के नहरीकरण का कार्य प्रारम्भ करते समय भी कोई पुल नहीं बना था । ग्रामीणों द्वारा आर0 सी0 सी0 पाइप पर मिट्टी डालकर मार्ग बनाया गया था जो वर्तमान समय में भी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर, यूसुफपुर क्रास रेगुलेटर पर फाटक निर्माण की मांग

104—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि यूसुफपुर क्रास रेगुलेटर तहसील चुनार जनपद मिर्जापुर तथा हेड रेगुलेटर पर फाटक का प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तब मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या फाटक लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यूसुफपुर क्रास रेगुलेटर पर लकड़ी के तख्तों का प्रबन्ध है । हेड रेगुलेटर नहीं बना है । केवल कट बनाकर पानी फीडर में लिया जाता है । कट पर फाटक की आवश्यकता नहीं है और कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है ।

बाढ़ खण्ड, गोरखपुर के अवर अभियन्ता श्री अलीम की चरित्र पंजिका में अंकित प्रविष्टि

105—श्री राम सरन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ खण्ड गोरखपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री अलीम की सेवापुस्तिका एवं चरित्र पंजिका में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि इन्हें निर्माण विभाग के किसी महत्वपूर्ण कार्य पर न लगाया जाय ? यदि हां, तो यह सही है कि इसके बावजूद इन्हें अति महत्वपूर्ण कार्य पर लगाया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । ऐसा कोई उल्लेख नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

गण्डक परियोजना, गोरखपुर के कर्मचारियों का काउन्टर परिवर्तन

106—श्री राम सरन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 7277/ई-4/46-926/मिस/2 खंड, दिनांक 5 दिसम्बर, 1983 लखनऊ के अन्तर्गत किये गये आदेश का पालन गण्डक परियोजना गोरखपुर में कार्यान्वित किया गया और क्या वहां के कर्मचारियों के काउन्टर परिवर्तन किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ललितपुर-सागर मार्ग से गौंना जामनी मार्ग के मरम्मत की मांग

107—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर सागर मार्ग से गौंना से जामनी मार्ग जो विगत 10 वर्षों से खराब पड़ा है, अभी तक नहीं बनाया गया जबकि दस बसें प्रतिदिन उक्त मार्ग पर चल रही हैं जिसके कारण अब बसों को जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? क्या यह सच है कि उक्त मार्ग को नहर विभाग द्वारा बनाया जाना है ? यदि हां तो कब तक उक्त मार्ग बना दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

ललितपुर-सागर मार्ग से गौंना जामनी मार्ग जामनी बांध के निर्माण में सहायता के लिए बनाया गया था न कि बसों और भारी गाड़ियों के सार्वजनिक प्रयोग हेतु । बांध पूर्ण हो जाने के बाद विभागीय उपयोग को ध्यान में रखते हुये इस मार्ग के रखरखाव हेतु कम धन उपलब्ध हो पाता है । सीमित संसाधन के कारण इसका रख-रखाव वर्तमान में किया जाना सम्भव नहीं है ।

बलिया, दोहरीघाट सहायक परियोजना के पम्पों में गड़बड़ी की शिकायत की जांच

108—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद की दोहरीघाट सहायक परियोजना के पम्पों की गड़बड़ी की शिकायतों, समय से पानी न देने के कारणों और अन्य और अन्य अनियमितताओं की जांच अनियमितताओं की जांच में कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी वर्ष 1981 से 1985 तक दोषी पाये गये हैं तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही लम्बित रहने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दोहरी घाट सहायक परियोजना में की गयी अनियमितताओं के लिए प्रश्नगत अवधि में सिंचाई विभाग के भूतपूर्व सहायक अभियन्ता श्री राज कुमार पाण्डे को दोषी पाया गया । इनसे सम्बन्धित जांच अधिकारी की रिपोर्ट शासन को 23 मार्च, 1983 को प्राप्त हुयी जिस पर विचारोपरान्त श्री राज कुमार पाण्डे को शासनादेश दिनांक 5 अक्टूबर, 1985 द्वारा सेवा से पृथक (रिमूव) कर दिया गया है । दोहरी घाट परियोजना पोषक नहर पर मिट्टी के कार्यों में हुयी अनियमितताओं की प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा भी वर्ष 1983 में जांच करायी गयी थी तथा मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में अन्तर्ग्रस्त अधिशासी अभियन्ता तथा दो सहायक अभियंताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है । एक अवर अभियंता के विरुद्ध भी विभागीय जांच प्रचलित है ।

बलिया जिले के ब्लाक सीयर व नगर के अंतर्गत ड्रेनों की सफाई तथा खुदाई

109—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के सीयर व नगर विकास खण्डों में कितने तालों के जल निकास के लिये ड्रेन की खुदाई, कितने ड्रेनों की सफाई वर्ष 1984-85 में की गयी है तथा कितने ड्रेनों की खुदाई में अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बलिया जनपद के सीयर तथा नगरा विकास खण्डों में वर्ष 1984-85 में 7 ड्रेनों की सफाई तथा खुदाई का कार्य कराया गया । एक ड्रेन (संसाइल) पर कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी जिसको निरीक्षण के पश्चात् ठीक करा दिया गया था ।

बलिया, बिल्थरा रोड नगर के व्यापारियों से बांट व माप विभाग को हुई आय

110—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के बिल्थरा रोड नगर

के व्यापारियों से बांट व माप विभाग को वर्ष 1981, 1982, 1983, 1984 और 1985 में कितनी-कितनी आय हुई ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बांट व माप के विभिन्न कार्यों के निर्धारित शुल्क क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

बलिया जनपद के बिल्थरा रोड नगर के व्यापारियों से बाट व माप विभाग को प्रश्नगत वर्षों में निम्नांकित आय हुई है : —

वर्ष	कुल आय
1—1981	रु0 6164—09
2—1982	रु0 5,597—54
3—1983	रु0 7,260—60
4—1984	रु0 7,893—20
5—1985	रु0 6,882—05

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, 1960 के नियम 18 व 27 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के शुल्क नियमावली की अनुसूची संख्या 10 व 12 में क्रमशः निर्धारित किये गये हैं जिनका विवरण संलग्न है †

बलिया, दोहरीघाट सहायक परियोजना के भूतपूर्व सहायक अभियन्ता, श्री राजकुमार पाण्डेय द्वारा फर्जी भुगतान

111—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट सहायक परियोजना जनपद बलिया में फर्जी भुगतान और गड़बड़ियों के सन्दर्भ में वर्ष 1982-83 में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता गोरखपुर श्री शेर सिंह को किन-किन बिन्दुओं का जांच कार्य सौंपा गया था ? क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है और शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत शुदा सहायक अभियंता व अवर अभियंता अपने निजी प्रभाव से स्थानान्तरित होने के बाद भी एक ही स्थान पर जाकर उसी प्रकार के कार्यों में संलग्न हैं ? यदि हां तो उनके द्वारा अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासनादेश दिनांक 4 जनवरी, 1982 द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी श्री शेर सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता को सिंचाई विभाग के भूतपूर्व सहायक अभियन्ता श्री राज कुमार पाण्डे के विरुद्ध दोहरी घाट सहायक परियोजना के हेड वर्क्स स्थल पर रखे जी0-एम0 जनरेटर की मरम्मत हेतु स्पेयर्स पार्टस की खरीद में उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच का कार्य सौंपा गया था। जांच रिपोर्ट शासन को 23 मार्च, 1983 को प्राप्त हुई जिस पर विचारोपरान्त श्री राज कुमार पाण्डेय को शासनादेश दिनांक 5 अक्टूबर, 1985 द्वारा सेवा से पृथक (रिमूव) कर दिया गया है।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर के ताड़ी की दुकान का लाइसेन्स

112—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जनपद गोरखपुर में बृक्षकर प्रणाली के अंतर्गत ताड़ी दुकान का लाइसेंस नियम विरुद्ध सवर्ण जाति ब्राहमण क्षत्रीय, बनिया आदि को दिया गया है ? क्या इन लाइसेन्सों को निरस्त करने का आदेश निर्गत किया जायेगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर जनपद में आबकारी आयुक्त के अधिसूचना सं0 1106/दस-97 बी/लाइसेंस दिनांक 27-10-84 तथा आदेश संख्या 11808-11816 / दस-979 बी दिनांक 27-10-84 जारी होने के बाद सरचार्ज प्रणाली के अन्तर्गत कोई नया लाइसेन्स सवर्ण जाति के लोगों को नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

† छापी नहीं गयी।

बलिया, सीयर क्षेत्र के सहायक अभियन्ताओं और अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

113—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में सीयर क्षेत्र से सम्बन्धित किन-किन सहायक अभियंताओं और अवर अभियंताओं के स्थानान्तरण हुए हैं और कौन-कौन ऐसे हैं जिनके स्थानान्तरण रोक दिये हैं या निरस्त कर दिये हैं और इसका कारण क्या रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बलिया जनपद में सीयर क्षेत्र से सम्बन्धित दो सहायक अभियन्ता सर्व श्री देवराज प्रसाद एवं मनोज कुमार सिंह गौतम और 5 अवर अभियन्ता सर्वश्री लाल जी मौर्य, गिरधारी लाल, राम बिलास पाण्डे, अवधेश कुमार लाल तथा श्री योगेन्द्र राय के स्थानान्तरण हुए हैं। इनमें से केवल श्री अवधेश कुमार लाल अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण उनकी पत्नी की बीमारी के कारण आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है। अन्य शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जा चुका है।

आगरा, बरौली अहीर माइनर का निर्माण

114—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में बनाई गयी बरौली अहीर माइनर वर्ष 1982 में स्वीकृत हुई थी अभी तक पूरी क्यों नहीं हो सकी ? क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों की ओर से किसानों द्वारा न्यायालय में दायर वाद में विभाग का पक्ष सही ढंग से प्रस्तुत नहीं हो सका था ? इसी कारण जनहित की यह योजना आज तक क्रियान्वित नहीं हो सकी ? क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध और कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस माइनर का बनाया जाना कब तक सुनिश्चित कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आगरा जनपद में वर्ष 1982 में बरौली अहीर माइनर के निर्माण का कार्य डी0 आर0 डी0 ए0 योजना में प्रारम्भ किया गया था। इस निर्माण के विरुद्ध कृषकों द्वारा न्यायालय में दो वाद दायर किये गये। न्यायालय ने एक वादग्रस्त क्षेत्र से बिना विधि की प्रक्रिया अपनाये नहर निकालने को वर्जित कर दिया है तथा दूसरा अभी न्यायालय के विचाराधीन है। अतएव निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।

जी नहीं।

विभाग द्वारा प्रत्येक स्तर से सही पक्ष न्यायालय में दायर वाद में प्रस्तुत किया गया। अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

न्यायालय में विचाराधीन एक वाद के निर्णय होने के उपरान्त तथा जिला प्रशासन, आगरा द्वारा दूसरे में भूमि उपलब्ध कराये जाने पर ही बरौली अहीर माइनर का निर्माण पूर्ण होना सम्भव हो सकेगा।

बलिया जिले के बेरोजगार युवक

115—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में कितने रजिस्टर्ड बेरोजगार हाईस्कूल पास, कितने इण्टर व कितने स्नातक, परा स्नातक तथा कितने बेरोजगार तकनीकी प्रशिक्षित और बेरोजगार शिक्षित प्रशिक्षण प्राप्त हैं ? क्या सरकार बेरोजगारी के शिकार बलिया जनपद के युवकों को रोजी रोटी देने के लिये विशेष योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

31 दिसम्बर, 1985 तक संयोजन कार्यालय, बलिया में 7011 हाईस्कूल, 7902 इण्टरमीडिएट, 5013 स्नातक, 566 स्नातकोत्तर, 1399 तकनीकी प्रशिक्षित तथा 277 शिक्षित प्रशिक्षण प्राप्त (बी0 एड0) अभ्यर्थी पंजीकृत थे।

बेरोजगारी की समस्या केवल बलिया जनपद के युवकों की ही नहीं वरन् सारे प्रदेश के युवकों की है। सरकार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सतत् प्रयत्नशील रही है और अब भी है। प्रदेश में कार्यरत

सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगारों को पंजीकृत कराकर उन्हें रोजगार दिलाने की कार्यवाही की जाती है तथा श्रम विभाग (प्रशिक्षण प्रखण्ड) के अधीन कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाकर अभ्यर्थियों की सेवायोजकता बढ़ायी जाती है और स्वतः रोजगार योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जा रही है।

इसके अतिरिक्त शासन के उद्योग विभाग द्वारा संचालित शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को पैकेज सहायता द्वारा अपना उद्योग लगाने, सेवा, उद्योग अथवा व्यवसाय/कारोबार प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित और इन्हें कार्यरत कराया जाता है।

शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए कोई विशेष योजना चलाना संभव नहीं है।

बलिया, ग्राम परसिया के बसनही नाले पर पुल निर्माण

116—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के ब्लाक रसड़ा के ग्राम सभा परसिया में बसनही नाले पर पुल 1978-79 में बन रहा था ? ठेकेदार द्वारा गलत तरीके से सीमेन्ट-बालू का प्रयोग करने की शिकायत तत्कालीन जिला परामर्शदात्री समिति, जिला परिषद् बलिया द्वारा करने पर विभाग ने कार्य रोक दिया ? क्या जनता की मांग को देखते हुए उक्त पुल के निर्माण के लिए सरकार अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, बलिया जनपद में विभाग खण्ड रसड़ा के ग्राम परसिया में बसनही नाले पर सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1978-79 में पुल का निर्माण कार्य आरम्भ कराया गया था लेकिन ठेकेदार द्वारा स्पेसीफिकेशन के अनुसार कार्य नहीं किये जाने के कारण अनुबन्ध को निरस्त करके कार्य रोक दिया गया था। जनता की मांग को देखते हुए इस पुल को बनाने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बलिया से रु0 1.50 लाख की धनराशि दिसम्बर, 1985 में प्राप्त हुई है। इस पुल का निर्माण कार्य आरम्भ करा दिया गया है जिसकी जून 86 तक पूरा हो जाने की आशा है।

बाढ़ प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, देवरिया के अवर अभियन्ता, श्री राम कृपाल सिंह के स्थानान्तरण की मांग

117—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ प्रखण्ड सिंचाई विभाग, देवरिया में कार्यरत श्री राम कृपाल सिंह, अवर अभियन्ता, जनपद देवरिया, के ही मूल निवासी हैं ? यदि हां, तो श्री राम कृपाल सिंह, अवर अभियन्ता को उनके गृह जनपद में रखने के क्या औचित्य हैं ? क्या सरकार उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

इनका मुख्यालय देवरिया में है किन्तु कार्यक्षेत्र गोरखपुर जनपद का है। इनका स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के आदेश दिनांक 25.5.85 द्वारा मुख्य अभियन्ता (नियोजन) के कार्यक्षेत्र में किया जा चुका है जिसे सम्प्रति दिनांक 30.4.86 तक के लिये स्थगित किया गया है।

सिंचाई खण्ड, गोण्डा के सहायक अभियन्ता, श्री मुरलीधर श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

118—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड, गोण्डा के तृतीय उपखण्ड (कार्य क्षेत्र बहराइच) के सहायक अभियन्ता श्री मुरलीधर श्रीवास्तव जो बहराइच में कार्यरत थे, उनके विरुद्ध एक शिकायती पत्र श्री शक्तिनाथ सिंह, अध्यक्ष, प्रधान संघ, चितौरा बहराइच, का 10 जून, 1983 एवं 10 जुलाई,

1983 शासन को प्राप्त हुआ, तदुपरान्त प्राविधिक परीक्षक 2 श्री वी0 एस0 सिंह तथा अन्य अधिकारियों द्वारा शिकायती-पत्र में वर्णित आरोपों की जांच हुई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । मुख्य प्राविधिक परीक्षक से प्राप्त जांच आख्या के आधार पर श्री मुरलीधर श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

सरयू नहर खण्ड-14, इमामगंज शाखा बंध एवं रेवली आदमीपुर बांध पर घास लगाने का अनुबन्ध

119—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर खण्ड-4, में 81-82 तथा 83-84 में इमामगंज शाखा एवं आदमीपुर रेवली बन्ध पर घास लगाने के कितने कार्यादेश एवं अनुबन्ध हुए ? वर्ष वार धनराशि कितनी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इमामगंज शाखा एवं रेवली आदमीपुर बांध पर घास लगाने के कार्यादेश एवं अनुबन्ध निम्नवत् हुए :—

वर्ष 81—82

1—इमामगंज शाखा	शून्य
2—रेवली आदमपुर बांध	शून्य

वर्ष 83—84

1—इमामगंज शाखा	
(क) कार्यादेश	शून्य
(ख) अनुबन्ध	तीन
2—रेवली आदमपुर बांध	
(क) कार्यादेश	छत्तीस
(ख) अनुबन्ध	दो

वर्षवार धनराशि निम्नवत है :—

वर्ष 81—82	शून्य
वर्ष 83—84	
1—इमामगंज शाखा	
(क) कार्यादेश	शून्य
(ख) अनुबन्ध	रु0 33,023.00
2—रेवली आदमपुर बांध	
(क) कार्यादेश रु0	1,55,109.00
(ख) अनुबन्ध रु0	35,273.00
वर्ष 83—84 का योग रु0	2,23,405.00

शाहजहांपुर, नलकूप संख्या 73 द्वारा की गयी सींच

120—श्री उदयवीर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के कूप संख्या 73 जलालाबाद द्वारा वर्ष 1982-83, 83-84 व 1984-85 में कितने रकबे की सिंचाई हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप संख्या 73 जलालाबाद का विद्युतीकरण मार्च, 1984 में हुआ । इस कारण वर्ष 1982-83 व 1983-84 में सींच का प्रश्न नहीं उठता । वर्ष 1984-85 में इस कूप से 76 एकड़ रकबे की सींच हुई है ।

टिहरी बांध परियोजना का निर्माण

121—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और उस पर कितना कार्य पूरा हो गया है और कितना कार्य शेष है ? यह शेष कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टिहरी बांध परियोजना वर्तमान निर्माण कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1994 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है ।

परियोजना के प्रारम्भिक कार्य जैसे 1-बांध विद्युत गृह आदि स्थलों का परीक्षण, बांध के भराव में प्रयोग होने वाली मिट्टी का परीक्षण एवं सर्वे आदि का कार्य पूर्ण हो गया है ।

2— कृषि केश रेल हैड पर साइडिंग, भवन एवं टिहरी में हाल रोड व आवश्यक भवन बन गये हैं ।

परियोजना के शेष कार्य जैसे 1—11 मीटर व्यास के चार डाइवरजन टनल में से दायें किनारे के दो टनल बन गये हैं, एवम् बायें किनारे के दो टनल दिसम्बर, 86 तक बना लिये जाने का अनुमान है।

2—चार हैड रेस टनल एवं विद्युत गृह हेतु एप्रोच एडिट्स पर निर्माण कार्य प्रगति में है।

3—बांध एवं स्पिलवे पर खुदाई का कार्य विभागीय मशीनों द्वारा किया जा रहा है।

4—पुनर्वास हेतु 4048 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गयी है तथा 1582 परिवारों को पुनर्वासित किया गया है और नये टिहरी टाउन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

परियोजना के शेष कार्य समयानुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर वर्ष 1994 तक पूर्ण करना अनुमानित है।

122—श्री विजय सिंह राणा—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण-निरस्त।]

मोदीनगर, मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स की "बी" मिल, सी-मिल, सिल्क मिल की बन्दी

123—श्री विजय सिंह राणा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोदी नगर की बी-मिल, सी-मिल, सिल्क मिल व डी-मिल जो बन्द कर दी गई थी वह कब से चालू की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन मिलों के बन्द होने से कितने मजदूर प्रभावित हुए हैं ? उसे पुनः स्थापित करने के लिए शासन क्या कोई प्रयास कर रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेसर्स मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं0 लि0 मोदी नगर की "बी" — मिल (मोदी स्पिनर्स लि0 नया नाम मार्डन स्पिनर्स लि0) दिनांक 5-8-83 से सी-मिल (मोदी सिन्टैक्स नया नाम विशाल सिन्टैक्स लि0) सिन्टैक्स नया नाम विशाल सिन्टैक्स लि0) दिनांक 3-10-84 तथा मोदी टेक्सटाइल्स लि0 (सिल्क मिल) दिनांक 22-3-85 से सेवायोजकों द्वारा अवैधानिक रूप से बन्द कर दी गयी हैं। सेवायोजकों ने उक्त इकाइयों को बन्द करने हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे, जिन्हें विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तथा उक्त इकाइयों को बन्द करने की शासकीय अनुमति सेवायोजकों को नहीं दी गयी। फिर भी सेवायोजकों ने उक्त इकाइयों को बन्द कर दिया है तथा इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिकायें दायर कर अपने खिलाफ किये जाने वाली वैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। सेवायोजकों की याचिकाएं अभी भी उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं।

उक्त तीन इकाइयों की अवैधानिक बन्दी से लगभग 4500 श्रमिक प्रभावित हैं।

प्रतिष्ठान की डी मिल (मोदी थ्रेड्स लि0) बन्द नहीं की गई थी बल्कि उसमें 20-7-84 से श्रमिकों द्वारा हड़ताल की गई थी। पक्षों के मध्य द्विपक्षीय वार्ता के फलस्वरूप प्रतिष्ठान 22-8-84 से चालू हो गया और चालू है।

नलकूप मण्डल, मेरठ में कर्मचारियों के रिक्त पद

124—श्री मयंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मण्डल मेरठ में डेवलपमेन्ट इन्चार्ज, कम्प्रेसर, ड्राइवर, हेड डिलर-आपरेटर के कितने पद स्वीकृत हैं, इनमें से कितने पद रिक्त हैं और क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

1—नलकूप मण्डल, मेरठ के अन्तर्गत निम्न पद स्वीकृत हैं तथा उनके सामने अंकित पद खाली हैं :—

	स्वीकृत पद	खाली पद
1—डेवलपमेंट इंचार्ज	1	1
2—कम्प्रेशर ड्राइवर	3	शून्य
3—हेड डिलर	1	शून्य
4—आपरेटर-111	9	शून्य
5—आपरेटर	2	शून्य
6—वाटर सप्लाई पम्प आपरेटर	3	1

2—पिछले वर्षों में नलकूप निर्माण कार्य की कमी के कारण पद नहीं भरे गये ।

नलकूप निर्माण खण्ड, मुजफ्फरनगर के कर्मचारियों का कार्यकाल

125—श्री मयंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप निर्माण खण्ड मुजफ्फरनगर में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें एक ही स्थान पर 10 वर्ष से अधिक हो गया है ? इनका स्थानान्तरण न करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप निर्माण खण्ड मुजफ्फरनगर में ऐसे 19 कर्मचारी हैं जिन्हें एक स्थान पर 10 वर्ष से अधिक कार्य करते हो गया है । इनके स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं थी ।

नलकूप निर्माण खण्ड, आगरा के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

126—श्री मयंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप निर्माण खण्ड आगरा के अधिकारियों की कितनी शिकायतें वर्ष 1982 से 84 तक प्राप्त हुई ? उन पर क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1982 से 84 तक नलकूप निर्माण खण्ड, आगरा के अधिकारियों के विरुद्ध कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुई थीं । 14 शिकायतों पर जांच की गयी और उनमें लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । शेष 5 शिकायतों में जांच प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच जिले के गुलरिया ताल ड्रेन पर पुल का निर्माण

127—श्री मयंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड गोण्डा द्वारा बहराइच जनपद में गुलरिया ताल ड्रेन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो कार्य कब तक पूरा होगा ? गुलरिया ताल ड्रेन में जिन दो पुलों का निर्माण होना था, अभी तक नहीं हुआ है यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण जनहित में कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एक पुल ही निर्माण होना था जो पूरा हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच के ग्राम हरिहरपुर रेंकवारी के नलकूप की नालियों की मरम्मत

128—श्री मयंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में ब्लाक हुजूरपुर के अंतर्गत हरिहरपुर रेंकवारी ग्राम में निर्मित सरकारी नलकूप की नालियां खराब पड़ी हैं तथा मोटर खराब है, यदि हां, तो उसका सुधार कब तक करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बहराइच में ब्लाक हुजूरपुर के अन्तर्गत हरिहरपुर रेंकवारी ग्राम में राजकीय नलकूप संख्या-37 कैसरगंज समूह स्थित है । प्रश्नगत नलकूप की नाली तथा मोटर दोनों ठीक हालत में हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

129—डा0 दिनेश जौहरी—

[4 थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्रीमती लड़ैती, स्वाच्छता, ई0 एस0 आई0 डिस्पेन्सरी, सिविल लाइन्स, बरेली की ग्रेच्युटी एवं पेंशन

130—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती लड़ैती, स्वाच्छका, ई0 एस0 आई0 डिस्पेन्सरी, सिविल लाइन्स बरेली जो दिनांक 30-6-1981 को सेवा निवृत्त हुई थी को क्या

शासनादेश संख्या सा0-3—664/दस-971/80 दिनांक 29-4-83 एवं शासनादेश संख्या सा0 3-1776/दस 971/80 दिनांक 30-11-85 के अनुसार ब्याज सहित ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और उपरोक्त शासनादेश के अनुसार संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्रीमती लड़ैती, स्वच्छका, ई0 एस0 आई0 डिस्पेन्सरी सिविल लाइन्स बरेली वस्तुतः दिनांक 31 जुलाई, 1981 को सेवा निवृत्त हुई थीं तथा उन्हें 90 प्रतिशत प्रोविजनल ग्रेच्युटी का भुगतान (रु0 2305/-) मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 1981 को कर दिया गया था। शेष एवं पुनरीक्षित भुगतान हेतु कागजात महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद को दिनांक 6-8-1984 को भेजे गये थे। तथा त्वरित कार्यवाही हेतु अनुस्मारकों व विशेष वाहक के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय से निवेदन किया गया है। विलम्बतम भुगतान पर देय ब्याज के निर्धारण व दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही नियमानुसार अन्तिम भुगतान हो जाने के बाद की जायेगी।

भूतपूर्व सदस्य, श्री नत्थू सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री नत्थू सिंह जी का निधन 3 नवम्बर, 1985 को जिला अस्पताल इटावा में हृदयगति रुक जाने से हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे।

स्वर्गीय श्री नत्थू सिंह का जन्म 7 जुलाई, 1919 को इटावा जनपद में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी।

स्वर्गीय श्री नत्थू सिंह सर्वप्रथम 1957 के सामान्य निर्वाचन में पी0 एस0 पी0 के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र करहल, जिला मैनपुरी से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात वर्ष 1962 में जिला इटावा, निर्वाचन क्षेत्र जसवन्त नगर से पी0 एस0 पी0 के टिकट पर तथा 1974 में भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर करहल निर्वाचन क्षेत्र, जिला मैनपुरी से निर्वाचित हुए। वर्ष 1977 में आप जनता पार्टी के टिकट से चौथी बार विधान सभा के लिए चुने गये।

स्वर्गीय श्री नत्थू सिंह कई शिक्षा संस्थाओं से सम्बद्ध रहे हैं। आजाद हिन्द इण्टर कालेज करहल, मैनपुरी के उपाध्यक्ष थे और नरसिंह माध्यमिक विद्यालय करहल के संरक्षक भी रहे। व्यायाम एवं कुश्ती से आपको विशेष लगाव था।

श्री सिंह के निधन से जनपद इटावा एवं मैनपुरी ने एक जनप्रिय समाज सेवी खो दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारी और सदन की सम्वेदनायें शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आज देश और प्रदेश की राजनीति में ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे जो जनहित के अतिरिक्त अन्य महत्वाकांक्षा के लिए न के बराबर हों। इनमें से ही एक स्वर्गीय श्री नत्थू जी थे। जब आज के युग में राजनीति में विधान मंडल और संसद तक पहुंचने का उद्देश्य सीमित रह गया हो, ऐसे समय में स्वर्गीय नत्थू सिंह जी 1967 में एक अजेय और सामर्थ्यवान थे। उस समय जबर्दस्ती 1967 में सिटिंग एम0 एल0 ए0 होते हुए भी मुझे जसवन्त नगर से चुनाव लड़वाया था। 1967 में जब मुझे चुनाव लड़वाने की चर्चा चल रही थी तो स्वर्गीय डा0 राम मनोहर लोहिया ने कहा कि आपको भी चुनाव लड़ना है लेकिन उस समय राम मनोहर लोहिया के आदेश का भी उन्होंने पालन नहीं किया और कहा कि एक अच्छा काम कर रहा हूं। उनके बारे में डा0 लोहिया ने कहा था कि यदि नत्थू सिंह जैसे लोग मेरे दल में 10 प्रतिशत भी हो जांय तो दल मजबूत हो सकता है। वे ऐसे निष्काम और निस्पृह नेताओं में से थे। जब 1957 में चुनाव जीतकर आये थे तो सम्पन्न परिवार के थे। वर्ष 1957, 62, 74 और 77 के चुनावों के बाद वे गरीबों की स्थिति

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में थे। वर्ष 1980 में भी यही स्थिति आ गयी। आदरणीय चौधरी साहब ने बहुत जिद की कि चुनाव आपको ही लड़ना है उस वक्त भी सिटिंग एम0 एल0 ए0 थे। माननीय बाबू राम यादव को करहल क्षेत्र से चुनाव लड़वाया था। ऐसे नेता जो देश और प्रदेश स्तर के नेता हो जाते हैं लेकिन जिले के नेता नहीं हो पाते, स्वर्गीय नत्थू सिंह इटावा और मैनपुरी जनपद के लोकप्रिय नेता थे। लगातार इटावा और मैनपुरी की राजनीति पर उनका एकाधिकार रहा। मुझे उनका उत्तराधिकारी होने का गौरव है, और उनसे जो स्नेह मिला है, वह अपने बाप और भाइयों से भी नहीं मिल सकता है। उन्होंने मुझे अपना स्नेह जीवन भर दिया और वे हमेशा गरीबों और किसानों के लिये लड़ते रहे और कर्मयोगी योद्धा के रूप में उनका निधन हुआ है। मान्यवर, उन्हें शिक्षा से बड़ा लगाव था, वे कई कालेज और स्कूलों से संबद्ध रहे। चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय के काम में, दो दिन पहले तक, उन्होंने बड़ा काम किया और लोगों से चन्दा मांग रहे थे जबकि अचानक हृदयगति रुक जाने से उनका निधन हो गया। उनके निधन से हमारे दल को तो क्षति पहुंची ही है, साथ ही ऐसे परखे हुए जन सेवक हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं इससे प्रदेश का बहुत अहित हुआ है। मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी सम्वेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, स्वर्गीय नत्थू सिंह इटावा के एक सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने जो कार्य किये हैं इटावा और मैनपुरी के लोग उन्हें आसानी से नहीं भुला सकते हैं। वे एक लोकप्रिय नेता थे जिसकी वजह से वे चार-चार बार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्होंने जो योगदान किया है समाज के लिये कि उसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। ऐसे लोगों से जो रिक्तता होती चली जा रही है, वह आसानी से नहीं भरी जा सकती है। सामाजिक क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान था साथ ही साथ उनका राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़ा योगदान रहा। सामाजिक परम्पराओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। शिक्षा जगत में उन्होंने बहुत से स्कूल और कालेज खुलवाये और अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मान्यवर, ऐसे व्यक्ति बराबर हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी ओर से और हमारी जनता पार्टी की ओर से, उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी सम्वेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, स्वर्गीय नत्थू सिंह उन लोगों में से थे जो मात्र मंच के ही नेता नहीं बल्कि धरती से जुड़े हुए नेता होते हैं। उन्होंने सदैव गरीबों के लिये और जन सामान्य जनता के लिये कार्य किये और जनता से ही लोकप्रियता अर्जित की और यही कारण है कि वे विधान सभा के चार-चार बार सदस्य निर्वाचित होकर यहां आये। इटावा और मैनपुरी के वे एकछत्र नेता कहे जा सकते हैं, वे अजातशत्रु थे। भिन्न-भिन्न दलों के नेता उनका सम्मान करते थे, सभी को उनसे श्रद्धा रही। केवल इटावा और मैनपुरी का ही क्षेत्र नहीं, वह जिस दल से सम्बद्ध थे केवल लोकदल की ही नहीं, बल्कि उनके निधन से पूरे प्रदेश को क्षति हुई है, ऐसा हम मानते हैं। उनके सम्मान में अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने, नेता विरोधी दल ने तथा नेता जनता पार्टी ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को जोड़ता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी सम्वेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, स्वर्गीय नत्थू सिंह के निधन के संबंध में अभी जो विचार माननीय कृषि मंत्री जी ने, नेता विरोधी दल ने तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। उनके निधन पर हमें और हमारे दल को हार्दिक दुख है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी और हमारे दल की सम्वेदनायें आप उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, स्वर्गीय श्री नत्थू सिंह पचीसों वर्ष पुराने हमारे साथी थे। वे समाजवादी आन्दोलन में सदैव कार्यरत रहे, वे एक सामाजिक नेता थे, उनके चले जाने से मुझे बड़ा दुख है और प्रदेश की बहुत हानि हुई है। मान्यवर, उनके निधन पर अभी माननीय कृषि मंत्री ने, नेता विरोधी-दल ने तथा अन्य दलों के नेताओं ने अपने जो उद्गार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से शोक संतप्त परिवार तक सम्वेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह—

मानयवर, स्वर्गीय नत्थू सिंह इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं और वे लगातार 4 बार विधान सभा के सदस्य चुने गये, इससे जाहिर होता है कि वे एक जाने माने नेता थे और बहुत लोकप्रिय थे और उनका सारा जीवन जनता की सेवा के लिये अर्पित था। माननीय कृषि मंत्री जी, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो भावनायें उनके प्रति व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी सम्वेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री राम नरेश—

मान्यवर, नत्थू सिंह जी इटावा में तो जन्मे थे लेकिन उनकी कर्मभूमि इटावा ही नहीं रही, उससे आगे मैनपुरी जनपद और प्रदेश के पश्चिमी जिले भी रहे। वह 4 बार चुनकर इस सम्मानित सदन में आये। यही इस बात का सबूत है कि सचमुच में कितने लोक प्रिय वह अपने क्षेत्र में और अपने जनपद में रहे। समाजवादी आन्दोलन से वह बराबर जुड़े रहे। बहुत सी सामाजिक और शैक्षिक संस्थायें उनसे सम्बद्ध रहीं और आज मैनपुरी और इटावा की जो पीढ़ी है, उसको बनाने का काम उनके द्वारा हुआ है। उनके निधन से इटावा और मैनपुरी के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में रिक्तता आयी है, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में नहीं हो सकती है। उनके निधन से प्रदेश की अपूर्णनीय क्षति हुई है। माननीय कृषि मंत्री जी, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी श्रद्धाञ्जलि शोक संतप्त परिवार को भेजने की कृपा करें।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, नत्थू सिंह जी समाजवादी आन्दोलन के स्तम्भ थे और उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन शोषित, पीड़ित और गरीब जनता के लिये, समाजवादी मूल्यों के लिये, समर्पित कर दिया था। आज हम इस तरह के एक व्यक्ति को खो बैठे हैं। जो विचार माननीय कृषि मंत्री जी ने, नेता विरोधी दल ने और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी श्रद्धाञ्जलि उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, नत्थू सिंह जी समाजवादी आन्दोलन के बहुत ही अगुवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनके त्याग और तपस्या की मिसाल नहीं है। नत्थू सिंह जी ने सबसे पहले 67 में सीट छोड़ी और 1977 में छोड़ने के लिये अपने को प्रेषित किया था और 1980 में छोड़ी। उन्होंने 3-3 बार विधान सभा की सीट छोड़ी। एक बार नेता विरोधी दल के लिये और दो बार सीट छोड़कर मुझे लाये। यह उनके त्याग और तपस्या की एक मिसाल है। जब वह अस्पताल में भर्ती थे, तो नेता विरोधी दल और तमाम लोग उन्हें देखने के लिये अस्पताल गये तो उस समय उनका विचार था कि इस अस्पताल में बहुत से लोग बिना दवाई के मर रहे हैं और आप हमारे पास भीड़ लगाये हुए हैं। मेरा तो इलाज हो ही रहा है आप कम से कम उन गरीबों को देखिये जो बिना दवाई के इस अस्पताल में मर रहे हैं।

मान्यवर, नत्थू सिंह जी का सारा जीवन गरीबों और किसानों की सेवा में लगा। उनका कहना था कि करोड़ों दुखी और परेशान लोग हैं उनके लिए जब काम होगा तभी सच्ची आजादी का लोग फायदा उठा सकेंगे। वह जब राजनीति में आये थे तो बहुत ही बड़े सम्पन्न परिवार के थे, और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन सारी दौलत और सारा जीवन उन्होंने गरीबों के लिए दिया। उनके सम्बन्ध में जो विचार माननीय कृषि मंत्री जी ने माननीय नेता विरोधी दल ने और जो हमारे माननीय नेता गणों ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं और उनके चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी इन भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री जमुना प्रसाद बोस—

मान्यवर, स्वर्गीय नत्थू सिंह जी समाजवादी नीति के एक अच्छे कर्मठ नेताओं में थे। सन् 1954 में जब डा0 लोहिया ने सिंचाई आन्दोलन शुरू किया था फर्रुखाबाद में, तो वे हमारे साथ बरेली जेल में बन्द थे और 1974 तथा 1977 में वे हमारे साथ विधान सभा के सदस्य रहे हैं। आज इटावा और मैनपुरी क्षेत्र का एक कर्मठ समाजवादी योद्धा हमारे बीच से उठ गया है। इन शब्दों के साथ जो माननीय कृषि मंत्री जी ने, नेता विरोधी दल ने तथा अन्य नेताओं ने जो अपनी सम्वेदनायें व्यक्त की हैं, उनके साथ मैं भी अपनी सम्वेदना व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी इन भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नत्थू सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे। 4 मरतबा इस सदन के वे सदस्य चुनकर आये। उनकी लोकप्रियता, उनका असर इसी से जाहिर होता है। पुरानी पीढ़ी वाले एक-एक करके हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं और उनकी कमी पूरी होना मुश्किल नजर आ रही है। माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने, जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उस से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। आप सबकी सम्वेदनायें उनके परिवार को पहुंचा दी जायेंगी। अब हम श्रद्धान्जलि अर्पित करने के लिए दो मिनट मौन खड़े होंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आप नियमावली के नियम 38 को देखने का कष्ट करें। इसमें दिया गया है कि प्रश्नों का उत्तर देने का ढंग, प्रश्न का उत्तर प्रश्न के विषय से संगत होगा।

मान्यवर, आप मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 75, 83, 99 और 107 देखने का कष्ट करें। उसमें मैंने अ0 प्र0 संख्या 75 में प्रश्न किया है कि क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में शासकीय नलकूप लगाने का शासन का विचार है जबकि बुन्देलखण्ड के हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी में सैकड़ों शासकीय नलकूप लगे हैं और ललितपुर में केवल एक नलकूप है। इस योजना को आगे चलाने का शासन विचार कर रहा है? अगर नहीं, तो क्यों? इसका उत्तर मंत्री जी ने पहले में दिया है, "जी नहीं", दूसरा दिया है, "जी हां", और तीसरे में, उन्होंने कहा है कि ललितपुर जनपद में शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अतिरिक्त राजकीय नलकूपों का निर्माण सम्भव नहीं है क्योंकि अभी तक के सर्वेक्षण के अनुसार किसी भी क्षेत्र में 15 हजार गैलन प्रति घंटा की निकास मिलने की सम्भावना नहीं है।

मैंने इस योजना के बारे में मंत्री जी से पूछा था कि जिस तरह से बुन्देलखण्ड तथा अन्य जनपदों में यह योजना है उसी तरह से ललितपुर में भी होगी या नहीं?...

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दें, मैं इसको दिलवा लूंगा।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, आपकी पीठ से बार-बार यह निर्देश दिया गया है कि माननीय सदस्य जो भी प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर स्पष्ट आना चाहिए लेकिन जो लिखित उत्तर आते हैं वे भ्रामक ही नही, तथ्यों से भी परे होते हैं। अब इस सदन में भी यह बात उठने लगी है और लिखित रूप में भी मिलने लगा है कि जो पूरक प्रश्न किये जाते हैं उन पर भी माननीय मंत्रीगण उत्तर न देकर अक्सर चुप बैठ जाते हैं या प्रश्न के उत्तर को घुमाने का प्रयास करते हैं।

मान्यवर, उदाहरण के तौर पर कल ही माननीय उपाध्यक्ष जी, पीठ पर बैठे थे और माननीय नौटियाल जी का वन विभाग के सम्बन्धों में एक प्रश्न था। उसमें एक ही प्रश्न को 4/5 सदस्यों ने बार-बार पूछा लेकिन माननीय मंत्री जी उसका उत्तर न देकर उसको एवायड कर रहे थे। इससे सदन के समय का दुरुपयोग होता है और दूसरी तरफ, आपकी पीठ से बार-बार व्यवस्थायें दी गई हैं, शासन को निर्देश दिये गये हैं लेकिन उनकी अवहेलना हो रही है। मैं आपकी, इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि सदन की मर्यादा की जो अवहेलना शासन और सत्ता पक्ष की ओर से हो रही है, इस सम्बन्ध में आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं तो समझता हूं कि आपसे सहयोग ले लिया करें ताकि उत्तर सही आ सके।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 32 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 7 स्वीकार की गई हैं। वे निम्नलिखित हैं माननीय रणजीत, माननीय कुशलपाल सिंह, माननीय सत्य प्रकाश विकल, माननीय नेक चन्द्र पाण्डेय, माननीय बलराम यादव, माननीय शारदा नन्द अंचल तथा माननीय गोपाल दास यादव की सूचनायें स्वीकार की गई हैं।

(श्री रणजीत का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री मैनेजर सिंह—

इसमें मेरी भी सूचना थी . . .।

श्री अध्यक्ष—

आपकी, पुल का नाम बदलने के सिलसिले में थी।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या आपने उसे स्वीकार नहीं किया है ?. . (व्यवधान)। वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने लिखा था कि जो पुल का नामकरण हुआ उसको छिपाया जा रहा है। उसका उद्घाटन हो चुका है। अब श्रीमन्, लोक नायक से आपको भी एलर्जी हो तो, मैं क्या कहूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दीजियेगा।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं किसी प्रश्न के सिलसिले में आपके कार्यालय में या आपके यहां नहीं गया, किसी विरोधी दल के नेता के पास नहीं गया। जो माननीय सदस्य जाना चाहें, जायें। यदि आप अपने विवेक से काम नहीं लेंगे . .।.

श्री अध्यक्ष—

यह मैंने नहीं कहा कि आप मेरे कार्यालय में आवें। आप पुल का नाम बदलने के सिलसिले में लिखकर भेज दीजियेगा, मैं उसे गवर्मेन्ट को भेज दूंगा।

श्री मैनेजर सिंह—

भेज तो दिया आपको लिखकर।

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत भेज दें।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, यह गलत है, [xxx] ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मैनेजर सिंह—

मैंने यह लिखकर ही दिया है। आप कहिये तो एक टिप्पणी बना कर भेज दें। (व्यवधान)

श्री शेर बहादुर सिंह—

नियम 301 के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें मान्यवर, [x x x]

(श्री दिनेश जौहरी तथा श्री अनुग्रहनारायण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठें। यह बताइये कि 32-32 सूचनायें आ रही हैं मेरे पास और क्या तरीका है? (व्यवधान) आप कृपा कर बैठें। जो मैंने मुनासिब समझा वह ले लिया। आप बैठें।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री चन्द्र कुमार पाण्डेय के प्रति प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र हरगांव, सीतापुर द्वारा अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणजीत—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत आकर्षित करना चाहता हूं

श्री चन्द्र कुमार पाण्डेय निवासी कोरैया उदनापुर सीतापुर के जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं, वह अपने जीवन मृत्यु से इस समय सहगल नरसिंग होम, लोहारबाग, सीतापुर में लड़ रहे हैं।

यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरगांव में विगत 24 जनवरी, 86 को भर्ती किये गये थे लेकिन वहां के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा अभद्रता किये जाने के कारण स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को मानसिक ठेस पहुंची है।

प्रभारी चिकित्साधिकारी हरगांव पूर्णरूपेण भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दवाइयों का अनैतिक ढंग से क्रय विक्रय करते हैं। शासन की स्पष्ट नीति है और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को विशेष चिकित्सीय सुविधा प्रदान कराया जाना सुनिश्चित किया गया है।

श्री चन्द्र कुमार पाण्डेय, क्षेत्र की जनता में लोकप्रिय हैं, उनके लोकप्रिय होने के नाते प्रभारी चिकित्साधिकारी के इस दुर्व्यवहार से वहां की जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक का महत्व के सुनिश्चित विषय पर आदरणीय सदन से मांग करता हूं कि श्री चन्द्र कुमार पाण्डेय को आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रभारी चिकित्साधिकारी हरगांव को तत्कालीन निलम्बित करने की कृपा करें।

मथुरा जनपद में मिट्टी के तेल के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, मथुरा में रिफाइनरी होते हुए भी मिट्टी के तेल की भारी कमी है। देहाती क्षेत्र में छै-छै माह से मिट्टी के तेल के दर्शन नहीं हुए हैं। तेल का कोटा सहकारी समितियां ब्लैक में बेच देती हैं। देहातों में दीपक भी नहीं जल पाते हैं। छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षायें परीक्षा की तैयारी बगैर रोशनी के सम्भव नहीं हो पाती हैं। ग्राम विसावर, भारत प्रसिद्ध गिलट के घुंघरू उत्पादन का प्रमुख केन्द्र मिट्टी के तेल के अभाव में मृतप्राय है। इस उद्योग से लगभग 10 हजार मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। वृंदाबन में, कुम्भ मेला में लाखों श्रद्धालु मिट्टी के तेल के अभाव में रोशनी व भोजन पकाने के लिए परेशान हैं। जब कि मिट्टी का तेल ब्लैक में पांच रुपये लीटर असानी से उपलब्ध हो जाता है।

मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ शासन व सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए, सरकार से तुरन्त सरकारी मूल्य पर आवश्यकतानुसार मिट्टी का तेल मथुरा में उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

नोट—[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आगरा जनपद में यमुना रोड, जवाहर पुल तक के प्रमुख मार्ग के क्षतिग्रस्त होने तथा उसको शीघ्र निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, आगरा नगर का प्रमुख मार्ग जो यमुना रोड के बेलगंज से जीवनीमंडी होता हुआ जवाहर पुल तक जाता है, जगह जगह ऊबड़खाबड़ होकर अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। मेरठ, अलीगढ़, एटा, कानपुर, इटावा आदि से आने तथा जाने वाले सभी वाहन तथा यात्री बसें इसी पुल से आकर इसी सड़क से नगर में आती जाती हैं। जिस पर आये दिन दुर्घटनायें होती हैं, वाहन पलटते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है तथा यात्रियों व स्थानीय नागरिकों को असीम कष्टों का सामना करना पड़ता है।

महापालिका यह मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे चुकी है परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अभी तक उसे अधिगृहीत नहीं किया है। यही कारण है कि इस अतिमहत्वपूर्ण राजमार्ग का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे तत्सबंधी निर्णय लेकर उक्त मार्ग के अविलम्ब निर्माण किये जाने का आदेश करने करने की कृपा करें।

ग्राम कुंवरपुर कुकरी, ब्लाक शिवराजपुर जनपद कानपुर देहात में जल भराव से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में, ग्राम कुंवरपुर कुकरी ब्लाक शिवराजपुर, कानपुर देहात के चारों ओर गांव के खेतों में जो पानी भर गया है, लाना चाहता हूं कि उक्त गांव के एक ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन शिवराजपुर सखरोज मार्ग है जिसमें जल निकासी हेतु कोई पुलिया नहीं है। दूसरी ओर टकरौली रजबहा है जिसमें पूर्ण गति से पानी बह रहा है। रजबहे की पटरी जीर्ण शीर्ण है जिससे पानी के वेग के साथ बहने से कटान हो गया। रात भर में पूरा पानी गांव के खेतों में भर गया तथा उसी रात वर्षा होने से पानी और अधिक भर गया, जिससे भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी। रबी की फसल पूर्ण रुप से नष्ट हो चुकी है। पिछली वर्षा कालीन बाढ़ में, खरीफ की फसल नष्ट हो गयी थी।

अतः किसानों की खरीफ और रबी की फसल पूर्ण नष्ट हो गयी है, इसलिए सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि सरकार किसानों को शीघ्र राहत पहुंचाने हेतु सहायता करे तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें।

सुमेरपुर माइनर शारदा सहायक खण्ड 32 आजमगढ़ के निर्माण में खराबी से जलभराव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलराम यादव—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि शारदा सहायक खंड-32 आजमगढ़ के अन्तर्गत सुमेरपुर माइनर के निर्माण में हुई तकनीकी गल्तियों के कारण ग्राम कौड़िया, रामपुरकावी भरगूवपुर तथा सुमेरपुर की लगभग एक हजार एकड़ कृषि भूमि में हमेसा जल भराव बना रहता है। फसलें या तो बोई ही नहीं जाती, यदि किसी तरह से बुआई हो भी जाती है तो जलभराव के कारण नष्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही, कौड़िया रामपुर कावी गांव के लगभग 500 हरिजन परिवार की आबादी जल भराव से प्रभावित रहती है। बार-बार अधिकारियों का ध्यान दिलाने पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस विभागीय उदासीनता से जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से, सदन और सरकार से मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के निर्माण कार्य को अविलम्ब कराने का आदेश देने का कष्ट करें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस चौकी इन्चार्ज, थाना उभांव क्षेत्र सीयर बलिया द्वारा क्षेत्रीय जनता का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन और सरकार के संज्ञान में जन उत्पीड़न संबंधी लोक महत्व का मामला लाना चाहता हूं।

मान्यवर, बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र में, उभांव थाना क्षेत्र के, पुलिस चौकी इन्चार्ज की धाधली और जन उत्पीड़न तथा दलालों से सांठ-गांठ करके अपराधियों को संरक्षण देने और अत्याचार से आम जनता त्रस्त है। पुलिस चौकी इन्चार्ज ने मानवता को रौंद डाला है। स्थानीय डी0 ए0 बी0 कालेज के शिक्षकों व नगर के खोमचा वालों, ठेला वालों, दुकानदारों पर फर्जी मामले दर्ज कराने से लेकर एक 12 वर्षीय बालिका को जीप से कुचलने के मामले को दबाने और क्षेत्र के तुर्तीपार ग्राम सभा के उप-प्रधान राम जन्म हरिजन की मूंछे उखाड़ने की चौकी इंचार्ज की जघन्यतम कार्यवाही आदि से आम जनता में भयुरोष एवं क्षोभ व्याप्त है। कुछ सफेद पोश अपराधी उक्त सब इन्स्पेक्टर की दलाली में लगकर जनता का शोषण कर रहे हैं।

अस्तु, मैं इस लोक महत्व के मामले को, माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।

इलाहाबाद के दवाबा क्षेत्र में राम गंगा नहर टेल के निर्माण में, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल अपेक्षित कार्यवाही की मांग करता हूं। इलाहाबाद जनपद के दवाबा क्षेत्र में रामगंगा नहर के टेल में, जो मकनपुर नेवादा ब्लाक में समाप्त होती है, पिछले अनेकों वर्षों से सिंचाई के लिए पानी नहीं उपलब्ध हुआ है और 'सिंचाई कर' जनता से वसूला जाता है। लाखों रुपये सफाई के नाम पर अधिकारी डकार गये हैं। अभी भी फर्जी सफाई दिखा कर पैसा हड़पने की इस वर्ष योजना बनायी जा रही है। अतः इस प्रकार के भ्रष्टाचार रोकने तथा दवाबा क्षेत्र के किसानों को पानी उपलब्ध कराने हेतु तत्काल सरकार को निर्देश देने की कृपा करें।

अधिकारियों द्वारा विधायकों को अपने निवास पर बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक माननीय बुनियाद हुसैन अंसारी की, दूसरी सूर्यप्रताप शाही जी की, तीसरी माननीय शतरुद्र प्रकाश जी की और चौथी राम आसरे वर्मा आदि की और माननीय बुनियाद हुसैन अन्सारी।

डा0 अच्युता नन्द तिवारी—

एक विधायक के मामले में मैंने भी दिया है . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, आपका शतरुद्र प्रकाश जी वाले में आ जायगा। बुनियाद हुसैन अन्सारी जी का जो है, यह विषय नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है, फिर भी मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे चाहूंगा कि इस बारे में वह निर्देश दें, निर्देश जारी करें कि विधायकों को अफसरों के घर पर न बुलाया जाए, न तलब किया जाए। तो ऐसा मैं चाहूंगा, इस चीज की आप कृपा करके निर्देश दे दें कि कोई अफसर किसी एम0 एल0 ए0 को अपने घर पर नहीं बुलाएगा।

(श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कल आपने इसी विषय को उठाया था और माननीय उपाध्यक्ष जी ने अस्वीकार किया था, लिहाजा दुबारा इसकी मैं अनुमति नहीं देता हूं।

(व्यवधान।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल आप यह विषय शाही जी उठा चुके हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

कल मैं था ही नहीं, प्रश्नोत्तर काल के बाद सदन का बहिष्कार करके चला गया था। मैं कल था ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, अब आप बैठें।

डा0 रजनीकान्त दत्त, सदस्य, विधान सभा को वाराणसी में पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री शतरुद्र प्रकाश—

कल दिनांक 18 फरवरी, 1986 को . .

श्री अध्यक्ष—

आज डाक्टर दत्ता जी यहां नहीं हैं, माननीय सदस्य नहीं हैं, वह बनारस में हैं। इसलिए यदि आप मुनासिब समझें तो कल जब वह यहां मौजूद हों, तो उस समय आप कहें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

अब मैं समझता हूं आपने जो इशारा किया है, लेकिन अब कब वह सदन में आयेंगे, यह निश्चित नहीं है। यह सवाल केवल एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की गरिमा से सम्बन्धित है। कल विधान सभा में यहां खबर मिली है कि रजनीकान्त दत्ता जी को पुलिस ने मारा है उससे उनको काफी चोटें भी आई हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है। वह कर्फ्यू के दरम्यान कुछ नागरिकों और बच्चों के लिये दूध की व्यवस्था कराने जा रहे थे, वह एक अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे थे तो उस समय उनको पुलिस ने मारा पीटा है। उन्हें थाने भी ले जाया गया। इस पर लोगों में उत्तेजना फैली। जनता के रोष को देखते हुए, इस अमानवीय कार्य के विरोध में, सांसद श्री श्यामलाल यादव और दत्ता जी ने थाने के सामने अनशन करने का निर्णय लिया है। वह सत्ता पक्ष के विधायक हैं। आज पुलिस का व्यवहार आप नागरिकों, संसद सदस्यों और विधायकों के साथ बहुत खराब हो गया है, वह किसी भी मामले में समर्थन लायक नहीं है। इससे जनतन्त्रीय मूल्य गिर रहे हैं।

आदमी की जो गरिमा है वह खत्म होती जा रही है। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी गम्भीरता को देखते हुए यहां पर विचार करना चाहिये। आज यह यहां पर मौजूद नहीं हैं, बनारस में हैं जिस दिन वह आयेंगे तब तक पता नहीं क्या हालत होगी। सरकार को इस सम्बन्ध में सूचना आ गयी होगी। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निंदनीय और घृणित कार्य नहीं हो सकता। सरकार केवल नौकरशाही के बल पर और पुलिस के बल पर पूरी समस्याओं को नियंत्रित करना चाहती है, बल्कि होना यह चाहिये कि जनतन्त्र में चुने हुये प्रतिनिधियों की राय से सरकार को चलाना और शांति और सुरक्षा बनाने का काम करना चाहिये। खाली पशुबल के जरिये, सारे काम नहीं करने चाहिये। मैं समझता हूं कि इसकी जितनी निन्दा की जाय, वह कम है।

डाक्टर अच्युतानन्द तिवारी—

मान्यवर, मैं इसी सम्बन्ध में कुछ सूचना देना चाहता हूं। मैं कल बनारस गया था, वहां पर चूंकि कर्फ्यू लगा हुआ था, शहर में अफवाह फैली है कि डा0 दत्ता को पुलिस ने मारकर फेंक दिया है। मैंने उनसे सम्पर्क करने की कोशिश की। चूंकि कर्फ्यू लगा था इसलिए मिल नहीं पाया। ऐसी भी सूचना मिली है कि वह अनशन पर बैठे हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को निर्देश दिया जाय और दोषी पुलिस कर्मचारियों को दंडित किया जाय और उनके जीवन की रक्षा की जाय।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शतरुद्र जी ने जो सूचना दी और जो विषय प्रस्तुत किया उससे हम सबको बड़ी चिन्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले गृह राज्य मंत्री की बात सुन लें। वह सत्ता पक्ष के विधायक हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस उनको प्रेम पूर्वक, सम्मान

पूर्वक लांद पलांद कर सुला रही थी । तो माननीय गृह राज्य मंत्री को पहले सुन लीजिये ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आपको भी सुना जायगा । आप बैठ जांय ।

श्री गौरी शंकर भइया—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, वाराणसी कैंट ने जो सूचना दी है, उसके बारे में अनुरोध है कि मेरी सूचना है कि अपनी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर डा0 दत्ता वहां पर दंगा भड़काने का काम कर रहे थे । पुलिस को ज्ञान नहीं था इस लिये उसने पीट दिया और वह घायल हो गये । तो इसमें चर्चा कराने की कोई बात नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो प्रश्न उठाया है तो मैंने भी 301 में दिया है आपसे निवेदन किया है कि बनारस में कर्फ्यू लगा है । डा0 दत्ता वहां दूध बांट रहे थे । बच्चों के लिये दूध बांट रहे थे । वहां ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी कि बच्चों को दूध न मिलने से लोगों के सामने समस्या पैदा हो गयी थी । तो कर्फ्यू की स्थिति में, एक जन प्रतिनिधि का यह जो कार्य था, वह आवश्यक था । पुलिस का व्यवहार एक सत्तारूढ़ दल के एम0 एल0 ए0 के साथ इस तरह का है, जो अत्यन्त निंदनीय है । आये दिन उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है, पुलिस का यह काम निंदनीय है । बनारस में जो यह हो रहा है और जो कर्फ्यू लगा है तो यह केवल साम्प्रदायिकता की बात नहीं है, साथ-साथ यह बात भी है कि बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी के छात्र-संघ में युवा लोकदल की भारी विजय को देखते हुये यह कर्फ्यू लगाया गया है । मैंने कई बार देखा है कि छात्र संघ में विरोधी दल के उम्मीदवारों की विजय होती है तो जिला प्रशासन तिलमिला जाता है और कर्फ्यू लगा देता है और सुल्तानपुर को कर्फ्यू से जोड़ दिया जाता है । मैं इस मामले में आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो हिन्दू महासभा कहीं पर राम जानकी रथ निकाल रही है या जमायतें इस्लामी वाले बाबरी मस्जिद को लेकर जुलूस निकालते हैं, तो ऐसे किसी तरह के जुलूस को नहीं निकालना चाहिये । इस प्रकार से कोई जुलूस कहीं न निकाला जाए, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें और मा0 मंत्री जी इसकी व्यवस्था करें ताकि पूरे प्रदेश में अमन हो सके ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य, वाराणसी ने एक विधायक को पुलिस द्वारा पीटे जाने का प्रश्न उठाया और आपकी जानकारी में पूरी बात आयी और मैं तो लगातार इस बात के लिए आपसे कहता रहता हूं कि इस प्रदेश की पुलिस बिल्कुल निरंकुश और बेलगाम हो गयी है, हमारी इस बात को सुनकर जो माननीय सदस्य नये-नये आये थे, तो वह जरूर हमसे नाराज हो जाते थे । परन्तु अब स्थिति यहां तक आ गयी कि सत्ता-पक्ष के भी एक विधायक पिट गये । अगर ऐसा एक ही मामला होता तो मैं इस अपमान को भी ऐसे ही सुन लेता । लेकिन कांग्रेस के एक माननीय लीडर डाक्टर दत्ता कांग्रेस के निर्देश पर ही गये । परन्तु उनके साथ जो घटना घटी, उसकी ओर सत्ता पक्ष के रुख को देखते हुए एक ऐसा सवाल पैदा हो गया है कि सार्वजनिक जीवन में आखिर कैसे काम किया जाए और इस प्रकार से इस बात को मैं कई साल से लगातार यहां उठा रहा हूं, लेकिन सरकार की ओर से इस पर न तो कोई आश्वासन मिल रहा है और न ही नियंत्रण के लिये कोई प्रयास कर रही है । इसलिए मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करने का कष्ट करें, ताकि आज सार्वजनिक जीवन में जो काम करने वाले लोग आतंकित और भयभीत हैं, इससे छुटकारा मिल सके ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने एक बड़ा ही संवेदनशील प्रश्न उठाया है, लेकिन शासन की ओर से इस प्रश्न की बराबर उपेक्षा हो रही है। माननीय सदस्य ने इस मामले में अपने विचार प्रकट करते हुए जानकारी चाही कि डाक्टर दत्ता इस वक्त किस स्थिति में कहां हैं, पुलिस की हिरासत में हैं, या छोड़ दिए गये ? मान्यवर इन सवालों को सुनकर मैं यह उम्मीद कर रहा था कि माननीय राज्य मंत्री गृह इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे, परन्तु माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी खड़े हो गये, उसकी ग्राह्यता और अग्राह्यता को स्पष्ट करने के लिए। मान्यवर, मामला यहां पर ग्राह्यता या अग्राह्यता का नहीं है क्योंकि आज पुलिस शासन के नियंत्रण से शिथिल हो गयी है। एक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले जो अपने क्षेत्र के काम में लगा हुआ है, उसका जीवन भी सुरक्षित नहीं है तो मान्यवर, कैसे काम चलेगा ? इसलिए हम लोग पहले मा0 गृह राज्य मंत्री जी को इस पर सुन लें ताकि कुछ स्थिति का पता लगे और जब पूरी स्थिति सामने नहीं आ पायेगी तो हम मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री को भी सुनेंगे। यह मेरा कहना है, मान्यवर।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, एक हमारा निवेदन है, बजट सत्र चल रहा है, हम कुछ दिनों से बराबर देख रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी लगातार यहां पर बैठ नहीं रहे हैं और आज मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न था। माननीय मुख्य मंत्री जी वित्त मंत्रालय से भी संबंधित हैं। ऐसे मौके पर यहां इन्हें मौजूद रहना चाहिए था और मान्यवर, न ही गृह राज्य मंत्री जी भी यहां हैं, तो मान्यवर, हम अपनी बात का जवाब किससे प्राप्त करें ? इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर सदन की उपेक्षा कर रहे हैं और कुछ अन्य मंत्रीगण भी ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मान्यवर, आप विशेषकर सत्ता पक्ष को निर्देशित करें कि भविष्य में ऐसा न हो। पिछले सत्र में भी आपने देखा होगा माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे, परन्तु वह सदन में मौजूद रहते थे, लेकिन यह मा0 मुख्य मंत्री जी लगातार सदन की उपेक्षा कर रहे हैं और दूसरे आज यह गम्भीर मामला है, अगर माननीय मुख्य मंत्री यहां पर हैं, तो आपको उनको आश्वस्त करना चाहिये। यह गृह राज्य मंत्री या ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी का बहाना लेकर संसदीय कार्य राज्य मंत्री उसका जवाब दें, यह भी इस सदन का अपमान है। इसलिए मैं पहले आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक बात कहूंगा। जो सूचना हमें मिली है कि डाक्टर दत्ता को पुलिस ने जहां वह दूध बंटवा रहे थे, वहां से कस्टडी में ले करके थाने ले गयी और कांग्रेस के सांसद श्री श्याम लाल यादव के इन्टरवेंशन पर पुलिस ने उनको छोड़ा। यह प्रश्न इससे पहले भी एक विधायक के अरेस्ट का मामला, इस सदन में उठाया गया था, जिस पर गृह राज्य मंत्री ने यह कहा कि पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें ले गयी थी। क्या शासन डाक्टर दत्ता के संबंध में भी ऐसा ही कोई बयान देने जा रही है ? यह प्रश्न एक माननीय सदस्य से ही संबंधित नहीं है, यह सदन की गरिमा और सदस्यों के सम्मान से संबंधित है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जैसा, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने सुझाव दिया है कि इस पर गृह राज्य मंत्री कुछ प्रकाश डालने की क्षमता नहीं रखते, माननीय मुख्य मंत्री को इस संबंध में बुला करके, सदन में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जाय।

श्री राम नरेश—

मान्यवर, माननीय शत्रुरुद्र प्रकाश जी ने एक प्रश्न आपके सामने उठाया और वह भी इस सदन के एक सम्मानित सदस्य के संबंध में। अभी तक विपक्ष के लोगों पर, सत्ता पक्ष के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं

लोगों की साजिस से पुलिस निरंकुश होकर अनाचार, अत्याचार, उत्पीड़न करती रही, लेकिन अब मामला इधर से बढ़ते-बढ़ते उधर चला गया है और अब मान्यवर, यह मामला विपक्ष से हट कर सत्ता पक्ष की ओर पहुंच रहा है और सत्ता पक्ष के ही माननीय सदस्य के साथ, आज वाराणसी की पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, अपनी कस्टडी में लेती है और मुझे यह भी जानकारी मिली है जैसा कि अभी माननीय राजेन्द्र सिंह जी कह रहे थे माननीय श्याम लाल यादव के इन्टरवेंशन पर, उनके हस्तक्षेप पर उनको छोड़ दिया गया। मुझे एक और सूचना मिली है कि इस समय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पंडित कमलापति त्रिपाठी जी वाराणसी में मौजूद हैं, माननीय श्याम लाल जी द्वारा इन्टरवेंशन करने के सम्बन्ध में तो माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने बताया, लेकिन मुझे सूचना मिली है कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने फोन किया, वहां के डी0 आई0 जी0 को कि हमारे सम्मानित कांग्रेस के सदस्य को क्यों गिरफ्तार किया गया ? उनके हस्तक्षेप पर उनको छोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी पता नहीं है कि वह कहां हैं, किस स्थिति में हैं, कैसे हैं ? मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं, चाहे विपक्ष का सदस्य हो चाहे सत्ता पक्ष का सदस्य हो यह बहुत चिन्ता का विषय है कि सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्य के विरुद्ध ऐसी स्थिति बना रहे हैं, तो फिर सामान्य नागरिक के प्रति यह पुलिस क्या व्यवहार करेगी ? क्या उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा कायम रहेगी ?

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य कैन्ट ने औचित्य के माध्यम से प्रश्न उठाया कई माननीय नेताओं ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए। आज सवाल इस बात का नहीं है सवाल एक माननीय सदस्य की गिरफ्तारी का है। मान्यवर इस सदन में एक बार नहीं, अनेकों बार इस तरह के सवाल आ चुके हैं। माननीय सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मान्यवर, डाक्टर दत्ता को पुलिस घसीटते हुए ले गई, यह अभी बताया गया। उधर के लोग वक्तव्य दे देते हैं। आज स्थिति गंभीर होती जा रही है। कल पुलिस का यह आचरण किसके साथ क्या होगा यह मालूम नहीं है ? मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि किसी विधायक से पूंछतांछ अगर पुलिस को करनी हो तो पहले आपसे निर्देश लिए जाएं, उसके बगैर पुलिस हमसे पूछताछ न कर सके। यह मैं चाहता हूं। मान्यवर, आज सदन चल रहा है तो और भी अपेक्षाकृत है इस प्रशासन से और सरकार से, विधायक चाहे वह किसी पक्ष का विधायक हो, सम्मान सबका एकसा है। मान्यवर, यह क्या कर रहे थे, वह न तो हमको मालूम है, न सरकार को ही पता है तो मैं चाहूंगा कि ऐसे विवादग्रस्त मसले पर सदन की एक कमेटी बना दी जाए जो सारे मामले की जांच करके, आपको अपनी रिपोर्ट के आधार पर, जो कठोरतम कार्यवाही क्या कर रहे थे, उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, जो कठोरतम कार्यवाही हो सके, पुलिस के खिलाफ करें। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री जी लखनऊ में हैं उनको ही इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए और किसी मंत्री या राज्य मंत्री को न बनाया जाए ताकि स्थिति सही रूप से सामने आ सके।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय, रघुवरदयाल जी, पहले मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री को तो सुन लूं।

(व्यवधान)

आप सब एक साथ बोलेंगे, तो मैं क्या समझूंगा ? आप सब खड़े हुए हैं और सब एक साथ बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री को तो सुनेंगे ही हम लोग। लेकिन सदन की भावना को देखते हुए पहले गृह राज्य मंत्री को, आपको सुन लेना चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनको नहीं सुना जायेगा।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, गृह राज्य मंत्री गृह विभाग से संबंधित मसलों का रोज जवाब दे रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आज एक विधायक के साथ जो दुर्घटना वाराणसी में घटी है उसकी जानकारी गृह राज्य मंत्री के पास है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के कलंक की लीपापोती करके गृह राज्यमंत्री उनको निष्कलंक घोषित करते हैं। आज विधायकों की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस संवेदनशील मसले पर पहले आप कलंकित गृह राज्य मंत्री को सुनें।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने और विपक्ष के अन्य नेताओं ने इस बात को प्रस्तुत किया। मेरा निवेदन है कि शासन पक्ष के लोगों को सुन लें, गृह राज्य मंत्री को सुन लें, उसके बाद माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जो संसदीय प्रक्रिया बतायें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, आप हम लोगों के और संपूर्ण सदन के संरक्षक हैं। हम लोगों की तरफ से एक विचार रखा गया है कि इस प्रश्न पर गृह राज्य मंत्री जी को सुना जाय। इसमें ग्राह्यता या अग्राह्यता का प्रश्न नहीं है। यह तो सदन के सम्मानित सदस्यों की सुरक्षा का प्रश्न है। यह प्रश्न नियमावली से ऊपर है। मेरा सुझाव है कि इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री को न सुनें। हम लोग चिन्तित हैं कि इस समय दत्ता की क्या स्थिति है? घायल है अस्पताल में है? कहां है? इस बारे में गृह राज्य मंत्री सदन को अवगत करा दें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि विपक्ष तय करेगा इस बात को कि जवाब और सूचना कौन दे? आपकी पीठ से निर्देश हो चुका है . . .

(व्यवधान)

कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी इस बारे में सूचना दें। संसदीय कार्य राज्य मंत्री को सुनने के बाद जो भी आपका आदेश होगा, सर आंखों पर होगा।

श्री अध्यक्ष—

आप सब की भावना का मैं आदर करता हूं। मैं आपसे ज्यादा चिन्तित हूं। मगर

श्री मुलायम सिंह यादव—

मगर नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मगर आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री को सुन लें और अगर मैं आवश्यक समझूंगा तो गृह राज्य मंत्री को बुलाउंगा।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य शतरुद्र जी ने बड़ी गम्भीरता के साथ इस संवेदनशील विषय को उठाया और मैं अपेक्षा करता हूं कि इस गम्भीरता को हम बनाए रखेंगे, यदि यह विषय वास्तव में गम्भीर है और इसे हम गम्भीरता से लेना चाहते हैं। पहली बात तो सम्मानित मुख्य मंत्री जी के बारे में बता दूं कि वे आज लखनऊ में नहीं हैं। वे एक जरूरी काम से दिल्ली गये हैं। वे जब भी लखनऊ में रहे, सदन में आते रहे। जहां तक इस घटना का प्रश्न है, जो जानकारी हमें जिला प्रशासन से दी गयी है, उससे मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा। उसके बारे में विचार उधर से भी आए कि यह एक सम्मानित सदस्य के मान सम्मान का प्रश्न है, उससे यहां के दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं, सारा सदन जुड़ा है। इसमें कोई मतभेद का प्रश्न नहीं उठता। जो भी कार्यवाही होगी, वह सदन तय कर सकता है। दत्ता जी के आने के बाद या आने से पहले जब चाहे कार्यवाही कर सकता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमें टेलेक्स द्वारा एक जानकारी दी गयी है कि कल 8.00 बजे प्रातः वाराणसी में मान्यवर, बांस फाटक एक स्थान है और उसी के पास में मोहल्ला दालमण्डी है, दोनों मिले हैं, दोनों में सेन्सीटिव माहौल चल रहा था। श्री विश्वनाथ मन्दिर इसके आगे है। वहीं मोड़ पर एक मस्जिद है। वहां पर दूध बांटने का कार्य हो रहा था, कि अचानक 200-250 व्यक्ति एकत्र हो गये। वहां एक पुलिस चौकी बनी हुई है। पुलिस के जवानों ने भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। वहीं सम्मानित विधायक दत्ता जी ने भी हस्तक्षेप किया। काफी गरमा-गरमी हुई, कहना-सुनना हुआ। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। डा0 दत्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन कहा-सुनी हुई, गरमा-गरमी हुई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। इसी प्रक्रिया में दोनों ओर से दोनों पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी। एक रिपोर्ट डा0 दत्ता ने तो नहीं की, लेकिन सोहनलाल नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराई है। दूसरी ओर से पुलिस द्वारा कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। मान्यवर, जो जानकारी मेरे पास है, मान्यवर, यह टेलीग्राम मेरे पास आया है, इसमें यह नहीं लिखा गया है कि माननीय विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है या नहीं। मैं यह जानकारी कर रहा हूं कि रिपोर्ट में विधायक का नाम है या नहीं। जहां तक इन दोनों रिपोर्टों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में शासन ने निर्णय लिया है, वह यह है कि दोनों की सी0 आई0 डी0 की जांच के लिये दिया है।

शतरुद्र जी ने और एक माननीय सदस्य ने कुछ अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहना चाहा तो उन्होंने भी बताया कि दत्ता जी से उनका सम्पर्क नहीं हो पाया। मान्यवर, इस प्रकरण की जानकारी मैं आज शाम तक करूंगा और यदि कोई दुर्व्यवहार सम्मानित विधायक के साथ किया गया है, किन परिस्थितियों में किया गया। यह एक अलग बात है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी पुलिसकर्मी और प्रशासनकर्मी होगा, उनके खिलाफ कार्यवाही करने में कोताही नहीं की जायगी। इस सम्बन्ध में, मैं अपेक्षा करता हूं कि जब तक पूर्ण बातों की जानकारी न हो जाय, इस विषय पर और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जांच के उपरान्त जो तथ्य सामने आएंगे, उनको मैं आपकी अनुमति से सदन को अवगत करा दूंगा।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा कि हम इस सारे मामले को देख रहे हैं, पूरे तथ्यों की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, मुझे भी जानकारी हुई है और समाचार पत्रों में भी आया है कि 3 पुलिसकर्मी निलम्बित कर दिये गये हैं। अगर यह जानकारी शासन के पास है नहीं, तो क्या यह सूचना सही है कि नहीं ? मान्यवर, 3 पुलिस कर्मी निलम्बित कर दिये गये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी गयी है। अब और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ? मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि गृह राज्य मंत्री को वक्तव्य देने के लिये कहें, तो अच्छा रहेगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, पुलिस अधिकारियों द्वारा जो टेलेक्स भेजा गया है, उसके आधार पर जानकारी दे दी यहां पर। मैं यह आशा करता था कि जब औचित्य का प्रश्न शासन के पास गया, उसमें आरोपित की गयी है लोकल पुलिस वहां की, तो किसी वरिष्ठ अधिकारी आई0 जी0 स्तर के अधिकारी द्वारा जांच कराने के बाद कोई रिपोर्ट होती। मान्यवर, वाराणसी में इस समय तनाव व्याप्त है, वहां कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं।

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य द्वारा यह जानकारी दी गयी कि कुछ पुलिस कर्मी सस्पेंड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दिये गये हैं, इसकी भी जानकारी शासन को नहीं है। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने सी0 आई0 डी0 से जांच की बात कही, मान्यवर, उसमें आदेश जारी होंगे, संबंधित विभाग को जायेंगे, वहां से आदमी जांच के लिये जायेगा, इसमें कितना समय लगेगा ? मान्यवर, यह एक तरीका है शासन के पास, मामले को दबाने का, जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिये। माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने भी अपने कर्त्तव्य का परिचय दिया होगा, उन्हें कुछ जानकारी हुई होगी। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि तत्काल यहां से आई0 जी0 स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर स्थिति की जानकारी की जाय कि डा0 दत्ता की क्या पोजीशन है ? उनका बयान भी आना आवश्यक है। मा0 मंत्री जी ने बताया कि दोनों तरफ से एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो गयी है। मान्यवर, इसकी भी जानकारी होनी चाहिये कि दोनों तरफ से एफ0 आई0 आर0 क्या दर्ज हुई है ? मान्यवर, जो जानकारी दी गयी है वह अधूरी है और तथ्यों से परे है। मैं चाहूंगा कि इसकी बाबत गृह राज्य मंत्री जी को सुन लिया जाय, फिर भी जो आशंकायें रह जायेंगी, उनके बारे में अपनी बात कहेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, आपके निर्देशानुसार हम लोगों ने माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री को सुना। मान्यवर, हम लोगों को जानकारी हुई है कि डा0 दत्ता की पुलिस ने घनघोर पिटाई की है। माननीय मंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में पिटाई शब्द का जिक्र ही नहीं किया। यह माननीय सदस्यों के लिये बड़े अपमान की बात है। यह सारे तथ्यों को छिपाना चाहते हैं। आप गृह राज्य मंत्री जी को बुलायेंगे, वह भी सही जानकारी नहीं देंगे। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जो जानकारी उपलब्ध हुई है, उसके अनुसार माननीय विधायक की वहां पुलिस द्वारा घनघोर पिटाई हुई है, उनके कपड़े फाड़ डाले गये और उनको घसीटकर थाने तक लाया गया। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सरकार को गलत बयानी के लिये प्रताड़ित करें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

माननीय श्याम सूरत उपाध्याय जी और माननीय शतरुद्र प्रकाश जी बनारस अभी जा रहे हैं। वे पूरी स्थिति की जानकारी करके कल कृपया सदन में दें।

इस सूचना को मैं नियम 300 के अंतर्गत अस्वीकार करता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इस संबंध में शासन का जो व्यवहार रहा है, इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये) ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, गृह राज्य मंत्री को नहीं सुना गया और माननीय सदस्यों के प्रति पुलिस का जो व्यवहार रहा है, उसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(मद संख्या-6 पुकारे जाने पर तथा श्री राम-आसरे वर्मा जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मान्यवर, वर्मा जी जो आपका विषय है, पहले उसे जरा आप समझ लें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आपके कार्यालय से जो सूचना मिली है, क्या मैं इसे 2.00 बजे (अपराह्न) के बाद उठा सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे मालूम है कि आप इस विषय पर मुझसे मिले थे। आप यह भी जानते हैं कि आजकल एन्टी डिफेक्शन बिल लागू है, कहीं उसके अन्तर्गत आप न आ जायें। लिहाजा इस विषय पर विचार करने के लिए आप मेरे चैम्बर में आ जांय। यदि उसके बाद आप इसे ठीक समझते हैं, तो फिर उठा सकते हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 फरवरी, 1986 की बैठक में, सदन के दिनांक 25 फरवरी, 1986 से 30 मार्च, 1986 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किए जाने की सिफारिश की है :—

फरवरी, 1986

25 मंगलवार

26 बुधवार

27 गुरुवार

28 शुक्रवार

वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

मार्च, 1986

1 शनिवार पूर्वाह्न 11,00 बजे से

(क) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (डेढ़ घण्टा)

(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1986

(2) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1986

(ख) वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

2 रविवार बैठक नहीं होगी

3 सोमवार

4 मंगलवार

5 बुधवार

6 गुरुवार

7 शुक्रवार

8 शनिवार

9 रविवार बैठक नहीं होगी ।

10 सोमवार

11 मंगलवार

12 बुधवार

13 गुरुवार

14 शुक्रवार

वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

15 शनिवार

बैठक नहीं होगी ।

16 रविवार

17 सोमवार

18 मंगलवार

वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

19 बुधवार (1) वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय व्ययक मांगों पर मतदान ।

(2) 5 बजे अपराह्न,

वित्तीय वर्ष 1985-86 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ।

20 गुरुवार

वित्तीय वर्ष 1985-86 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण

21 शुक्रवार

22 शनिवार

वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

23 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

24 सोमवार

1—वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

2—4 बजे अपराह्न से,

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

25 मंगलवार

26 बुधवार

बैठक नहीं होगी ।

27 गुरुवार
28 शुक्रवार
29 शनिवार
30 रविवार

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन में दी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष ने सदन में दी है, सहमत है । (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या किये जाने के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

क्या वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ? (सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 11-1-86 को प्रातः 5.00 बजे श्री नानक प्रसाद ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की लिखित रिपोर्ट जी0 आर0 पी0 थाना फतेहपुर में अंकित करायी । उसी दिन (11-1-86 को) लगभग 8-40 बजे प्रातः गैंगमैन द्वारा इस सम्बन्ध में फतेहपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी आऊटर सिंगनल के बाद स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक औरत की कटी हुई लाश के पाये जाने का मेमो जी0 आर0 पी0 थाना फतेहपुर में दिया । उसके आधार पर अभियोग को अपराध सं0-2/86 अंतर्गत धारा-302/20/39 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया । शव को पोस्टमार्टम के पश्चात् दिनांक 12-1-86 को उसके पति श्री नानक प्रसाद को सौंपा गया । दिनांक 12-1-86 को ही घटना की जानकारी प्राप्त होने पर परगना अधिकारी सदर, अपर जिला पुलिस अधीक्षक, एवं क्षेत्राधिकारी नगर मौके पर पहुंचे । नानक प्रसाद की उपस्थिति में जनपद पुलिस द्वारा महिला और नवजात शिशु का अंतिम संस्कार कराया गया ।

उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तथा अब तक की जांच से यह विदित है कि जो दो वर्दी धारी व्यक्ति फतेहपुर स्टेशन पर वादी तथा उसकी पत्नी को मिले थे । वे जी0 आर0 पी0 के नहीं वरन आर0 पी0-एफ0 के थे ।

अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है । दिनांक 13-1-86 को जब पुलिस अधीक्षक रेलवे द्वारा जी0 आर0 पी0 थाने पर घटना की जांच की जा रही थी लगभग 250 व्यक्तियों की एक भीड़ नारे बाजी करती हुई जी0 आर0 पी0 थाने पर पहुंची । बाद में अपर पुलिस अधीक्षक अपने साथ कुछ फोर्स लेकर तुरन्त जी0 आर0 पी0 थाने पहुंचे । । पुलिस बल को देखकर भीड़ ने क्रुद्ध होकर जी0 आर0 पी0 थाने पर पथराव किया जिससे कुछ पुलिस कर्मी घायल हो गए । भीड़ ने थाने के पीछे खड़ी पुलिस जीप को और मोटर साइकिल को आग लगा दी तथा थानाध्यक्ष के कार्यालय के फर्नीचर में आग लगा दी । रेलवे स्टेशन पर खड़ी 85 अप आसाम मेल के

हॉजपाईप निकाल दिये । भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रारम्भ में लाठी चार्ज किया गया और बाद में परगना अधिकारी के आदेश से पांच हवाई फायर किये गये । किसी को चोटें नहीं आईं । इस घटना के सम्बन्ध में जी0 आर0 पी0 थाना फतेहपुर अभियोग संख्या-1/86 अन्तर्गत धारा-147/148/149/307/435/426 भा0 द0 वि0 एवं 120/121/128 रेलवे एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है प्रदर्शनकारियों ने दोषी व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की थी ।

प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में जी0 आर0 पी0 थानाध्यक्ष डी0 पी0 सिंह व कानिस्टेबिल हरिपाल सिंह को निलम्बित कर दिया गया है । कानिस्टेबिल श्री मुक्तेश्वर सिंह सिसोदिया को स्थानान्तरित कर दिया गया है । अन्य कर्मचारी जो उस दिन थाने पर उपस्थित थे उन्हें भी जी0 आर0 पी0 फतेहपुर से स्थानान्तरित किया जा रहा है । आर0 पी0 एफ0 के कानिस्टेबिल मंगूर अहमद को गिरफ्तार किया जा चुका है । आर0 पी0 एफ0 के कानिस्टेबिल बिशन देव सिंह और उपनिरीक्षक मनबोध ओझा को स्थानान्तरित कर दिया गया है और उपनिरीक्षक श्री एच0 के0 चतुर्वेदी को स्थानान्तरित किया जा रहा है । फतेहपुर के उप निरीक्षक प्रभारी चौकी हरिहर गंज, जगत पाल सिंह परिहार को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त कुली रमजान को को भी गिरफ्तार किया गया है ।]

(इस समय 1 बजकर 38 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह घटना 10-1-1986 की है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि 11 तारीख को इसकी रिपोर्ट लिखाई गई है । इस महिला को ले जाया गया, इसका अपहरण हुआ, इसकी लूट हुई, उसके बाद इस महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद इस की हत्या कर दी गई । अब मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट कितने बजे लिखी गई और जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है, उसमें काज आफ डेथ क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

11.1.1986 को प्रातः 5.00 बजे रिपोर्ट लिखाई गई । शोक एण्ड हेमरेज, काज आफ डेथ पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में बताया गया है ।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, यह बताया गया कि यह महिला गर्भवती थी । अब मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि क्या उस गर्भवती महिला की डिलीवरी बलात्कार से पहले हुई या बलात्कार के बाद ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, मैंने पहले ही उत्तर में स्पष्ट दिया हुआ है । कानपुर से ही उस महिला को पेन होना शुरु हो गया था । जिसके कारण उसे फतेहपुर में उतार दिया गया ।

(डा0 दिनेश जौहरी के खड़े होने से व्यवधान)

श्री कमलेश कुमार पाठक—

पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, इसको पढ़कर सुना दें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

10 लेमूलेटेड वुण्ड्स हैं और एक कन्ट्यूजन है ।

अभी आपको बताया कि इसके अतिरिक्त शाक और हेमरेज है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

यह सरकार जो जुर्म कर रही है और जो गम्भीर घटनायें हो जाती हैं, वहां पर भी यह पुलिस का संरक्षण करती है । अगर प्रागदर्शन में मामला नहीं हुआ तो स्थानान्तरण क्यों किया गया ? गिरफ्तार किया गया है, एक रमजान अली कुली को जानना चाहता हूं कि पुलिस कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया किया गया ? कुली रमजान अली की गलती यह थी कि उससे कहा गया था कि जाकर कपड़ा डाल आओ ।

नोट—[XX] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

पुलिस कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है। यह सत्य से परे है कि पुलिस कर्मी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

लेकिन रमजान अली को बेगुनाह जेल भेजा गया है। तमाम पुलिस कर्मियों को, जिनको स्थानान्तरित किया गया है, उनका इसमें हाथ था।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

एस0 एस0 ओ0 और कांस्टेबिल को निलम्बित कर दिया गया है, जिनका इसमें जुर्म पाया गया। सी0 आई0 डी0 जांच हो रही है, उसके बाद तथ्य सामने आ जायेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

अभी आपने रिपोर्ट में पढ़ा कि इनको 10 चोटें आयी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि चोटों का क्या कारण था ? किन लोगों के द्वारा चोटें आयी हैं और किन परिस्थितियों में आयी हैं ? 10 चोटें आपने बतायी हैं और आपने कहा है कि काज आफ डेथ हैमरेज है, तो ये 10 चोटें किसकी हैं ? किससे आयीं ? जो जीप में आग लगाने वाली बात है 13 तारीख को, तो क्या परिस्थिति पैदा हुई ? हमारी जानकारी यह है कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी थी, जी0 डी0 खाली पड़ी थी, जनता में आक्रोश हुआ तब लिखी गयी, क्या इसकी जानकारी है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जहां तक आपने 10 चोटों की बात कही कि किस तरह से आयीं, तो बहुत ही स्पष्ट रूप में सम्मानित सदन को बता देना चाहता हूं कि यह मृत्यु बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। मैं खुले मन से इस बात को कह रहा हूं कि शासन के मन में भी ऐसी कोई नीयत नहीं है कि गलत काम करने वाले को या दोषी को माफ किया जाय। शासन की साफ नीयत है कि दोषी को सख्त सजा दी जाय। सी0 आई0 डी0 जांच हो रही है, बचाने की नीयत है नहीं। जो भी आरोप आप लगा रहे हैं, उसमें कोई भी बात हो सकती है, बलात्कार भी हो सकता है, उससे पहले भी मृत्यु हो सकती है बाद में भी हो सकती है मारने की नीयत भी हो सकती है, दो सूटकेस भी थे उसके पास। किसी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, इसलिए सी0 आई0 डी0 से जांच हो रही है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैंने पूछा था कि जी0 डी0 रुकी रही, उसका उत्तर नहीं आया ?

श्री उपाध्यक्ष—

जांच तो जारी है, बन्द तो नहीं हो गयी, अभी यह बता रहे हैं। आप बैठें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

इस घटना की तारीख को क्या जी0 डी0 लिखी गयी ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, बतला तो दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

इनके पास उसकी सूचना नहीं होगी, जितनी सूचना होगी, उतनी ही तो दे पायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर आपने अभी कहा है कि मंत्री जी के पास जितनी सूचना होगी उतनी ही तो दे पायेंगे ? जबकि वर्मा जी का प्रश्न था कि 13 तारीख को जी0 डी0 क्यों दर्ज की गयी ? इससे पहले क्यों उसे रोके रखा गया जब वहां जनता द्वारा प्रदर्शन किया गया तब जाकर जी0 डी0 लिखी गयी इस लिये मान्यवर, इस पर चर्चा होनी चाहिये। जब रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, और जनता ने आन्दोलन किया तब जाकर रिपोर्ट लिखी गयी जनता ने न्याय का काम किया है और उन्होंने इस सम्बन्ध में सैकड़ों लोगों को मुल्जिम बना लिया है। इसलिए आप इस पर चर्चा स्वीकार कीजिये, तभी सारे तथ्य सामने आयेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, इस चर्चा की स्वीकृति प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तारीख 10 की रात में 11.30 बजे उस महिला को लेबरपेन हुआ तो उसको वहां पर उसके सहकर्मियों ने राय दी कि इसको यहीं उतार दो। उसे उतारने में उसके दो सूटकेस रह गये थे तो लोगों ने कहा कि तुम खागा से लौटकर आना और अपना सामान ले जाना। तो सामान लेकर मृतक महिला का पति 2 बजे लौटकर आता है। जब उसे वह महिला नहीं मिली तो वह रेलवे कैबिन को देखता है, स्टेशन पर देखता है, सिसौदिया जी0 आर0 पी0 थाने जाता है। उसने महिला को तलाश किया और 5 बजे जब लौटकर थाने आया तो फौरन उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी। सारी बातों की जांच करायी जा रही है, कोई डिले नहीं हुआ है और सब बातों की जांच हम करा ही रहे हैं।

श्री गोपाल दास यादव—

जब उस महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां से अस्पताल 100 मीटर की दूरी पर था तो उस महिला को वहां ले जाया जा सकता था लेकिन नीयत खराब थी। जी0 आर0 पी0 का थाना करीब ही था और यह काण्ड हो गया। मौके पर श्री सत्य प्रकाश मालवीय भी गये थे, वहां पर लोकदल ने प्रदर्शन किया, तब जाकर वहां के अधिकारियों की आंखें खुली हैं। महिला को अस्पताल न ले जा कर गुमराह किया गया और उसके पति को सामान लाने के बहाने वहां से हटा दिया गया।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल—

आखिर मैं कितनी बार खड़ा होता रहूंगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सबको पूछवा लूंगा। माननीय मनोहर लाल जी, आपको खड़ा तो होना पड़ेगा। यह सब विधायकों का अधिकार है, कोई आपका ही नहीं है। आप अगर पूछना चाहेंगे तो खड़े भी होते रहेंगे, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं पहले गुप्ता जी को बुलवाऊंगा।

(श्री गोपाल दास यादव के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

गोपाल दास जी, मैं आपको एक बार मौका दे चुका हूं, अब मैंने गुप्ता जी को बुला लिया है। वह सवाल नहीं बना पाये। घटना का विवरण दे दिया, वह तो अलग बात है।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मेरा यह प्रश्न है कि जब उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी तो कर्मचारियों द्वारा मरीज को अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया ? जो बच्चा पैदा हुआ, वह किस स्थान पर पैदा हुआ ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

किस जगह पर पैदा हुआ ? कहां पर पैदा हुआ ? यह सारे तथ्य इन्क्वायरी में आ जायेंगे। आप बैठ जायें, कृपा कर मेरी बात सुन लें। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, किसी भी संभावना से शासन इन्कार नहीं कर रहा है, किन परिस्थितियों में मौत हुई, कैसे हुई ? इन सारी संभावनाओं से इनकार नहीं करते हैं और इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि पुलिस कर्मचारियों ने इस कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। यह तो छोटे सवाल हैं कि डिलिवरी कहां पर हुई ? किस समय हुई ? वह आउटर पर मरी है या और कहीं मरी है। तो मान्यवर, किसी भी समय डिलिवरी हो सकती है तो इन सारी चीजों की जानकारी जांच से पहले दे सकना संभव नहीं है और मुश्किल है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानकारी करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इस मामले को सी0 आई0 डी0 को सन्दर्भित कर दिया गया है, लेकिन मुझे जानकारी है कि क्या मामला संदर्भित किया गया है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस के पहलू दो हैं एक तो प्रसव पीड़ा में बलात्कार हुआ या नहीं और हुआ तो किसने किया ? जो पुलिस का स्टाफ था, उसकी नेग्लीजेंस और कनाइवेंस थी और जनता के प्रेशर के बाद ही उसकी रिपोर्ट लिखी गयी, तो क्या माननीय मंत्री जी जो सी0 आई0 डी0 के टर्म आफ रेफरेंस हैं उसको पढ़ने की कृपा करेंगे ? अगर वह विस्तार से नहीं हैं तो क्या जो बातें और आशंकायें जाहिर की गयी हैं, वह सब सी0 आई0 डी0 को सन्दर्भित करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, यह सब सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने मंत्री जी से उसके टर्म आफ रेफरेंस को पूछा था और मंत्री जी ने उसको बताया नहीं। टर्म आफ रेफरेंस कुछ हैं नहीं अगर हैं, तो क्या उसे मंत्री जी पढ़कर सुनायेंगे या स्पष्ट आश्वासन देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

टर्म आफ रेफरेंस क्या है ? जनता को वहां पर रिपोर्ट लिखाने के लिये प्रेशर, क्यों डालना पड़ा ? क्या इन सारे प्रकरण की आप जांच करा रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जी हां।

श्री राम सरन—

मान्यवर, 10 जनवरी को यह मामला हमारे साथियों ने उठाया और प्राइता पर हम लोग बोले। इस मामले में, आज जिस तरह से बयान आया सरकार की तरफ से, उससे हम लोग सेटिसफाइट नहीं हैं। स्पष्टीकरण भी मांगा उस पर भी मंत्री जी ने कहा यह होगा, यूं होगा, यों होगा (दोनों हाथ हिलाते हुए) यह नाटक कर रहे हैं। हम लोग कुछ समझ नहीं पाये। हमारे साथियों का जो सवाल था, उसका जवाब दे नहीं पाये। लोगों का वर्जन है कि इस पर अगर आप पर्पा करा दें तो नीर क्षीर विवेचन हो जायेगा। इसलिए इस पर चर्चा कराना अति आवश्यक है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें, सबको मौका मिलेगा ?

श्री मनोहर लाल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी शर्मनाक घटना है और इसको हल्केपन से गृह राज्य मंत्री ले रहे हैं। मान्यवर, इससे बड़ी शर्मनाक घटना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कोई नहीं होगी। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह ऐसी कमेन्ट्री कर रहे थे जैसे वस्वयं वहां बैठे थे।

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप भाषा संयत रखें।

श्री मनोहर लाल—

यह कितना अहम मामला है ? कितना गम्भीर मामला है, जिसको हल्केपन से लिया जा रहा है। यह सरकार के लिए शर्म की बात है,

[x x x]

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही से निकाल दिया जाय। आप 'बेशर्मी से' नहीं कहेंगे, यह संसदीय शब्द नहीं है।

नोट—[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, बेशर्मी संसदीय शब्द है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, व्यवस्था देने से पहले मेरी बात सुन लें। मान्यवर, माननीय सदस्य ने बेशर्मी कहा है। बेशर्म असंसदीय है, बेशर्मी संसदीय है। यह पार्लियामेन्ट्री है।

श्री उपाध्यक्ष—

विधान सभा अध्यक्ष के पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का जो संकलन 1952 से 1967 तक का, उसमें पृ0 586-87 पर है 'बेशर्मी' शब्द को असंसदीय बताया गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यह सरकार के लिए प्रयुक्त हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार के लिए प्रयुक्त हुआ हो, लेकिन यहां पर मंत्री के लिए कहा गया है। मनोहर लाल जी आप सवाल पूछिए।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, क्या गृह राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय भीड़ ने इस पर आक्रोश व्यक्त किया, उस समय एस0 पी0 फतेहपुर ने पुलिस की जीप गाड़ी को और मोटर साइकिल को आग लगवा दिया, जनता के ऊपर झूठा केस दर्ज करवाने के लिए और अपना बलात्कार छिपाने के लिए, यह मेरी सूचना है। क्या गृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे और इस पर आप दो घन्टे की चर्चा एलाऊ करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

चर्चा नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी, जीप वाली बात का जवाब दे दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, माननीय सदस्य मनोहर लाल जी ने बहुत सी बातें कहीं। उधर के बैठे हुये माननीय सदस्य जो हैं और मैं विशेष रूप से माननीय मनोहर लाल जी से कहता हूं कि जितना दुख और क्षोभ उनको इस घटना के बारे में है उससे अधिक शासन के लोगों को है, उनसे कम नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े-बड़े कर्मचारी तक, इस घटना के बारे में दोषी पाये जायेंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी, किसी को बख्शा नहीं जायेगा।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैंने जीप के बारे में सवाल पूछा था कि जो जीप और मोटर साइकिल एस0 पी0 फतेहपुर ने जलवाई, उसका क्या हुआ . . . .

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें। सबको मौका मिलेगा। माननीय देव कुमार जी, बैठ जायें। मैंने किरनपाल सिंह जी को बुला लिया है।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, 'बेशर्मी' और 'बेशर्म' शब्द संसदीय हैं या नहीं इस बारे में बात हो रही थी। लेकिन यह जो घटना घटी है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद यह पहली घटना है जिससे हम सब का सिर शर्म से झुक जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब लोग थाने पर प्रदर्शन करने के लिये आये तो यह उनका निजी मामला नहीं था, वे जनहित में और न्याय के लिये वहां आये थे। जब वह घटना घटी तो उसमें रोष और आक्रोश व्यक्त करने के लिये वे लोग वहां आये थे। उनके खिलाफ आपके आदमियों ने झूठा मुकदमा दायर कर दिया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ यह झूठा मुकदमा दायर किया गया है, उसे आप वापस लेने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, जांच हो रही है और निश्चित रूप से माननीय किरन पाल सिंह जी की राय को माना जायेगा। अगर वे दोषी नहीं हैं तो . . .

(श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होकर कुछ कहने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय यदुनाथ सिंह जी, बैठ जांय। सबको मौका दूंगा।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री को डांट रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है माननीय गृह राज्य मंत्री बोल गये कि हम लोग बहुत गम्भीरता से इस घटना को ले रहे हैं। लेकिन जब वे जवाब देते हैं तो हंसते ही रहते हैं। इससे उनकी गम्भीरता प्रकट होती है कि वे कितने गंभीर हैं। मैं जो पूछना चाहता हूं वे इसके जवाब दें। मान्यवर, जिसे दिन की घटना है उस दिन लीलावती जैसे ही गाड़ी से उतरी, उसका सामान उतारा तब तक गाड़ी चलना शुरू हो गई। चूंकि नानक की पत्नी लीलावती गाड़ी से उतर गई। वहां पर जी0 आर0 पी0 के दो व्यक्ति थे उन्होंने उसकी पत्नी की जिम्मेदारी ली और नानक से कहा कि तुम खागा जाओ और वहां से वापस आओ। वह उसी गाड़ी के साथ चला गया। वह फिर किसी गुड्स ट्रेन से रात के 1 बजे वापस वहां पर आया। तब कहीं भी उसकी पत्नी नहीं मिली। वह रात भर परेशान था। . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें। विस्तार में बहुत हो चुका।

श्री राज किशोर सिंह—

तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि जब पुलिस वाले उस औरत को ले गये और उसके साथ बलात्कार किया ? उस घटना को छिपाने के लिए उन्होंने अपने यहां एक डायरी बनाई . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल पूछिये।

श्री राजकिशोर सिंह—

यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, यह सारे केस को उजागर कर देगा।

श्री मुईद अहमद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह सवाल हो जाय। (व्यवधान) आप कितनी देर तक सवाल पूछेंगे ?

श्री राजकिशोर सिंह—

उन्होंने अपने यहां एक रिपोर्ट दर्ज की कि एक औरत स्टेशन पर नंगी होकर पश्चिम की तरफ दौड़ी (व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

इसी पर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह कैसे सदन चलेगा ? (व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह—

जी0 आर0 पी0 ने इस आशय की एक रिपोर्ट दर्ज कराई।

श्री उपाध्यक्ष—

कितनी देर तक आप बोलते रहेंगे ? सवाल करिये। आपका सवाल पूरा होगा या नहीं। (व्यवधान) आप बहुत बुजुर्ग हैं, अभी तक प्रश्न पूछ लेना चाहिये था।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, क्या इस पर चर्चा हो रही है ?

श्री राज किशोर सिंह—

मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं।

श्री मुईद अहमद—

इसी प्रश्न पर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कार्य-स्थगन में जो मंत्री जी का वक्तव्य आया है उस पर केवल स्पष्टीकरण किये जा सकते हैं न कि प्रश्न। एक-आध स्पष्टीकरण हो सकते हैं। तो इस तरह से सदन के समय के साथ कब तक [x x x] चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

था कि सरकार बेशर्मी से जवाब दे ही है, इस निकाल दिया जाय।

श्री राजकिशोर सिंह—

कृपया मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस वालों ने जो डायरी दर्ज किया है . . .

नोट :—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

राम किशोर जी आप सवाल करिये (व्यवधान) आप सवाल नहीं कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच हो रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, मैं कई बार अनुराध कर चुका हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मद संख्या-8

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अभी आपने, जो वक्तव्य चल रहा है उसमें बेशर्म और बेशर्मी के सम्बन्ध में व्यवस्था दी। मैंने 'बेशर्म' नहीं 'बेशर्मी से' कहा था जिसे आपने कार्यवाही से निकालने की बात कही। आप इस पर पुनर्विचार करें। आपने संसद में भी देखा होगा, 'झूठा' असंसदीय है 'झूठी बात' कहना असंसदीय नहीं है . . . (व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव—

एक सवाल इस पर बहुत जरूरी है। मैं कई बार खड़ा हुआ, आपने मुझे मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

देवकुमार जी, बहुत से लोग खड़े हुए, सब को मौका नहीं मिला।

श्री देव कुमार यादव—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे सुन नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था के प्रश्न पर ही उनको बुलवा रखा है। वह बोल रहे हैं। उसके बाद आप बोल लें (व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव—

जी बहुत करीब बैठते हैं उन पर आपकी निगाह आती है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री मनोहर लाल की व्यवस्था सुन लूं, तब आप कहें।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि 'झूठा' कहना और यह कहना कि 'झूठी बात है' तो दोनों अलग-अलग हैं। मैंने सरकार के लिये कहा था कि सरकार बेशर्मी से जवाब दे रही है, इस पर व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी को आपने कहा था बेशर्मी से। आप सरकार को कह सकते हैं। पुरानी जो परम्परायें दी गयी हैं उसमें है कि सरकार के लिये बेशर्मी शब्द प्रयोग कर सकते हैं लेकिन किसी व्यक्ति या मंत्री के सम्बन्ध में बेशर्मी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि मंत्री को कहा है तो निकाल दिया जायेगा और यदि सरकार के लिये है तो वह रहेगा।

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी पीठ द्वारा यदि एक बार कोई व्यवस्था दी गयी है तो उस पर भी क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पहले ही व्यवस्था द चुका था लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण चाहा था तो फिर दे दिया। एक बार व्यवस्था देने के बाद दुबारा नहीं सूचना चाहिए था। मद सं0 81 (व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि इस प्रकरण पर जब प्रश्न आप एलाऊ कर रहे हैं और मंत्री जी चले गये हैं, तो इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

वह सवाल निकल गया है और आगे बढ़ गया हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि कल 17 सूचनायें थीं और आज 22 हो गयी हैं। रोजाना यह बढ़ती जा रही हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय सदस्यों की जागरूकता बढ़ रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय आपका चर्चा का समय है लेकिन परम्परा रही है कि जब बजट सत्र होता है और सामान्य प्रशासन होता है तो यह घटनायें यहां कही जा सकती हैं, लेकिन सब ने दे दिया तो सभी को बुलवाना संभव नहीं हो सकता है, दो चार जो महत्वपूर्ण होंगे उनमें एकदो को सुनूंगा।

श्री विजय सिंह राणा—

इसे पढ़ दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, वह इस प्रकार है। श्री सत्यपाल सिंह - किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल में दूषित ग्लूकोज से अनेक लोगों के मरने के सम्बन्ध में। माननीय गया प्रसाद वर्मा व चौधरी महाराज सिंह यादव बुराड्बाद में सवर्णों द्वारा हरिजनों की हत्या। श्री सूर्य प्रताप शाही लखनऊ में छात्रों पर लाठीचार्ज। श्री काशी सिंह ऐरी व श्री राम आसरे वर्मा का भी यही है और सर्वश्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री राम सरन, श्री मनोहर लाल, श्री बेनीप्रसाद वर्मा व श्री गोपाल दास यादव का भी यही विषय है। श्री सरदार सिंह, श्री कुशलपाल सिंह, श्री जगवीर सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण व ला० बंगाली सिंह-अलीगढ़ में हत्या एवं हत्यारों को बचाने की कोशिश। श्री किरनपाल सिंह का भी यही है। श्री बदन सिंह, श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री चन्द्रभान मौर्य व श्री जवाहर सिंह ने भी इसी विषय पर दिया है। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री रघुवर दयाल वर्मा व श्री कमल किशोर पाण्डेय गेहूं के समर्थन मूल्य की योजना से किसानों में असंतोष। श्री राम गोविन्द चौधरी प्रदेश में मिट्टी के तेल का अभाव। श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा जिला जेल बांदा में लाठीचार्ज। श्री विजय सिंह राणा-आगरा के गरीब किसानों की भूमि का अधिग्रहण। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-सोपखाना बाजार, लखनऊ में गुण्डों का आतंक। श्री आंसान सिंह-इटावा में ओला वर्षा से फसल चौपट। श्री गौरीशंकर भइया-बलिया में चिकित्सा कार्य ठप्प होने के संबंध में। श्री देव कुमार यादव बुन्देलखण्ड में ओला से फसल खराब। श्री अशोक बाजपेयी-श्री प्रमोद कुमार बाजपेयी, सेवायोजन अधिकारी, सीतापुर की मृत्यु के बारे में। श्री राजकिशोर सिंह प्रदेश के कई जिलों में आलू में रोग। श्री अवधेश प्रसाद-प्रदेश में नसबन्दी केस न होने पर स्वास्थ्य रक्षकों की सेवायें समाप्त। श्री प्रभुदयाल व श्री रिक्षपाल सिंह-मेरठ में डकैती। सर्वश्री मोहम्मद आकिल, श्री कौशिक रमशंकर व श्री काजी कलीमुर रहमान-मुरादाबाद में दो जाटवों में संघर्ष श्री यदुनाथ सिंह परिवहन निगम में अफसरों की खींचतान से निगम को घाटा। किसी में 6 नाम हैं, किसी में पांच नाम हैं, बहुत नाम हैं। अब मैं केवल दो-तीन को सुनूंगा, ज्यादा को नहीं सुन पाऊंगा।

(व्यवधान)

आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए . . (व्यवधान) हमारे सामने क्रम का कोई सवाल नहीं है। आप लोग दो-दो, तीन-तीन मिनट में सारांश बता दें, तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा लोगों को सुना जा सकेगा।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, दूषित एवं फफूंद युक्त ग्लूकोज के प्रयोग का मामला काफी दिनों से मेडिकल कालेज, लखनऊ में चल रहा है और उसमें जूनियर डाक्टर्स एसोशिएसन ने इस बात का आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य सचिव स्वयं यू० पी० डी० पी० एल० के अध्यक्ष भी हैं, साथ-साथ शासन की ओर से इस ग्लूकोज के क्रेता भी हैं। इनकी दो स्थितियां हैं, एक तरफ यह ग्लूकोज बनाते हैं और दूसरी तरफ खरीदते हैं। इस ग्लूकोज का प्रयोग मेडिकल कालेज में काफी दिनों से किया जा रहा है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और जिन डाक्टरों ने इसका प्रयोग किया है, पाया है कि इससे मरीजों की हालत खराब हुई है, मर्ज और बढ़ा है तथा दूसरी परेशानियों के साथ, मृत्यु तक हुई है। इसका प्रयोग लखनऊ मेडिकल कालेज में ही नहीं, प्रदेश के अनेक चिकित्सालयों में धड़ल्ले से हो रहा है। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य निदेशक, सचिव झूठा आरोप लगा रहे हैं कि यह घटनायें डाक्टरों की लापरवाही से हो रही हैं, जबकि जूनियर डाक्टरों का इससे कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि खरीद के जो भी आदेश देंगे अधीक्षक देंगे, बड़े-बड़े डाक्टर्स देंगे, छोटे डाक्टर नहीं देंगे।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, ग्लूकोज ही नहीं बल्कि बहुत सी दवायें फर्जी कम्पनियों से खरीदी जाती हैं। इससे पूरे प्रदेश के जनमानस में चिंता है। यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और अविलम्बनीय है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय पर 2 घंटे की चर्चा करायें अन्यथा प्रदेश के लाखों आदमियों के जीवन मरण का प्रश्न बनेगा और यह प्रदेश के लिये खतरनाक होगा।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मुझे भी सुन लें, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये, कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। ग्राह्यता पर मैंने एक आदमी को सुन लिया।

श्री गोपाल दास यादव—

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री गोपाल दास यादव—

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

*श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में आयी है तब से देवली और साढूपुर से लेकर अनेक बार हरिजनों की सामूहिक हत्या हुयी है। अभी हाल ही में मुरादाबाद में सलारपुर गांव में 2 हरिजनों की सामूहिक रुप से सवर्णों ने हत्या कर दी। आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये हैं। इस सम्बन्ध में वहां के हरिजनों ने पहले से ही सूचना जिलाधिकारी को दे दी थी और 30/12/85 को एक रिपोर्ट भी दर्ज करायी थी। उसके बावजूद भी वहां के लोगों ने 21 तारीख को सामूहिक रुप से आकर, हथियारों से लैस होकर उन लोगों पर आक्रमण किया और मौके पर ही दो हरिजनों की हत्या हो गयी। एस0 एस0 पी0 को जानकारी देने के बावजूद भी पुलिस की निष्क्रियता के कारण दो लोगों की हत्या हो गयी। मैं इस संबंध में आपसे अनुरोध करुंगा कि इस पर दो घंटे की चर्चा करायी जाय।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, एक निवेदन है। मेरा निवेदन है कि यह मामला मुरादाबाद से संबंधित है। यह मामला आकिल साहब के क्षेत्र का है। उन्होंने लिखकर दिया है जिस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। लेकिन आपके कार्यालय की कमी से इसके साथ नहीं जोड़ा गया वरना नाम जोड़ देना चाहिये था। मेरा निवेदन है कि चूंकि यह मामला आकिल साहब के यहां का है, इस लिये आकिल साहब को सुन लें।

श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

मान्यवर, दिनांक 21/1/86 को ग्राम सलारपर थाना डिडौली जनपद मुरादाबाद में दो जाटवों श्री दलफत सिंह एवं लल्लन सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गयी। एक आदमी 11/2/86 को अस्पताल में मर गया। वहां पर अब भी तनाव व्याप्त है और भयानक स्थिति है। हरिजन लोग लाइसेंस चाहते हैं

नोट—[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको लाइसेंस तुरंत दिये जांय। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर दो घंटे की चर्चा करायी जाय। वहां पर हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ है। मेरा अनुरोध है कि वहां के एस0 आई0 इन्द्रजीत शर्मा हैं उनको तुरंत हटाया जाय। इस पर दो घंटे की चर्चा करायी जाय।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, मैं सबको सुनूंगा।

श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

7 आदमी मान्यवर, जख्मी हुए पड़े हैं और एक आदमी उसमें का 11-2-86 को मर गया। वहां के जाटव अभी भयभीत हैं और वह लाइसेंस चाहते हैं। उन्हें कृपया लाइसेंस दिलाये जाए और जो इन्द्रजीत सिंह, एस0 आई0 हैं, उसे तुरन्त सस्पेंड किया जाए और साथ ही मान्यवर वहां के हरिजनों को अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिलाये जाएं और मान्यवर, जिसकी मृत्यु हुयी है, उसके परिवार वालों को 25-25 हजार रु0 दिलाएं जाएं। दूसरा एक निवेदन मेरा यह है कि इस पर आज सदन की कार्यवाही रोक कर दो घंटे की चर्चा भी कराई जाए।

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा जगत पर छात्रों को अनेकों कठिनाईयां हो रहीं हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, बेरोजगारी की समस्या को लेकर कांग्रेसी शासन की दोहरी शिक्षा नीति के खिलाफ और रोजगार परक शिक्षा देने की मांग को लेकर कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से आए हुए हजारों विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने जो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जुलूस की शक्ल में निकाला था और वह लोग इस प्रयत्न में थे कि हम किसी तरह विधान सभा के मा0 सदस्यों के सामने अपनी बात को पहुंचाएं और मान्यवर, यह जुलूस छात्र नेता कुंवर रामवीर सिंह और रविदास मेहरोत्रा के देख-रेख में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा था। उस पर मान्यवर, जबर्दस्ती लाठी चार्ज किया गया। जहां एक ओर माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि विषम स्थिति को देखकर शांति स्थापित करने के प्रयास किये जाएं, वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने नाजायज ढंग से निहत्थे छात्रों पर अपने घोड़े दौड़ाये और 350 विद्यार्थियों को जेल में बंद कर दिया गया। तो इस संबंध में मेरा कहना है कि जहां उत्तर प्रदेश में एक ओर शांति और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है, वहीं पर इन अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण सारे प्रदेश में अव्यवस्था फैली हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस मामले पर चर्चा करायें। (शोर)

श्री राम सरन—

मान्यवर, एक तो मैं उम्र में बड़ा हूं, यह भी एक दुर्भाग्य की बात है दूसरे एक हफ्ते में कभी कोई प्रस्ताव दे दूं तो दे दूं, ज्यादा मैं बोलता नहीं हूं, यह भी एक दुर्भाग्य है। तीसरे आपकी कृपा हमारे ऊपर नहीं है। वैसे मान्यवर, अब मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से काफी संख्या में युवक छात्र यहां इकट्ठा हुए झण्डेवाले पार्क में। वह शासन के पास अपनी कुछ मांगे लेकर आए थे, जिसमें से मुख्य तो मंहगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस आचरण, दोहरी शिक्षा प्रणाली तथा कम्प्यूटरीकरण के खिलाफ थीं। शासन को वह छात्र मांग पत्र देना चाहते थे। परन्तु शासन ने और यहां पर हमारे सामने बैठे मंत्रीगण, माननीय वीर बहादुर सिंह जी तो हैं नहीं, माननीय हुकुम सिंह जी बैठे हैं, इनकी सरकार की पुलिस ने एकदम उन छात्रों को घोड़ों से कुचलवा दिया। (हंसी) लाठी चार्ज किया। मान्यवर, किस तरह से उन लड़कों ने भाग-भाग करके अपनी जान बचाई, कोई कहीं घुसा, कोई कहीं घुसा। 3-4 ट्रकों में भर कर उनको जेल ले गये या थानों में ले गये। इनमें कुंवर रामवीर सिंह, रविदास मेहरोत्रा, महेन्द्र सिंह यादव आदि पकड़े गये और लगभग 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उनका वर्जन भी आया अखबारों में, वह लोग हमसे भी मिले। माननीय हुकुम सिंह जरा इधर नजर घुमाइये। आप बहुत खूबसूरत हैं। अगर छात्र प्रदेश का खड़ा होगा, तो आपकी इस प्रदेश की सरकार को एक दिन में उखाड़ करके फेंक देगा। आप यह पुलिस को आदेश दें कि वह संयम से रहें और प्रदर्शन आदि पर इस तरह के जुल्म न किया करें। मान्यवर, इस पर दो घंटे की चर्चा के बजाय दो दिन की चर्चा कराई जाय।

*श्री काशी सिंह ऐरी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं इस सदन के समक्ष इस पूरे प्रदेश की जनता और इस पूरे प्रदेश के लिए इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं। मान्यवर, इस घटना ने न पूरे छात्र के ऊपर, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला है कि इस लोकतंत्रीय सरकार के प्रति ऐसी भावना पनप गयी है कि इस सरकार के पास हरएक बात का जवाब केवल पुलिस है। मान्यवर, छात्र जोकि विभिन्न स्थानों से आये हुए थे, उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाला, मंहगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए, वे 18 फरवरी को अमीनाबाद, झंडे वाले पार्क में एकत्रित हुए थे और शांतिपूर्वक वे वहां से निकल कर विधान सभा के सामने आना चाहते थे कि प्रदेश की जुल्मी और निरंकुश सरकार के इशारे पर पुलिस ने उनके ऊपर घोड़े दौड़ाये, लाठी चार्ज किये और मारा-पीटा तथा गिरफ्तार किया। मान्यवर, वे छात्र लोग सरकार को बताना चाहते थे कि आपके इस प्रदेश में मंहगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, अनेकों सामाजिक कुरीतियां हैं, मान्यवर, सरकार ने इसको सुनने के बजाय उन पर घोड़े दौड़ाये, उनको मारा-पीटा और गिरफ्तार किया। इससे मान्यवर, पूरे प्रदेश के छात्रों में उत्तेजना फैल रही है। अतः मान्यवर इस अविलम्बनीय, और लोक महत्व के विषय पर कार्य रोक कमसे कम दो घंटे की चर्चा कराई जाय।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, आज पूरे देश में जहां मंहगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की दोहरी नीति और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से लोग चिंतित हैं, वहीं पर प्रदेश के नवजवानों ने इन सबके प्रति इकट्ठा होकर हमारे प्रदेश की जनतंत्र की अदालत, विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने का निश्चय किया था और उसी के तहत कल 18 फरवरी को अमीनाबाद, झंडेवाले पार्क में एकत्रित हुए थे। शांति पूर्वक वह वहां से निकल कर विधान सभा के सामने आना चाहते थे कि प्रदेश की जुल्मी और निर्मम सरकार के इशारे पर पुलिस ने उनके ऊपर घोड़े दौड़ाये, लाठी चार्ज किये, मारा-पीटा और गिरफ्तार किया। इससे पूरे प्रदेश में, नवजवानों में उत्तेजना फैल रही है और छात्रों में उत्तेजना है। अभी फरवरी है, मार्च और अप्रैल में हाई स्कूल इण्टरमीडिएट बोर्ड तथा तमाम विश्वविद्यालय की परीक्षायें होने वाली हैं। पूरे प्रदेश में भी इस समय तनाव व्याप्त है। ऐसी स्थिति में इस तरह की घटना करा कर पूरे प्रदेश में तनाव व्याप्त होगा और प्रदेश का नवजवान इन सब चीजों के खिलाफ संगठित होकर आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जायगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। अतः इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय पर कार्य रोक कर कम से कम दो घंटे की चर्चा करायी जाय, ताकि देश की समस्याओं के साथ रचनात्मक रूप से नवजवान जुड़ कर उसमें सहयोग करें, अन्यथा इस जर्जर व्यवस्था पर प्रहार और आक्रमण करने के लिए नवजवान बाध्य होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या सब लोग इस विषय पर बोलना चाहते हैं, जितनों के नाम दिए हुए हैं?

श्री मनोहर लाल—

मैं सरकार की बेहयाई पर बोलना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप खूब बोलें, मैं नहीं रोकता, लेकिन सामान्य बजट आ रहा है, आपका समय नष्ट हो रहा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्यों की भावनाओं को आपने सुना। सदन में काफी बड़ी संख्या में सदस्य उत्तेजित हैं। छात्रों के साथ अन्याय हुआ। परमीशन के बाद जुलूस निकाला गया, उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और जेल में बन्द किया गया। मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि छात्रों ने परमीशन लेकर जुलूस निकाला, इसलिए तत्काल उनको रिहा किया जाए तथा जिन लोगों ने इस तरह की कार्यवाही की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव— ←——

मान्यवर, पहले उन्होंने इजाजत ली। इजाजत के साथ-साथ उनका संवैधानिक अधिकार है कि सरकार की गलत नीतियों से असन्तुष्ट होकर प्रदर्शन कर सकें। मान्यवर, छात्र मंहगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मेरी आपसे मांग है कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस पर दो घंटे की चर्चा कराएं।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, सदन के चलते हुए, जिसके सामने सड़क है, उस पर कोई जुलूस निकालने की, जलसा निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है। सूचना आई थी, उनको अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा जुलूस निकालेंगे। 151 धारा के तहत 23 छात्रों को बन्द कर दिया गया, सात छात्रों को और धारा के तहत बन्द किया गया। मैं आश्वस्त करता हूं कि उन छात्रों को छोड़ दिया जाएगा। जहां तक उनके आन्दोलित होने की बात है, तो मैं कहना चाहूंगा इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप छात्रों का उत्पीड़न बन्द कर दें, उनका शोषण बन्द कर दें उनको शिकार न बनायें।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, कई बार से देखा जा रहा है कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि पूरे सदन में उत्तेजना फैल जाए। छात्रों का शोषण तो यह कर रहे हैं। न उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं, न नौकरी की व्यवस्था कर रहे हैं, उल्टे बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री को निर्देश दें कि सदन ठीक से चले, इसके लिए वह ऐसी भाषा का प्रयोग न किया करें।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने जो अपने वक्तव्य में उत्पीड़न शब्द का प्रयोग किया है, उसको वापस लें। मान्यवर, मैं नियम-60 के अन्तर्गत आज की कार्यवाही स्थगित करने की मांग करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राजनीतिक उत्पीड़न कहा है, यह व्यंग्यात्मक है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

वह भी कहते हैं आप भी कहते हैं। मैं नहीं रोक सकता हूं।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, अलीगढ़ जनपद में ग्राम ऊमरी में 22 तारीख को श्री हरप्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या हुई। हत्या होने के बाद सुबह रिपोर्ट लिखा दी गई। 22 तारीख को रात में 12 बजे विशेष परिस्थिति में हर प्रसाद का पोस्ट मार्टम किया गया। उसी दिन एक दरोगा को तफतीश दी गई। [x x x]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[xxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तो उस दरोगा को हटाकर दूसरे दरोगा को तफ्तीश दे दी गई। उमरी गांव माननीय गृह राज्य मंत्री का गौरव है। [x x x] एक दिन पूर्व माननीय गृह राज्य मंत्री ने शपथ लिया था, एक ही दिन में उनके संबंधियों का मनोबल इतना बढ़ गया। उस आदमी का उनके परिवार से क्या सम्बन्ध था, उसको मैं नहीं कहना चाहता हूं। मान्यवर, उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। जब जनता में उत्तेजना फैली तब जाकर रात 12 बजे लालटेन और गैस की रोशनी में उसका पोस्टमार्टम किया गया। मान्यवर, वहां पर उत्तेजना फैली है और जनता में आक्रोश व्याप्त है। हत्यायें रोज हो रही हैं [xxx] मेरा निवेदन है कि जिन लोगों के नाम तफ्तीश में आये हैं, जिनको बदल दिया गया है बदला न जाय और जांच कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इस पर आप दो घंटे की चर्चा अवश्य करायें। [x x x] इस तरह से पुलिस न्याय कैसे कर पायेगी और राज्य कैसे चलेगा ? यह घटना सत्य है, इसलिये गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा मांगना मेरा नैतिक दायित्व है। मैं इस्तीफे की मांग करता हूं।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, यह घटना गम्भीर है। 21 जनवरी को गृह राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ने शपथ ग्रहण किया। उनके लोगों को इसका पता पहले चल गया था और उनके परिवार तथा उनके सजातीय लोग उनका स्वागत करने के लिए आ गये थे। जश्न मनाने के बाद 21 तारीख को उमरी के लिए वह लोग रवाना हो गये। उन्होंने हर पाल शर्मा पुरोहित जो गृह राज्य मंत्री के भी पुरोहित थे और उनके यहां आना जाना था। माननीय गृह राज्य मंत्री की चाची यशोदा बेवा थी, उनके यहां पंडित जी का आना जाना था। 22 की रात को पं0 हरपाल शर्मा का मर्डर कर दिया गया।

गृह राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान के ऊपर लगाये गये आरोप पर व्यवस्था का प्रश्न

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आप से आग्रह करना चाहता हूं कि इस कार्य स्थगन की सूचना के आधार पर हमारे मंत्रि-मंडल के एक सम्मानित सदस्य के ऊपर आरोप लगाए गये हैं। वह केवल मंत्रि-मण्डल के सदस्य ही नहीं हैं, इस सम्मानित विधान सभा के सदस्य भी हैं। आप कार्य संचालन नियमावली देखें कि प्रातः काल जो भी आरोप होंगे, उनके प्रमाण भेजे जायेंगे और यदि प्राग्दर्शन में वे आरोप सिद्ध होंगे तो मा0 अध्यक्ष उसे सूचना देने के लिये अधिकृत करेंगे। क्या आपको इस प्रकार का कोई प्रमाण दिया गया है, यदि नहीं दिया गया है तो मेरा आग्रह है कि इस विषय को कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने जो कहा कि यह मंत्री पर आरोप है।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, यह आरोप नहीं है। यह उनके गांव का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह उनके गांव का हो या जो हो, उनका पूरा नाम लिया जा रहा है। जो नियम हैं, उन्होंने जो प्रश्न उठाया है कि कागज होना चाहिये। वे यहां के मा0 सदस्य भी हैं और सदन के मंत्री हैं। उनके खिलाफ कोई बात [illegible] तो कुछ तथ्य भी तो देने होंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाने का हमारा अधिकार रहा है। आप कार्यवाही उठाकर देख लें। जबसे यह सदन

नोट—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चला है, मंत्रियों पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। यदि मा0 सदस्यों ने कोई असंसदीय शब्द कहा हो तो उसे निकाल दें परन्तु आरोप लगाने का हमारा अधिकार है। मंत्रीगण सफाई देते रहे हैं। यह हमारा अधिकार है।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नियम 289 को पढ़ना चाहता हूं "किसी सदस्य द्वारा किसी सदस्य के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो जिसमें मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए जांच कर सकें। परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेंगे यदि उनकी राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता।"

(व्यवधान)

इसकी जानकारी आपको कार्यस्थगन के रूप में दी गई है। मान्यवर, आप संरक्षण नहीं देंगे तो यह सदन कैसे चलेगा ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी का सम्मान करता हूं। उन्होंने जिस नियम का हवाला दिया, उसके तहत आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस सूचना को तो अग्राह्य कर सकते हैं लेकिन कोई भी नियम ऐसा नहीं है कि जिसके अन्तर्गत यदि किसी असंसदीय भाषा का प्रयोग न हो और भाषण में कोई बात आए तो उसे कार्यवाही से निरस्त करा दें। ऐसा नियम कहीं नहीं है। अगर मा0 मंत्री जी दिखा दें तो हम कुछ सीखना भी चाहते हैं, चाहे इधर से आवें या उधर से आवें।

मान्यवर, केवल व्यवस्था के नाम पर, खाली इसलिए कि माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने एतराज किया है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देंगे कि उस अंश को कार्यवाही से निकाल दिया जाय। इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह राज्य मंत्री, जिनके खिलाफ आरोप लगाया गया है, वह सदन में उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में मान्यवर, नियमों के तहत ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर दे सकते हैं।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

मान्यवर, मैं अभी आया हूं, मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आप नियमों के तहत माननीय गृह राज्य मंत्री को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान कर सकते हैं लेकिन कार्यवाही को निकालने का प्रश्न नहीं उठता है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि किरनपाल सिंह जी ने जो विषय उठाया है, वह अंश कार्यवाही से निकाल दिया जाय। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो नोटिस दी गयी है, वह नियमानुकूल है। हमको मान्यवर, यह अधिकार है कि हम निष्पक्ष होकर, निर्भय रूप से अपनी बात कहें और कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न करें। मान्यवर, मैंने भी माननीय सदस्य श्री किरनपाल सिंह जी की बात को सुना था, उन्होंने कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाये हैं, तो माननीय मंत्री जी को यह अधिकार है कि वे सम्बन्धित सदस्य के विरुद्ध उन आरोपों को गलत सिद्ध करते हुए विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न लायें, अवमानना का प्रश्न ला सकते हैं। इसलिये श्रीमन्, कोई नयी परम्परा माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री के कहने पर न पड़े।

*श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, नियम 289 (क) जो है, उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह नियम 3-4 वर्ष पूर्व सिर्फ ऐसी परिस्थितियों के लिए ही, नियम समिति की सिफारिश और सदन के अनुमोदन के बाद इस नियमावली में जोड़ा गया था। मान्यवर, किसी चीज की चर्चा करते समय कोई मानहानिकारक अथवा अपराधारोपक स्वरुप के रुप में कोई बात कही जाती है, तो चरित्र हत्या तो संबंधित व्यक्ति की हो ही जाती है। मान्यवर, जो मंत्रि-परिषद् का सदस्य है, उसका जो दायित्व है कर्तव्य है, जो शासन चलाने के सम्बन्ध में उसके कार्य हैं, वह उसका निर्वाहन करेगा। अलोचना करना तो सदस्य का कर्तव्य है, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मान्यवर, अभी उस अंश को कार्यवाही से निकाले जाने की बात हुई। मान्यवर, आपकी पीठ से रोज इस तरह की व्यवस्थायें होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति नियम के विरुद्ध बोलता है, तो कहा जाता है कि यह लिखा नहीं जायेगा। जब नियम में यह स्पष्ट लिखा है कि उन तथ्यों के बिना सदन में वह बात नहीं कही जायेगी, और वह कार्य किया जाय, उन शब्दों का प्रयोग किया जाय, तो मान्यवर, इन नियमों का पालन कैसे होगा ? मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जो शब्द मानहानिकारक और अपराधा-रोपक स्वरुप के हैं, उन्हें कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, आप मेरी नोटिस पढ़ लें, उसमें मेरा कोई आरोप नहीं है। आप मुझे सुन लें।

मान्यवर, 21 तारीख को माननीय मंत्री जी ने शपथ ग्रहण की। 22 तारीख की रात को इनके गांव में एक पंडित का कत्ल हो गया। जब उस पंडित जी के घरवाले थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गये . . . .नामजद रिपोर्ट वह दर्ज कराना चाहता था, लेकिन रिपोर्ट नहीं ली गई। अज्ञात नाम से रिपोर्ट ली गयी। 22 तारीख को मर्डर हुआ, 23 तारीख को पोस्ट-मार्टम हो जाना चाहिये था, नहीं तो 24 तारीख को पोस्ट मार्टम हो जाना चाहिए था लेकिन पोस्ट मार्टम 24/25 की आधी रात को किया गया। अब आप ही बतायें मेरे नोटिस को देखकर कि मैंने कौन सा ऐसा शब्द कहा है, जिससे आरोप लग रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने घटना को सुन लिया है। अब आप बैठ जांय।,

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने एक बिन्दु यहां पर उठाया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। उसके बाद माननीय श्री बरार साहब बोले। मान्यवर, जो भावना यहां पर उठाई गयी है, मैं उसका समर्थन करते हुए एक आश्चर्य प्रकट करता हूं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने तर्क के लिए तर्क दिया। अगर वह नोटिस पढ़ लेते तो शायद कार्य-स्थगन के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर वह सदन के इस अमूल्य समय को नष्ट करने का साहस न कर पाते। मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि संसदीय परम्पराओं के लिए उनका कितना अनुराग है। यह सही है कि आरोप किसी के ऊपर लगाये जांय तो उसकी सूचना दी जानी चाहिये। अब आप कार्य स्थगन की सूचना को देखें। इसमें लिखा है कि 24/25 की रात को 12 बजे मृतक का पोस्ट-मार्टम कराया गया। इसके बाद तफतीश कार्य दरोगा ने की। 2 व्यक्तियों के कत्ल में हाथ होने का पता लगाया। उनके नाम हैं श्री महेन्द्र सिंह और श्री विजेन्द्र सिंह, जो वर्तमान गृह राज्य मंत्री के खानदानी हैं। नियमानुसार इस सूचना की तीन प्रतियां होती हैं जिसकी एक प्रति शासन को भी जाती है, जो उसको पहुंच गई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी जो कह रहे थे, उस नियम के तहत भी माननीय सदस्य इस पर बोल सकते हैं। इसलिए मान्यवर, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए तब अपनी व्यवस्था दें।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री के ऊपर कहीं पर भी आरोप नहीं लगाया गया है। यह कहते हैं कि सरकार को इसकी नोटिस पहले जानी चाहिए थी, ताकि मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण

दे पाते । मान्यवर, इसी सदन के अन्दर मैंने माननीय श्री श्रीपति मिश्र जी के ऊपर आरोप लगाया था और श्री प्रवीण कुमार शर्मा के ऊपर आरोप लगाया था, उसका वह स्पष्टीकरण नहीं दे पाये । तो फिर हम इन लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, गुप्त जी ने एक बात कही कि शासन के संज्ञान में चीज आ गई है नोटिस के रूप में उनकी बात समझ में आती है लेकिन नियम में यह है कि जिस मंत्री के ऊपर आरोप लगाये गये हैं, उसके पास भी सूचना जानी चाहिए, जो उनके पास नहीं गई है । तब तो फिर हम समझ लेते हैं कि उधर बैठने वाले लोगों का कानून और नियम से कोई वास्ता नहीं रह गया है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

(श्री लाल प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, चूंकि विधान परिषद् में एजेण्डा में मेरा आइटम आ चुका है । इस मामले पर बहस चलती रहे, मैं अपनी बात कह दूं । जिस बिन्दु पर चर्चा की गयी और जो बात उठाई गई . . .

(कई सदस्यों के खड़े हो जाने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी बात मैंने सुन ली है, आप लोग बैठें ।

(नेता विरोधी दल को पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, मुझे आज्ञा दें विधान परिषद् में मेरा आइटम आ गया है, लौटकर जवाब दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आप जाइये ।

(गृह राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान सदन से चले गये ।)

श्री मुलायम सिंह यादव—

जैसा कि माननीय गुप्त जी ने भी कहा कि अगर नोटिस को पढ़ा जाता तो इसका सवाल ही नहीं उठता । नोटिस में लिखा हुआ है कि - "मा0 मन्त्री जी ने विवेचना ही बदलवा दी और अपने एक चहेते अधिकारी को सौंपने के आदेश पारित कर दिये । अपराधी आज भी गृह राज्य मंत्री की छत्रछाया में निर्भीक घूम रहे हैं और गवाहों को आतंकित कर रहे हैं तथा साक्ष्य नष्ट कर रहे हैं । यदि मंत्री लोग भी इस प्रकार से अपराधियों को प्रश्रय देंगे तो अपराध समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं ।"

इस प्रकार नोटिस में पहले ही सूचना है । नियमावली के नियम 289 के तहत सूचना पहले से है । जैसा माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने कहा कि आरोप का खण्डन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कार्यवाही से निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, इसको कब तक चलायेंगे, जरा समय तो देख लीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक आप चाहेंगे ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, आपको दो तरह की शक्तियां हैं- एक तो आप रूल इन्टरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, दूसरे रूल मेकिंग पावर भी आपमें इनहेरेण्ट है । अगर कोई ऐसी सिचुएशन या परिस्थिति पैदा हो जाय जिसके लिये रूल में प्राविधान न हो या स्पष्ट न हो या यदि स्पष्ट हो, तब भी इक्विटी और गुड कान्शस के आधार पर आप कोई भी व्यवस्था दे सकते हैं । वह व्यवस्था नई प्रतीत हो सकती है लेकिन सदन के संचालन में मदद कर सकती है और हाउस उचित प्रकार से संचालित हो सकता है । जो टेक्निकल्टीज उठाई गयीं हैं, इनके बावजूद अगर आप महसूस करते हैं कि आपराधिक स्टेटमेन्ट दिया गया है, जो कि उचित नहीं है तो उस पर आप व्यवस्था दे सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये जब तक पूर्व निर्देश और इनफारमेशन न दी जाय । वह स्व-विवेक है, वह आपका

अधिकार है हमेशा-हमेशा है ऐसी रूलिंग देने का । इसलिए यह व्यवस्था जो आपने दी है, उचित है और जो नोटिस दी गयी है, उससे भी स्पष्ट है कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट बनाया गया है । कोई भी व्यवस्था हो पर्टीकुलर फैक्ट से ताल्लुक रखती है । इस पर्टीकुलर फैक्ट में आपकी व्यवस्था उचित है कि यह स्टेटमेन्ट गलत आया है, यह नहीं होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है, मंत्री जी के गांव में कत्ल हुआ । माननीय लक्ष्मी नारायण को पूरी जानकारी है, इनके घर का मामला है । कृपया आप इन्हें सुन लें । संसदीय कार्य राज्य मंत्री सबको धमका रहे हैं, आप इसकी नोटिस लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप व्यवस्था पर बोलेंगे या और कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री लक्ष्मी नारायण—

मैं व्यवस्था और घटना, दोनों के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, घटना के संबंध में मैं नहीं कहने दूंगा, व्यवस्था के बारे में आप बोल सकते हैं ।

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, अभी जो माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने और जयदीप सिंह बरार ने कहा था कि सूचना नहीं दी गयी । तो इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री राजेन्द्र सिंह, श्री जगवीर सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री कनक सिंह तथा मैं जहां बैठा हुआ था वहां माननीय, गृह राज्य मंत्री जी स्वयं आये और इस मामले पर हम लोगों से वार्ता करने लगे । यदि उनको इसकी सूचना नहीं थी तो फिर वे हम लोगों से वार्ता करने क्यों आये थे ?

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों तरफ की बातें सुनी गयीं । जो सूचना नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी है वह एक मंत्री के खिलाफ भी पड़ती है । उसमें यह था कि उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाया गया था । इसकी सूचना कार्यालय से मंत्री को, जैसे कि जाती है, वह सूचना हमारे कार्यालय से गयी है । उनकी व्यक्तिगत कैपेसिटी क्या है और मंत्री होने की कैपेसिटी क्या है, यह दूसरी बात है लेकिन जो सूचना हमारे कार्यालय से जाती है, वह गयी है । लेकिन जहां तक सवाल इसका है कि जो विचार अब तक हुआ और उस पर माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने जो कहा कि जब तक कि सूचना न हो, तो सूचना के लिए व्यक्ति की बात हो तो मैं नहीं जानता लेकिन विभाग को सूचना गयी थी और नियम 289 (क) का जहां तक सवाल है तो उस घटना में उनके पद का प्रभाव दिखाया गया है, यह उसमें इंगित किया गया है । मंत्री जी के घर का आरोप मैं नहीं समझता हूं कि इसका कोई सवाल है । इसलिये यह कार्यवाही में बात रहनी चाहिये और यह कार्यवाही का अंग रहेगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 162 रु0 क्विन्टल घोषित किया है इससे किसानों में निराशा व्याप्त हो गयी है । विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जबकि सरकार ने इसके बाद डीजल, उर्वरक और मिट्टी के तेल के दामों में बढ़ोत्तरी की घोषणा की है । किसानों की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिये गये हैं जिसका निश्चित रूप से परिणाम यह होगा कि लागत दाम गेहूं के और बढ़ जायेंगे । सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । अगर सरकार उन सरकारी फार्मों पर अनुमान लगाये कि वहां जो गेहूं के लागत दाम आते हैं तो मेरा निश्चित मत है कि फिर सरकार

गेहूं का समर्थन मूल्य 200 रु0 क्विन्टल से कम न घोषित करती । तो मान्यवर, आजकल जितनी उपभोक्ता वस्तुयें हैं, जो किसान को खरीदनी पड़ती हैं, उनके दाम आसमान को छू रहे हैं और किसानों की वस्तुओं का जो समर्थित मूल्य सरकार दे रही है, वह उचित मूल्य नहीं है । मान्यवर, 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है और उसकी उत्पादित वस्तुओं का समर्थित मूल्य न मिल पाने के कारण उसकी क्रय शक्ति का निरन्तर ह्रास हो रहा है, तो इस प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति का ढांचा चरमरा रहा है । मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । 80 और 90 प्रतिशत जन जीवन इससे जुड़ा हुआ है । इसलिये, मान्यवर, आप सदन को स्थगित करके इस पर चर्चा करा दें । मान्यवर, दूसरी बात जहां तक ग्राह्यता का प्रश्न है एक माननीय सदस्य ने जो तर्क दिया, उसी को आधार मानता हूं । जिस तरह से कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट और विधान मंडलों को है, लेकिन स्टेट लिस्ट, सेन्ट्रल लिस्ट और कान्करेन्ट लिस्ट पर कानून बनाते हैं और उनके साथ ही साथ जो हाइएस्ट कोर्ट आफ लैंड हैं । हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने जुडीशियल प्रोनाउन्समेन्ट से वे भी ला मेकिंग बाडी का काम करते हैं । मान्यवर, उसी प्रकार से जो आपकी पीठ से निर्देश दिये जाते हैं, अगर वह नियमावली में न भी हों तो वह उसमें जुड़ जाते हैं । मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है और आप की पीठ से पिछले दिनों समय-समय पर जो निर्देश दिये गये हैं उनको देखते हुये यह लोक महत्व का प्रश्न बन गया है और इस पर कार्य स्थगन करके चर्चा कराने का आदेश देना चाहिये । आपने धान की महत्ता को स्वीकार करते हुये दो घन्टे की चर्चा उस पर स्वीकार की है और सरकार को मानना पड़ा है तो मान्यवर धान की ही भांति यह प्रश्न भी जनजीवन से जुड़ा हुआ है । इसलिये आप इस पर कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री रघवर दयाल वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है, उससे कुछ हटकर प्रश्न उठाना चाहता हूं । मान्यवर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं - एक तो यह कि गत वर्ष चन्द्र शेखर आजाद विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य ने एक पुस्तिका प्रकाशित की, उसमें गेहूं का उत्पादन मूल्य 84-85 में कितना है ? इसका सर्वेक्षण किया गया तो यह लागत मूल्य 2.33 रुपया प्रति किलो का आया है । मान्यवर, गतवर्ष किसान को 2.33 रुपया लागत व्यय करना पड़ा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने उर्वरक और डीजल की कीमत इस समय बढ़ा दी है और जब खाद में और पानी में दाम बढ़ गये हैं, तो जो अगले वर्ष गेहूं का उत्पादन होगा, तो उस समय लागत और अधिक हो जायेगी मान्यवर, सरकार ने जो समर्थित मूल्य को 5 रु0 से बढ़ा दिया है, तो यह उसकी कीमतों से कहीं पर तारतम्य नहीं खाता है । जो व्यवस्था है, वह यह है कि लागत मूल्य को जोड़कर लाभकारी मूल्य दिया जाये । तो मैं निवेदन करूंगा कि किसानों में इससे बहुत बड़ा असंतोष है और एक निराशा की भावना पैदा हो रही है कि सरकार हमारी लागत कीमत को बढ़ाती जा रही है और गत 3 वर्षों से बिजली पर दाम बढ़ा दिया और डीजल पर दाम बढ़ा दिया इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर आप दो घन्टे की चर्चा करा दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आप किसान रहे हैं और आप स्वयं जानते हैं कि किसानों से सम्बन्धित जितने भी मसले हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । 80 प्रतिशत जनजीवन कृषि पर आधारित है । सरकार कहती है कि केन्द्रीय सरकार ने बढ़ा दिया है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो इनके हाथ में हैं, उनको कम करेंगे । केन्द्रीय सरकार ने तो 5 रुपया बढ़ा दिया परन्तु आप उपभोक्ताओं से 18 रुपया ले रहे हैं । बिजली, पानी जो इनके पास है, नहर और नलकूप इनके पास हैं, बिजली आपके

हाथ में है तो मान्यवर, गेहूं को सस्ता कर दिया जिससे किसानों को आज लागत नहीं मिल पा रही है, उससे फायदा मिले। कहेंगे कि यूरिया मैं नहीं दे सकता, डीजल में नहीं दे सकता। मान लिया कि केन्द्र सरकार उसकी सब्सीडी तय करती है लेकिन यह सब तो उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ ही में है। मैं चाहता हूं कि आज कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, घोषणा करें कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें सब्सीडी देने को तैयार है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो माननीय रेवती रमण जी ने और अन्य सदस्यों ने उठाया है। यह पूरे प्रदेश के किसानों का सवाल है। कल भी मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि यह सरकार किसान विरोधी है और यह पूंजीपतियों के समर्थन वाली सरकार है। स्वयं अभी माननीय वर्मा जी ने कहा और मैं भी 2 बार सदन में कह चुका हूं कि गेहूं का लागत मूल्य 233 रुपया प्रति क्विन्टल है, यह कोई मेरे दल की रिपोर्ट नहीं है यह रिपोर्ट है कानपुर चन्द्र शेखर कृषि विश्वविद्यालय की कि एक क्विन्टल गेहूं पैदा करने में किसान की 233 रुपया लागत आती है और सरकार दे रही है 162 रुपया प्रति क्विन्टल। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस पर 2 घंटे की भी चर्चा कम है और इसका इन्तजार भी नहीं करना चाहिए और सबसे प्रायटी पर मैं समझता हूं कि एक दिन की चर्चा इस पर होनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को लूटा जा रहा है। इसी का नतीजा है कि हमारे प्रदेश के किसानों की आर्थिक कमर टूट रही है। उसका लागत खर्चा भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है।

*कृषि मन्त्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, वर्मा जी कुंवर रेवती रमण सिंह जी और सम्मानित नेता विरोधी दल, की चिन्ता स्वाभाविक है। जो वह चिन्ता कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वह अपनी जगह किसी हद तक ठीक हो सकती है। मान्यवर, अभी कृषि विभाग की मांगों पर चर्चा होगी उस समय सम्मानित सदस्यों को इसको उठाना चाहिए और तभी उस पर विस्तृत चर्चा हो सकेगी। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार पूरी तरह से किसानों की हितैषी है। हमदर्द है

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

मान्यवर, यह 200 रुपये की घोषणा करें। अगर यह चाहते हो कि जब तक सूरज चांद रहेगा, नरेन्द्र सिंह का नाम रहेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह कृषि मंत्री जी, इस मामले में बजाय इसके कि कोई घोषणा करते इन्होंने कह दिया कि जब चर्चा होगी तब उसमें आप लोग भाग लेना। यह सरकार किसान विरोधी है। इसलिए इस किसान विरोधी सरकार के विरोध में हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह किसान विरोधी और पूंजीपतियों की समर्थक सरकार है। इसलिए इसके विरोध में हम लोग भी सदन का बहिष्कार करते हैं।

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो कहा उससे निराशा इसलिए हुई कि कृषि की मदों पर चर्चा जरूर होगी। उसमें विस्तार से सभी विषय हमारे सामने आ जायेंगे लेकिन जो संदर्भित विषय है उसमें पूरा न्याय नहीं हो सकेगा और उसमें सभी बातें नहीं आ सकेंगी। इसलिए मैं अपने दल के साथ इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, जो इसके सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कहा गया है वह किसान विरोधी नीतियों का द्योतक है। यह सरकार किसान विरोधी है। उनके हक में कोई काम नहीं करती है। किसानों को लाभकारी कीमत नहीं दे रही है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री राज किशोर सिंह भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री हरि शंकर तिवारी—

मान्यवर, अन्य वस्तुओं के पैदा करने पर उसकी उत्पादकता का जो लाभ होता है उसको ध्यान में रखा जाता है लेकिन इस सरकार द्वारा किसानों के प्रति जब उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जाता है, अन्याय किया जाता है और सरकारी सिद्धान्तों के हवारा गेहूं और धान का मूल्य इनकी एजेन्सी के लोग जो बताते हैं कि इसकी उत्पादन लागत इतनी आयी और उसी हिसाब से किसानों को कम मूल्य देने के लिये मजबूर किया जाता है और किसान विरोधी नीतियां अपनाकर उनको उनकी उत्पादकता का मूल्य देती है तो यह कहां तक औचित्यपूर्ण है . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर भाषण नहीं हो रहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मेरा मिट्टी के तेल के अभाव के बारे में है। . . . (व्यवधान)। उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एक अत्यन्त लोक महत्व और अविलम्बनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मिट्टी का तेल छोटी सी बात नहीं है। पूरे प्रदेश में मिट्टी के तेल का कृत्रिम अभाव कर दिया गया है और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। यहां पर बैठे हुये लोग और मंत्रीगण तो बिजली की चकाचौंध में रह रहे हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वहां के किसान, वहां की गरीब जनता, इस मिट्टी के तेल के लिये परेशान है। मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है। अपना खाना बनाने के लिए गांवों में लोग पुआल और गन्ने की पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान्यवर, मैं अपने ऊपर घटी एक घटना आपको बताना चाहता हूं। मेरे गांव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम था। 10 किलोमीटर दौड़ने पर भी एक लीटर तेल नहीं मिल सका और जब एक साधारण आदमी को हमने भेजा तो 13 रुपये लीटर के हिसाब से आधा लीटर तेल मिल पाया। इसी तरह से पूरे प्रदेश में 13 रुपये, 14 रुपये और 15 रुपये में मिट्टी का तेल बिक रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

खाद्य विभाग का जब बजट आयेगा तो इस पर आप बोल सकते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, यह लोक महत्व और जनता के जन-जीवन से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है। इस लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर आप चर्चा करवायें। आज जब यह सरकार जनता को मिट्टी का तेल नहीं दे सकती है। जब संविधान में रोजी, रोटी और मकान की गारन्टी है तो उसे सरकार मुहय्या कैसे करा पायेगी। सरकार ने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाकर अपने चुनाव में पैसा लिया है इसलिए तेल का कृत्रिम अभाव पैदा कर रही है। देहातों में हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए इस पर आप चर्चा करवा दें।

(श्री देव कुमार यादव के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, इस सदन को चलाने का सारा अधिकार आपको प्राप्त है और आपका उत्तरदायित्व है कि आप सदन को कैसे संचालित करें और उसमें इस सदन के दोनों पक्षों के सहयोग की अपेक्षा की गई है। जब एक बात तय हो कि किस समय तक क्या विषय लिये जायेंगे तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में चुने हुए और भी सम्मानित सदस्य चर्चा के दौरान अपने जनपदों की समस्यायें भी रखना चाहते हैं। मान्यवर, आप देखें कि कई सदस्य उस चर्चा में भाग लेने से बच रहे हैं। मैं कोई

टीका-टिप्पणी की बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मान्यवर, दो सौ से ज्यादा सदस्य इस तरफ भी बैठे हुये हैं, उनका भी अधिकार है कि वे अपने क्षेत्र की समस्यायें रखें और चर्चा में भाग लें। यदि इस तरह से आप उनको वंचित करेंगे तो शायद वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर सकेंगे। मैं निहायत अदब के साथ आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो भी आप निर्णय लेना चाहें, उसके लिये आप सक्षम हैं।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैंने आपकी अनुमति से एक लोक महत्व के विषय पर प्रस्ताव रखा है।

श्री विजय सिंह राणा—

किस पर बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

उनका भी एक काम रोको प्रस्ताव है।

श्री देवकुमार यादव—

मान्यवर, 10 और 15 फरवरी के बीच बुंदेलखंड में जनपद झांसी और ललितपुर तथा अन्य जगहों पर भारी ओला वृष्टि हुई। ललितपुर के डी0 एम0 के फ्रिज में आज भी आधा किलो का ओला रखा हुआ है, इससे पूरी फसल नष्ट हो गयी है लेकिन शासन की तरफ से कोई राहत की घोषणा नहीं की गयी। किसानों में निराशा व्याप्त है। वहां राहत कार्य चलाने की तत्काल आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी पूरा बजट पड़ा हुआ है, उसमें मौका मिलेगा।

श्री देव कुमार यादव—

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा कराईये। अगर चर्चा के लिए स्वीकार नहीं करते हैं तो कम से कम इस पर वक्तव्य दिलवा दें यह मेरा विशेष आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी पूरा बजट पड़ा हुआ है।

श्री हुकुम सिंह—

इस तरह बजट की नौबत कहां आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि नहीं मानेंगे तो बजट पर चर्चा का अवसर नहीं आयेगा।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

अगर बजट की नौबत नहीं आयेगी, यह जो 5 दिन का समय चर्चा पर निर्धारित है यह आपने किया है। आपसे पास कराते हैं पूरा सदन इसे पास करता है। मेरा कहना यह है कि हमारी जो समस्यायें हैं, उनको कहने का कहां समय मिलेगा ? अगर इनकी तरह हम भी नियम 56 का इस्तेमाल करें, तब कह पायेंगे। यह जो बजट पेश हुआ है, इस पर इतने विधायक इधर के और उधर के भी बहुत से माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की बात रखना चाहेंगे अगर एक एक बात के लिए इतना समय लगेगा और 5 बजे तक कार्यस्थगन ही चलता रहेगा तो हमें कहां समय मिलेगा। आपको पूरा अधिकार है आप अपना फैसला लेकर कहें इसमें वक्तव्य होगा और यह अस्वीकार हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह तो आपका अधिकार है, यह मेरा अधिकार है नहीं। आप जो चाहें, चाहे चर्चा करायें या न करायें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, अधिकार तो मेरा है। मेरी बात अब सुन लीजिये जो बाकी सूचनाएं बची हैं, मैं किसी पर चर्चा नहीं कराऊंगा। सबको रिजेक्ट कर रहा हूं केवल एक सूचना जो श्री सत्यपाल सिंह की है उसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं। कार्य स्थगन के रूप में सब अस्वीकार हैं।

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, ओला वृष्टि के संबंध में आपने सदन में चर्चा स्वीकार नहीं की, इसलिए मैं इसके

विरोध में अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री देव कुमार यादव सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

(श्री यदुनाथ सिंह और इसके बाद श्री आँसान सिंह भी सदन के फ्लोर में आकर खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री यदुनाथ सिंह—

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने अभी एक घंटा खराब किया।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

साढ़े तीन बजे हैं, किस किस को सुनूं ? (व्यवधान) आप बैठें। अपने स्थान पर। (दोनों सदस्य वहीं खड़े होकर बोलते रहे।)

श्री आँसान सिंह—

मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

(श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी के प्रयास से दोनों सदस्य अपने अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने श्री सरदार सिंह के मसले पर आपकी व्यवस्था के बावजूद भी एक घंटा कीमती समय सदन का बर्बाद किया है। जबकि वह जानते हैं कि एक मिनट में लगभग चार हजार रुपये सदन में खर्च होता है। जनता की गाढ़ी कमाई की बर्बादी हो रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मद सं0 9।

श्री आँसान सिंह—

नियम 56 में मैंने सूचना ——ेदिया था। मुझे आप नहीं सुन रहे हैं इसलिये मैं सदन के वेल में आकर बैठ रहा हूं।

(श्री आँसान सिंह पुनः सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री आँसान सिंह जी, आसन ग्रहण करें आप आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

(श्री आँसान सिंह अपने स्थान पर वेल से उठकर बैठ गये, लेकिन पुनः उनके खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, श्री आँसान सिंह की बात आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं। मैं श्री आँसान सिंह का सम्मान करता हूं लेकिन साढ़े तीन बज गये हैं। ज्यादा समय हो गया है और बजट पर चर्चा भी होनी है।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

यह दबाव की राजनीति नही चलेगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

दबाव की कोई राजनीति नहीं है। मैंने तो उनको पहले ही बोलने से मना कर दिया है।

(श्री आँसान सिंह के खड़े होकर बोलते रहने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आँसान सिंह जी उत्तेजित हैं, इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि कल जब नियम 56 लें तो इनकी सूचना पर विचार कर लें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। दो घंटे तो आप इतने उदार हुए थे कि उसका

कोई ठिकाना नहीं, आपकी टीका नहीं कर रहा हूं लेकिन जिस वक्त बहुत कम ही रह गये थे, उन्होंने कह दिया तो आपने उस पर कह दिया कि एक स्वीकार बाकी सब रिजेक्ट। यह तो आपने ठीक नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

उनके कहने से नहीं, पहले ही मैंने अपने विवेक से रूलिंग दिया है।

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

एक मंत्री को बचाने के लिए संसदीय कार्य राज्य मंत्री के कारण . . .

श्री उपाध्यक्ष—

वह अपना सुझाव दे सकते हैं, उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला है।

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम सरन भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष—

यदि सदन तय कर दे कि कार्य स्थगन सायं तक चलेगा या इतने बजे तक चलेगा, तो हमें सुनने में कोई अपत्ति नहीं है, ऐसे ही हाउस चलेगा ? . . .

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह— [XXX]

मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

श्री सरदार सिंह भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मुलायम सिंह यादव—

आपने जो व्यवस्था दी वह तो शिरोधार्य है, लेकिन यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने मंत्री जी पर आरोप लगाए थे, उसका मंत्री जी ने न खण्डन किया है, न उस पर आपने कोई वक्तव्य स्वीकार किया है। कोई चीज तो आ जानी चाहिए। इसलिए सारे लोग असन्तुष्ट हैं, इसमें छिपाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी के स्पष्टीकरण पर कोई रोक नहीं है, वह जब चाहेंगे अपना स्पष्टीकरण दे देंगे।

श्री किरनपाल सिंह—

मेरे पास उसके पूरे प्रमाण हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

होंगे, मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता हूं। आप बैठिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैंने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया था

(व्यवधान)

(श्री किरन पाल सिंह भी सदन त्यागकर चले गए।)

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष—

सभी के महत्वपूर्ण हैं। वे महत्वपूर्ण समझ कर ही देते हैं, आपका ही महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं अपनी समस्याओं को रख रहा हूं, आप उस पर समय दीजिए।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने सन् 86-87 का जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें विकास के लिए तमाम योजनायें हैं . . .

श्री गौरी शंकर भइया—

मैं आधे घंटे से खड़ा हूं, या तो आप कहें मैं बाहर जाऊं या आप कहें कि क्यों खड़ा हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बताइये क्यों खड़े हैं, क्या व्यवस्था है)

श्री गौरी शंकर भइया—

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है, वह यह है कि नियम 56 के सम्बन्ध में एक परम्परा

नोट—[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चली आ रही थी कि आप पांच छः सूचनाएं सुनते थे, बाकी रिजेक्ट कर देते थे। जिन माननीय सदस्यों को उसमें एतराज होता था, वह आपसे थोड़ा बहुत रोष प्रकट कर लेते थे, अपनी आपत्ति प्रकट कर देते थे। किन्तु, आज आपने कहा कि सारी सूचनाओं को सुना जायगा और जब दो तीन ही शेष रह गईं तो आपने कहा अब यह नहीं सुनी जाएंगी। हमने अपने जिले की एक सूचना आपको दी थी। जिस पर पिछले बजट सत्र में माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने कहा था कि जब चर्चा होगी तो उसमें भाग लेकर अपनी बात कह सकेंगे। पिछले बजट सत्र में मैंने बलिया जनपद के हास्पिटल के बारे में कहा था।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था के नाम पर आप भाषण क्यों दे रहे हैं ?

(मेजों की थपथपाहट)

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है तो ये लोग शोर क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

आपने यह क्या हुल्लड़ मचा रखा है। मान्यवर, इनको रोकें। अगर इस तरह से होगा तो सदन नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उन पर नाराज न हों, मुझ पर नाराज हो लें, नाराजगी मैं झेल लूंगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, देखें सदन कैसे चलता है ? कोई तमाशा है। यह हुल्लड़ मचा रहे हैं।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, गौरी बात सुन तो लें। मैंने अपनी बात अभी नहीं कही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने कोई व्यवस्था नहीं उठायी है, बैठें।

वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत) †

श्री नेक चन्द्र पांडेय—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह 1986-87 का बजट पेश किया है मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस बजट में गांवों के विकास के लिये विशेष रूप से प्रयास किया गया है। मान्यवर, वर्ष 1985-86 के अंत तक 1500 या इससे अधिक की आबादी वाले 8364 गांव पक्की सड़कों से जुड़ जायेंगे। इसी तरह से एक हजार या उससे अधिक आबादी के 6064 गांव पक्की सड़कों से जुड़ जायेंगे। मान्यवर, वर्ष 1986-87 में 1500 से अधिक जनसंख्या वाले 633 गांव तथा 1000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले 478 गांव पक्की सड़कों से जोड़े जायेंगे। मान्यवर, 7वीं पंचवर्षीय योजना में 80 प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ग्राम समाज को इतना पैसा दिया गया है जिसके माध्यम से वह कुयें, खड़न्जे आदि बनाकर गांवों का विकास कर सकते हैं। मान्यवर, दुख हुआ कि जब माननीय नेता विरोधी दल कल बजट पर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने तमाम इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किये कि भारत कहां स्टैंड करता है और उत्तर प्रदेश कहां स्टैंड करता है लेकिन उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि हमने अंतरिक्ष में इनसेट भेजा है। हमारा देश दुनियां के गरीब मुल्कों का नेतृत्व कर रहा है। (मेजों की थपथपाहट।)

मान्यवर, उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि आज खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। हमारे भंडार भरे हुये हैं। हम गेहूं, चावल, चीनी, चाय का निर्यात कर रहा है और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित

† दिनांक 18 फरवरी, 1986 की कार्यवाही से

कर रहे हैं। मान्यवर, टेक्नालजी में हम इतना आगे बढ़ गये हैं कि दुनियां के तमाम देशों को मशीनों का निर्यात कर रहे हैं। मान्यवर, उन्होंने मृत्यु दर के बारे में आंकड़े दिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया के जितने मुल्कों का उन्होंने हवाला दिया है, वह ठंडे मुल्क हैं वहां पर बीमारियां कम होती हैं। लेकिन हमने हैजा, प्लेग, मलेरिया आदि बीमारियों पर नियंत्रण किया है। इसके साथ ही साथ हमारी सर्जरी इतनी आगे बढ़ गयी है कि हमारे सर्जनों की दुनियां भर में मांग है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

वैसे तो माननीय सदस्य नये हैं, और इनके सुझावों को मैं अच्छी तरह से सुनना भी चाहता हूं लेकिन यह इतनी जोर से बोल रहे हैं, तो इनके हार्ट पर भी इससे असर पड़ सकता है, इस लिए जरा धीरे बोलें तो अच्छा रहेगा (हंसी)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

नहीं मान्यवर, मैं इतने कमजोर दिल का नहीं हूं। देहाती हूं। मान्यवर, मैं कह रहा था कि हमारे देश और प्रदेश की गरीबी में कमी आयी है। पिछली पंच वर्षीय योजना के पहले 47 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे आते थे, जबकि इस वर्ष के अन्त में 36.17 प्रतिशत ही रह गया और आगे आने वाले वर्षों में यह घटकर लगभग 25 प्रतिशत ही रह जायेगा। और मान्यवर, कल के भाषण से यह महसूस हो रहा था कि यह लोग यह चाहते हैं कि —

"गुरू ने मंगाई चेला न्यामत लाना
कुआं बावली पास न जाना
लाना तुम्बी भरकर लाना।"

न कीमतें बढ़े, न टैक्स लगे, न किराया बढ़े किन्तु विकास हो अधिक। तो मान्यवर, यह कैसे संभव है? इसका भी एक उदाहरण है। यह लोग यही चाहते हैं कि गाय छोटी हो, चारा कम खाती है, किन्तु दूध अधिक देती हो। जैसे यह संभव नहीं वैसे संसाधनों का हम सृजन भी न करें और विकास हो जाए तो जहां तक इनके इस प्रश्न का सवाल है तो इनकी योजनाओं को कुबेर भी नहीं बना सकता है। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, अभी हमारे 10 मिनट नहीं हुए हैं, बीच में व्यवधान भी हुआ है उसका समय भी तो दे दीजिए सिर्फ दो मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है दो मिनट में और अपनी बात को कह लीजिए।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, कृषि के उत्पादन के संबंध में भी कुछ बातें बताना चाहूंगा। हमारी सरकार ने धान के उत्पादन में एक कीर्तिमान स्थापित किया है 80 लाख टन का और आलू के उत्पादन में भी पूरे देश का 45 प्रतिशत पैदा करके इस प्रदेश ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरे फसल बीमा योजना भी लागू की गयी है। ऐसा करके मान्यवर, किसानों के हितों की रक्षा की है और उसमें भी अनुदान का प्राविधान किया गया है। साथ ही मान्यवर, और भी विकास कार्य हुए हैं हमारे यहां करीब एक लाख लघु उद्योगों की स्थापना की जायेगी, जिसमें 20 हजार लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना है और मान्यवर, प्रति वर्ष एक ब्लाक में इण्डस्ट्रीयल इस्टेट तथा कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष में इण्डस्ट्रियल एरिया की स्थापना भी की गयी है और इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट आफ इण्डिया की भी स्थापना कानपुर देहात में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मैंने इसे मान्यवर, बड़े ध्यान से पढ़ा और सुना भी। मान्यवर, यह बजट इतना निराशाजनक, इतना फीका और दिशाहीन बजट है जो इस प्रदेश के करोड़ों उन लोगों को जो गरीबी

की रेखा के नीचे जाते हैं, करोड़ों उन लोगों को जो रोटी और रोजी के लिये बेरोजगार इधर-उधर घूम रहे हैं, उनके अन्तःकरण में कोई उमंग या चमक नहीं पैदा करता है। यह सही है कि यह एक ऐसा बजट है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। लेकिन आज देश व प्रदेश की जनता यह जानती है कि अब यह एक आम बात हो गई है कि बजट प्रस्तुत करते समय तो कोई टैक्स प्रस्तुत नहीं किया जाता है। परन्तु बाद में साल के हर महीने में, हर हफ्ते में बल्कि हर दिन और दिन के हर घंटे में हर चीज की दरें (टैक्स के रूप में) बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वह बिजली की दरें हों, बसों का किराया हो, सेल्स टैक्स हो या अन्य जरूरत की चीजें हों। फिर भी मान्यवर, 88 करोड़ रु0 का घाटा दिखाया गया है और यह कहा गया है कि हम इस घाटे को पूरा कर लेंगे, खर्चों में कमी करके। यह कभी न हुआ है और न होगा। मान्यवर, मा0 मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि हम इस राज्य में एक अच्छा शासन देंगे, एक अच्छा प्रशासन देंगे।

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी पीठासीन हुए।)

और कानून व्यवस्था को सुधारने की बात कही है और कहा है कि अच्छा शासन और अच्छा प्रशासन देंगे। मैं पूंछना चाहता हूं कि आखिर इसका मापदण्ड क्या होगा? हमारे देश में कभी एक महान राजनेता हुए थे, एक महान राजनीतिज्ञ जिनका नाम चाणक्य था। जब उनसे पूछा गया कि आपके आदर्श और अच्छे राज्य की क्या कल्पना है, तो उन्होंने कहाथा कि मेरे आदर्श राज्य की कल्पना है कि अमावस्या की घोर अंधेरी रात में, रात के 12 बजे एक षोडषी सुन्दरी, जेवरों से लदी हुई घनघोर जंगल में जा रही हो और उसे यह खौफ न हो कि कोई उसकी इज्जत लूट सकता है कोई उसका जेवर लूट सकता है, न कोई उसकी हत्या कर सकता है। परन्तु आज इस राज्य में हालत क्या है? 10 जनवरी की रात को फतेहपुर के स्टेशन पर एक महिला लीलावती प्रसव पीड़ा से कराहती हुई स्टेशन पर उतरती है। पुलिस कर्मियों द्वारा उसकी इज्जत भी लूटी जाती है, उसके जेवर भी लूट जाते हैं और उसकी हत्या भी होती है। रात को 12 बजे उस महिला को नंगी हालत में प्लेट फार्म पर इधर से उधर जाते हुए देखा गया, फिर उसके साथ यह सब हुआ, मानवता शर्मा उठी। क्या इस तरह का अच्छा प्रशासन इस प्रदेश को मिलेगा? क्या ऐसे कानून व्यवस्था सुधरेगी?

विकास और प्रगति की बड़ी बड़ी बातें और चर्चा करते हुए बड़े ख्याली और ख्वाबी दुनिया की बात रखी गयी है। लेकिन असलियत तो बिल्कुल उल्टी है, जीवन के हर क्षेत्र में और हर वर्ग में जनता परेशान है शिक्षा की हालत को देखें। सरकार ने खुद माना है कि प्राइमरी शिक्षा पर वह पहले से कब खर्च कर रही है शिक्षकों की हालत बदतर हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि हाई स्कूल और इन्टर मीडिएट के हजारों परीक्षार्थियों के परीक्षाफल अभी तक रुके हुए हैं और उच्च शिक्षा की बात लें। मान्यवर, आगरा जहां से मैं चुनकर आया हूं, उस आगरा विश्वविद्यालय की हालत उसके भवनों की हालत प्राइमरी से भी खराब होती जा रही है। उनकी मरम्मत के लिये सरकार ने पैसा नहीं दिया है, जबकि उसकी छतें टपकती हैं। कमरों में कूड़े-करकट ढेर हैं, जब कि उच्च शिक्षा के छात्रों को वहां पढ़ना होता है।

चिकित्सा के बारे में कहा गया है कि हमने हजारों केन्द्र खोल दिये हैं, लेकिन हालत यह है कि अस्पतालों में न मरीजों को दवा मिलती है, न डाक्टर उपलब्ध होते हैं। दिन प्रति दिन अस्पतालों की हालत गिरती जा रही है मान्यवर, मैं खाद्य और रसद विभाग के बारे में कहूं। कुकिंग गैस जो शहरों और कस्बों में आज अनिवार्य आवश्यकता बन गयी है हजारों की तादाद में लोग लाइन लगाते हैं धक्के खाते हैं, लेकिन आप उन्हें कुकिंग गैस नहीं दे पाते। राशन की दुकानों से मिट्टी

का तेल और राशन समय से नहीं मिल पाता। हजारों लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए परेशान घूमते हैं। लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है चाहे वह सड़क सफाई हो या पानी बिजली हो।

मान्यवर, मुझे बहुत दुःख है कि मुख्य मंत्री जी के पूरे भाषण में भ्रष्टाचार पर एक शब्द भी नहीं कहा गया है। लगता है या तो यह उनके लिए सदाचार बन गया है या इसके आगे हथियार डाल दिये गये हैं। भ्रष्टाचार का यह काला नाग आपकी सारी योजनाओं को खा रहा है। करोड़ों, अरबों रुपये के घोटाले हो जाते हैं और रुपये बीच वालों की जेब में जाते हैं। मैं बड़े घोटाले की बात नहीं कहता, वह तो है ही परन्तु कितने छोटे स्तर तक भ्रष्टाचार है कि मेरे आगरा में तकिया मौला शाह में एक खड़ंजा लगाया गया, नगर-महापालिका के लोगों और ठेकेदार ने मिल कर वहां के गरीब जो कोइरी जाति के हैं, उन लोगों से कहा कि अच्छा मैटेरियल लगायेंगे और उनसे एक हजार रुपये लिया, खड़ंजा लगा, उसका पेमेंट हो गया और उसके बाद वह ठेकेदार यह कहकर उस खड़ंजे के सब ईंटों को उखाड़ ले गया कि यह ईंटें कुछ खराब हैं, दो दिन में नया खड़ंजा लगायेंगे। 6 महीने बीत गया, मान्यवर, उनका पहले का भी खड़ंजा गया, नया भी गया, 1 हजार रुपया भी गया और अब वह माथा ठोक कर मुझसे कह रहे थे कि हम क्या करें। अगर मैं इस हालत पर एक शेर कहूं तो यही कह सकता हूं कि

"वो आये थे मेरी कब्र पै, पढ़ने को फातिहा,
ईंटें चुरा के ले गये, मेरे मजार की।"

तो इस तरीके से आज सरकार और उसके सारे विभाग भ्रष्टाचार में डूबे हैं और जनता को लूट रहे हैं, उसे चूना लगा रहे हैं। पान की दूकान पर तो चूना लगाने की बात सुनी जाती थी, लेकिन अब सरकार और उसके विभाग ही जनता को चूना लगाने में लगे हुए हैं। इसी सन्दर्भ में घोटाले और भ्रष्टाचार के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे कृषि मंत्री एक घोटाले की जांच कर रहे हैं। 8 लाख का एक कोल्डस्टोरेज 40 हजार में बेच दिया गया। जनता पर रुपया खर्च नहीं होता है, बिचौलियों की जेब में चला जाता है। मान्यवर, अन्त में इस बजट पर, विकास और प्रगति के रूप में जो गीत गाए गये हैं उसके ऊपर मैं चार पंक्तियां कहना चाहता हूं :—

यह पंक्तियां इस बजट पर, सामने बैठे सत्ता पक्ष के मित्रों तथा मा0 मुख्य मंत्री जी को, उनके इस बजट पर, उन्हें अर्पित करता हूं,

"बिना टैक्स का बजट बनाकर, मन ही मन में यह मुस्काये। घुमाफिरा कर फिर जनता पर, हर महीने ये टैक्स बढ़ाए।।

अवनति पर पहुंचा प्रदेश को गति प्रगति के फिर भी गायें। देखकर इनकी ये सब चालें, शर्म को इन पर शर्म आ जाए।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस जन विरोधी बजट का विरोध करता हूं।

श्री राम सकल तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। जिन परिस्थितियों में, जिन सीमित संसाधनों के होते हुए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है इससे बेहतर बजट और कोई नहीं हो सकता है जहां तक हमारी उपलब्धियों का प्रश्न है, उसका विवरण इस बजट में हमारे सम्मानित सदस्यों ने देखा होगा। हमने उद्योग के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया है और विकास की ओर अग्रसर हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारा प्रदेश प्रगति करे। जहां तक औद्योगीकरण का प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है, हमारे देश में हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वांचल की ओर आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान ले जाना चाहूंगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे

20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में विकास को गति मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे पूर्वांचल की एक अलग से ही समस्या है पूर्वांचल जब मैं कहता हूं, तो पूर्वांचल से मेरा अभिप्राय गोरखपुर मंडल एवं वाराणसी मंडल के तीन जनपदों से है, जौनपुर, बलिया और गाजीपुर। यह मैं इस लिए कह रहा हूं कि 23 मार्च, 1982 को जो प्रतिवेदन पटेल आयोग ने केन्द्रीय सरकार को समर्पित किया था उसमें इन तीनों जनपदों को पिछड़े हुए और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले जनपदों में रखा था। इसी को ध्यान में रखकर सन् 1965 में माइनर इरीगेशन, छोटे काश्तकारों के लिए और सीमान्त कृषकों के लिए विशेष सुविधा दी गई, लेकिन पता नहीं किस कारण वश किन अपरिहार्य कारणों से सारी सुविधायों से तीनों जनपदों के लोग वंचित रह गये हैं। सीधी सी बात है हमें संकोच नहीं करना चाहिए हमारी सरकार जो सुविधायें देती है वह सराहनीय है . . . लेकिन हमको यह भी देखना पड़ेगा और सरकार को भी देखना पड़ेगा कि क्या वह सुविधाएं झोंपड़ियों तक पहुंच रही हैं या नहीं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मानित सदस्यों को जो पूर्वांचल के रहने वाले हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक शेर है "सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिये।" पूर्वांचल के विकास को गति दिलाना चाहते हैं तो चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, ईमानदारी से जो कार्यक्रम हमारी सरकार ने चलाया है, उसमें सहयोग दें। जहां कमी हो वहां मांग करें और वहां हम और आप दोनों कदम मिलाकर मांग करें कि क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो, क्षेत्र का विकास हो। दूसरी चीज, गरीब के दिल की आह केवल आपके ही नहीं, हमारे दिल में भी है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जिन्होंने गरीबी देखी है, जो गरीबी में रहते हैं उनके दिल में वह आग है, दर्द है। गरीबी का उन्मूलन करने की चाह है। इसके लिये मैं एक शेर कह रहा हूं। गौरी शंकर भइया नोट कर लें "मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिये।" यह भावना लेकर हमें चलना चाहिये। हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, इस संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा कि केवल सरकार के नियम और कानून बनाने से भ्रष्टाचार दूर होने वाला नहीं है। यह बड़ा संक्रामक रोग है। मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार की बात करने से पहले हर व्यक्ति को अपने को देखना पड़ेगा। हम क्या हैं ? वह भी देखना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा। यह तो हमको, आपको, सबको समान रूप से कदम उठाना पड़ेगा।

दूसरी चीज उद्योग के क्षेत्र में मैं निवेदन करूंगा मान्यवर, देवरिया जनपद कहा जाता है कि वहां पर 14 शुगर फैक्ट्रीज हैं, इसलिए औद्योगिक दृष्टि से यह डेपलप्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। मैं मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि 1914 से लेकर 1935 तक के बीच की ये सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। हमारा क्षेत्र गन्ने की बहुलता का क्षेत्र है। वहां गन्ने की पैदावार सबसे ज्यादा होती है, लेकिन क्या एक ईंट भी वहां औद्योगीकरण के नाम पर रखी गयी है ? हमारा यह प्रश्न है और मांग है कि देवरिया जनपद के लिये, जहां से गन्ना बिहार जाता है, जहां से करोड़ों रुपयों की हानि परचेज टैक्स के रुप में होती है। इसको बचाने के लिये आवश्यक है कि वहां पर एक चीनी मिल बैठाई जाय। हमारे यहां की यूनिटें सिक यूनिटें हैं लेकिन दस करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को ये फैक्ट्रीज देती हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जो हमारे यहां से लेते हैं, उसके दस साल का टैक्स भी जोड़कर सरकार हमारे जनपद पर लगा दे तो कई कारखाने खड़े हो जाएंगे। हम जो धन देते हैं, उसी की मांग करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो सबसे कम सीजन चलता है उसमें भी हमारे यहां से सरकार को 10 करोड़ रुपये मिलते हैं और

इस वर्ष 15 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि मिलने की सम्भावना है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि घांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हमारे यहां घाघरा और गण्डक नदी है जिसमें कम से कम 70 गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रभावित होते हैं। हर साल बाढ़ आती है, चूंकि जिस नदी से बाढ़ आती है, उसका उद्गम स्थान बिहार में पड़ता है। हमारी सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है लेकिन बिहार सरकार, जहां से पानी आता है, वह कुछ नहीं करती है। बिहार सरकार को कोई फिकर नहीं होती है, क्योंकि उनके यहां कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार बिहार सरकार से सम्पर्क स्थापित करे और अगर यह कार्य न होने वाला हो तो इस मुद्दे को केन्द्रीय सरकार के पास ले जाय और केन्द्र सरकार इस बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिये कार्य करें। यह कार्य केन्द्र सरकार अपने हाथ में लेकर करायें और बाढ़ से बचाने की चेष्ठा करे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से इन तमाम मुद्दों पर बात करें। उत्तर प्रदेश के बार्डर के इलाके में जहां बिहार से पानी आता है, वहां की सरकार अक्षम है, इस कार्य को नहीं कर पाती है, तो केन्द्र सरकार इस कार्य को सम्पन्न करायें।

एक बात मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास होगा और हर क्षेत्र में जो सर्वांगीण विकास की कल्पना की गई वह पूरी होगी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक हमारे यहां शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत 1% है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा शिक्षा के सम्बन्ध में कि वहां पर 70 किलोमीटर के एरिया में एक भी इण्टर कालेज महिलाओं का नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि कम से कम 2 इन्टर कालेज महिलाओं के बनाने की कृपा करें। जिससे महिलायें शिक्षा प्राप्त कर सकें। बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक है। जब तक यह शिक्षित नहीं हो पायेगी, चाहे कितनी धनराशि खर्च कर दें, जब तक मानसिकता को नहीं बदलेंगे, आबादी पर नियंत्रण नहीं कर सकते। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट एक संतुलित बजट है, इन परिस्थितियों में पाण्डेय जी इससे बेहतर बजट आप भी नहीं बना सकते थे, इसका आप समर्थन कीजिये।

श्री जमुना प्रसाद बोस—

मैं आपकी अनुमति से नेता विरोधी दल द्वारा रखे, बजट के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अभी सत्ता पक्ष के वक्ताओं ने कहा कि गरीबी का एहसास हमारे हृदय में है। यह जो उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें बताना चाहता हूं कि केवल जो मोटरों पर पेट्रोल जलेगा वह पेट्रोल कम से कम 17 करोड़ 32 लाख का है। प्रदेश में 7 हजार के लगभग वेहिकिल्स हैं, जिसमें कारपोरेशन के वाहन शामिल नहीं हैं। उन 7 हजार वाहनों की कीमत आप 1-1 लाख ही रख लें, बड़े वाहनों की लागत छोड़ दें, तो भी 70 करोड़ रु0 है। यह गरीबों का बजट है। माननीय राजीव गांधी जी उड़ीसा गये थे, उन्होंने वहां के आदिवासियों की हालत को देखा। मैं चाहता हूं कि वे बुन्देलखंड के इलाकों में भी आयें और वहां के आदिवासियों की हालत को देखें। मान्यवर, 40 साल के स्वराज्य में, एक साल के बाद 40 साल होने जा रहे हैं, वहां आदिवासियों की बेटियों के शरीर नंगे हैं, उनके तन पर कपड़ा नहीं है। कौन कहता है कि आपको गरीबी का अहसास है? मान्यवर, जिस देश में टाटा और बिड़ला की सालाना सम्पत्ति क्रमशः 28 अरब और 26 अरब हो, उस देश की हालत का अन्दाजा लगाया जा सकता है? क्या उस देश की सरकार को यह कहा जायेगा कि वह गरीबी मिटाने वाली सरकार है?

मान्यवर, अभी देवरिया के सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में महिलाओं की जो शिक्षा है, वह एक प्रतिशत है, जबकि जो सांख्यकी डायरी है उसके अनु-

सार स्त्री शिक्षा देवरिया में 9.07 प्रतिशत है। मान्यवर, क्षेत्र में जो स्त्री शिक्षा की स्थिति है, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा। मान्यवर, ललितपुर में महिलाओं की शिक्षा 5 प्रतिशत है, बांदा में 8 प्रतिशत है। मान्यवर, आप पूरे बुन्देलखंड के 5 जिलों को देखें, जितने भी तहसील हेड क्वार्टर्स हैं, कहीं भी राजकीय बालिका इन्टर कालेज नहीं है। मान्यवर, स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि कोई भी सरकार, कोई भी समाज जो इस देश को उठाना चाहती है, तो एक ही लक्ष्य हो - एजूकेट, एजूकेट दी वूमेन अगर यह कर दें, देश उठ जायेगा। मान्यवर, जहां 92 प्रतिशत बेटियां अशिक्षित हों, दस्तखत भी करना न जानती हों, अगर वहां शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं कराये जा सकते, तो यह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता है। मान्यवर, मैं विद्युत के बारे में कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड में मानिकपुर स्टेशन है वह बाम्बे हावड़ा लाइन का केन्द्र है जो तमाम स्टेशन उस के आगे आते हैं इटावा, डुडैला, टिकरिया आदि वहां आदिवासियों के इलाके देखे जा सकते हैं। वहां मान्यवर, बिजली का एक बल्ब भी नहीं है, विद्युत ही नहीं है। मान्यवर, यह जो युग है इसमें कहा जाता है कि बिना विद्युत के विकास नहीं हो सकता है। मान्यवर, जहां पर कम से कम 60 हजार आदिवासी रहते हैं, वहां पर न तो विद्युत है न वहां कोई आदिवासी बच्चा स्कूल में जाता है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर आदिवासियों की शिक्षा की व्यवस्था एक प्रतिशत भी नहीं है। इन स्थितियों में सुधार किये बिना गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो यहां बजट प्रस्तुत किया गया है वह घाटे का बजट है। इनकी करीब 60 अरब की प्राप्तियां हैं और 63 अरब 42 करोड़ 20 लाख के लगभग इनका व्यय है। इस तरह से करीब 3 अरब 44 करोड़ 22 लाख का इनका घाटा है। तो घाटे को आप कैसे दूर करेंगे ? . . .

अगर आप घाटे को पूरा करना चाहते हैं सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। इस रुपए पेट्रोल पर खर्च हो रहा है। इसमें केवल 25 परसेन्ट सरकारी कार्य में खर्च होता है, शेष 75 परसेन्ट सरकारी मशीनरी के द्वारा अपने परिवार के लोगों के घुमाने के लिए होता है।

श्री अधिष्ठाता—

श्री बोस जी, आप अपनी बात केवल 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री जमुना प्रसाद बोस—

यहां पर जो अखबार हैं, उनकी आवाज को बन्द करने के लिए उनको रुपए दिये जा रहे हैं। दिल्ली के 'यूनीवार्ता' को उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 लाख रुपए दिये हैं। 'नेशनल हेरल्ड' और 'नवजीवन' को भी 15 लाख रुपए दिये हैं। प्रदेश और देश के अन्य अखबारों को विज्ञापन और लेख के द्वारा 15 लाख रुपए दिये गये हैं। जो देश के प्रहरी हैं और समाज के प्रहरी हैं, उनका मुंह बन्द करने के लिए उनको रुपया दिया जा रहा है। आज देश के अन्दर पं0 जवाहर लाल नेहरु के नाम को भी एक्सप्लायट किया जा रहा है। यहां पर जवाहरलाल नेहरु युवक केन्द्र है, जिसे 20 लाख रुपए इस सरकार द्वारा दिया गया है। यह जवाहरलाल जी के नाम पर एक कलंक है। यह एक खुला भ्रष्टाचार है। इस प्रकार के कई आइटम हैं, जिन पर फिजूल खर्ची की जा रही है। इन्हें आप समाप्त कीजिए तभी आपकी आर्थिक विषमता खत्म हो सकती है।

मान्यवर, सड़कों के बारे में कहा गया कि सड़कों के लिए काफी-पैसा दिया गया है। जिला योजनाओं में सड़कों के लिए बजट में जो पैसा मन्जूर किया गया है, उसमें 85 किलोमीटर कच्ची गलियों का निर्माण, जो एक जनपद में केवल डेढ़ किलोमीटर पड़ती है, 180 किलोमीटर खंडजे की सड़क जो एक जनपद में केवल 3 किलोमीटर पड़ती है। इसी प्रकार अन्य सड़कें भी हैं जो एक जनपद में केवल 3 किलोमीटर की पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश जिसमें 1 लाख 12 हजार गांव हैं, वहां पर आप एक-एक और डेढ़-डेढ़ किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। इस

प्रकार करने से उत्तर प्रदेश की हालत कैसे ठीक हो सकती है। इसलिए मान्यवर, यह जो बजट है वह किसानों का नहीं वरन् सरमायेदारों का है। देश की जनता के नाम पर फिजूलखर्ची हो रही है। यदि आप प्रदेश और समाज को सुव्यवस्थित करना चाहते हो तो इन सारे फिजूल के आइटमों को समाप्त करो और प्रदेश को एक लाभकारी बजट दो। इन्हीं शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए यह बजट बहुत ही हितकारी साबित होगा और हमारे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। मान्यवर, गत वर्ष को आप देखें, तो उसकी अपेक्षा इस वर्ष का बजट 23 प्रतिशत अधिक है। चाहे हम इसको ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देखें, औद्योगीकरण के क्षेत्र में देखें और चाहे विद्युतीकरण के क्षेत्र में देखें, यह बजट सब दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होगा। मान्यवर, हमारे विपक्ष के भाइयों ने जितनी बातें कही हैं, उस पर ध्यान आकर्षण चाहता हूं। कोई भी प्रजातांत्रिक सरकार हो उसकी सफलता इस पर आधारित होती है कि वहां की जनता की उस पर कितनी आस्था है? जिस प्रजातांत्रिक ढांचे की यह सरकार बनी है, जनता की आस्था सदैव मिलती आयी है। बीच में कुछ दिनों के लिये जनता को गुमराह करके, जहां आज हम बैठे हैं, वहां ये आ गये थे, लेकिन जनता को गुमराह करके कब तक आस्था प्राप्त कर सकते थे। अतः जनता ने इनको पुनः वहीं भेज दिया। इससे जाहिर है कि जनता की इस सरकार में कितनी आस्था है? अतः यह कहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सत्यता से परे है।

कृषि के क्षेत्र में हमारा उत्पादन बढ़ा है। हमारी सरकार ने जो कृषि प्रशिक्षण का तरीका अपनाया है, उसके लिये वह बधाई की पात्र है, लेकिन जो 8 जनपद लिये गये थे और नये लिये जा रहे हैं, उस सम्बन्ध में निवेदन है कि उसमें गोण्डा जनपद भी सम्मिलित कर लिया जाय।

जहां तक विद्युतीकरण की बात है, हमारी सरकार ने विद्युतीकरण पर बल दिया है चाहे वह हरिजन बस्ती हो या सामान्य बस्ती हो, लेकिन जहां सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं, वहीं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण तो अवश्य कर दिया जाता है लेकिन उसका लाभ उनको सही तरीके से नहीं मिल पाता है। इसके लिये बजट बढ़ा दिया जाय। एक बार बिजली लगाने के बाद कस्टोडियन कोई नहीं होता है अगर कोई बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाय तो अतः या तो गांव सभा में कोई फण्ड दिया जाय कि हरिजन बस्तियों में जो गलियों में या गांव के बीच में विद्युत लगी है, उसके लिये एक फण्ड हो और जैसे गांव सभा का प्रधान कस्टोडियन होता है, उसका भी रख-रखाव कर सके।

विद्युत, सिंचाई और उद्योग का अटूट सम्बन्ध है। विद्युत आज जीवन की आवश्यकता बन चुकी है। सिंचाई के क्षेत्र में सरकार ने सिंचन क्षमता की वृद्धि की है, इसमें कोई राय नहीं है। जहां सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है, वहीं अगर समय से विद्युत न मिल पायी तो किसान उसका आशिंक लाभ ही उठा पाता है। उदाहरण के लिये जो समय बिजली का निर्धारित है, जिस समय कि किसान सोचता है कि विद्युत मिलेगी, वह मजदूर इत्यादि रख लेता है, लेकिन अगर विद्युत नहीं मिली तो वह मजदूर इत्यादि रख लेता है, लेकिन अगर विद्युत नहीं मिली तो वह उसका लाभ नहीं उठा पाता है। जितनी सिंचाई क्षमता है चाहे ट्यूबवेल हो या नहर हो, उससे पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। जितनी इसके लिये यह आवश्यक है कि विद्युत और सिंचाई दोनों का सामन्जस्य रहे।

उद्योग की दृष्टि से माननीय नेता, विरोधी दल ने कहा था कि कुटीर और लघु उद्योग की स्थापना की कमी है। मैं आपके माध्यम से

बता देना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में 18 हजार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को लगाने का प्रस्ताव है, जिसको अमली जामा हमें पूरा विश्वास है कि, पहनाया जायगा और औद्योगीकरण होगा।

इसके साथ ही अपने जनपद की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। गोण्डा जनपद एक पिछड़ा हुआ जनपद है। जो भी विकास का कार्य होता है, जब पश्चिम की बात आती है तो पश्चिम को चला जाता है और जब पूरब की बात आती है तो बस्ती और गोरखपुर को ले लिया जाता है। गोण्डा जनपद की वही स्थिति होती है जो त्रिशंकु की थी, न पूरब में आता है और न पश्चिम में। हमारी सरकार के पास हर विभाग में विशेषज्ञ को भेजकर सर्वे करा लिया जाय कि कौन सा जनपद पिछड़ा हुआ है और पिछड़ेपन का कारण क्या है और उसको कैसे दूर किया जाय। उसको दूर करने के लिये उपाय होने चाहिए उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये कि अगर किसी जनपद का प्रभावी व्यक्ति है तो उसका विकास हो जाय और अगर प्रभावी व्यक्ति नहीं है तो उसका विकास हो जाय और अगर प्रभावी व्यक्ति नहीं है तो विकास न हो। प्रत्येक जनपद में पिछड़ेपन के आधार पर वहां का सुधार होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर (रा-मैटीरियल उपलब्ध होता है) कच्चा माल यदि वहां उपलब्ध होता है तो उस प्रकार का उद्योग वहां स्थापित किया जाना चाहिए। इससे दो तरह से फायदा होगा कि वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा तथा सीधे तरीके से उस उद्योग की स्थापना भी हो जायेगी।

मैं अपने जनपद गोंडा की बात को कहना चाहता हूं कि गोंडा में वन सम्पदा बहुत ज्यादा है, नेपाल का तराई किनारा भी उधर ही पड़ता है। इसके अलावा वहां पर गन्ने की खेती भी अधिक होती है। वहां पर सीमेन्ट के उत्पादन के लिये सीमेन्ट की फैक्ट्री लगायी जा सकती है और पेपर मिल की स्थापना भी की जा सकती है क्योंकि वहां पर बनकस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिये वहां पर यह दोनों प्रकार की फैक्ट्रियां स्थापित करने का मैं सुझाव देता हूं।

मेरे यहां जनपद गोंडा में मुख्यालय में स्टेडियम के लिये 3.20 लाख रु0 जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हो चुका है। अब वहां से 5 लाख रु0 का अग्रिम प्रस्ताव भी आया है। मेरा अनुरोध है कि उसे भी बजट में सम्मिलित किया जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण चाहता हूं कि वहां मुख्यालय में एक स्टेडियम की अत्यन्त आवश्यकता है। यदि यह 5 लाख का बजट स्वीकार कर लिया जाता है तो जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि 3.20 लाख को मिला कर यह 8 लाख का बजट हो जायेगा। जिसमें वहां पर स्टेडियम की स्थापना हो जायेगी।

आज हमारी सरकार की देन है स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, हमारी सरकार की देन है जिला योजना, हमारी सरकार की देन है एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, जिसके तहत 895 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। जिसमें कि अधिकांश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के भी परिवार हैं। आज रोजगार प्राप्त करने के लिये लोग ऋण लेकर रिक्शा चलाते हैं लेकिन अब हमारी सरकार उनको रिक्शा क्रय करने के लिये अनुदान के रूप में धनराशि देती है जिससे कि अब वह रिक्शा चलाने वाला नहीं बल्कि अपने रिक्शा का स्वयं मालिक होता है। इसी तरह से टैक्सी चलाने वाला मात्र अब ड्राईवर नहीं बल्कि अनुदान की राशि के द्वारा गाड़ी क्रय करके स्वयं वह गाड़ी का मालिक होता है। इसी तरह से इक्का, तांगा, खड़खड़ा तथा लघु सीमान्त कृषकों को जो कि गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते थे वह सब धीरे-धीरे स्वावलम्बी बन रहे हैं। जो भी, जो रोजगार करता है, उसको उसी में हमारी सरकार ने बढ़ावा दिया है।

इसके साथ ही मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार इस बजट के द्वारा प्रदेश का पूर्व विकास करेगी।

श्री गोपाल दास यादव—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के बहस में बोलने का मौका दिया है, मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है यह उसी तरह से है जैसे कि पत्रिका में प्रकाशित हुआ था कि मुख्य मंत्री क्रिकेट के खेल का उद्घाटन करने के लिये गये थे। जिस समय वे बैट को पकड़ कर उद्घाटन की रस्म अदा कर रहे थे तो सारे क्रिकेटर हंस रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि हंस क्यों रहे हैं तो वे बोले कि बैट तो मंत्री जी को पकड़ना आता नहीं है, उद्घाटन कर रहे हैं। इसी तरह से मुख्य मंत्री जी ने यहां यह बजट पेश किया है। आज जनता उनका मजाक उड़ा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले सत्र में भू0 पू0 मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जब बजट पेश किया था जो बड़े विद्वान हैं और बजट के बारे में उनको सब ज्ञान है, उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया था कि 146 करोड़ का इसमें जो घाटा है इसके लिये टैक्स नहीं लगायेंगे बल्कि इसको इनकमटैक्स और बिक्री-कर के माध्यम से पूरा किया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 88 करोड़ रुपये का घाटा है और जो बजट पेश किया है, उसमें उसको पूरा करने का कोई रास्ता नहीं बताया है और कह दिया कि घाटा जो है उसकी कटौती के माध्यम से पूरा करेंगे। जो आयोजनागत बजट है जिसके अन्तर्गत 193 करोड़ बढ़ोत्तरी के रूप में पेश किया है, आयोजनेत्तर का घाटा इसकी तिगुना दिखाया गया है, आयोजनागत जहां पर बढ़ोत्तरी होनी चाहिये थी, वहां पर नहीं है और जहां अयोजनान्तर पर घटना चाहिये था, वहां पर बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है, इस कारण जनता पर बहुत अधिक भार आ गया है, माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर नहीं पड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि बजट जो है, जिस प्रकार से पेश किया गया है, जनता को गुमराह करने की साजिश की गयी है।

मान्यवर, खेती की बात की जाती है, बिजली की बात की जाती है और उद्योग की बात की जाती है। मान्यवर, दोनों का लिंक है, सामंजस्य है। बिजली बढ़ेगी तो खेती बढ़ेगी और जब खेती बढ़ेगी तो किसानों का स्तर ऊंचा होगा, लेकिन उद्योग और खेती के पिछड़ेपन का कारण है बिजली। माननीय सदस्य दुहाई दे रहे थे कि बिजली का उत्पादन बढ़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद नगर के अन्दर 150 बस्तियां ऐसी हैं जो नगर में हैं और हरिजन आबादी है, लेकिन वहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है, बिजली नहीं है। मान्यवर, यह गांवों में विद्युतीकरण की बात करते हैं, लेकिन 20 साल पहले जिस गांव में बिजली का खम्भा गड़ा था, वहां पर आज तक ट्रान्सफारमर नहीं लगाया गया है। माननीय सदस्य खड़े हैं, बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता की बातें सुननी पड़ती हैं और लोग यह कहते हैं कि माननीय सदस्य झूठा वादा कर लेते हैं कि नलकूप, बिजली आदि दी जायेगी, परन्तु माननीय सदस्य यहां पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जनता की बात को नहीं उठाते हैं। यह मैं आरोप लगाता हूं कि वह काम नहीं करते हैं। मान्यवर, खेल कूद की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के अन्दर जो खेल खेले जाते हैं, उनका स्तर बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारे यहां पर भारतीय स्तर के खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी अन्तर्राज्यीय प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते हैं। हाकी के लिये एस्ट्रो-टर्फ तक प्रदेश में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज परिवार नियोजन की सबसे बड़ी भूमिका है, लेकिन मान्यवर, आप जानते हैं कि आज परिवार नियोजन फर्जी किया जा रहा है। परिवार नियोजन के नाम पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या आप इसी प्रकार से कटौती करके अपना घाटा पूरा करेंगे। मान्यवर मेरा निवेदन है कि आप केन्द्र से एक महिलाओं की टीम को बुला लें और उसका परीक्षण करा लें तो आपको पता चल जायेगा कि 90 प्रतिशत तक परिवार नियोजन के मामले फर्जी हैं। तो इस प्रकार से रुपये का दुरुपयोग हो रहा है।

मान्यवर, आज आप सारे प्रदेश के अन्दर देख रहे हैं कि दवायें घटिया स्तर की मिल रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये जिम्मेदार कौन हैं ? स्वास्थ्य विभाग के लोग भारी कमीशन लेकर निम्न स्तर की दवायें लेते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता है और हजारों मरीज मर रहे हैं और जब घटना की जानकारी हो जाती है, तो भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। 24 आदमी के0 जी0 मेडिकल कालेज में मर गये। कितने असहाय लोग दवा नहीं पाते हैं और मर जाते हैं और आप ढिंढोरा पीटते हैं कि चिकित्सा में सुविधायें दी जा रही हैं, लेकिन अगर मान्यवर, सांप काट ले तो स्नेकवेनम तक नहीं है, बी0 सी0 जी0 के टीके लगाने के लिये, अस्पतालों में इन्जेकशन लगाने के लिये, स्प्रिट नहीं मिलती है। मान्यवर, जो स्वास्थ्य विभाग की दशा है, उसका रोना कौन रोये। मान्यवर, अब मैं शिक्षा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आपकी शिक्षा दोषपूर्ण है। आज देश का नवयुवक शिक्षा पाकर इधर उधर घूम रहा है। न जाने कितने डाक्टर और इन्जीनियर इस देश को छोड़ कर दूसरे देशों को जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ? आप यहां पर प्राविधिक शिक्षा की बात करते हैं। आज इन्जीनियर कनाडा की ओर जा रहे हैं। आज ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आज इसका जिम्मेदार कौन है ? आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो समाज में निकलो। और हकीकत को जानो, तब तुम्हें महसूस होगा कि कथनी और करनी में क्या अन्तर है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, दो मिनट और दे दें। मान्यवर, इलाहाबाद के बारे में कहना चाहता हूं कि कि 19 नवम्बर को इलाहाबाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक सम्मेलन हुआ। उसमें 15 करोड़ रुपये पानी की तरह बहाया गया। वह किसी पार्टी का प्रोग्राम था, कांग्रेस आई का प्रोग्राम था। सरकार का प्रोग्राम नहीं था लेकिन वहां 15 करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया गया। बसों को रोक दिया गया, इससे जनता को कितनी तकलीफ हुई वहां एक ही परिवार का नाम लिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी और मोती लाल जी का नाम लिया गया इसके अलावा किसी का नाम नहीं लिया गया। क्या इसके अलावा किसी परिवार ने कुर्बानी नहीं दी थी, न शहीद हुआ था ? मान्यवर, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसकी निन्दा करता हूं और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

चौधरी भगवती प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने वर्ष 86-87 के वार्षिक बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी ने जो यह प्रदेश का बजट रखा है, निश्चित रूप से वह उत्पादनोन्मुखी और विकासोन्मुखी बजट है। मैं इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि सभी सदस्य इसका पूरी तरह से समर्थन करेंगे। तीसरे साल लगातार कर से मुक्त यह बजट रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से वित्तीय अनुशासन का ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया है। मैं इस बात को जोर दार शब्दों में कह सकता हूं कि इस बजट से योजनाओं की गति से प्रगति का तालमेल निश्चित रूप से बनेगा और प्रदेश का बहुमुखी विकास भी होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस समय जो चर्चा हो रही है और यह जो बजट रखा गया है उसमें विकास के जो भी पहलू होते हैं, उत्थान और विकास से सम्बन्धित जो विषय होता है, हर विषय पर निश्चित रूप से बजट का प्राविधान रखा गया है। इसलिए यह प्रशंसनीय बजट है।

मान्यवर, मैं इस बात का जोरदार हिमायती हूं कि 21 वीं शताब्दी के प्रभात से, मात्र 15 वर्ष पूर्व नवें दशक के मध्य अन्त तक देश की जनता का, प्रदेश की जनता का जो विकास हुआ है, चाहे उद्योग के सम्बन्ध में हो, चाहे सिंचाई के सम्बन्ध में हो, चाहे उद्योग के

सम्बन्ध में हो, चाहे सिंचाई के सम्बन्ध में हो, चाहे हरिजन मजदूरों को पुर्नवासित करने के सम्बन्ध में हो, चाहे अन्य प्रगति के सम्बन्ध में हो इसका पूरा श्रेय कांग्रेस दल को जाता है और कांग्रेस सरकार को जाता है। इसलिए कांग्रेस ने अपना सौ साला जश्न मनाया तो नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं को जलन हो रही है। अभी कल नेता विरोधी दल को सुना रहा था उनका यह कहना था कि बजट दिशा विहीन है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं वे स्वयं दिशा विहीन हैं, सरस्वती विहीन हैं। जो स्वयं दिशाविहीन हों उसको किसी भी दिशा का स्पष्ट दृष्टिगोचर होना मुश्किल है। मान्यवर, इनकी सियासत हाउस के अन्दर कुछ और है और हाउस के फनी के पौधे को सींचते हैं और हाउस के बाहर कुछ और है। घर के अन्दर तो यह नागफनी के पौधे को सींचते हैं और हाउस के अन्दर गुलाब के फूल को ढूंढते हैं। मान्यवर, हमारी सरकार ने कृषि के विकास के लिये नये-नये उपकरण को गांव तक सड़क के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया है तो यह दूसरी तरफ 'रास्ता रोको' आन्दोलन करते हैं, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने न केवल नकारा ही बल्कि उस पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है जो आपस में जिक्र किया गया है उसके सिलसिले में एक शेर कहना चाहता हूं -

"मल्लाहों को इल्जाम न दो,
ऐ साहिल वालों क्या जानों,
यह तूफां कौन उठाता है,
यह किश्ती कौन डुबाता है ?"

मैं कहना चाहता हूं कि यही इस तूफां को उठाते हैं और यही किश्ती को डुबाते हैं और दोष शासन को देते हैं। मान्यवर, मैं इस सरकार की कुछ उपलब्धियों की चर्चा करना चाहूंगा। श्रम कल्याण की तरफ सरकार का विशेष ध्यान है और इस हेतु हमारी सरकार ने मजदूरों के सर्वांगीण विकास के लिए और उसको सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये हैं। इस संबंध में 40 श्रम निरीक्षकों का कार्यालय खोलकर बंधुवा मजदूरों की दशा सुधारने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इसी मंशा से इस वर्ष 1350 बंधुवा मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था इस बजट में प्रस्तावित है।

मान्यवर, मैं कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र छानवे ब्लाक में एक कर्णवती नदी है जो न हमारे सिंचाई के काम आती है और न पेयजल के काम आती है लेकिन बरसात के समय इसका रुप ऐसा हो जाता है जिससे पूरे ब्लाक का सम्बन्ध न केवल ब्लॉक मुख्यालय से बल्कि जिला मुख्यालय तथा जिला चिकित्सालय से भी टूट जाता है और गांव के लोग विकास की योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। बाढ़ के समय बाढ़ राहत सामग्री से भी वहां के लोग वंचित हो जाते हैं ऐसी दशा में उस नदी पर चार स्थानों पर पुल बनाना अति आवश्यक है। विजांपुर से भारतगंज मार्ग पर पुल, ग्राम चितौली पर पुल जहां आये दिन अक्सर दुर्घटनायें होती रहती हैं और जिससे 10/15 व्यक्ति प्रतिवर्ष जान से हाथ धोते हैं और भटवरा से विजांपुर मार्ग पर दुलारी माता के मंदिर के पास पुल तथा चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है वह ग्राम अकौड़ी पर कर्णवती में पुल।

दूसरी समस्या मेरे क्षेत्र में गंगा के कटाव की है। गंगा के किनारे जितने गांव हैं वे पूरी तरह से गंगा में समाहित हो रहे हैं। उससे महत्वपूर्ण जमीन से हाथ धोना पड़ता है। ग्राम क्वुरा जिसकी आबादी लगभग 10 हजार है, वहां की गम्भीर समस्या है। अभी पिछले दिनों नियम 301 के तहत इस सम्बन्ध में सदन को अवगत करा दिया गया है। इसी तरह से नगवासी, घुघुटी, तिलई, जौंपा, परवा आदि गांव जो गंगा के किनारे हैं वे सब कटाव से प्रभावित हो रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं वे लिफ्ट योजनाओं के माध्यम से हैं। गंगा की धारा परिवर्तित होने की वजह से तथा गंगा सूख जाने की वजह से सिंचाई से वह तंत्र वंचित रह जाता है। अतः मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि हमारे पूरे छानवे ब्लाक में विश्व बैंक की योजना के तहत

25 ट्यूबवेल स्वीकार करने की कृपा करें ताकि असिंचित एरिये को सिंचित किया जा सके।

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां एक बस की अत्यन्त आवश्यकता है। जो श्री निवास धाम से रींवा तक के लिये वाया विजयपुर लालगंज व वराँधा। यह कार्य अति आवश्यक है, हो जाना चाहिए। मान्यवर, रामपुर घाट पर गंगा नदी पर एक पीपे का पुल बनाने की आवश्यकता है। इस पुल के होने से बनारस जनपद के लोग भी लाभान्वित होंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय नेता विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, इस सारी पुस्तिका में जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट के सम्बन्ध में पढ़ी थी, मुझे कहीं न्याय के सम्बन्ध में कोई बात देखने को नहीं मिली कि इस प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा या नहीं। और यदि न्याय मिलेगा तो वह कैसे मिलेगा, किस तरह से वह आम जनता को सुलभ होगा ? इसका जिक्र न करते हुये जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी उनके विरुद्ध एन्टी गैंगस्टर एक्ट लाकर यह सरकार क्लीयरीफाई करती है और एक स्टेट आफ वारेन्ट जारी कर दिया है।

मान्यवर, जिन परिस्थितियों में आज हम जी रहे हैं उसको कोई महसूस नहीं कर सकता है। हम उन मूल्यों के प्रति आस्थावान हैं जिनके लिए पहले कांग्रेस लड़ती चली आई लेकिन आज की हालात में उन्होंने उनको भुला दिया है। आज हम पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अव्यवस्था है। जो स्थिति आज बजट में पायी गयी है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि क्या हम कभी तरक्की कर पायेंगे ? जिन हालात में यह सारा काम चल रहा है उसको देखते हुए यह कहा नहीं जा सकता है कि किस प्रकार तरक्की होगी। सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले के लिए जिला योजना में 85 कि0 मी0 की सड़क दी गयी है एक मैम्बर के क्षेत्र में 3 कि0 मी0 सड़क आती है। इसी तरह से लेपन वाली सड़कें हैं वह कैसे पूरी होंगी। इस बजट से उनका काम होने वाला नहीं है (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आपस में बात न करें।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसमें 150 कि0 मी0 पक्की सड़क नहीं हो लेकिन मेरे क्षेत्र में दो तीन ब्लॉक पड़ते हैं उसमें महज 46 कि0 मी0 पक्की सड़क है। जो पैसा जिला योजना में दिया गया है वह सारे एम0 एल0 एज0 में बराबर बंटता है। मैं कहना चाहता हूं कि पैसा जो दिया जाय वह उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देख कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

चौधरी श्याम लाल—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो 1986-87 का बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह अपने में अनोखा और बेमिसाल है। इसलिए उसको देखकर विरोध पक्ष में बौखलाहट पैदा हो गयी है। प्रजातन्त्र शक्ति के विकेन्द्रीकरण की एक कड़ी है। हमारी जितनी विकास की योजनायें हैं उनका अनुपालन कराने का दायित्व मंडलायुक्तों को दिया गया है ताकि योजनायें मूल्यरूप में कार्यान्वित हो, इसलिए डिसेंट्रालाइजेशन किया गया है। कांग्रेस का इतिहास चाहे राजनैतिक क्रान्ति का रहा हो चाहे आर्थिक क्रान्ति का रहा हो, यह आर्थिक क्रांति का पहला कदम है - मान्यवर, "कुड एनी आर्डर आनसर दि क्वैश्चन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाऊ दि अपलिफ्ट आप मेंटल एण्ड मारल वैल्यूज आफ दि मिलियन्स आफ डाऊन ट्रोडन पीपुल्सकैन बी डन, इफ इट इज नाट, इट इज डूम्ड।"

यानी कोई व्यवस्था इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है कि कैसे इन करोड़ों पददलित लोगों का मानसिक और नैतिक उत्थान हो, अगर इसका जबाब नहीं है तो वह व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। इसी को सोच कर सामूहिक गिरोहबन्द तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध एक विधेयक वर्तमान सरकार ने रखा है। आज क्या कारण है कि गरीबों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और क्रिमिनल लोग और कालाबाजारिये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उसको समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने यह काम किया है तो आप उसको अनाचार कहते हो। क्या कालाबाजारियों पर अंकुश लगाना अच्छा नहीं है तो क्या उनकी वकालत करना अच्छा है। विरोधी दल उनकी वकालत करता है।

हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने एक वित्त निगम बनाया है। उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए यह कांग्रेस ने व्यवस्था की है। विरोधी दल का कार्य गलत कामों पर अंकुश लगाना होता है ताकि हमारी प्रगति की प्रक्रिया में कहीं कोई कमी हो तो वह दूर हो आप एक समानान्तर ठोस प्रोग्राम रखते तो अच्छा होता जिससे हरिजनों का आर्थिक उत्थान होता। नेता विरोधी दल ने बड़ा संवेदनशील भाषण रखते हुए कहा कि बड़े लोगों पर ज्यादा बच्चे पैदा करने पर टैक्स लगाया जाय। तो यह कितनी हास्यास्पद बात है कि टाटा, बिड़ला अधिक प्रोडक्शन करें और बच्चों का भी प्रोडक्शन करें। मान्यवर, हिस्ट्री आफ लेजिस्लेशन को देखों तो आजादी के बाद से हिस्ट्री आफ लेजिस्लेशन में ऐसी बात नही आयी। तो टाटा, बिड़ला जो टैक्स दे सकते हैं, वह ज्यादा बच्चे पैदा करें। मान्यवर, नेता विरोधी दल यह भी कह देते कि गरीबों को नसबन्दी कराने पर उसी टैक्स से एवार्ड दिया जायेगा।

नेता विरोधी दल किसानों की बड़ी वकालत करते हैं और वह भी फिडयल्स सामन्ती किसानों की वकालत करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और धनी धनी होता जा रहा है। लेकिन उन्होंने इस पर कोई व्यवस्था नहीं दिया कि इस समस्या का क्या निदान है। कटौती प्रस्ताव में इसका निदान रखते तो एक बात थी।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने हरिजनों के उत्थान की बात कही है, तो उनके उत्थान के लिये हरिजन वित्त विकास निगम बना है और यदि हमारी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है तो उसको बेहतर बनाने के संबंध में कोई सुझाव देते तो अच्छा होता और फिर हम उसको मुख्य मंत्री से मनवाते। तो उन्होंने सुधार के संबंध में कोई सुझाव नही दिया है।

मान्यवर, अभी एक युवा नेता ने राजीव गांधी जी के ऊपर एक बात कही थी कि कम्प्यूटर के कारण भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ जायेगी। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री, मोरार जी देसाई अमेरिका यूरेनियम लेने के लिये गये थे तो उन्होंने वहां कहा था कि भारत इससे अणुबम नहीं बनायेगा। इस पर श्री सिब्बन लाल सक्सेना ने पत्र श्री मोरार जी देसाई को लिखा था कि आप गांधीवादी का मुखौटा लगाये हुये थे। इसी संदर्भ में जब वह, देसाई जी, अमेरिका से भारत वापस लौटे तो अपने पार्टी के सांसदों की एक मीटिंग बुलाई और उसमें एक सदस्य ने प्रश्न पूछा कि आप यह क्यों कह आये कि भारत एटम बम नही बनायेगा। तो वह उस सांसद को डांटने लगे। सांसद ने जबाब दिया कि आप तो ऐसे मुझे डांट रहे हैं कि आप हेड मास्टर हों और हम आपके विद्यार्थी हों। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री चाहते हैं कि भारत विश्व में चांदसितारों को छुए और विकास करे लेकिन तुम्हारे प्रधान मंत्री तो भारत को धरातल में ले जाने वाले थे। आपके प्रधान मंत्री, श्री मोरार जी देसाई ने कहा था कि भारत एटामिक हथियार ही नहीं बनायेगा, और न बना रहा है किन्तु श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम हथियार बनायेंगें, लेकिन किसी पर

हमला नहीं करेंगे बल्कि आत्मरक्षा के लिये बनायेंगें।

मान्यवर, आप बजट देखें तो उसमें बुन्देलखंड के विकास के लिये प्राविधान किया गया है। बजट में व्यवस्था की गयी है कि बुन्देलखंड इंजीनियरिंग कालेज खोला जायेगा। नदी गांव में पहूज नदी पर पुल बनाकर मध्य प्रदेश से जोड़ा जायेगा जिसका प्राविधान कर दिया गया है। इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा पर बोलने का समय दिया। इस वर्ष का बजट उत्तर प्रदेश को कोई नई दिशा नही देने वाला है और हर साल की तरह पारम्परिक बजट की तरह कर दिया गया है। इस बजट में बेइमानी की शुरुआत सदन चलने से पहले हो गय जब विद्युत दरों को बढ़ाया गया, सिटी बसों के भाड़े में वृद्धि की गयी। जन जन पर मंहगाई लादने की कोशिश की गई है। बाढ़ का सहारा लेकर मंत्री जी सदन के नेता और मुख्य मंत्री बन गये हैं, किन्तु उन्हीं के द्वारा इस बजट में बाढ़ रोकने की कोई ठोस योजना नहीं रखी गई है, जिससे हजारों लाखों लोगों के जन धन की हानि हुआ करती है। उसके लिए किसी स्थायी योजना की चर्चा न करके इस बजट के साथ न्याय नहीं किया गया है। प्रदेश की जो मूलभूत समस्या है, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा व मंहगाई, उसको समाप्त करने के लिए उनके भाषण में कहीं कोई चर्चा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना की कहीं चर्चा नहीं है। कुशीनगर, जो महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली है, उसके विकास और उद्धार का इसमें कोई जिक्र नहीं है। वहां पर देश भर के पर्यटक आते हैं, उनके रहने के लिए वहां कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, उसे आकर्षण का केन्द्र बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कुशीनगर में किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का जिक्र नहीं है। यह कमियां इनके बजट का थोथापन प्रकट करती हैं। मैं मंत्री जी को आंकड़ों की सहायता से बताना चाहता हूं कि 1979 में जहां उत्तर प्रदेश में 8 लाख बेरोजगार युवक थे, वह 84 में बढ़कर 18,77,000 हो गये। इसी तरह से प्रदेश में 79 में 49 हजार लोगों को सेवायोजन कार्यालयों से नौकरी प्रदान की गई, किन्तु 84 में यह संख्या घटकर 31 हजार रह गई और सन् 85 में तो पडरौना और मऊनाथ भंजन के सेवा योजना केन्द्रों से केवल एक-एक व्यक्ति को रोजगार दिया गया है। उस सड़ीगली व्यवस्था को समाप्त करने का इस बजट में कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सके।

अब मैं आपका ध्यान शिक्षा की ओर ले जाना चाहता हूं यहां पर शिक्षा की अत्यन्त बदतर स्थिति है। कोठारी आयोग ने यह सिफारिश की है कि शिक्षा पर टोटल बजट का 60 प्रतिशत खर्च होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में मात्र 16 प्रतिशत खर्च इस पर है। और उसमें से भी अधिकांश बजट उच्च शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। और प्राथमिक विद्यालयों पर केवल 2 करोड़ 23 लाख खर्च किये जाने व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार से आप देखें (इस समय 4 बज कर 58 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पुनः पीठासीन हुए।) केवल दो रुपया प्रति प्राथमिक विद्यार्थी पर खर्च होगा। वहीं पर दोहरी शिक्षा के चलते दून जैसे स्कूलों लामाटीनियर आदि पर, जहां मंत्रियों और अफसरों के लड़के पढ़ते हैं, विशेष अनुदान देकर उन्हें और अच्छा और मजबूत बनाया गया है। इनके बजट में सामान्य शिक्षा नीति का कोई जिक्र नहीं है। रोजगार परक शिक्षा नीति बनाने की इनकी कोई योजना नहीं है, उत्पादन-परक शिक्षा नीति बनाने की इनकी कोई योजना नहीं है। साथ ही सरकार विद्युत के मामले में सबसे ज्यादा विफल हो गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना केन्द्र सरकार द्वारा एक भी बड़ी विद्युत परियोजना प्रदेश को न मिलना इनकी असफलता का सबसे बड़ा नमूना है। विद्युत उपयोग और उत्पादन की दृष्टि से प्रायः सभी प्रान्त हम से आगे हैं। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन और उपभोग में प्रति किलोवाट प्रति घंटा आन्ध्र में 134 हैं, गुजरात में 252 हैं, हरियाणा में 257 हैं, महाराष्ट्र में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

251 है और पंजाब में 337 है, जबकि उत्तर प्रदेश का औसत केवल मात्र 97 किलोवाट है और भारत का 146 है। इस औसत को बढ़ाने का कोई प्राविधान इनके बजट में नहीं है। इसी तरह से शिक्षा और साक्षरता के मामले में भी अपना प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। देश में साक्षरता का औसत 37 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश का केवल 16 है। केरल जैसे छोटे प्रदेश भी हमसे शिक्षा में कहीं आगे हैं। इनका बजट पिछड़ेपन का द्योतक है, प्रदेश को और पिछड़ा बनाने की इनकी योजना है। मा0 वीर बहादुर सिंह जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बनकर आए तो हमें आशा हुई थी कि चूंकि वह गरीबों और ग्रामीणों की कठिनाइयों को जानते हैं, कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, गन्ना किसानों को सुविधायें मिलेंगी, उनके बकाये का भुगतान होगा, आलू के अच्छे दाम दिये जा सकेंगे। पूर्वांचल के पिछड़े पन को दूर करने के लिये वहां पर उद्योगों की व्यवस्था करें।

मैं कहना चाहता हूं कि 1947 के बाद देवरिया जनपद एक ऐसा अभागा जनपद है जहां पर सरकार की ओर से एक भी उद्योग नहीं स्थापित किया गया है। मान्यवर, 1923-24 के जमाने की कुछ सड़ीगली चीनी मिलें हैं जिनसे गन्ने की पेराई नहीं हो पाती है। बंगाल, बिहार, पंजाब के पूंजीपतियों ने इनको लगाया था तो वे लोग देवरिया जनपद के किसानों का शोषण करके करोड़ों रुपये कमा कर चले गये और अपनी फैक्टरियां बंद कर रहे हैं। जिससे निगम का घाटा बढ़ता जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में उद्योग लगाने के लिये एक स्थायी, ठोस योजना बनायें ताकि वहां पर भारी और छोटे उद्योग लग सकें। वहां की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिये बजट में व्यवस्था करें। वहां पर शिक्षा की हालत बहुत खराब है। मेरा आग्रह है कि कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कराने के लिये वहां एक योजना बनायें और कुशीनगर को एक आकर्षण का केन्द्र बनायें ताकि वहां देश और विदेश के पर्यटक आ सकें। मान्यवर, देवरिया जनपद हमेशा बाढ़ का शिकार होता रहा है। करोड़ों रुपये वहां पर अनियोजित ढंग से बाढ़ के पेट में चले जाते हैं। करोड़ों रुपया कर्मचारियों और मंत्री लोगों की जेब में चला जाता है। इसलिये इस बजट में एक स्थायी योजना बड़ी गंडक की बाढ़ को रोकने के लिये बनायें।

मान्यवर, इसी तरह से बघहा-छितौनी पुल जिसका शिलान्यास आपकी नेता और देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरागांधी ने सन् 1971 में किया था, 15 साल बीत जाने के बाद भी उस पुल का काम शुरू नहीं किया गया है। उधर बैठे हुये लोगों के निकम्मेपन का यह द्योतक है। आ रोज श्रीमती इंदिरागांधी की दुहाई देते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको श्रीमती इंदिरा गांधी से प्रेम है तो 71 में जिस पुल का शिलान्यास उन्होंने किया था उसको पूरा कराने की हिम्मत करें। अगर हिम्मत नहीं है तो त्यागपत्र देकर इधर बैठिये, हम लोग सरकार चलायेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पुल के लिए प्राविधान किया जाय और प्राविधान करके अपने नेता के प्रति आप असली श्रद्धांजलि अर्पित करें। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने 1986-87 का बजट माननीय वीर बहादुर सिंह जी, मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उस पर बोलने के लिए मौका दिया। चूंकि आपने 10 मिनट का समय दिया है इसलिये मैं बजट की समीक्षा करके आपके माध्यम से सदन के सामने रखूंगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने इस प्रदेश की बागडोर लेने के बाद सबसे पहली घोषणा यह की थी कि चुस्त और कुशल प्रशासन इस प्रदेश को देंगे। अन्य कार्य जो उन्होंने किये हैं उसमें सबसे पहले विकेन्द्रीयकरण (डिसेंट्रलाइजेशन,

आफ पावर), को सचिवालय से मंडलायुक्तों तक पहुंचाया गया है। मंडलायुक्तों के ऊपर जिम्मेदारी डाली गयी है। विकास के कार्यों में उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि उनके अन्तर्गत जितने जनपद हैं, उनमें विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं या नहीं। सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम जो शासन ने लिया है वह यह है कि क्लास -II, (श्रेणी-ख) के स्थानान्तरण का अधिकार मंडलायुक्तों को दिया गया है। स्थानान्तरण की समस्या एक भीषण समस्या रही है। आप देखते होंगे कि अप्रैल और मई में विभागाध्यक्षों के यहां और सचिवालय में कितनी भीड़ होती थी। अगर अप्रैल, मई या जून में आप इस विधान सभा के समस्त दरवाजे बंद करा दें और देखें कि कौन से लोग यहां पर हैं तो उनमें से 80 प्रतिशत लोग ऐसे मिलेंगे जो स्थानान्तरण कराने के लिये आये होंगे या अपना स्थानान्तरण निरस्त कराने आये होंगे।

अब मण्डायुक्तों के स्तर पर आ जाने से यह समस्या दूर हो सकेगी। दूसरे मान्यवर, शासन ने जो एक नई योजना कायम की है वह यह है कि 50 वर्षों के बाद हर राज्य कर्मचारी व अधिकारी की स्क्रीनिंग होगी और जो लोग उपयुक्त पाये जायेंगे उन्हें ही कार्यरत रखा जायेगा और जो उपयुक्त नहीं होंगे उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। इसमें आप ने देखा होगा कि बड़ी गड़बड़िया होती थी, वह अब दूर होंगी।

मान्यवर, सामान्य प्रशासन की बात की गयी इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि इस ओर भी कदम उठाये गये हैं कि कर्मचारी और अधिकारीगण कार्यालय समय से आएं और आने कार्य को समय से निर्गत करें। इसमें स्वयं सचिवालय प्रशासन की बात आयी। सचिवालय प्रशासन तो एक केन्द्र है पूरे प्रदेश का। हम और आप स्वयं पिछले 2-3 महीनों से इसका असर देख रहे हैं कि लोग समय पर भी आए हैं और निस्तारण भी समय से हो रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं वैयक्तिक सहायकों के प्रमोशन के बारे में, निजी सचिव के पद पर। लेकिन यह मामला शासन में लम्बित है इन वैयक्तिक सहायकों का विनियमतीकरण नहीं हो रहा है। इसलिए इस पर सरकार द्वारा तुरन्त निर्णय लेकर इनके मामले को शीघ्र हल किया जाए। साथ ही मान्यवर, यह भी कहना चाहता हूं कि जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है इनके ठोस सुझावों को लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति कायम की है और इस समिति का समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि वह इतने-इतने दिनों में अपना सुझाव दें। ताकि कार्य कुशलता और कार्य क्षमता बढ़े, इसके लिए यह सरकार प्रयत्नशील है। दूसरे मान्यवर, प्रदेश के कर्मचारियों के विरुद्ध जो कार्यवाही की गयी उसके आंकड़े न देकर केवल यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने जितने सरकारी कर्मचारी व अधिकारी हैं सबकी सेवा निवृत्ति (कम्पलसरी रिटायरमेंट) एक निश्चित आय पर निर्धारित कर दी है, जो सराहनीय कार्य है। दूसरे मान्यवर, दैवी आपदा आयी बाढ़ के रूप में, और भी वर्षों में बाढ़ आयीं हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस बार कि जिस तरह से बाढ़ राहत कार्य किया गया है, वह भी अपने आप में सराहनीय है। साथ ही मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूं कि बहुत पहले यह निर्णय हुआ था शासन स्तर से कि जिन लोगों की रु0 24 सौ वार्षिक आय होगी अर्थात् 200/-रु0 प्रति माह, उन्हें बाढ़ राहत नही दी जायेगी। मान्यवर, यह निर्णय आपका बहुत पहले का है और स्थिति वार्षिक आय की कुछ और हो गयी है, इसलिए इस ओर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इस समय 200 रु0 से ज्यादा तो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की प्रति माह आय है। दूसरे मान्यवर, पुलिस में सुधार की जो बात कही गयी, यह सही है। मैं सरकार को इस ओर बधाई देना चाहता हूं कि इनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए 156 उप पुलिस अधीक्षकों के जो स्थान आपने बढ़ाये, निश्चय ही उन्हें जो और सुविधाएं दी गयीं ताकि इनमें उत्साह हो और कार्य को अच्छे ढंग से कर सकें। साथ ही साथ मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वायरलेस की स्थिति में भी इनके लिए कुछ सुधार

किया जाए अगर इन्हें उन्नाव वायरलेस करना होता है तो यह डायरेक्ट उन्नाव नहीं कर पाते हैं। पहले बंथरा करते हैं फिर बंथरा से उन्नाव। इसलिए इनकी इस सुविधा की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरे मान्यवर, मा0 नेता विरोधी दल ने स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण योजना के संबंध में जो कुछ कहा उस संबंध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस ओर भी हमने काफी प्रगति की है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन्टेन्सिव केयर यूनिट की स्थापना की है, डाइबिटीज क्लीनिक की स्थापना की है। इसी तरह से और भी अन्य बीमारियों के लिए जैसे बी0 सी0 जी0, डाई बिटीज डाइल्यूशन और हार्ट आदि की बीमारियों की डाइगनोसिस आधे घंटे के अंदर अंदर कर ली जाती है, जो एक सराहनीय कदम है। जहां तक परिवार कल्याण का सवाल है यह सही है कि चाहे इस पक्ष के बैठने वाले हों, चाहे उस पक्ष के बैठने वाले हों, सबकी मंशा यही है कि जन संख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाय। नेता विरोधी दल का यह कहना कि इस संबंध में प्रदेश सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है, बिलकुल असत्य है। इस शासन काल में परिवार कल्याण में बड़ा सराहनीय काम हुआ है। उदाहरण के तौर पर स्टरलाइजेशन में उत्तर प्रदेश गत वर्ष 20वें स्थान पर था, अब आठवें नम्बर पर है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां तक आर0 यू0 डी0 लूप का प्रोग्राम है, उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। ग्रीन कार्ड की जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है, उससे परिवार कल्याण को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, चाहे नौकरी में, चाहे मकानों के आवटन में।

मान्यवर, संजय गांधी इंस्टीट्यूट प्रदेश एवं लखनऊ की महान उपलब्धि है। जुलाई, 1986 में इसकी कक्षाएं व स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट खुल जायंगे। अभी हाल ही में जैपनीज टीम इस संस्थान को देखने आई थी, जिसमें लखनऊ में 9 सदस्य आये, जो 6 दिन तक यहां रुके। उन्होंने इस संस्थान की केवल प्रशंसा ही नहीं की, बल्कि अपने जापान सरकार को अनुदान स्वीकृत करने के लिए संस्तुति भी की। प्रदेश में हरिजन एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स तथा भूमिहीनों को 18.44 लाख रुपया दिया गया है, ताकि उनको मकान अथवा प्लाट मुफ्त दिया जा सके। अनुसूचित जाति वित्त निगम बहुत सराहनीय काम कर रहा है, जो हरिजनों को वित्तीय सहायता दे रहा है, पर मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके तरीकों में सुधार लाया जाय। हरिजन होने का प्रमाण-पत्र तथा आय का प्रमाण पत्र दोनों बिना तहसीलदार के दिये इसमें कोई प्रगति नहीं होती और तहसीलदार के यहां इनके प्रार्थना-पत्र बड़े लम्बे अर्से तक पड़े रहते हैं और लेखपाल और कानूनगो इनको दो-दो, चार-चार महीनों तक अपने पास डाले रहते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण में प्रदेश सरकार ने बड़ा ठोस कदम उठाया है। समाज में साम्प्रदायिकता, सद्भावना बनाये रखने के लिए शासन ने कवाल टाउन तथा कुछ अन्य बड़े शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम गोष्ठी आदि के लिए 25 हजार रुपये प्रति वर्ष स्वीकृत किया है। अल्प संख्यक एवं वित्त विकास निगम में 1.50 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। जो अल्प संख्यक गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको दिया जायगा और उसमें भी वेरीफिकेशन और प्रमाण पत्र लाने में बड़ा समय लगता है। इस अल्प संख्यक वित्त निगम की इसलिए और आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अनुसूचित जाति वित्त निगम के अन्तर्गत अल्प संख्यकों को सुविधा नहीं प्राप्त हो पाती। अन्त में मान्यवर, मैं आपके और सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने मेरी बातों को धैर्य पूर्वक सुना।

*श्री भगवानदीन कुशवाहा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, उस तरह के बैठे लोगों ने रास्ता रोको आंदोलन की चर्चा की। मान्यवर, रास्ता रोको आंदोलन क्यों करना पड़ा। मान्यवर, मैं कहना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि उधर के बैठने वाले गूंगे, बहरे लोगों के कान खोलने के लिए यह रास्ता रोको आंदोलन करना पड़ा। मान्यवर, प्रदेश भर में तमाम योजनाएं चल रही हैं, जैसे नलकूप, सिंचाई, स्कूल आदि। लेकिन मान्यवर, आज प्रदेश भर में स्थिति यह है कि सारे नलकूप बन्द पड़े हैं और इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है कि उन नलकूपों को चालू करा दें। मान्यवर, प्रदेश भर के स्कूल बन्द पड़े हैं, लेकिन इस प्रदेश की सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है कि उनकी मरम्मत करवाते। उनमें अध्यापक नहीं हैं, उनमें अध्यापक भेज कर स्कूल चलवाते। मान्यवर, आप देखें कि प्रदेश भर में किसी स्कूल में एक अध्यापक हैं और किसी स्कूल में दो अध्यापक हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश की स्थिति यह है एम0 ए0 बी0 एड0 लड़के बेकार घूम रहे हैं, उन लोगों को मौका दें। हर स्कूल में एक-एक अध्यापक हो जाए।

मान्यवर, इनके नेता राजीव गांधी स्वच्छ प्रशासन देने की चर्चा करते हैं। हमारे नेता सदन कितने स्वच्छ हैं? आप जानते हैं। जब सिंचाई मंत्री थे, तो इनके खिलाफ कितने आरोप लगाये गये। मान्यवर, चरित्र संबंधी आरोप लगाए गये। मान्यवर, राजीव गांधी को नेता सदन बनाने को बीर बहादुर सिंह ही मिले थे। मान्यवर, मैं चुनौती देता हूं सभी माननीय सदस्यों एवं नेता सदन की जांच सी0 बी0 आई0 से करा ली जाए, जो काला कानून बनाया गया है, उसमें सबसे पहले नेता सदन होंगे जो काला कानून के तहत जेल जायेंगे। अगर किसी की हिम्मत है, तो जांच कराए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं हमारे लोकदल से माननीय हुकुम सिंह जी चले गये अब वह अपनी सत्ता को दिखाने के लिए इतना [XXX] बोलते हैं, लेकिन वह व्यवहार भूल गये। चौधरी नरेन्द्र सिंह जी को मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं वह मेरे व्यक्तिगत मित्र रहे हैं।

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी आप अपने आसन पर बैठिए।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, झूठ शब्द असंसदीय है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री झूठ बोलते हैं, यह कहा गया। यह शब्द असंसदीय है। इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

झूठ की जगह असत्य कहता हूं। सत्य से परे है।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए, सत्य से परे कह दिया है।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, इतने सुन्दर-सुन्दर शब्द हैं, आप कह सकते हैं, गलतफहमी हो गई। झूठ शब्द असंसदीय है।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको निकाल दिया गया है।

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

हमारी बख्शी दीदी शेरनी बोल रही थीं। इन्होंने सौत का मकान हड़प लिया उसकी जमीन छीन ली। इसकी जांच करा ली जाए। इनकी सौत दर-दर की ठोकरें खा रही हैं।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

आप मेरे आरोपों की जांच करा लीजिये।

(व्यवधान)

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जो उधर बैठे हुए विधायक हैं, वह गलत आरोप लगा रहे हैं। यह कोई तरीका है।

(व्यवधान)

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

वह दर-दर की ठोकर खा रही हैं। मंत्री

नोट—[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

होने का यह लाभ उठा रही हैं।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मैं इसका खण्डन कर रही हूं। कौन सा कानून है, जिसमें एक आदमी दो बीवी रखे ?

श्री उपाध्यक्ष—

समाज कल्याण मंत्री जी, आप बैठें।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मैं नहीं बैठूंगी। जब तक इसको कार्यवाही से नहीं निकाला जायेगा। मैं शेरनी की तरह खड़ी रहूंगी।

(व्यवधान)

मैं गीदड़ भभकी में आने वाली नहीं हूं। किसी महिला पर इस प्रकार का झूठा आरोप लगाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों तरफ से इतना वाक युद्ध हो रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि बात क्या है ? मंत्री जी आप कह दीजिये की आरोप गलत है।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मैं खण्डन कर रही हूं। भाई बैठा हो और कोई बहन की इज्जत उतारे तो आपका क्या कर्तव्य है ? मैं इज्जत बेच कर नहीं आयी हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने खण्डन कर दिया, अब आरोप कहां रहा ?

श्री राम सरन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बजट पर बहस चल रही है। माननीय कुशवाहा जी ने एक मंत्री के खिलाफ आरोप लगाया, मंत्री जी मौजूद हैं मान्यवर, इसमें महिला और मर्द का सवाल नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि आरोप असत्य है। इसको माननीय सदस्य चैलेंज कर रहे हैं। मैं भी चैलेंज कर रहा हूं। मैंने यह आरोप परिषद् में भी कई बार लगाया था। आप इसकी जांच करा दीजिये। इनको इसकी सफाई देनी पड़ेगी।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं इस बात का खण्डन करती हूं। आपके रहते हुए इस तरह से महिलाओं की इज्जत उतारी जा रही है।

श्री राम सरन—

आपने अपनी सौत के घर पर कब्जा किया है या नहीं? तालकटोरा की जमीन के 8—10 लाख रुपये हड़प लिये हैं या नहीं। यह आरोप तो मैं अनेक बार लगा चुका हूं।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप बैठें . .

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

इस तरह से कोई नहीं बैठेगा। आप बैठने के लिये कहने वाली कौन होती हैं ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

आप मत बैठिये, हम भी खड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी धमकी दे रही हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कुशवाहा जी, आप एक बात का ध्यान रखें कि ऐसे शब्द न प्रयोग करें, बाकी का आपको अधिकार है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मेरा आपसे एक आग्रह है। सदन चलाने की जिम्मेदारी सबकी होती है। न केवल बेपोती नहीं है। यदि कभी इस तरह की बपोती नहीं है। यदि कभी इस तरह की

कोई बात कही जाय तो आपको ध्यान देना चाहिये। अभी माननीय नेता, सदन के बारे में एक बात कही गयी। तो आप ध्यान दें तो ठीक रहे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उस बात को निकाल दिया है।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, आपने स्वयं नहीं, आपत्ति करने पर निकाला है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री राम सरन—

इनके पापों का हम भंडाफोड़ करेंगे, यह हमारा अधिकार है। हम इनका कीर्तन नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने 'झूठ' शब्द को कार्यवाही से निकलवा दिया है। कुशवाहा जी आप अपनी भाषा को संयत रखें और कोई ऐसी बात न कहें जिससे दूसरों को बुरा लगे। आलोचना होनी चाहिए, लेकिन ऐसे शब्द न प्रयोग करें।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जनता पार्टी और लोकदल की सरकार में मान्यवर, रामराज्य था। शकर दो रुपये कुछ पैसे किलो मिलती थी। मिट्टी का तेल, डीजल, खाद आदि कितनी सस्ती थी, आज इस सरकार में भाव आसमान छू रहे हैं। यह सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं है। मान्यवर, जनता पार्टी और लोकदल की सरकार में जो रामराज्य था, वह रामराज्य नहीं आ सकता है। इस सरकार ने घोषणा की थी कि हर तहसील हेड-क्वार्टर पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जायेगा। लेकिन, हमारे डेरापुर क्षेत्र में सरकार ने एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है।

मान्यवर, इनके यहां नेता पद को लेकर बड़ा बिवाद है। जो नेता हैं, वह ठेकेदारी के आरोप में ब्लैक लिस्टेड हैं। दूसरे माननीय लोकपति त्रिपाठी, जो नेता होना चाहते हैं, उनकी भी छवि ठीक नहीं। इनके नेता सदन कोई ठीक है ही नहीं। अब रह गये हुकुम सिंह जी-यह लोकदल छोड़कर कांग्रेस में गये हैं। वह इतनी मीठी बात बोलते हैं कि शायद नेता सदन हो जायें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे [XXX]। हमारे दल में जब हुकुम सिंह जी रहे कभी झूठ नहीं बोले, कभी सत्य से परे नहीं बोले। मान्यवर, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि [XXX] सारे लोगों का अहित हो जाये। मान्यवर, अन्त में मैं अपने क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि वहां जो सड़के बननी थी, वह अधूरी पड़ी हैं। जो स्कूल खोले थे, उनके भवन निर्माण आदि सब कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, उनको पूरा कराया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय नेता सदन द्वारा रखे गये बजट का घोर विरोध करता हूं।

*श्री हनुमान प्रसाद कुरील—

मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सदन को बनाये रखने के लिये दोनों पक्षों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मान्यवर, मैं यह देख रहा हूं कि हमारे विरोधी दल के लोग अकारण गलत तरीके से हम पर चार्जेज लगाते हैं, जिसमें कोई दमखम नहीं हुआ करता है। मान्यवर, जिस तरीके से बजट प्रस्तुत किया गया है उससे यही परिलक्षित होता है कि हम छोटी सी रकम होने के बावजूद भी बड़े बड़े कामों की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे कृषि, शिक्षा, विद्युत उद्योग, सिंचाई या ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो। निरन्तर प्रयास किया जा रहा है कि हम उसमें आगे बढ़े और सारी सहूलियतें प्रदान करें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष के सदस्यगण जो गलत तरीके से हो-हल्ला करते रहते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, एक मिसाल देना चाहता हूं कि जब हजरत मोहम्मद साहब अल्ला का पैगाम देने के लिये, जिसमें शांति और सुकून की व्यवस्था थी, अपने घर से निकलते थे, तो उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, रोज वही आलम था। फेंकने वाले कौन थे? यह मैं नहीं कह सकता, विरोध पक्ष के

नोट—[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाई सामने बैठे हैं, ये इसे जानते हैं। मान्यवर, यह जो हमारा बजट है, इसमें एक दिशा है, हम निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, इस सदन की प्रेस दीर्घा में एक अनधिकृत व्यक्ति बैठे हुए हैं, वे प्रेस गैलरी में नहीं बैठ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं प्रेस गैलरी को दिखवा रहा हूं।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील—

मान्यवर, इस बजट में बहुत बड़ी सहूलियतें हैं। प्रदेश में चाहे गन्ने के विकास की बात हो, गेहूं के विकास की बात हो, चावल की बात हो, हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है, संसाधनों के साथ बढ़ा है। यही कारण है कि अभी कुछ समय पहले राष्ट्रपति जी ने हमारे प्रदेश को एवार्ड दिया है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। एक जमाना था जब कहीं-कहीं उद्योग देखने को मिलते थे, लेकिन आज प्रत्येक जिले में उद्योग की स्थापना की जा रही है। उद्योगों को बढ़ाने के लिए के लिए भी इस बजट में प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, बिजली की बात है। एक समय था केवल सड़कों और शहरों तक ही बिजली सीमित रहती थी, लेकिन आज प्रदेश के पूरे गांवों को बिजली सप्लाई हो रही है। गांवों में विद्युतीकरण हो रहा है। कहा जाता है कि हरिजन बस्तियों में बिजली नहीं दी जा रही है। हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाई जा रही है।

मान्यवर, सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले रिकार्ड को भी आप देख लें। उस समय भी सिंचाई के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, वह प्रशंसनीय रहा है, लेकिन आज हमने यह कोशिश की है कि हम हर खेत को पानी दे सकते हैं। स्कूलों और शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। हर ब्लाक में एक हाई स्कूल खोल रहे हैं इसके साथ ही साथ न्याय-पंचायतों में प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं, जहां बच्चे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमारे इस बजट में इसका प्राविधान भी है।

मान्यवर, अनुसूचित जातियों के बारे में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा। आज मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, खेती देने की व्यवस्था, आवासीय समस्या को हल करने की व्यवस्था, उद्योग धन्धे स्थापित करने की व्यवस्था व आई0 आर0 डी0 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्दर कई सहूलियतें दी हैं। जिसका फायदा हमारे हरिजन भाई उठा रहे हैं। यदि विरोध पक्ष के भाई इसे नकारते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे एक मित्र ने कहा कि प्रदेश अपना है। इस प्रदेश की तरक्की करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, यह एक अच्छी बात है। प्रदेश को आगे बढ़ायें। यह उचित नहीं होगा कि विरोध ही विरोध करें।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह है कानपुर देहात। यह एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह है बिल्हौर। वहां पर 17 साल से विपक्ष का आदमी चुनकर आया है। मैं ही एक ऐसा सदस्य हूं सत्ता पक्ष की तरह से, जो पहली बार चुनकर वहां से आया हूं। वहां पर आज तक कोई विकास नहीं हो पाया है। मेरे क्षेत्र में 3 ब्लाक हैं, उसमें से 2 ब्लाक ऐसे हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। वहां पर सिंचाई के साधन और तमाम प्रकार के दूसरे साधनों की कमी है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र में विकास के कार्यों के लिये जो जिला विकास योजना है, इसके लिये कहा जाय और आदेशित किया जाय कि हमारे क्षेत्र को प्राथमिकता देकर तरक्की के लिये कुछ करें। हमारे यहां की एक ज्वलंत समस्या है, रसूला-

बाद में एक तहसील बनी हुई थी अंग्रेजों के जमाने में, आजकल उसको खत्म करके डेरापुर में लगा दिया गया है। जब तहसील पहले कायम थी, हजारों नागरिक उससे लाभ उठाते थे, अब 30—40 मील दूर डेरापुर जाना पड़ता है। अगर मुकदमा हुआ या कुछ और काम हुआ तो देर-सबेर पहुंचते हैं, जिससे मुकदमा खारिज हो जाता है। अतः मेरी मांग है कि रसूलाबाद में तहसील की स्थापना की जाय। रसूलाबाद बी0 डी0 सी0 की तरफ से प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया है, जिसको माननीय मन्त्री जी को भेज दिया गया है।

श्री असौन सिंह—

मान्यवर, जो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करने के लिये और माननीय नेता, विरोधी दल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। बजट भाषण की प्रति मेरे हाथ में है, मैंने उसका आद्योपान्त अध्ययन किया है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, गलत नियोजन और गलत नीतियों पर आधारित है। वह किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, निरक्षरता को बढ़ाने वाला है, बेरोजगारी को बढ़ाने वाला है और अशिक्षा को बढ़ाने वाला है। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं। आज प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति है, उसका विरोध करने करने में दुख लगता है। अपने क्षेत्र बिधूना की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं बिधूना निर्वाचन क्षेत्र कानपुर से 100 कि0 मी0, फर्रुखाबाद से 100 कि मी0 और इटावा से 100 कि0 मी0 पर स्थित है। आवागमन का कोई साधन नहीं है। पिछले वर्षों में बिधूना से दिबियापुर, विधूना से सहार, विभूना से इन्दगढ़, याकूबपुर से महाल और बेला से महू मार्ग केवल खरंजा स्तर तक बन पाये हैं। इन मार्ग केवल खरंजा स्तर तक बन पाये हैं। इन चुका है, लेकिन आज 10 साल के बाद भी पूरे नहीं बन सके हैं। मेरी मांग है कि इनको लेपन स्तर तक बनाया जाय। एक तरफ तो आपने अपने इस बजट भाषण में कहा है कि असंतुलन को समाप्त करना चाहते हैं, मैं यह असंतुलन का आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। शिक्षा की यह स्थिति है कि 279 प्राइमरी पाठशाला खोलने जा रहे हैं, 425 विधायक हैं, आधा-आधा विद्यालय भी एक विधायक के हिस्से में नहीं आयेगा। 79 बेसिक स्कूल खोलने जा रहे हैं, 1/4 स्कूल भी एक विधायक के हिस्से में नहीं आयेगा। यह आपकी प्रगति का चिट्ठा है।

मैं आपके माध्यम से सिंचाई की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं कि इस प्रदेश का विकास कर रहे हैं, किसानों के लिये विकास का काम कर रहे हैं। मान्यवर, आप जानते होंगे क्योंकि आप भी किसान के परिवार से संबंध रखते हैं कि किसान की जीविका के लिये पानी बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इसके साथ ही आप देखें कि प्रदेश का कितना क्षेत्र असिंचित पड़ा हुआ है। प्रदेश की लाखों हेक्टेयर भूमि असिंचित पड़ी हुई है। जनता पार्टी ने इस ओर काफी प्रयास किया भी थी परन्तु उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल के 10 वर्ष होने को आ रहे हैं और किसानों की जमीन असिंचित ही पड़ी हुई है। शासन की ओर से बजट में करोड़ों रुपया इस मद में स्वीकार किया जाता है परन्तु शासन द्वारा स्वीकृत पैसा पता नहीं कहां चला जाता है और किसान बिना पानी के प्राप्त किये ही रह जाता है। हमारे यहां वरुं माईनर और अशोकपुरी माईनर 10 वर्षों से सूखी ही पड़ी हुई हैं, पानी के अभाव में। जनता शासन काल में इसे शुरु किया गया था और इस पर करीब 95 प्रतिशत काम हो भी चुका है लेकिन इस सरकार की अक्षमता के कारण आज तक उसे पूरा नहीं किया गया है।

इसी तरह हमारे यहां कुर्सी, गोपालपुर, धुपवारी पूरा, आंसू तथा पुरवासमई यह सब माईनर नालों की शक्ल की हो गई हैं, जिनमें कि लाखों एकड़ भूमि जलप्लावन के कारण बेकार हो जाती है और काश्तकारों को पानी जरुरत पर मिलता नहीं है। बिना जरुरत मारा फिरता है। स्थिति यह है कि लाखों एकड़ का रकबा जल मग्न है। जो धनराशि

इसके लिये स्वीकार की जाती हैं वह ठेकेदारों की जेबों में और अधिकारियों की जेबों में चली जाती हैं। मैं कहता हूं कि योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का 25 प्रतिशत भी योजनाओं पर खर्च नहीं किया जा रहा हैं। कहीं भी नाले की सफाई नहीं की जा रही हैं।

हमारे यहां जो नाला हैं जैसे असरहा, नरौली, मल्होसी, हरदू, छहइया, ओको, धुपकरी, स्यारी, गुलालपुर, सेऊपुर, सरन, कुर्सी बरोली, उसरहा आदि जो नाले हैं यह पटकर समतल हो गये हैं और इससे जल-प्लावन की समस्या पैदा हो रही हैं। पेय जल में इस गन्दे पानी के मिल जाने के कारण आज वहां की जनता को, किसानों को, मलमूत्र युक्त पानी पीना पड़ रहा हैं।

हमारा क्षेत्र पेय जल की समस्या से ग्रस्त हैं, जहां वाटर का लेवल ऊपर आ जाता हैं। कुएं का पानी और नाले का बरसाती पानी मिल कर एक हो जाता हैं और वही किसानों को शिकार होते रहते हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा यह जो पीना पड़ता हैं। जिससे कि बीमारियों के वे बजट पेश किया गया हैं, इसका दिग्दर्शन कराते हुए मैं बतलाना चाहता हूं कि यह असन्तुलित बजट हैं। मेरा क्षेत्र तहसील मुख्यालय हैं। वहां आजादी के ३८ सालों के बाद भी आज तक न कोई शीत गृह हैं, न एक शैय्या का अस्पताल हैं और न कोई कन्या इण्टरमीडिएट कालेज ही हैं। महिला चिकित्सालय जरूर हैं परन्तु वहां कोई डाक्टर नहीं हैं। मुन्सिफ, न्यायालय के अभाव में लोग न्याय पाने के लिए इटावा हेडक्वार्टर तक १०० किलो मीटर चल कर जाते हैं। हमारा क्षेत्र सबसे अधिक उपेक्षित क्षेत्र हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक कन्या इण्टरमीडिएट कालेज, कम से कम ५० शैय्याओं का अस्पताल और एक शीतगृह खोलने की व्यवस्था की जाय।

एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0-एल0 जी0 ई0 पी0 योजना के नाम पर गरीब मजदूरों का शोषण हो रहा हैं, कहीं भी उन्हें सस्ता अनाज नहीं दिया जा रहा हैं प्रदेश में कहीं भी उन्हें मजदूरी में गेहूं नहीं दिया जाता हैं बल्कि उनको दिया जाने वाला गेहूं बाजार में बिकता हैं। स्थिति यह हैं कि सारा पैसा ठेकेदारों की जेबों में चला जाता हैं या फिर इन सफेद हाथियों की जेबों में जाता हैं, तो यह स्थिति हैं। ला एण्ड आर्डर की पोजीशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं अभी मान्यवर, फतेहपुर वाली घटना पेश हुई थी, तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस के लोग साजिश करके सामूहिक हत्या करा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हरिजनों पर बलात्कार हो रहे हैं, हरिजन महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा हैं और सामूहिक नर हत्यायें हो रही हैं। यह पुलिस के लोग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। मैं दूसरे सदस्य, श्री प्रदीप माथुर को पुकार चुका हूं

श्री आँसान सिंह—

तो मान्यवर, यह बजट जो हैं वह किसान विरोधी हैं, हरिजन विरोधी हैं और जन विरोधी हैं, और मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

(श्री आँसान सिंह ने बजट भाषण की प्रति फाड़ कर फेंक दी)

श्री प्रदीप माथुर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय व्ययक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। महोदय हमारे माननीय विपक्षी दलों के नेताओं की एक आदत सी बन गयी हैं कि प्रत्येक बात की नुक्ता चीनी करते हैं। यह कहते हैं कि सरकारी पैसे का नुकसान होता हैं और कहते हैं कि सदन की कार्यवाही में एक मिनट में 4 हजार रुपये का खर्चा आता हैं। परन्तु मान्यवर, यह लोग स्वयं ही सदन का समय नष्ट करते हैं और बवाल मचाते हैं और गड़बड़ी पैदा करते हैं। महोदय इन लोगों का स्वभाव एक आडीटर की तरह का हो गया हैं जो सदैव गलती निकाला

करते हैं। यह लोग कतई आशावादी नहीं हैं, निराशावादी नीतियों को लेकर चलते हैं।

मान्यवर, कल माननीय नेता विरोधी दल कह रहे थे कि इस वित्तीय वर्ष का बजट एक जाल और ताना बाना है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी समझ में ही यह बजट नहीं आया है और उसमें वह उलझ गये हैं। आप देखें कि उत्तर प्रदेश स्वयं में कितना बड़ा प्रदेश है, जो विश्व के बहुत से देश हैं, उनसे भी क्षेत्रफल में बड़ा है तो इतने बड़े प्रदेश का बजट बनाना कोई मजाक बात नहीं है। जब यह लोग सत्ता में थे, 3 वर्षों तक बजट बनाया, लेकिन यह सफल नहीं हुये और उसी का यह असर है कि हम रो रहे हैं और भुगत रहे हैं। विपक्षी लोग कहते हैं कि मंहगाई बढ़ रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह तो इन्टरनेशनल फिनामिना है, जिसको न आप रोक पाये हैं और न कोई रोक पायेगा। आपको बजटरी कन्ट्रोल के बारे में पता नहीं है और बेकार में चिल्लाते रहते हैं।

महोदय, जन प्रिय मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं कि कि उन्होंने कोई भी नया कर बजट में नहीं लगाया है और घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। थोड़ा घाटे का बजट है, परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि वह बेकार है। जो घाटा है वह दिल की सफाई को पेश करता है। जो असलियत है वह सामने हैं। जो घाटा है उसको पूरा करने की कोशिश की जायेगी। हमारे मुख्य मंत्री जी पिछले वर्षों की योजना से ज्यादा पैसा लेकर आये हैं। योजना आयोग से 2150 करोड़ रुपया लेकर आये हैं और वो इस प्रकार पिछली योजना से 23 प्रतिशत अधिक हैं। यह धनराशि देश के अन्य सभी राज्यों की योजनाओं के आकार से सर्वाधिक है इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर अगर आप बजट को देखें तो विदित होगा कि कुल रिसीट 6000.82 करोड़ की है और कुल खर्च 6245.02 करोड़ रुपया है। तो इस प्रकार से संभावित घाटा 244.20 करोड़ रुपये का है संचित निधि का 255.26 करोड़ रुपया लोक लेखा के अन्तर्गत अनुमानित शुद्ध प्राप्तियां हैं। कुल 99.84 करोड़ रुपया घाटा है, हमारे मुख्य मंत्री जी बड़े सक्षम व्यक्ति हैं वह इस घाटे को पूरा कर लेंगे, जो रिकवरीज हैं, उनकी वसूली करके घाटा पूरा किया जायेगा।

महोदय यह तो एकाउन्टिंग एंगिल था। अब मैं कुछ बातें और रखना चाहता हूं जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने विभाग वाइज बजट रखा, उसमें आप देखें। हमारी सरकार की डिसेन्ट्रलाइजेशन की नीति एक प्रभावशाली कदम है। जिसमें कमिशनरों को अधिक से अधिक अधिकार इन्होंने दिये हैं। जिससे मंडल लेवल का जो भ्रष्टाचार है, उसको मिटाया जा सके, गरीबी को मिटाया जा सके, तथा आर्थिक उत्थान एवं प्रशासनिक मशीनरी को तेज किया जा सके। हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वह जड़ों में व्याप्त है और उन्होंने इसको खत्म करने की कसम खाई है। इसके अलावा विभिन्न सेल बनाये गये हैं जो इसका पर्दाफाश करेंगे मैं तो खुले रूप में कहता हूं कि हमें इसका पर्दाफाश करना है। यदि आप कृषि उत्पादन की तरफ देखें तो पायेंगे कि 1986-87 में खाद्यान उत्पादन का लक्ष्य 334 लाख मीट्रिक टन रखा गया है जिसके लिए सिंचाई उन्नति शील बीज आदि का प्रबन्ध किया जा रहा है। कृषि प्रसार संगठन योजना को 1986-87 में आठ और नये जनपदों में लागू करने का प्रस्ताव है जिससे कषकों की आय एवं उपज तेजी से बढ़ेगी। मान्यवर, सिंचाई की ओर देखें। वर्ष 1986-87 में 58000 हेक्टेयर क्षमता का सृजन का प्रस्ताव है जो कि पिछले वर्ष से 28000 हेक्टेयर अधिक है। वर्ष 1986-87 में 25 कि0 मी0 लम्बे सीमान्त बांध तथा 50 कि0 मी0 लम्बे जलोत्सरण कार्यों का निर्माण कर 25000 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ से सुरक्षा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

महोदय, यदि हम विद्युत की तरफ जांय तो देखेंगे कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति उपभोग 106 किलो वाट है जो 146 किलोवाट के राष्ट्रीय स्तर से कम है। वर्ष 1986-87 में 420 मेगा वाट की अतिरिक्त इंसटाल्ड कैपासिटी का सजन का लक्ष्य है उसमें 1338 सर्किट के0 वी0 एवं 33 के0 वी0 हाई टेंसन

लाइन्स का निर्माण, 3660 ग्रामों का विद्युतीकरण, 30,000 निजी नलकूपों का उर्जीकरण तथा 3457 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, सेविन्थ फाइव इअर प्लान में एक लाख लघु उद्योग जिससे 7 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। 1986-87 में 20000 नये इन्टरप्रेन्योर्स को प्रशिक्षण देने तथा आई0-डी0 बी0 आई0 के सहयोग से लखनऊ में इन्टरप्रेन्यर्स डेवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गयी है। वर्ष 1986-87 में 122.4 करोड़ से एस0 एस0 आई0 यूनिट 18000 लगायी जायेगी और 6000 करोड़ की लागत से लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगायी जायेगी। और इनसे 25000 लोगों को रोजगार मिलेगा। खादी एवं ग्रामोद्योग के अन्तर्गत 16000 नयी इकाइयां स्थापित की जायेगी जिसमें 16 करोड़ रुपये पूंजी लगेगी और 56000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्यम और बड़े उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाये जाने का भी प्रस्ताव है। हथकरघा एवं पावर लूम क्षेत्रों को प्रोत्साहन के लिए राज्य स्तरीय पावर लूम की स्थापना तथा हथकरघा बोर्ड की स्थापना की जायेगी। महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, इससे प्रदेश की स्थिति में सुधार हुआ है। महोदय एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत 8.95 लाख परिवारों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा में हम सब कदम से कदम मिलाकर चलें और विपक्ष पिपहरी आदि बजाने तथा मुखौटा लगाने का कार्य न करें। अन्त में मैं आप का आभार व्यक्त करता हूं

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जब से माननीय मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने 20 पृष्ठ का एक बजट भाषण आदरणीय सदन में रखा है तब से प्रदेश की जनता में एक निराशा का वातावरण फैला हुआ है। श्रीमन् यह बजट फिजूलखर्ची का बजट है, निराशा का बजट है, गांवों और किसान विरोधी बजट है। मैं तो समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत होगा वह किसानों के हित में होगा, गांवों के हित में होगा लेकिन उसके बिल्कुल बिपरीत ही बात रखी गई है। मान्यवर, सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोगों की तरफ से प्रदेश के विकास की बात कही गई है लेकिन आज विकास कहीं देखने को और सुनने को नहीं मिलता है और अगर कहीं मिलता है तो सत्ता में बैठे हुये लोगों का विकास हुआ है। गरीबों का और किसानों का कोई विकास नहीं हुआ है। आज शिक्षा के बारे में बजट में जो बातें कही गयी हैं, किस तरह से उन लोगों के साथ माखौल किया गया जिसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती है। एक तरफ तो 3 हजार प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण कल भी जारी रखें। 6 बज गया है। हम अगली मद लेते हैं।

श्री अवधेश प्रसाद—

ठीक है मान्यवर।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें।

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्री फरीद महफूज किदवई की बाराबंकी के राजकीय दीक्षा विद्यालय के छात्रों को अनुपस्थित दिखाकर फेल किये जाने के सम्बन्ध में है, स्वीकार की गई है। बाकी सब सूचनाएं अस्वीकार हुई हैं।

जनपद बस्ती की वाल्टरगंज तथा खलीलाबाद चीनी मिलों के बन्द होने से मजदूरों में भुखमरी व बेकारी उत्पन्न होने के सम्बन्ध में चर्चा

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस्ती जनपद इस प्रदेश का जहां एक तरफ सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है वहीं दूसरी तरफ सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है। श्रीमन् इस जनपद में उद्योग के नाम पर केवल 5 पुरानी चीनी मिलें जो सन् 1932 से चली आ रही हैं, जो स्वतन्त्रता से पहले लग चुकी थीं, वही 5 चीनी मिलें वहां पर उद्योग के नाम पर काम कर रही हैं। इन्हीं चीनी मिलों में वहीं के लोगों को काम मिलता है। साथ ही बस्ती जनपद के किसानों की जो कैश क्राप है वह गन्ना ही है और इन्हीं पांच चीनी मिलों के नाते वहां के किसान गन्ने की खेती करते थे और अपनी जीविकोपार्जन करते थे। मान्यवर, पिछले कई वर्षों से नारंग कन्सर्न वाल्टरगंज चीनी मिल बन्द करने का प्रयास किया जा रहा था। हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ से इस बात को ठुकराया गया और किसानों की जीत होती रही। नारंग कन्सर्न को बन्द नहीं कर सके, किसानों को लाभ होतारही।

श्रीमन्, कहा जाता है कि वाल्टरगंज चीनी मिल घाटे का सौदा है, इसलिए उसका उचित नहीं है। मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं। वाल्टरगंज चीनी मिल ने सन् 1972-73 से लेकर 1983-84 तक 211 दिन से लेकर 82 दिनों तक क्रशिंग की है। विभिन्न वर्षों में सन् 1980-81 में जब यह प्रस्ताव इस शासन के समक्ष लाया गया था कि वाल्टरगंज चीनी मिल इसलिए बन्द कर दी जाय क्योंकि वह घाटे का सौदा है। शासन ने उस समय यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय इस चीनी मिल के मालिक इस मिल को बन्द करना चाहते थे उस वर्ष 1980-81 में वह केवल 83 दिन चली है और उसने लाभ दिया है। इस वाल्टरगंज चीनी मिल के लिये कहा जाता है कि उसके पास गन्ना नहीं है, इसलिए उसे बन्द कर दिया जायेगा। मान्यवर, इसके सुरक्षित क्षेत्र का आधे से अधिक गन्ना दूसरी मिल में चले जाने के बावजूद भी वह मिल क्रशिंग सीजन में चलती रही और लाभ पहुंचाती रही। बराबर वह लाभ उठाती रही। खेद की बात है कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी गन्ना मंत्री भी हैं आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के समय इस सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं यह नहीं कह सकता। क्या कृषि मंत्री जी इसका जबाव दे सकेंगे या संसदीय कार्य राज्य मंत्री इसका जबाब दे सकेंगे और सरकार की तरफ से कोई आश्वासन हम लोगों को दे सकेंगे या कुछ नीतिगत घोषणायें वह यहां कर सकेंगे ? हम चाहते थे कि किसानों को कोई स्पष्ट जबाब मिल जाय। यह सरकार तो किसानों की ज्यादा फिकर करती है या मिल मालिकों की ज्यादा फिकर करती है, वह इससे ही जाहिर हो जायगा। क्या संसदीय कार्य राज्य मंत्री इस कैपेसिटी में हैं या नहीं कि इस संबंध में कुछ कह सकें। कृषि मंत्री तो कुछ नहीं कह पायेंगे यह हम जानते हैं क्योंकि इन पर तो आक्षेप लगा हुआ है कि यह मुख्य मंत्री बताना चाहते हैं (व्यवधान) सामूहिक उत्तरदायित्व है तो यह कहें। यही हम चाहते थे कि स्पष्ट घोषणा यह करें।

एक तरफ वाल्टरगंज चीनी मिल को घाटे में बताया जाता है और दूसरी तरफ उसका गन्ना दूसरी मिलों को दिया जाता है। इसके बावजूद कि उसका गन्ना दूसरी मिलों को दिया जा रहा है वह वाल्टरगंज की चीनी मिल पूरे सीजन चल रही है और बराबर लाभ उठाती रही है। यह बात दूसरी है कि मिल मालिक कागज में घाटाला दिखाकर उसे घाटे में दिखा रहे हैं। इस मिल को पुनः जब बन्द करने की बात आई तो हम लोगों ने बराबर इसका विरोध किया चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के सब ने कहा कि इस वाल्टरगंज की मिल को बंद न किया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस साल एक नयी बात हुई। जैसे खीरे को देख कर खीरा रंग बदलता है उसी तरह से वाल्टरगंज मिल को बन्द करने की बात के साथ खलीलाबाद की चीनी मिल को बन्द करने की भी बात उसके मिल मालिक करने लगे। जब यह सूचना हम लोगों को मिली तो हम लोगों के कहने सुनने के बाद अब 14 ता0 से इस मिल का चलना शुरु हुआ। उसकी भी समस्यायें हैं जिसके बारे में हमारे और साथी बतायेंगे। मैं केवल वाल्टरगंज चीनी मिल के बारे में कहूंगा। जब यह हंगामा शुरु हुआ तो हम लोगों ने कहा कि चीनी मिल को बन्द नहीं होने दिया जायेगा। आज इस चीनी मिल पर 29 लाख किसानों का बकाया है और 37 लाख रुपया मजदूरों का बकाया है। इतना बकाया लेकर यह नारंग कैसे पैसा हड़पना चाहती है। यह एक साजिस इस कन्सर्न रची है।

1981 में जब यह मामला हमारी सरकार के सामने आया तो उस समय एक निर्णय लिया गया था। वह निर्णय इस सदन में सितम्बर 1985 के सत्र में माननीय हर्षवर्धन जी के नियम 31 में दी गयी सूचना के आधार पर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने वक्तव्य देकर लिया था। श्रीमन्, माननीय तिवारी जी ने कहा था दोनों मिलों को एक में मिलाने का मुख्य आधार यह था कि वाल्टरगंज यूनिट अपनी पेराई क्षमता से कम पेराई कर रही है तथा उसे समुचित मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इस प्रकार इस फैक्ट्री को निरन्तर हानि हो रही है तथा यह एक अलाभकारी इकाई हो गयी है। शासन ने इस विलीनीकरण के प्रस्ताव को वर्ष 1980 में सिद्धांततः स्वीकार कर लिया लेकिन यह प्रतिबन्ध भी लगाया गया कि वाल्टरगंज मिल तब तक चलायी जाये जब तक कि बस्ती मिल की बढी हुई क्षमता बस्ती एवं वाल्टरगंज की सम्मिलित क्षमता के बराबर अथवा उससे अधिक न हो जाय। मान्यवर, इस सदन में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में आगे कहा है साथ ही यह भी शर्त लगायी गयी कि वाल्टरगंज मिल के बस्ती के विलीनीकरण के फलस्वरूप गन्ना उत्पादकों, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाय।

इसी में आगे कहा गया है बस्ती एवं वाल्टरगंज चीनी मिल के विलीनीकरण संबंधी उक्त प्रतिबन्ध/शर्तों को कार्यान्वयन दि बस्ती शुगर मिल्स कं0 लि0 की निष्क्रियता के कारण अभी तक नहीं किया गया है। मान्यवर, स्पष्ट है कि इस सरकार का ही वक्तव्य इस सदन में है कि बस्ती शुगर मिल कं0 की निष्क्रियता के कारण कैपेसिटी नहीं बढ़ाई गयी। (लाल बत्ती होने पर) इस वक्तव्य को पढ़ कर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि और माननीय सदस्यों को भी बोलना है। मान्यवर, स्पष्ट रुप से उसमें कहा गया है कि सरकार के अधिकारियों को भी यह निर्देश दिया जा रहा है कि वह इसको देखें कि मिल की मरम्मत का कार्य सुचारु रुप से हो, समयबद्ध हो। मिल मालिकों से कह दिया गया है कि मिलों को समय से चलायें। किन्तु खेद है कि बस्ती जनपद की चीनी मिलों ने दिसम्बर के पहले सप्ताह से कार्य करना शुरु कर दिया लेकिन इन दोनों मिलों पर सरकार की स्पष्ट घोषणा के बावजूद कान पर जूं नहीं रेंगी। तो कितनी सजग यह सरकार है कितनी गरीबों की हमदर्द यह सरकार है, मजदूरों की कितनी हमदर्द यह सरकार है, इससे स्पष्ट हो जाता है।

मान्यवर, हमारे पूर्वांचल के कर्णधार, श्री वीर बहादुर सिंह, मुख्य मंत्री हो गये. यदि श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री होते तो यह मिल बन्द न होती। पूर्वांचल के मुख्य मंत्री होते हुए वहां की मिलें बन्द की जा रही हैं। यह सरकार मिल मालिकों के दबोच में आ गयी है। जिसके परिणाम स्वरुप इस सरकार ने अपने द्वारा किये गये वादों पर काम करना छोड़ दिया है। मान्यवर, जब सरकार पर दबाव बढ़ा तो 19 नवम्बर को सरकार ने वाल्टरगंज और खालीलाबाद चीनी मिलों के ऊपर रिकवरी नोटिस जारी किया जबकि इसके पहले 15 तारीख को मुख्य मंत्री वक्तव्य देते हैं कि सरकार कोई भी चीनी मिल अधिग्रहण नहीं करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि रिकवरी नोटिस देने का क्या मतलब हुआ? बस्ती के जिलाधिकारी ने गन्ना आयुक्त और गन्ना सचिव को लिखकर स्पष्ट पूछा कि इसमें क्या करें? तो यहां से

कोई जवाब नहीं दिया गया कि वह क्या करें ? इसलिये उन्होंने मिल का सामान जब्त किया और हाईकोर्ट में डिफेमेशन सूट फाइल हो गया। तहसीलदार और एस0 डी0 एम0 जो रिकवरी सर्टीफिकेट के आधार पर गये थे सामान जब्त करने तो वह अपने बचाव में हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। तो इस सरकार ने अपने अधिकारियों को इस स्थिति में डाल दिया है। इस प्रकार यह सरकार न तो अपने अधिकारियों की, न किसानों की और न मजदूरों की सुरक्षा कर पा रही है।

मान्यवर, लेबर ला के अनुसार कोई भी मिल बन्द करने के पहले मिल मालिक को आवश्यक होता है कि वह आदेश प्राप्त करें। लेकिन आजतक बस्ती की चीनी मिलों ने मिल बन्द करने का कोई आदेश नहीं प्राप्त किया है और वहां के मजदूरों को आज तक नहीं बुलाया गया है। सरकार यदि मजदूरों और किसानों की हिमायती है तो जिन मिल मालिकों ने लेबर ला के अनुसार अवैधानिक कार्य किया था उनके खिलाफ क्या कार्यवाही किया है वह बताये और मिल मालिकों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है ?

मान्यवर, गन्ना किसानों के बारे में बयान दिया गया कि 15 जनवरी तक बकाये का भुगतान कर दिया जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि 29 लाख रुपया गन्ना किसानों का वाल्टरगंज चीनी मिल पर जो बकाया है और 37 लाख रुपया वहां के मिल मजदूरों का जो बकाया है, वह अभी तक क्यों नहीं भुगतान किया गया ? मान्यवर, स्थिति है कि 7 जनवरी को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कान में जूं रेंगे इसलिये बस्ती में रेल रोकने का आवाहन किया गया था और वाल्टरगंज फैक्टरी गेट के सामने डेढ़ घंटे तक लखनऊ-गोरखपुर राप्ती-गोमती ट्रेन को रोका गया। ट्रेन रोकते समय ट्रैक पर केवल तीन आदमी गिरफ्तार हुये-श्री धनराज यादव, सदस्य विधान सभा, श्री ब्रह्मदत्त सिंह, लीडर ट्रेड काउन्सिल और उनके एक मित्र को गिरफ्तार किया गया था। केवल तीन आदमी ट्रैक पर गिरफ्तार किये गये थे, बाकी सब लोगों को, हम लोगों को ढेला मार मार कर ट्रैक से हटाया गया था। बाद में कहा आप लोग गिरफ्तार किये जा रहे हैं, हमने कहा ठीक है। हम लोग शान्ति पूर्वक वहां बैठे थे। उन्होंने हम पर पत्थर मारना शुरु किया, तो कुछ लोग हटे, कुछ लोगों में उत्तेजना फैली, जिसके फलस्वरुप पुलिस द्वारा 10 राउण्ड हवाई फायर हुए और टियर गैस छोड़ी गई और गिरफ्तार केवल तीन आदमी हुए दिखाया गया है कि 29 आदमी ट्रैक से गिरफ्तार किये गये। इसमें हुआ यह है कि शाम के समय वाल्टरगंज कस्बे के और कस्बे के आसपास के गांवों के निरीह गरीबों और दुकानदारों, जिनसे पुलिस की रंजिश थी, उनको पकड़ पकड़ कर बुरी तरह पीटा गया। उन्हें यह दिखाया गया कि उन्हें ट्रैक पर गिरफ्तार किया गया है। मैं उनके एफिडेविट्स भी लाया हूं। इसमें एक हरिजन का फोटो भी है, जिसको पुलिस ने पकड़ कर पीटा और छोड़ दिया, गिरफ्तार भी नहीं हुआ। ऐसा भी आदमी है, जिसकी शिकायत है कि उसने भ्रष्टाचार के मामले में एक पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध थाने में गवाही दी थी एस0 पी0 के सामने, जिसकी रंजिश के कारण, उसे थाने के दरोगा और उस पुलिस वाले ने पकड़ कर मारा। धनराज यादव जी का सर ही टूट गया।

अब आप स्वयं ही बतायें कि बस्ती जनपद की जनता के सामने अब क्या विकल्प है। मंत्री जी इस पर अपनी बात स्पष्ट करें, वह वाल्टरगंज चीनी मिल को चलवायेंगे या नहीं। मिल मालिकों ने तो उसे चलवाया नहीं। इस पर नारायण दत्त तिवारी जी ने जब वक्तव्य दिया था, उसमें कहा था कि सरकारी अधिकारियों को भी यह आदेश दिया जा रहा है कि वह इसको तत्परता से देखें कि मिलों की मरम्मत हो रही है या नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि किसी अधिकारी ने इसे सुनिश्चित किया या नहीं कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है तो तब से कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? इसके साथ में स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि बस्ती के किसानों और मिल मालिकों के साथ आप क्या करने जा रहे हैं?

कुमारी अलमेलू अम्माल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, वाल्टरगंज चीनी मिल मेरे क्षेत्र में स्थित है। उस मिल के मालिक नारंग ग्रुप है। नारंग ग्रुप के पास एक और मिल है बस्ती चीनी मिल। इन लोगों का पूरा दृढ़ संकल्प है कि वाल्टरगंज चीनी मिल को नहीं चलायेंगे और उसमें जो फायदा है सबको लेकर, पूरा गन्ना लेकर भी अकेले बस्ती चीनी मिल को ही चलाएंगे। यह लोग 1980 में भी यह विचार लेकर बहुत आगे बढ़े थे, तो हम हम लोगों ने उस समय के वहां के विधायकों ने, जनता और नेताओं ने तथा कार्यकर्ताओं ने एक साथ इकट्ठा होकर उनकी इस करतूत की जोरदार खिलाफत की थी और तत्कालीन मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री ने मिलकर हम लोगों को आश्वासन दिया था और इन लोगों का पूरा प्रयास विफल हो गया था। उस साल 80-81 में उनको 15 लाख 85 हजार रुपये का मुनाफा भी मिला। किन्तु आज वह कह रहे हैं कि मिल में मुनाफा नहीं है, मशीनरी खराब है, वहां गन्ना नहीं मिल रहा है, इसलिए हम मिल बन्द करेंगे। बार-बार माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने और अब माननीय मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह ने मिलकर उस मालिक को समझाया, लेकिन वे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी इसी महीने के पहले हफ्ते में मुख्य मंत्री जी मगहर आए थे, उन्होंने इस समस्या पर कहा कि चाहे मालिक चलायें, या सरकार लेकिन वह मिल चलेगी अवश्य। आपने खलीलाबाद मिल को चलाया उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। लेकिन वाल्टरगंज मिल उसी हालत में है और उसके चलने की कोई आशा भी नहीं दिखाई पड़ रही है। मिल

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

मालिक इस मिल को चलाना नहीं चाहते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि इस मिल को खत्म करके यहां पर कोई मुनाफा मिलने वाला और उद्योग चलायें। वह लोग बस्ती मिल को चलाना चाहते हैं और इस वाल्टरगंज मिल को चलाना नहीं चाहते। तो मैं कहना चाहती हूं कि अगर यहां कोई दूसरी मिल लगायेंगे तो क्या होगा। अगल-बगल में रहने वाले और उस कस्बे में रहने वाली जनता का क्या होगा। वहां के स्थायी और अस्थायी मजदूरों का और वहां रहने वाले किसानों का क्या होगा। वह लोग और उनके परिवार सब भुखमरी के कगार में पड़कर खत्म हो जायेंगे। इसलिये मैं आपसे चाहूंगी कि अगर नारंग ग्रुप चलाने के लिये तैयार नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है कि वही इस मिल को चलायें। इस मिल को टेकअप किया जाना चाहिये। सरकार इस मिल को टेकअप करे।

हमारा बस्ती जिला पिछड़ा है और हमारे यहां कोई उद्योग नहीं है। तीन चीनी मिलों के अलावा हमारे पास कोई और उद्योग नहीं है। बस्ती मिल को मिल मालिक चलाना चाहते हैं। अगर नारंग ग्रुप को मालूम हो जायगा और दूसरा बढ़िया उद्योग मिलेगा तो वह भी मिल बन्द हो जायगी और बस्ती जिले की जनता बेकार हो जायगी। मैं कहना चाहूंगी कि वाल्टरगंज मिल को अगर बस्ती मिल में मिला देंगे तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। वाल्टरगंज मिल की जमीन 48 बीघे 9 बिसवा है और बस्ती मिल की जमीन 24 बीघे है। वाल्टरगंज की मिल को मिल मालिक बस्ती मिल में मिला देना चाहते हैं। तो दोनों मिलों का गन्ना इकट्ठा पेरने में कोई फायदा नहीं है। वहां के किसान भी यह नहीं चाहते हैं कि हमारे गन्ने को लेकर बस्ती मिल को या खलीलाबाद मिल को या बभनान मिल को दें। वाल्टरगंज मिल को ही वहां के किसान अपना गन्ना देना चाहते हैं। अगर उनका गन्ना इधर-उधर ले जाया जायगा तो उनको आर्थिक नुकसान होगा और उनके समय का भी नुकसान होगा। दूसरे साल गन्ना बोना है कि नहीं इसके बारे में वहां के किसान सोच रहे हैं। वाल्टरगंज की मशीनरी के बारे में मिल मालिक कहते हैं कि मशीनरी खराब है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो महीने पहले एक जांच समिति वहां भेजी थी और अफसर तथा इंजीनियर वहां गये थे। उन्होंने जाकर एक एक पुर्जे को देखा और उन्होंने कहा कि वाल्टरगंज की मशीनरी अच्छी है। इसके अलावा वहां के मजदूर भी वहां की मशीन सुरक्षित रखने के लिये कोशिश

कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी न किसी दिन यह मिल खुलेगी। वह मशीनरी की ठीक से देखभाल कर रहे हैं।

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मिल अच्छी हालत में है और इसी मिल को चलाना चाहिये। इसके अलावा वहां का भारी जनमत है, वहां की जनता चाहती है कि इस मिल को चलावें। हमारा जनपद वैसे ही पिछड़ा है। सरकार को मिल चलाने में वहां की जनता पूरी तरह सहयोग देगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि मिल मालिकों ने सरकार को बिना इत्तला दिये इस मिल को बन्द कर दिया। अगर मिल को इस सेशन में नहीं खोलना था तो क्या सरकार को उन्होंने बताया ? अगर नहीं बताया तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगी कि मिल मालिकों के ऊपर जुडीशियल एक्शन लें। आज ही उस मिल को टेकअप करें यह मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं। धन्यवाद।

श्री सुखपाल पाण्डे—

माननीय उपाध्यक्ष जी, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। यहां की जनसंख्या 38 लाख है। यहां पर कोई उद्योग धंधा नहीं है। यहां पर केवल चीनी मिलें हैं और उनकी जो दुर्दशा हो रही है उसकी तरफ मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्योंकि माननीय मंत्री जी पूर्वी जिले गोरखपुर के निवासी हैं और वह वहां की परिस्थितियों से खूब परिचित भी हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बस्ती जिले की वाल्टरगंज और खलीलाबाद चीनी मिलें जो हैं, इनके संबंध में पहले से विचार था कि वह बन्द हो जायेंगी। इस संबंध में वाल्टरगंज चीनी मिल मालिक ने बहुत पहले प्रयास किया था कि यह बन्द हो जाए। लेकिन जनता पार्टी की सरकार उस समय थी और बेनी प्रसाद वर्मा इसके मंत्री थे। इस सरकार ने इस बात पर प्रतिबन्ध लगाया और मिल को चालू रखा। फिर माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्य मंत्री की हैसियत से इस प्रदेश में आए, उनके समय में भी यह बात आयी, परन्तु उन्होंने भी बन्द की मांग पर रोक लगायी और मिलों को चालू रखा। यही स्थिति माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब इस प्रदेश में आए, तो उनके सामने भी आयी। हर्ष वर्धन जी के नियम 51 के उत्तर में उन्होंने भी यही घोषणा की कि मिलें चालू की जायेंगी और युद्ध स्तर पर कार्य किया जायेगा और मिलों की दुरुस्ती के लिये अधिकारियों को आदेश भी दिए थे।

इसी प्रकार से हम सब को यह आशा थी कि जब मा0 वीर बहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री बने, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, यह अवश्य चीनी मिलें चालू करेंगे। परन्तु दो ही दिन बाद माननीय मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी ने यह घोषणा की कि प्रदेश की तीन चीनी मिलें वाल्टरगंज, खलीलाबाद और शाहगंज गन्ने के अभाव में बन्द कर दी जायेंगी। तब मान्यवर, स्थिति यह पैदा हुयी कि वहां की जनता ने इन मिलों को चालू करने के लिए बस्ती बन्द का आयोजन किया और फिर वहां की जनता ने आन्दोलन आदि भी शुरु किये। साथ ही मैं मान्यवर, आपसे एक बात और बताना चाहता हूं। कि यह मिलें गन्ने के अभाव के कारण जैसा कि घोषणा हुई, बन्द की गयी जबकि वहां की मुख्य खेती ही गन्ने की है, दूसरे यह कि मिलों के रख-रखाव की ओर और मशीनों के मेन्टेनेन्स के लिए 10 वर्षों से एक पैसा भी नहीं खर्च किया गया और न वहां नई मशीनें ही लगाई और न ही वह लोग इन चीनी मिलों को चालू करने का कोई प्रयास किये। मान्यवर, इन चीनी मिलों पर किसानों की जो गन्ने की कीमत बकाया है वह 29 लाख रु0 है, मजदूरों का 30 लाख रु0 बकाया है। साथ ही श्रमिकों के जनवरी, 86 तक और भी बकाये हैं। पुरानी ग्रेच्युटी 9,35.148.21 रु0 है, बोनस 2,76,489.66 रु0 रिटेनर 17,908.25 रु0, अनपेड वेतन 40 हजार, भविष्य निधि 75 हजार, वर्ष 1985-86 का बोनस 4,50,000रु0, ग्रेच्युटी 1,50,000 रु0, रिटेनर 6 लाख रु0, फैमिली पेंशन 75 हजार रु0 तथा वेतन इस वर्ष 3,25,000 रु0। टोटल बकाया मान्यवर, दोनो वर्षों का 37,44,54 और मान्यवर मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि

इसके दिलाने के लिए सरकार का न तो कोई रुख है और न ही कोई प्रयास ।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2 फरवरी को करमैनी नदी के पटना घाट के पुल के शिलान्यास के अवसर पर घोषणा किया कि वाल्टरगंज, खलीलाबाद बन्द चीनी मिलें चलाई जायेंगी और अगर प्रबन्ध तंत्र नहीं चलायेगा तो सरकार यह चीनी मिलें चलायेगी । अगर उसमें क्षमता हो, तो वह मिल चालू करें, नहीं तो उन्हें मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए । आज वहां के मजदूरों का कोई पुरसाहाल नहीं है । आज वहां के किसानों का गन्ना 6 लाख कुंटल वाल्टरगंज का बकाया पड़ा हुआ है और 4 लाख कुंटल गन्ना टिनिच गन्ना समिति का बकाया है । इस प्रकार से 10 लाख कुंटल गन्ना आज खेतों में खड़ा है । आज वहां का गन्ना जो बभनान चीनी मिल को दिया गया है, उसमें से, दो लाख में से केवल एक लाख कुंटल गन्ना बभनान चीनी मिल ने खरीदा है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज मुख्य मंत्री जी के कोई रिश्तेदार हैं, वह इस प्रयत्न में हैं कि इस चीनी मिल को चालू न किया जाय । मैं चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री जी की तरफ से माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री [XXX] वह इस संबंध में आश्वासन दें कि मिल चालू की जायगी । मान्यवर, ढाई लाख रुपये का गन्ना खरीदकर खलीलाबाद डांगे में पड़ा है, वह सूख रहा है । वह ढाई लाख रुपये का देनदार किसानों को कोई नहीं दिखाई दे रहा है ।

कर्नल केशरी सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस्ती जिले की वाल्टरगंज मिल यद्यपि हमारे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र का सारा गन्ना वाल्टरगंज में जाता है और इस मिल के बन्द होने से उस क्षेत्र के किसानों पर बज्रपात सा हो गया है । इस मिल के उद्योगपति ने इस मिल से सैकड़ों करोड़ रुपया पैदा किया है । क्या उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, जनता के प्रति, गन्ना उत्पादकों के प्रति और प्रदेश के प्रति ? क्या जो घाटा दिखाया गया है, क्या उस घाटे को लेकर समाज के साथ, या गन्ना उत्पादकों के साथ या शासन के साथ खिलवाड़ करने के लिए वह स्वतंत्र हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय उस क्षेत्र में लगभग 21 लाख टन गन्ना पेराई के लिए उपलब्ध है और उस क्षेत्र की एवं पूरे बस्ती जनपद की कैश क्राप केवल गन्ना ही है । उसी गन्ने से बच्चों को शिक्षा, उसी गन्ने से लड़कों या लड़कियों की शादी, उसी गन्ने की कीमत से बुढ्ढों एवं बीमारों के उपचार और सेवा-सुश्रुषा आदि होती है और वह जनपद जो दुर्भाग्यवश पिछले वर्षों में एक उपेक्षित जनपद रहा है । वहां पर किसी और प्रकार का उद्योग नहीं है, यही मिलें हैं, और ये मिलें इस वर्ष में बन्द पड़ी हैं ।

मान्यवर, यह एक संक्रामक रोग है, जो वाल्टरगंज से खलीलाबाद पहुंचा और अब बभनान पहुंच रहा है । बभनान की समस्या सम्भवतः कल सदन के सामने आयेगी । वाल्टरगंज मिल जो दो वर्षों से घाटा दिखा रही है, यह मालिकों की अपनी गलती से है । जब उन्होंने वर्षों तक गन्ने की कीमत नहीं दिया, उसने गन्ने के उत्पादन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की, उन्होंने खाद या इस प्रकार से गन्ने के विकास करने की कार्यवाही नहीं की और इतना ही नहीं, उन्होंने गन्ने के सुरक्षित क्षेत्र जो वाल्टरगंज के थे, सरकारी कर्मचारियों को मिला कर बस्ती में करवा लिया उन्होंने । बस्ती और वाल्टरगंज का एक एकाउन्ट रखा और बस्ती के खर्चे को वाल्टरगंज में समायोजित करके घाटा दिखाते रहे और कई वर्षों तक यह षड्यंत्र रचा कि वाल्टरगंज की मिल को बन्द कर दें । वर्ष 1981 में तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से उस समय इस मिल का बन्द होना रुका । शासन ने निर्णय लिया कि जब बस्ती मिल की क्षमता इतनी बढ़ जाय कि वह वाल्टरगंज क्षेत्र का गन्ना भी बस्ती में पेराई कर सके और वाल्टरगंज के सारे मजदूरों को बस्ती में रख लें, तब वाल्टरगंज मिल बन्द करने की बात सोची जाय । जब ऐसा उद्योगपति ने नहीं किया 5 वर्षों

नोट—[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

में, तो वाल्टरगंज मिल बन्द करने का बिना शासन की स्वीकृति के क्या औचित्य है ? बस्ती की क्षमता कम है। अब तक केवल दो लाख टन गन्ना ही वाल्टरगंज क्षेत्र का बस्ती जा सका है। इस प्रकार से वाल्टरगंज क्षेत्र का गन्ना बस्ती पूरा पेरायी नहीं कर सकेगा और गन्ना सूख जाने की आशंका है, जो कि गन्ना उत्पादकों के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी।

मान्यवर, इस उद्योगपति ने पिछले पांच वर्ष में कोई कार्यवाही नहीं की जिससे की बस्ती की पेराई क्षमता बढ़े। तो इस कार्यवाही का क्या औचित्य है ? बिना किसी परमीशन के मिल को कैसे बन्द कर दिया। इस विषय में तत्कालीन मुख्य मंत्री तिवारी जी ने कई बैठक की। माननीय मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने कई बैठकें की और यह उद्योगपति बार-बार शासन की अवहेलना करता जा रहा है। यह मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, जनता विरोधी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा क्या यह उद्योगपति इस तरह से हमारी सरकार एवं जनता की अवहेलना कर सकता है और हम इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं ? मैं सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके प्रति कठोर कार्यवाही की जाए। यह मिल चलने की स्थिति में है। हमारी विशेषज्ञ समिति गई थी उसने सिफारिस की थी मिल चलने की दशा में है। मजदूरों ने स्वेच्छा से मिल की मरम्मत की है। मिल केवल सात दिन की नोटिस पर चल सकती है और चलाने के लिए धन भी बहुत थोड़ा लगेगा। इस वर्ष चीनी के उत्पादन में प्रदेश में कमी हुई है अगर यह समस्या इसी प्रकार रही तो और कम चीनी का उत्पादन प्रदेश में होगा। अगले वर्ष किसान गन्ना फिर कम बोयेंगे। अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस चीनी मिल का तुरन्त अधिग्रहण करना चाहिए तथा इस मिल मालिक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा लेकिन यह बहुत ही गम्भीर मामला है। बस्ती जिले की दो मिल बन्द हैं। जिनमें एक मिल तो शायद परसों चली है। खलीलाबाद में एक समस्या खड़ी हो गई है सरकार के सामने और किसानों के सामने, क्योंकि वहां कहा गया कि गन्ना खरीद लिया जाए। तीन लाख का गन्ना खलीलाबाद में किसानों का खरीदा गया है, लेकिन जो मिल मालिक अब मिल चला रहे हैं उसकी कीमत देने को तैयार नहीं हैं और न ही पहले जो मिल चलाता था वह मिल मालिक इसकी कीमत को देने को तैयार है। तो जो रुपया किसानों को मिलने वाला है वह नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार उसको तत्काल दिलाने की कृपा करे। मान्यवर, वाल्टरगंज का मामला बहुत गम्भीर मामला है। जैसा कि कर्नल केशरी सिंह जी ने भी कहा और हमारे सत्तापक्ष और विपक्ष के लोग भी चाहते हैं कि उस मिल मालिक के खिलाफ कार्यवाही हो।

मान्यवर, वह मिल मालिक सोचकर बैठ गया है कि मरम्मत नहीं करवाऊंगा। हो सकता है कि उसने अच्छे पुर्जे निकालकर दूसरी जगह भेज दिए हों, और दूसरे पुर्जे लगा दिए हों, क्योंकि यह सब तो चलता है। तो हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। और जो पुराना बकाया है उसको सरकार दिलवाए। सरकार को इस मिल को खुद चलवाना चाहिए, नहीं तो वहां का किसान खायेगा क्या, वहां के किसानों का तो मुख्य धन्धा गन्ने की खेती ही है अगर उसको गन्ने का मूल्य नहीं मिलेगा, तो जैसा कर्नल केशरी सिंह जी ने कहा कि वह खाएगा क्या ? अपने बच्चों को पढ़ायेगा कैसे ? वह तो सब उसी में करता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं। कृषि मंत्री जी चले गये हैं। हुकुम सिंह जी विराजमान हैं यह भी गन्ने के क्षेत्र से आते हैं तो इस मिल को चलवाईये और किसानों का तथा मजदूरों का जो पिछला बकाया है, उसका भुगतान कराईये, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागे न।

*श्री अम्बिका सिंह—

मान्यवर, मेरे जनपद में उद्योगों के नाम पर 4 चीनी मिलें हैं। दो चीनी मिलें बन्द हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुकी है और तीसरी बन्द होने की कगार पर है । 12 मार्च से यह चीनी मिल बन्द होने की तैयारी में थी । मैं वर्तमान मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उनके प्रयासों से खलीलाबाद की चीनी मिल चली । किसानों में खुशी की लहर आयी है । जहां उद्योग के नाम पर हमारा जनपद शून्य है, किसानों के पास आय का कोई साधन नहीं है, बस्ती जनपद इन मिलों के बन्द होने से पूरा तबाह हो रहा है बस्ती जनपद बाढ़ से प्रभावित होता है, चाहे राप्ती नदी हो, चाहे बूढी गण्डक हो या घाघरा नदी हो । पूरा बस्ती जनपद बाढ़ से तबाह होता है । किसानों की एक मात्र फसल गन्ना है, जिसको बेचकर किसान अपने बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई तथा बीमारी आदि का उपचार कराते थे । बस्ती जनपद के लोगों का गन्ना ही एक आर्थिक आधार है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन मिलों को किसी भी कीमत पर चलाया जाय । पूरे जनपद के किसानों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है । आज किसान ने जो गन्ना बोया है, वह कहां पेरा जायेगा, और अगर किसान अगले साल गन्ना नहीं बोयेगा तो उसका काम कैसे चलेगा ? यह समस्या जनपद में उत्पन्न हो गई है ।

विपक्ष के सदस्यों ने आन्दोलन चलाया, मजदूरों ने आन्दोलन चलाया, और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से उस समय लोग मिले, सत्ता पक्ष के विधायकों ने मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट किया। हम लोगों को यह आश्वासन मिलता रहा कि मिलें चलेंगी और किसानों के हित में निर्णय होगा । लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो पूंजीपति चाहे नारंग हो चाहे जयपुरिया हों. यह वर्तमान मुख्य मंत्री की लोकप्रियता को खत्म करना चाहते हैं । जयपुरिया ने दबाव में आकर मिल चलाया, लेकिन नारंग के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है । यह पूंजीपति वर्तमान सरकार की छवि को धूमिल करने पर तुला है । मैं अधिक न कह कर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर वाल्टरगंज की चीनी मिल चलवाई जाय । नारंग की एक मिल बस्ती में है, सरकार को वह मिल लेना चाहिये और वाल्टरगंज की मिल भी अगर नारंग नहीं चलाता है तो सरकार को चलाना चाहिये । सरकार के अनुरोध पर यह पूंजीपति काबू में आने वाले नहीं हैं । मेरा ऐसा मत है कि यदि सरकार बस्ती की मिल को अधिग्रहण करने की कार्यवाही करेगी तो नारंग तो वाल्टरगंज की मिल चलायेगा । यदि ये मिलें न चली तो बस्ती जनपद में सरकार का लोकप्रियता घटेगी । मैं पुनः संसदीय कार्य राज्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह बस्ती की चीनी मिल को अधिग्रहण करें । जयहिन्द ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो भावना सम्मानित सदस्यों ने व्यक्त की है, यह बस्ती के जन जीवन से जुड़ी समस्या है और जनाक्रोश होना स्वाभाविक है, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं । मैं इस संक्षिप्त चर्चा को राजनीतिक चर्चा में परिवर्तित नहीं करना चाहता हूं । मैं बधाई नहीं लेना चाहता हूं कि मैंने खलीलाबाद की मिल चलवाई । यह सरकार की जिम्मेदारी थी, हमने उसको निभाया । उस जिम्मेदारी को निभाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गरीब खजाने से 35 लाख रुपया ऋण के रूप में दिया, बिना इस बात का ध्यान रखे कि उस मिल पर पहले से कितनी देनदारी बकाया है । बस्ती जनपद के किसानों की स्थिति को देखते हुये, बस्ती जनपद की आर्थिक स्थिति को देखते हुये, सरकार ने यह कदम उठाया है । मैं बताना चाहता हूं कि पूंजीपतियों के दबाव में आकर सरकार झुकी नहीं है ? हम उस पूंजीपति से जिसकी कोई कटिबद्धता वहां के जन-जीवन से नहीं है ? जो केवल अपने पूंजीपति होने के घमंड में चूर होकर अपने दायित्वों से भाग रहा है, हम उसके प्रभाव में रहते तो उसके खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र जारी नहीं करते । उसकी वहां की चल सम्पत्ति कुर्क नहीं करते । वहां के जनरल मैनेजर को गिरफ्तार नहीं करते, हांलाकि इसके लिये वहां के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को कोर्ट में जाना पड़ा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। शासन इस प्रश्न पर खामोश नहीं रहेगा। रिकवरी सर्टीफिकेट जारी करने के बाद उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गिरफ्तार कर भी लिया जाता यदि वह कोर्ट से स्थगनादेश न ले आता।

वाल्टरगंज मिल 813 क्विंटल की मिल है। दुर्भाग्य से पिछले पांच सालों से उसके बन्द होने और चलते रहने की कहानी चलती रही। चलायी गयी और बन्द हो गयी और वहां के किसानों के जन-जीवन से खिलवाड़ होता रहा। अभी मा0 सदस्यों ने कहा कि वह नहीं चलाते तो बस्ती की मिल का अधिग्रहण कर लिया जाय, तो आप किन्हीं नियमों के अनुसार चलते हैं। आपके ऊपर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी हैं। अगर बस्ती की मिल अपनी अदायगी समय पर कर रही है तो हमें कोई अधिकार प्राप्त नही होता कि उस मिल को अधिग्रहीत कर लें। केवल इस वजह से कि वह दूसरी मिल नहीं चला रहे हैं, आप बदले की कार्यवाही नहीं कर सकते। वाल्टरगंज मिल के सम्बन्ध में वहां की जनता के साथ जो समस्या हो गयी है, सोचना यह है कि उसे सलझाया कैसे जाय। यह सम्मानित दिवाकर विक्रम जी ने स्वीकार किया और दूसरे लोगों ने स्वीकार किया कि कितनी ही बैठकें मिल मालिक के साथ हमारे मुख्य मंत्री ने की। तो वह बैठकें चाय नाश्ते के लिये तो नहीं थीं, वह मिल को चलाने के लिये थीं। उन बैठकों में से कुछ में मिल मालिक नहीं आये, तो इससे पता चल सकता है कि कितना दबंग होकर वह अपने प्रभाव से वहां के जन-जीवन से खिलवाड़ करना चाहता है। अगर वह हमारे निमंत्रण पर नहीं आता तो मा0 सुखपाल पाण्डे जी क्या कहेंगे कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाय ? कोई हमारा निमंत्रण स्वीकार न करे तो क्या हम उसके खिलाफ बदले की कार्यवाही करें ? हम संविधान की मान्यताओं को मानकर चलते हैं। सोचना यह पड़ेगा कि हम बस्ती जनपद के पिछड़ेपन को कैसे हटावें। जिन किसानों का गन्ना रुका है, उनकी परेशानी की क्या व्यवस्था करें ? हमें शांति से सोचना पड़ेगा।

मिल मालिक का सुझाव सन् 80 में आया कि वाल्टरगंज मिल को बन्द कर दिया जाय और हम दूसरी मिल की क्षमता बढ़ा रहे हैं। सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और प्रतिबन्ध लगाया कि पहले क्षमता को बढ़ायें तभी बन्द होने की स्वीकृति देंगे। उसने अपनी जिद में मिल को ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया कि अधिग्रहण के बावजूद हम इस पेराई सीजन में उसका इस्तेमाल नहीं कर सके। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक इस सीजन का प्रश्न है, जितने भी उस क्षेत्र के गन्ना कृषक हैं, उनका गन्ना दूसरे केन्द्रों से और मिल से सम्बद्ध कर दिया गया है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जिस तरह से पहले जाता था, उसी तरह से गन्ना इस बार गेट से जाय। वाल्टरगंज की ही दर दूसरी मिल में भी मिले। यह सही है कि एक मिल का गन्ना दूसरी मिल में जाता है तो मन में महसूस होता है। मान्यवर जो मजबूरी है विवशता है। विवशता को देखते हुए सिवाय कोई विकल्प नहीं है। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बिना मिल पर जाये, बिना ऐसा कोई गन्ना न रहने पाये और किसी गन्ना किसान को किसी समस्या का सामना न करना पड़े।

मान्यवर, यह विडम्बना है, गन्ना खड़ा है। मिल मालिक मिल बन्द करके भागना चाहता है। यह दुर्भाग्य है। ऐसी स्थिति में कोई आशांकित होने की बात नहीं है। गन्ने की पेराई की व्यवस्था की जायेगी और कर भी चुके हैं। जहां एक तरफ खलीलाबाद मिल को चलाया गया, वहीं वाल्टरगंज का जितना भी क्षेत्र है उसको दूसरी मिलों से सम्बद्ध कर दिया गया है। जो नाराजगी। आपके मन में है, वही नाराजगी सरकार के मन में है। इसके ऊपर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है कि नियमानुसार क्या सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय और कितने साधनों को इस्तेमाल करके उस मिल को दुबारा पुर्नजीवित किया जाय।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि शासन को सहयोग दें। मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ी

हिम्मत का कदम उस मिल को 35 लाख का ऋण देकर उठाया है और वाल्टरगंज क्षेत्र का जितना गन्ना है, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि वाल्टरगंज क्षेत्र का गन्ना दूसरी मिलों को आवंटित करके सप्लाई सुनिश्चित की है। मान्यवर, क्या यह सत्य नहीं है कि वाल्टरगंज गेट का आधे गेट को छोड़कर शेष गन्ना बस्ती चीनी मिल को दिया गया है। उपधी और कंचनपुर यह दो क्रय केन्द्र अभी तक नहीं चलाये गये हैं और क्या यह सही है कि अभी तक नहीं चलाये गये हैं और क्या यह सही है कि अभी तक कुल 3 लाख टन गन्ना सप्लाई हो पाया है?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं बताना चाहता हूं कि गेट का आधा हिस्सा तुलसीपुर शुगर मिल को और आधा हिस्सा बस्ती चीनी मिल को दिया गया। दूसरे, जो क्रय केन्द्र हैं सकसेरिया शुगर मिल बभनान, उसको दिया गया। यह मेरे पास रिकार्ड है। अधिकारियों से आज ही मैंने बात की है, इस सम्बन्ध में। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो आदमी केवल अपनी जिद और हठधर्मिता के आधार पर दबाव डालकर बस्ती मिल में सम्बद्ध करना चाहे, हमें उस पर विचार करनी चाहिए। विचार करने के बाद वह हमको ब्लैक मेल न करने पाये, यह हम सुनिश्चित करेंगे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि बभनान के लिए आदेश जो दिये गये हैं, वह कल परसों में ही आदेश दिये गये हैं। दो सेन्टर कप्तानगंज और गोटवा का जो गन्ना है, वह बस्ती चीनी मिल को आवंटित किया जा रहा है, यह मुझे जानकारी हुई है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि शेष सभी सेन्टर्स बस्ती-चीनी मिल को दिये गये हैं, जो उनकी मांग थी। उपधी और कंचनापुर क्रय केन्द्र अभी तक नहीं चले हैं। शुगर केन परचेज एण्ड सप्लाई रेगुलेशन एक्ट के आधार पर क्रय केन्द्र साथ-साथ अगर न चलाये जांय तो मिल मालिक को प्राजिक्यूट किया जा सकता है। आज तक उसके खिलाफ प्राजिक्यूशन का मामला दाखिल क्यों नहीं किया गया? सरकार मिल मालिक के ऊपर झुक चुकी है।

कुमारी अलमेलू अम्माल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने किसानों के बारे में अपनी राय बतायी। यहां मिल में जो स्थायी और अस्थायी मजदूर हैं, उनके बारे में कोई नीति आपकी है?

श्री शिवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि खलीलाबाद चीनी मिल के लिए 35 लाख रु0 का ऋण दिया गया, भुगतान के लिए। क्या उसमें सिसवा बाजार के किसानों का रुपया भी शामिल है, उसको दिया जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—

सिसवा का संदर्भ इसमें कहां से आ गया?

श्री सुखपाल पाण्डे—

जिस वाल्टरगंज चीनी मिल पर 2 करोड़ से अधिक बकाया है, जिसमें मजदूरों और किसानों का और बैंकों का जो है, वह अलग से है, यह सब मिलाकर 2 करोड़ रुपए से भी अधिक है। लगभग 37 लाख रुपए मजदूरों का है और लगभग 29 लाख रुपए किसानों का है। इसको तत्काल भुगतान करने के लिए माननीय मंत्री जी ने क्या उपाय किए हैं?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, हमारी यह नीति रही है कि किसानों और मजदूरों का जो बकाया है, उसके भुगतान की व्यवस्था हम करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11·00 बजे पूर्वाह्न में फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

19 फरवरी, 1986

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०- ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर ।)

सिंचाई विभाग में कार्यरत ट्रेड का यूनियनों का नाम प्राप्त वार्षिक विवरण पत्रों के आधार पर ।

क्रमांक ट्रेड यूनियन का नाम

1—एसोसियेशटड ट्यूबैल मजदूर यूनियन, मोदीनगर, गाजियाबाद ।

2—यू0 पी0 आई0 एल0 श्रमिक संघ, लखनऊ ।

3—उ0 प्र0 पाताल कूप कर्मचारी संघ, कानपुर ।

4—इरीगेशन वर्कशाप वर्कस यूनियन, बरेली ।

5—रामगंगा परियोजना मजदूर संघ अलीगढ़, बिजनौर ।

6—इरीगेशन डिपार्ट इम्पलाइज यूनियन, देहरादून ।

7—सिंचाई वर्कशाप कर्मचारी संघ, मेरठ ।

8—माता टीला सिंचाई योजना कर्मचारी संघ, झांसी ।

9—राष्ट्रीय श्रमिक संघ राजकीय सिंचाई उद्योगशाला, झांसी ।

10—इरीगेशन इंजीनियरिंग वर्कशाप कर्मचारी यूनियन, कानपुर ।

11—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग वर्क-चार्ज कर्मचारी परिषद, वाराणसी ।

12—गंगा परियोजना कर्मचारी यूनियन, उत्तरकाशी ।

13—सिंचाई विभाग वर्कचार्ज कर्मचारी संघ, उ0 प्र0, लखनऊ ।

14—सिंचाई एवं बांध परियोजना कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ ।

15—वाराणसी सर्किल सिंचाई कर्मचारी संघ, गाजीपुर ।

16—यू0 पी0 आई0 एल0 कर्मचारी संघ, लखनऊ ।

17—प्रान्तीय सिंचाई एवं बांध योजना श्रमिक महापरिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ ।

18—राजकीय सिंचाई वर्कशाप मजदूर यूनियन, बरेली ।

19—सिंचाई मजदूर संघ, आगरा ।

20—यू0 पी0 आई0 एल0 इम्प्लाईज यूनियन, लखनऊ ।

21—राजकीय सिंचाई विभाग कार्यशाला श्रमिक संघ, रुड़की, सहारनपुर ।

22—उ0 प्र0 नलकूप निगम कर्मचारी संगठन, आगरा ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०-८८ का उत्तर पीछे पृष्ट 47 पर।)

अधूरी नहरों की सूची

क्रमांक माइनर का नाम

1—बिठौंरा माइनर
2—बिरनो राजवाहा
3—बुद्धपुर माइनर
4—राजापुर राजवाहा
5—गुलालसराय माइनर
6—डांडीकला माइनर
7—बलुआ माइनर
8—चांदपुर माइनर
9—गोविन्दपुर माइनर
10—हरौंरी राजवाहा
11—इन्दौर माइनर
12—दुरखुशी माइनर
13—पृथ्वीपुर माइनर
14—अविसहनपुर माइनर
15—सिधारी माइनर
16—शंकरपुर माइनर
17—सकलपुर माइनर
18—दलपतपुर राजवाहा
19—वीरभानपुर माइनर
20—गौंराखुर्द माइनर
21—दुर्गापुर माइनर
22—अभाव माइनर
23—रामदासपुर माइनर
24—ओंडरपुर माइनर
25—विद्यापुर माइनर
26—रामपुर माइनर
27—भिटौंरा माइनर
28—रामपुर मि0 माइनर
29—भरौंली कला माइनर
30—भरदह राजवाहा
31—सोनहरा माइनर
32—हरिदासपुर माइनर
33—नखतपुर माइनर
34—जगतपुर माइनर
35—कबीरपुर माइनर
36—हैंदरगंज माइनर
37—पण्डिता माइनर
38—कैलही माइनर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 100 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर।)

मुहम्मदाबाद ब्लाक के अन्तर्गत चालित नलकूपों की सूची

क0 सं0	नलकूप संख्या व समूह	ग्राम का नाम
1—	2 वाई जी	लखीमपुर
2—	3 "	चक अब्दुला
3—	4 "	बरतर
4—	5 "	उमरपुर
5—	6 "	कमालपुर
6—	7 "	सराय बहादुर
7—	8 "	बखारीपुर
8—	9 "	जलाल बेरलचक
9—	10 "	कुन्डेसर
10—	11 "	खरुल्लाचक
11—	17 "	लोकनाथ पाह
12—	18 "	टड़वा
13—	20 "	दिलावलपुर
14—	21 "	बहारपुर
15—	22 "	गम्भीरपुर
16—	28 "	फिरोजपुर कला
17—	30 "	सुरतापुर
18—	32 "	अब्बासपुर
19—	33 "	महई
20—	35 "	कुन्डेसर 2
21—	36 "	यूसुफचक
22—	39 "	सुल्तानपुर
23—	52 "	सरायखुद
24—	53 "	परसा
25—	55 "	मोहन
26—	59 "	शक्करपुर
27—	63 "	परसा
28—	68 "	बैरान
29—	69 "	जोगापुर
30—	71 "	गौरा
31—	74 "	रसूलपुर
32—	75 "	सखुपुरा
33—	79 "	सलेमचक
34—	82 "	कांधरपुर
35—	84 "	हरीपुर
36—	86 "	बढ़ईपुर
37—	87 "	गौसलाजमपुर
38—	88 वाई जी	हरिजल्लापुर
39—	89 "	बड़ौरा
40—	90 "	चकताहा
41—	91 "	इस्माइलपुर
42—	92 "	जल्लापुर
43—	93 "	कल्यानपुर
44—	94 "	अली अकबर चक
45—	95 "	उसरी
46—	96 "	बरेजी
47—	97 "	पहाड़ीपुर
48—	103 "	दुबौली
49—	105 "	नसीरपुर कला
50—	110 "	हरीदया
51—	127 "	करौंदिया
52—	138 "	केशवपुर
53—	139 "	बकशपुर
54—	140 "	चन्दनी
55—	144 "	रायपुर
56—	146 "	उत्तमपुर
57—	148 "	तभलपुरा
58—	149 "	बेंजलपुर
59—	150 "	मिरनपुर
60—	151 "	तिबारीपुर
61—	152 "	सुल्तानपुर
62—	158 "	बालानगर
63—	165 "	चकसरासन
64—	166 "	नरायनपुर
65—	167 "	रामपुर
66—	172 "	हुसेनपुर कौठिया
67—	173 "	सीलाइच
68—	176 "	जैनदासपुर
69—	179 "	इचौली
70—	184 "	फिरोजचक
71—	186 "	चक फिरोज
72—	187 "	बहम्दासपुर
73—	189 "	डोमनपुरा
74—	193 "	कठउत

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 8 विधान सभा—16-5-86—(399)—1986-813 (प्रो0)।—